

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(भाग I)
(ग्यारहवीं लोक सभा)



लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 14, चौथा सत्र (भाग-चार) 1997/1919 (शक)]

अंक 11, गुरुवार, 15 मई, 1997/25 वैशाख, 1919 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 561-563	1-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 564-580	20-51
अतारांकित प्रश्न संख्या 6240-6469	51-259
सभा पटल पर रखे गए पत्र	259-261
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
तीसरा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	261
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	
आठवां, नौवां और दसवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	262
परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति	
छब्बीसवां, सत्ताईसवां और अट्ठाईसवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	262
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
(एक) किसानों को बोनस दिए जाने के संबंध में दिनांक 6 मई 1997 के तारांकित प्रश्न संख्या 422 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	262-268
श्री चतुरानन मिश्र	262-263
(दो) श्री प्रभुदयाल कठेरिया, संसद सदस्य के संबंधियों का अपहरण	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	263-264, 267-268
श्री प्रभुदयाल कठेरिया	265-267
(तीन) औषध मूल्य नियंत्रण के संबंध में दिनांक 30 जुलाई, 1996 के तारांकित प्रश्न संख्या 269 के उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण	
श्री शीश राम ओला	264-265
उच्चतम न्यायालय को कथित रूप में गलत सूचना दिए जाने के लिए महान्यायवादी	268-270
के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	
श्री राम नाईक	268-269
श्री श्रीकांत जेना	270

विषय	कालम
नियम 377 के अधीन मामले	274-277
(एक) महाराष्ट्र के गढ़ चिरौली जिले में बेहतर डाक सेवाओं के लिए प्रधान डाक घर खोले जाने की आवश्यकता श्री हंस राज अहीर	274-275
(दो) मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में खनिज अयस्क पर आधारित उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता श्री विश्वेश्वर भगत	275
(तीन) आलू के निर्यात और देश के भीतर उसे लामे-ले-जाने पर लगे प्रतिबंध की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता श्री सुधीर गिरि	275-276
(चार) तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में टेलीफोन कनेक्शनों के आवेदकों की बकाया सूची समाप्त किए जाने की आवश्यकता श्री एन. डेनिस	276
(पांच) असम में काकुम-डंगोरी सेक्शन पर आमान परिवर्तन का कार्य शीघ्र आरम्भ किए जाने की आवश्यकता डॉ. अरुण कुमार शर्मा	276
(छः) कोट और भोपाल के बीच रेलगाड़ी सेवा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता वैद्य दाऊ दयाल जोशी	277
(सात) देश में विशेषकर गुजरात में समुद्र तटीय क्षेत्र में तस्करी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया	277
(आठ) महाराष्ट्र के कराड़ और सतारा में रेलवे स्टेशन के भवनों का नवीकरण कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता श्री पृथ्वी राज दा. चव्हाण	277
नियम 193 के अधीन चर्चा	278-321
कपड़ा उद्योग की समस्याएं	
श्री मधुकर सरपोतदार	278-282
श्री राम नाईक	282-286
श्री अनादि चरण साहू	286-291
श्री सी. नारायण स्वामी	291-295
श्री प्रमथेस मुखर्जी	295-299
श्रीमती सुमित्रा महाजन	299-303
श्री रामबहादुर सिंह	303-306
श्री जगत वीर सिंह द्रोण	306-310
श्री आर. एल. जालप्पा	311-321

विषय	कालम
भारतीय निर्यात-आयात बैंक (संशोधन) विधेयक	321-324
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री पी. चिदम्बरम	321-322
श्री गिरधारी लाल भार्गव	322-324
आधे-घंटे की चर्चा	325-342
देश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल	
श्री भगवान शंकर रावत	325-330
श्री राम नाईक	330-331
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	331-333
श्री राजीव प्रताप रूडी	333-335
श्री श्रीकान्त जेना	335-342

लोक सभा

गुरुवार, 15 मई, 1997/25 वैशाख 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुई

[श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुई]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

रेल यात्री सेवा एजेंटों की नियुक्ति

+

*561. श्री गुलाम मोहम्मद मीर मगानी :

श्रीमती शारदा टाडीपारबी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल यात्री सेवा एजेंटों की नियुक्ति हेतु कोई विज्ञापन दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कितने एजेंटों की नियुक्ति की गई है तथा उनकी नियुक्ति हेतु क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ग) उन रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है जिनमें उपग्रह, आधारित टेलीफोन सेवा उपलब्ध है तथा निर्धारित प्रति काल दर क्या है;

(घ) इस हेतु रेलवे द्वारा विदेश संचार निगम लिमिटेड को कितनी धनराशि का भुगतान करना होता है;

(ङ) सभी एक्सप्रेस तथा मेल रेलगाड़ियों में तथा विशेषकर लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में इन सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(च) टेलीफोन सुविधा द्वारा किस सीमा तक रेल दुर्घटनाओं को कम करने में सहायता मिलेगी ?

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) 1995 से 1997 तक (आज की तारीख तक) 168 रेल यात्री सेवा एजेंटों को लाइसेंस दिए गए हैं। रेल यात्री सेवा एजेंटों की नियुक्ति की शर्तें 'रेल यात्री सेवा अधिकर्ता प्राधिकार नियम, 1985' में दी गई हैं, जो कि 5.12.1985 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित 5.12.1985 के सांविधिक आदेश

सं. 881 (अ) और 13.08.1987 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित 30.7.1987 के यथासंशोधित सांविधिक आदेश सं. 771 (अ) एवं 26.5.1993 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित 01.07.1992 के सांविधिक आदेश सं. 331(अ) के अंतर्गत अधिसूचित हैं।

(ग) नई दिल्ली-मुंबई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों और हज़रत निज़ामुद्दीन-मुम्बई अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में उपग्रह-आधारित टेलीफोन सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कॉल-प्रभार इस प्रकार हैं : यानि भारतवर्ष के भीतर अंतर्देशीय कॉल 126 रुपये प्रति मिनट तथा सभी अंतर्राष्ट्रीय कॉलों के लिए 162 रुपये प्रति मिनट। ये प्रभार अन्तिम रूप से निर्धारित किए गए हैं।

(घ) रेलों द्वारा विदेश संचार निगम लिमिटेड को देय राशि इस प्रकार है : अंतर्देशीय कॉल 120 रुपये प्रति मिनट तथा अंतर्राष्ट्रीय कॉलों के लिए 150 रुपये प्रति मिनट।

(ङ) इन सेवाओं का विस्तार 1997-98 के अंत तक सभी राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में किए जाने की योजना है। इस सेवा का विस्तार सभी मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में करना इस योजना को राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में मिलने वाली लोकप्रियता और इन गाड़ियों में इस सेवा को मुहैया कराने की संभारतंत्र (लाजिस्टिक) समस्या पर निर्भर करेगा।

(च) गाड़ियों में उपलब्ध कराई गई मौजूदा उपग्रह टेलीफोन सुविधा गाड़ी दुर्घटनाओं में कमी लाने में सहायक नहीं होगी। इसे मुख्य रूप से यात्री सुविधा के रूप में मुहैया कराया गया है। तथापि, दुर्घटना हो जाने पर, इस सेवा का उपयोग दुर्घटना से संबंधित सदश्यों और राहत कार्यों के लिए किया जा सकता है, बशर्ते कि टेलीफोन उपस्कर और वह सवारी डिब्बा जिसमें यह टेलीफोन संस्थापित हो, क्षतिग्रस्त न हुए हों।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री जी. एम. बनावाला (पुन्नानी) : एक तिहाई सीटों पर महिला सवारियां बैठी होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गुलाम मोहम्मद मीर मगानी : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपकी बसातुर से पूछना चाहता हूँ कि लिहाजा मिनिस्ट्री ने कोई इशतिहार दिया है, जिसमें मुसाफिरों की सहूलियात के लिए एजेंटों की भर्ती मांगी है। अगर ऐसा हुआ है तो आज तक कितने एजेंट भर्ती किए गए हैं और किन-किन शरायत पर भर्ती हुई है और जम्मु कश्मीर में ऐसे कोई एजेंट हैं ? अगर नहीं हैं तो आप लोकल एजेंटों को क्यों नहीं दे सकते हैं ताकि उनके रोजगार का इंतजाम हो सके।

श्री राम बिलास पासवान : सभापति महोदय, अपने जवाब के खंड-ख में हमने बताया है कि 1995 से 1997 तक यानी आज की

तारीख तक 168 रेल यात्री सेवा एजेंटों को लाइसेंस दिए गए हैं और हमारे पास पिछले एक साल के आंकड़े हैं जिसमें 15 विज्ञापन दिए गए हैं। इन 15 विज्ञापनों में जम्मू, तबी, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, कालका और ऊधमपुर भी शामिल हैं और यह विज्ञापन 17.12.96 को दिया गया है।

श्री गुलाम मोहम्मद मीर मगानी : मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने रेलवे में जो टेलीफोन सुविधा दी है, क्या यह तजुर्बा कामयाब है। अगर कामयाब है तो आज तक कितनी रकम कॉल के हिसाब से वसूल की गई है ?

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, जहाँ तक इसमें कामयाबी का सवाल है तो इसमें बहुत ज्यादा कामयाबी हमें नहीं मिली है और जो हमने अपने जवाब में कहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय कॉल के लिए 126 रुपए प्रति मिनट लेते हैं और उसके लिए हमें 120 रुपए चुकाने पड़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कॉल के लिए हम 162 रुपए प्रति मिनट लेते हैं और हमें इसके लिए 150 रुपए चुकाने पड़ते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी जिन-जिन गाड़ियों में हमने सैटेलाइट टेलीफोन की सुविधा दी है, वह पेन्ट्री कार में है।

हो सकता है कि पेन्ट्री कार तक जाने में यात्रियों को कुछ असुविधा होती हो, उसके कारण चाहे जो भी हों, लेकिन इस सुविधा को हम जितना लोकप्रिय देखना चाहते हैं, उतनी लोकप्रिय अभी यह हो नहीं पाई है।

[अनुवाद]

श्रीमती शारदा टाडीपारथी : महोदया, मैं माननीय मंत्री का ध्यान 2 फरवरी, 1997 के डेक्कन क्रानिकल, हैदराबाद में प्रकाशित समाचार जिसका शीर्षक 'रेलवे लाइसेंसेस अलॉटिड आउट आफ टर्न' है की ओर दिलाना चाहती हूँ मैं आशा करती हूँ कि इसमें शामिल लोगों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई होगी।

ट्रेन टेलिफोन सेवाओं के सम्बन्ध में, प्रति मिनट 126 रुपए की दर से काल दरों की कीमत बहुत ज्यादा प्रतीत होती है जबकि यह पर्यटकों, प्रबंधकों और व्यापारियों के लिए अत्यन्त उपयोगी सेवा है जो यह शिकायत करते हैं कि उनके सेल्यूलर फोन काम करना बंद कर देते हैं जैसे ही ट्रेन दिल्ली की सीमा पार कर जाती है तब तक जब तक कि ग्रह मुम्बई या किसी अन्य शहर के सीमावर्ती क्षेत्रों में नहीं पहुँच जाती है।

अतः मैं जानना चाहती हूँ क्या सरकार रेलगाड़ियों में चोरियों और लूटमार की बढ़ती हुई घटनाओं की समस्या को नियंत्रित करने के लिए ट्रेन टेलिफोन सुविधाओं का उपयोग करने का विचार रखती है। यदि हाँ तो इस संबंध में क्या व्यवस्था की गई है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, इस प्रश्न के तीन खंड हैं। पहले खंड में इन्होंने 'डैकन हैराल्ड' की चर्चा की है परन्तु उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं ऑनरेबल मੈम्बर से उसकी कापी

लेकर, मामले की इक्वायरी करा लूंगा और यदि उसमें कुछ सच्चाई पाई गई तो आवश्यक कार्यवाही करूंगा। इनका दूसरा सवाल टेलीफोन रेट्स के संबंध में है। रेट्स के बारे में मैंने अभी जानकारी दी है कि हम 'नो प्रोफिट नो लॉस' बेसिस पर काम कर रहे हैं। विदेश संचार निगम को प्रति कॉल हमें 120 रुपए प्रति मिनट की दर से चार्ज देना पड़ता है जबकि उसकी एवज में सर्विस चार्ज लगाकर हम यात्रियों से 126 रुपए की प्रति कॉल लेते हैं। उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय कॉल के लिए हम 162 रुपए कॉल प्रति मिनट यात्रियों से चार्ज करते हैं जबकि हमें 150 रुपए चुकाने पड़ते हैं और वह भी 'नो प्रोफिट नो लॉस' बेसिस पर है।

जहाँ तक हमारी वर्तमान संचार व्यवस्था या टेलीफोन सिस्टम का संबंध है, जब तक हम सिस्टम को आगे लाने वाले स्टेशन से नहीं जोड़ते हैं, डाइवर तथा गार्ड से कनेक्ट नहीं करते हैं, तब तक एक्सीडेंट्स के मामलों में सुधार होना सम्भव नहीं है तथा उस प्रणाली में काफी खर्च की आवश्यकता है। मैंने अपने जवाब में भी कहा है, यदि आप लास्ट पैरा देखें, जहाँ मैंने लिखा है कि गाड़ियों में उपग्रह टेलीफोनों की वर्तमान सुविधा, गाड़ियों की दुर्घटनाओं में कमी लाने में सहायक सिद्ध नहीं होगी।

श्री दत्ता मेघे : सभापति जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि रेलों में ट्रेवल एजेंट्स की नियुक्ति के क्या नियम हैं, जिनके आधार पर हम उन्हें बड़े-बड़े स्टेशनों पर नियुक्त करते हैं। यदि हम ज्यादा ट्रेवल एजेंट्स बड़े स्टेशनों पर नियुक्त करेंगे तो उनका आपस में कम्पटीशन होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि देश में जितने बड़े जंक्शंस हैं, जैसे नागपुर, हैदराबाद, उनमें ट्रेवल एजेंट्स की नियुक्ति के नियम क्या हैं? इसके अलावा जिन स्टेशनों पर अभी इनकी नियुक्ति नहीं की गई है, क्या वहाँ शीघ्र इनकी नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है कि जैसा अभी मंत्री महोदय ने टेलीफोन फैसिलिटीज के संबंध में कहा कि ट्रेनों में जितने एक्सीडेंट होते हैं, चोरियाँ होती हैं, यात्रियों का सामान उठाकर ले जाते हैं, मैं समझता हूँ कि इससे रेल मंत्रालय को भी फायदा हो सकता है। इसलिए भले ही थोड़ा ज्यादा खर्च करके, लम्बी दूरी की जितनी गाड़ियाँ हैं, मेल-एक्सप्रेस गाड़ियाँ हैं, जैसा अभी आपने दिल्ली-बम्बई की गाड़ियों के बारे में कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी ट्रेनों में टेलीफोन सुविधा प्रोवाइड करने का सरकार का कोई विचार है।

श्री राम विलास पासवान : इन्होंने अभी एजेंट के संबंध में कहा है। हम लोग उसको डील नहीं करते हैं। जो डिफरेंट जनरल मैनेजर्स हैं उनको ही हमने यह अधिकार दे रखा है और जनरल मैनेजर अपनी आवश्यकता अनुसार एजेंट की बहाली करते हैं। जहाँ तक एजेंट का सवाल है उसमें दो मत नहीं हैं। मैं स्वयं सर्टिफाइड नहीं हूँ क्योंकि डिमांड इतनी अधिक है कि डिमांड के मुताबिक जो सप्लाय है, वह कम है। नतीजा यह होता है कि हम ऑर्थोराइज्ड डीलर बनाते हैं तो उसका स्कूटीनाइज किया जाता है और जो एजेंट मूलतः कामों में पकड़े गए हैं, ऐसे 120 लोगों का टर्मिनेशन किया गया है। लेकिन हमारे सामने प्रॉब्लम यह है कि आज के समय में जितना स्कूटीनाइज होना चाहिए

उतना स्क्रूटीनाइज नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग के तहत यह हुआ कि जो एजेंट हैं, जो आदमी लाइन में खड़े होकर टिकट नहीं ले सकते, ऐसे लोगों का कुछ प्रोविजन होना चाहिए। उसके तहत दिया गया है। जो टोटल संख्या है वह अभी तक 1996 में सभी रेलवे को मिलाकर 8 लोगों को दिया गया है।

कुमारी उमा भारती : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि कुछ समय से राजधानी एक्सप्रेस में और कुछ अन्य गाड़ियों में सवरे-सवरे भजन सुनने को मिलते थे लेकिन जब से मंत्री जी रेल मंत्री के पद पर आसीन हुए हैं तब से वह भजन बंद हो गए हैं। एक बार मंत्री जी ने मुझसे कहा था कि मैं भगवान वगैरह को नहीं मानता लेकिन अजमेर शरीफ में मैंने इनकी बड़ी सी पगड़ी लगाई हुई फोटो देखी है। इसका मतलब यह है कि भगवान में इनकी आस्था है तो फिर भजन क्यों बंद करवा दिए गए? दूसरे यात्रियों की आस्था पर क्यों प्रहार किया गया और यह कौन सी विकृत धर्मनिरपेक्षता का परिणाम है ? ऐसे भजन भी गाए जा सकते हैं जिसमें सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव दिखाया जाता। यह भजन क्यों बंद कर दिए गए ? किस कारण से बंद कर दिए गए और कब चालू किए जाएंगे ? क्या मंत्री जी इसका उत्तर देंगे ?

श्री राम विलास पासवान : मैं बहन भारती जी से पूछना चाहता हूँ कि यह प्रश्न के किस खंड के सवाल में यह जवाब पूछ रही हैं।

कुमारी उमा भारती : यात्री सेवा के अंदर पूछ रही हूँ। ... (व्यवधान)

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : सभापति जी, उसका उत्तर मंत्री जी को देना पड़ेगा। ... (व्यवधान)

कुमारी उमा भारती : यह यात्री सेवा के अंतर्गत है। ... (व्यवधान)
[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।
(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसका प्रश्न से कोई लेना-देना नहीं है। आप इसकी माननीय मंत्री के साथ चर्चा कर सकती हैं।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : इनकी अपराधी मनोवृत्ति है इसलिए यह जवाब नहीं दे सकते। ... (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : इसमें अपराधी मनोवृत्ति का मामला नहीं है। हमारा देश सर्वधर्म सम्पन्न है। ... (व्यवधान) क्योंकि इस प्रश्न से इसका कोई लिंक नहीं है इसलिए कोई जवाब नहीं है। हम रेलवे के द्वारा सर्वधर्म सम्पन्न, सब धर्मों के भाव से एक कैसेट राष्ट्रीय गान के ऊपर तैयार कर रहे हैं और शीघ्र ही उसको इंस्टोड्यूस किया जाएगा। ... (व्यवधान)

कुमारी उमा भारती : आप कब तक शुरू कराएंगे। ... (व्यवधान)
[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया प्रश्न काल को शून्य काल मत बनाइए। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री विजय अन्नाजी मुडे (बर्धा) : मेरा एक प्रश्न है। ... (व्यवधान)
अभी जो भक्ति गीत बंद कर दिए गए हैं वह किसके आक्षेप से बंद किए गए हैं। सब धर्मों के भक्ति गीत भी ट्रेनों में क्यों नहीं सुनाए जाते। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि रेल यात्री ... (व्यवधान) हमको बोलने दीजिए। ... (व्यवधान) आप इसे जीरो ऑवर क्यों बना रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री नवल किशोर राय : मुझे बोलने दीजिए। इसे जीरो ऑवर क्यों बना रहे हैं। ... (व्यवधान)

श्री विनय कटियार : इस सचिवालय में जो धार्मिक वाक्य लिखे हुए हैं, क्या ये उन्हें भी हटाएंगे ? ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : यह सब क्या हो रहा है ? कृपया प्रश्नों को जारी रहने दीजिए। यह आपके ही प्रश्न हैं। कृपया ऐसा मत कीजिए।
(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री विनय कटियार, यह उचित नहीं है। यह आपका प्रश्नकाल है।

कुमारी उमा भारती : आप मंत्री से उत्तर देने के लिए कहिए। वे उत्तर नहीं दे रहे हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इसका मूल प्रश्न के साथ कोई तात्त्विक नहीं था फिर भी उन्होंने जवाब दिया है और मैंने यह भी कह दिया है कि बाद में उनके साथ बात कर लें।

(व्यवधान)

श्री विनय कटियार : इस पर आधे घंटे की चर्चा का समय दे दीजिए। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ऐसी स्थिति में
(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगी।
(व्यवधान)

सभापति महोदय : ऐसा मत कीजिए।
(व्यवधान)

सभापति महोदय : जिनको अनुमति नहीं मिली है कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : सभापति महोदय, मंत्री जी के उत्तर में 168 रेल यात्री सेवा एजेंटों को लाइसेंस देने की बात 1995 से आज 1997 तक बताई गई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उस यात्री सेवा एजेंट्स को लाइसेंस देने के क्रम में क्या अनुसूचित जाति, जनजाति और ओ. बी. सी. के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रावधान है ? यदि है तो उसमें कितने अनुसूचित जाति, जनजाति और ओ. बी. सी. के उम्मीदवारों को लाइसेंस दिए गए हैं ? साथ ही यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या शिक्षित बेरोजगारों के लिए कोई रिजर्वेशन की व्यवस्था रेल यात्री सेवा एजेंट में की गई है ?

श्री राम विलास पासवान : महोदय, अभी तक अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक या बेरोजगार युवकों के लिए कोई प्रावधान नहीं है लेकिन मैंने कहा है कि इन बर्गों के लिए प्राथमिकता दी जाए।

श्री नवल किशोर राय : प्राथमिकता क्या आरक्षण सुनिश्चित की जाए। ... (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आप जानना चाहते हैं तो बता दें कि मैंने अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए जो मुख्य चीजें हैं जैसे स्टाल और कैटीन, उसमें 30 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान कर दिया है और यह भी कहा है कि जब तक उनका कोटा पूरा नहीं होगा तब तक 50 प्रतिशत सीट रिजर्व रहेगी। ... (व्यवधान) उसी तरह का डायरेक्टिव मैंने ओ. बी. सी. की प्राथमिकता के संबंध में भी दिया है। आपको मालूम है कि रेलवे में 27 प्रतिशत रिजर्वेशन पिछड़ी जाति के लोगों को दिया जा रहा है और हमारे जितने भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं, उनमें 9 अनऑफिशियल मैम्बर हैं जिनमें से 3 पिछड़ी जाति के हैं, 3 अनुसूचित जाति, जनजाति के और 3 माइनॉरिटी के मैम्बर हैं। ... (व्यवधान)

श्री धावरचन्द गेहलोत : रेलवे बोर्ड में एक भी मैम्बर नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपसे जो अनुरोध करना चाहती हूँ वह यह है कि इस विषय पर जो भी ठोस सूचना आपको चाहिए उसके बारे में आप मंत्री जी को लिख भेजिए। वे निश्चित रूप से आपको उत्तर भेजेंगे। तभी आपको उत्तर मिलेंगे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : किसी की नीयत पर चार्ज नहीं करना चाहिए। नेता विरोधी दल यहां पर बैठे हुए हैं। रेलवे बोर्ड का मैम्बर सैक्रेटरी लेवल का होता है। यदि सैक्रेटरी के लेवल पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को आरक्षण देने को ये सपोर्ट करें तो हमको सरकार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है।

[अनुवाद]

प्रो. जितेन्द्र नाथ दास : सभापति महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री

का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि काफी समय से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र रेल संचार सुविधाओं के मामले में उपेक्षित रहा है यद्यपि संयुक्त मोर्चा सरकार इस क्षेत्र में ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। एक राजधानी एक्सप्रेस सप्ताह में तीन बार चलाई जा रही है और हमारी मांग है कि राजधानी एक्सप्रेस दैनिक रूप से चलनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या इस क्षेत्र में चलने वाली किसी ट्रेन में टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अभी 19 तारीख से लेकर 24 तारीख तक पांच दिन का प्रोग्राम मेरा और प्रधानमंत्री जी का नॉर्थ ईस्ट में है और वहां रेलवे की सुविधा के संबंध में इन्क्लूडिंग टेलीफोन, जो भी आवश्यक कदम होंगे, उठाए जाएंगे।

[अनुवाद]

प्रो. जितेन्द्र नाथ दास : मैं जानना चाहूंगा कि क्या उस बैठक में संबद्ध क्षेत्र के संसद सदस्य को आमंत्रित किया जाएगा।

श्री राम विलास पासवान : जहां कहीं भी मैं जाता हूँ मैं संबद्ध क्षेत्र के और अन्य राज्य के संसद सदस्यों को आमंत्रित करता हूँ और उनके साथ चर्चा करता हूँ।

[अनुवाद]

सी-डॉट निविदाओं को रद्द करना

***562. श्री जित्त बसु :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 100 से अधिक संसद सदस्यों ने सी-डॉट को समाप्त होने से बचाने के लिए सरकार से अनुरोध किया है और यह मांग की है कि दूरसंचार-विभाग द्वारा आमंत्रित की गई 1.3 मिलियन लाइनों और 1.69 मिलीयन की दो निविदायें रद्द कर दी जाएं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इन ठेकों से कुछ बहुराष्ट्रीय उत्पादक संघों को लाभ होने तथा इसके परिणामस्वरूप भारी हानि होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी न्यौरा क्या है ?

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद बर्मा) : (क) लगभग 50 संसद सदस्यों ने 1.3 मिलियन लाइनें प्राप्त करने के लिए मार्च, 96 में दूरसंचार विभाग द्वारा खोली गई निविदा को रद्द करने के वास्ते सरकार से संयुक्त रूप से अनुरोध किया है।

(ख) इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन देख लिया गया है। देश में बड़े डिजिटल स्विचों की आवश्यकता तथा सी-डॉट के बड़े स्विचों की मौजूदा उत्पादन क्षमता को देखते हुए, वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान, 1.3 मिलियन और 1.69 मिलियन नए प्रौद्योगिकी स्विचों की दो चरणों में व्यवस्था करना आवश्यक हो गया है ताकि योजना के

लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। 1.3 मिलियन लाइनों के प्रापण के लिए अग्रिम क्रय आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु : सभापति महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूँ कि क्या ये बड़े डिजिटल स्विचें, जिनका आयात किया जा रहा है, हमारे देश में उपलब्ध हैं ? क्या मैं यह भी जान सकता हूँ कि क्या इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इस क्षेत्र का एक अग्रणी संगठन है, इन बड़े डिजिटल स्विचों के निर्माण की क्षमता रखता है ?

महोदय, आपको यह जानकारी आश्चर्य होगा कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज पूरे देश में एक रुग्ण उद्योग बनने जा रहा है विशेषकर दूरसंचार विभाग द्वारा आदेश नहीं दिए जाने के कारण ऐसा हो रहा है। क्या मैं माननीय मंत्री से अनुरोध कर सकता हूँ कि माननीय मंत्री इस बात का ध्यान रखें कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज काम की कमी के कारण बंद या रुग्ण न हो जाए।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : सभापति जी, माननीय बसु जी ने जो आशंका जाहिर की है, उस सम्बंध में हमको यही कहना है कि जो 10,000 से नीचे की लाइन के एक्सचेंज हैं, अब तक सी-डॉट टैक्नोलोजी के हार्डवेयर इसमें लगाए जा रहे हैं। एक हजार से ऊपर के, जिसमें उनको आई. एस. डी. पुनः फैसिलिटी और दूसरी फैसिलिटीज देनी है, हमने एक योजना बनाई है कि इस साल कम से कम हम डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स तक इन फैसिलिटीज के स्विचेंज को भेजे। उसमें कोलेबोरेशन की कम्पनीज को हम ले रहे हैं और उसमें आई. टी. आई. के कोलेबोरेशन में हैं, अल्काटेल के कोलेबोरेशन में आई. टी. आई. भी मैनुफैक्चरिंग करती है, सीमेंस के कोलेबोरेशन में एम. टी. एल. भी मैनुफैक्चरिंग करती है।

और इन दोनों कम्पनीज से हम 50 प्रतिशत बड़े एक्सचेंज खरीदते हैं, बाकी के 50 प्रतिशत दूसरों से खरीदते हैं। आई. टी. आई. के बारे में जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है तो यह सही है कि आई. टी. आई. को अगर 1996-97 में रिलीफ नहीं दिया होता तो यह बी. आई. एफ. आर. में चली गई होती। इसलिए हमने 1996-97 में इस तरह के इक्वीपमेंट खरीदने के लिए 30 प्रतिशत का रिजर्वेशन किया है, जो वे मैनुफैक्चर करते हैं। जब आर्डर देंगे तो उसके अग्रेस्ट में हम वित्तीय पैकेज में 75 प्रतिशत एडवांस देंगे। इसके अलावा 120 करोड़ रुपए लिक्विडेटेड डैमेज के लिए मार्क किए गए हैं। 70 करोड़ रुपए अन्य चीजों के बारे में दिए गए हैं। टोटल 190 करोड़ रुपए रिलीफ में दिए हैं। अभी यह विचाराधीन है और हम इसे कैबिनेट के सामने ले जाएंगे तथा 350 करोड़ रुपए रिलीफ और देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि आई. टी. आई. अगले साल तक लाभ में आ जाए।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु : क्या यह सही है कि दूर संचार विभाग ने मोबाइल और स्थिर टेलीफोन कालों के लिए एस टी डी टैरिफ संरचना नियत की है ? क्या यह भी सही है कि भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण ने दूर संचार विभाग द्वारा नियत की गई टैरिफ दर को रद्द या अस्वीकार कर दिया है। यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया या दृष्टिकोण क्या है ? मेरे विचार से सरकार को विभाग को दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण के विरुद्ध अपील करने का परामर्श देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : टी. आर. ए. आई. का गठन पिछले महीनों में ही हुआ है। जो टैरिफ फिक्स किया था बेसिक सेल्युलर के लिए, उस आर्डर को टी. आर. ए. आई. ने पहले ही आदेश में क्वैश कर दिया। हमारे अनुमान से इससे विभाग को घाटा होगा। टी. आर. ए. आई. का पहला जजमेंट है, 14(2) जो धारा है उसमें टैरिफ के बारे में वे निर्णय नहीं ले सकते, 11(2) में ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने 14(2) में क्वैश कर दिया। लेकिन फिर भी टी. आर. ए. आई. की अंतर्राष्ट्रीय छवि को बढ़ाने के लिए हम उनके इस निर्णय को मानेंगे और उसके खिलाफ अपील में नहीं जाएंगे। बाद में अगर असुविधा होती है तो हम उनके पास रिव्यू के लिए जा सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि : महोदय, पिछले दिनों उस विभाग के प्रभारी भूतपूर्व मंत्री के विरुद्ध कई आरोप लगाए गए थे। यह भी कहा गया था कि भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार का भी बोलबाला था। अतः क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूँ कि क्या वे घरेलू निर्माता जो इस नई प्रौद्योगिकी लाइनों की अपेक्षित संख्या की आपूर्ति कर सकें, की उपलब्धता का पता लगाने का कोई प्रस्ताव किया है ?

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आएंगे, उनकी जांच में हमारी तरफ से किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। पहले वाले मामले में सी. बी. आई. जांच कर रही है, बराबर चार्ज शीट लगाई जा रही है और एक्शन लिया जा रहा है। कोई नया मामला आपके ध्यान में हो तो आप हमें भेजें, हम उस पर गम्भीरता से विचार करेंगे। मैनुफैक्चरिंग के बारे में पूरे सदन को चिंता है। एम.ए.आर.आर. से हम भी परेशान हैं। पूरा सदन भी ग्रामीण क्षेत्र के बारे में चिंतित है। हम विचार कर रहे हैं कि इसको बंद करें और डायरेक्ट लाइनों से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे एक्सचेंज के जरिए टेलीफोन की सुविधा दें। हालांकि यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, लेकिन चूंकि कल सदन का अंतिम दिन है इसलिए मैंने माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताया है।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभु : सभी स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा रोल प्रौद्योगिकी के विकास और रोल दूर संचार नेटवर्क के विकास में सी-डॉट द्वारा किए गए योगदान के प्रति प्रशंसा भाव रखते हैं जो कि अति आवश्यक

है और जिसे सफलता की कहानी कहा जा सकता है जिस पर हमें गर्व है। हमें अब प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री फिर से कह रहे हैं कि हजार लाइनों पर और सी-डॉट का विशेष अधिकार होगा।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार गम्भीरता से इसे हजार लाइनों तक सीमित रखने या सी-डॉट को अलकाटेल, ब्रिटिश टेलिकॉम, ए टी एण्ड टी और स्विस् टेलिकॉम की तरह विकास करने की अनुमति देगी जो कि भारत की कई निजी क्षेत्र की कम्पनियों के साथ सहयोग करने का प्रयास कर रही है। बल्कि बुनियादी और सेल्यूलर दूरसंचार सुविधाओं का भी विकास करेगी।

सी-डॉट के प्रदर्शन के बारे में सरकार की क्या धारणा है ? क्या सरकार सी-डॉट को बड़े संघ में जाने की अनुमति देने और उसे उन्नत बनाने के बारे में सोच रही है ?

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : सभापति महोदय, पिछले वर्षों के मुकाबले इस साल सी-डॉट की कार्य क्षमता बढ़ी है। 10,000 से ऊपर लाइनों के बारे में भी बारह कंपनियों को टैक्नोलॉजी ऑफर की गई है। एक कंपनी ऑफर स्वीकार कर लिया है। अभी इसकी टैस्टिंग में टाइम लगेगा। हमको भी एक जरूरत है। आई. टी. आई. से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि दिसम्बर 1997 से पहले कोई सप्लाई नहीं कर सकते। सी-डॉट टैक्नोलॉजी हमारे यहां पूरी तरह से सक्षम हो जाएगी तो हम सी-डॉट के लिए अलग से टेंडर फ्लोट करने का भी विचार रखते हैं। सी-डॉट को और एनकरेज करने के लिए अभी हम चाइना गए थे और खास तौर से सी-डॉट के सी. एम. डी. को यहां दूसरे देशों के सामने प्रेजेंटेशन करवाने के लिए ले गए थे। कोलम्बिया से हमको करीब तीस करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलने वाला है जो अंतिम स्टेज पर है। इथोपिया से भी हमको ऑर्डर मिलने वाला है। सी-डॉट को एनकरेज करने के लिए हम पूरी तरह से लगे हुए हैं और यह अच्छी बात है कि हम उसके चेयरमैन भी हैं, इसलिए जिम्मेदारी है।

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि दूर-संचार के क्षेत्रों में जो निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं, क्या मंत्री जी ने इस तथ्य की जांच की है कि पिछले दिनों जिनके नाम काली सूची में दर्ज थे, क्या उनका नाम निविदा देने वालों में था? इस बार के वित्तीय वर्ष में जो निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, क्या उनकी बिना जांच-पड़ताल किए आपने उनकी निविदा स्वीकृत कर दी है जो पिछले दिनों दूर-संचार घोटाले में काली सूची में दर्ज थे ? क्या माननीय मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण देंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : महोदय, हमने इस पर का कार्यभार संचालने के तुरंत बाद निविदा का मामला समिति को दे दिया है। माननीय सदस्य ने जो यहां पर आशंका व्यक्त की है, वैसी मेरे पास भी सूचनाएं थीं कि काली सूची में किसी कंपनी को शामिल करने के बाद निविदा में भी उसको शामिल होने का मौका दिया गया है। हम उनकी इस आशंका के बारे में विभाग में गंभीरतापूर्वक जांच करवा लेंगे और अगर कोई बात होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।

श्री धेरूलाल मीणा : सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में एंटीना टॉवर पी. सी. ओ. लगाया जाता है। एक वर्ष पहले इसकी शिकायत थी कि यह फेल हो गया है। जिस फर्म से लिया है, वह ठीक नहीं है। उसको बदलने की कार्यवाही की जाएगी और उसको वापस लगा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वही फर्म लगा रही है या कोई दूसरी फर्म लगा रही है ? क्या फिर से वही घटिया क्वालिटी का लगा रही है ? शिकायतें आती रहेंगी, वह काम नहीं करेगा। क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में विचार करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : सभापति महोदय, यह प्रश्न मुख्य रूप से बड़े सिटीज के बारे में था। लेकिन जो आपने प्रश्न किया है, वह बहुत बड़े जन समुदाय से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी चिंता हमारी चिंता है। अभी हम पहले कह चुके हैं कि एम.ए.आर.आर. वाले ठीक काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्ट लाइनों पर जाएं, छोटे-छोटे एक्सचेंज के लिए भी हम जाएं और उसको बंद करने पर भी हम विचार कर रहे हैं। जो लगे हुए हैं, उनमें सुधार करने के लिए प्रयासरत हैं। सुधार करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन इसको बंद करने के लिए विचार कर रहे हैं।

श्री धेरूलाल मीणा : महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों को इसी तरह से वंचित किया जाता है। अभी कुछ लगा नहीं है और फिर कोशिश करेंगे।

सभापति महोदय : उन्होंने जवाब दे दिया है।

श्री धेरूलाल मीणा : मैं समझ गया हूँ। काम नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्र वाले ऐसे ही देखते रहेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि उनका काम सही हो। यह कह कर तो कई वर्ष निकल जाएंगे। इसलिए इनको प्राथमिकता दी जाए।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : जितनी प्राथमिकता आप चाहते हैं, उससे ज्यादा चिन्ता है। जितनी प्राथमिकता हम दे सकते हैं, उतनी देंगे। इसीलिए हम विचार कर रहे हैं कि डायरेक्ट लाइन लाएं, एम. ए. आर. आर. के द्वारा न जाएं।

[हिन्दी]

इस्पात उत्पादन

+

563. **श्रीमती शीला गौतम :**

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996-97 के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात का कितना उत्पादन हुआ और इसी अवधि के दौरान प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के संयंत्र में कितना उत्पादन हुआ;

(ख) वर्ष 1997-98 के लिए सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों के लिए संयंत्र-वार कितना उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है और प्रत्येक संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है; और

(ग) क्षमता उपयोग में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

[अनुवाद]

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) :
(क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) अनंतिम अनुमान के अनुसार 1996-97 के दौरान सरकारी क्षेत्र में लगभग 85.3 लाख टन और निजी क्षेत्र में लगभग 134.2 लाख टन परिसंजित इस्पात का उत्पादन किया गया। सरकारी क्षेत्र में संयंत्र-वार उत्पादन निम्नानुसार है :—

संयंत्र	(लाख टन) (अनंतिम)
(1) सेल :	
(i) भिलाई इस्पात संयंत्र	23.9
(ii) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	5.9
(iii) राउरकेला इस्पात संयंत्र	11.2
(iv) बोकारो इस्पात संयंत्र	27.0
(v) इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	2.8
(2) आर. आई. एन. एल.	14.5

(ख) 1997-98 के लिए सरकारी क्षेत्र में परिसंजित इस्पात के संयंत्रवार उत्पादन की योजना और संस्थापित क्षमता निम्नानुसार है :—

संयंत्र	योजना	(लाख टन) संस्थापित क्षमता
(1) सेल :		
(i) भिलाई इस्पात संयंत्र	23.3	26.0
(ii) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	6.6	7.3
(iii) राउरकेला इस्पात संयंत्र	12.4	12.1
(iv) बोकारो इस्पात संयंत्र	33.1	31.6
(v) इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	3.5	3.5
(2) आर. आई. एन. एल.	18.5	24.1

(ग) बाजार अर्थ व्यवस्था में क्षमता उपयोगिता अनेक घटकों जैसे मांग, उपलब्धता, मूल्य इत्यादि पर निर्भर करेगी। क्षमता उपयोगिता में सुधार करने के लिए सेल ने राउरकेला, बोकारो और दुर्गापुर स्थित अपने संयंत्रों का आधुनिकीकरण शुरू किया है। सेल द्वारा उठाए जा रहे अन्य कदमों में आदानों की गुणवत्ता में सुधार करना, प्रचालन और रख-रखाव प्रक्रियाओं में सुधार करना, निजी विद्युत उत्पादन को अधिकतम करना और अन्तर-संयंत्र सहक्रिया में सुधार करना शामिल हैं। इसी तरह

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर. आई. एन. एल.) ने संतुलन सुविधाएं स्थापित करके, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर और उनमें कुशलता का विकास करके, उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के लिए संयंत्र और उपस्करों में संशोधन करके तथा पूंजी पुनर्संरचना, लागत में कमी करके इत्यादि के माध्यम से क्षमता उपयोगिता में सुधार हेतु उपाय किए हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : सभापति महोदय, मंत्री जी के जवाब के अनुसार सरकारी क्षेत्र में संयंत्रवार उत्पादन की जो तालिका दी है, उसमें आर. आई. एन. एल. की संस्थापित क्षमता 24.1 लाख टन है, जबकि उत्पादन 18.5 लाख टन हुआ है। क्षमता से एक-तिहाई उत्पादन कम हुआ है। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, उत्पादन जो कम हुआ है, उसकी भरपाई के बारे में आपने कोई अध्ययन किया है ? 'ख' भाग—मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है—संतुलन सुविधाएं स्थापित करके, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे कर और उनमें कुशलता का विकास करके, उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के लिए संयंत्र और उपस्करों में संशोधन करके तथा पूंजी पुनर्संरचना, लागत की कमी करके इत्यादि के माध्यम से क्षमता उपयोगिता में सुधार हेतु उपाय किए हैं। आपने कहा है कि उत्पादन कम हुआ है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ, क्या आपने रस्मी तौर पर जवाब दे दिया है या इसके बारे में आप कुछ करेंगे?

[अनुवाद]

श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि आर. आई. एन. एल., जिसे संक्षेप में विज्ञाप इस्पात संयंत्र कहा जाता है, को अभी अपना लक्ष्य पूरा करना है। इसलिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल ने संयंत्र के विस्तार और आधुनिकीकरण के संबंध में एक महत्वाकांक्षी निर्णय लिया है। इस निर्णय को पहले ही मंत्रालय ने अनुमोदित कर दिया है तथा योजना आयोग ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब, मैं वित्त मंत्रालय से इसकी स्वीकृति का इंतजार कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि विश्व के विकासशील देशों की तुलना में हमारी प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है। इसलिए चाहे हमने आर. आई. एन. एल. में बहुत अधिक राशि निवेश की है फिर भी इस संयंत्र का विस्तार तथा आधुनिकीकरण करने की बहुत आवश्यकता है। अगर हमें वित्त मंत्रालय से स्वीकृति मिल जाती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस्पात संयंत्र निकट भविष्य में पूरी तरह सुसंजित हो जाएगा।

[हिन्दी]

श्रीमती शीला गौतम : महोदय, दूसरा प्रश्न—मंत्री महोदय ने अपने जवाब में आई. एफ. सी. के बारे में कहा है। मैं मंत्री जी का ध्यान 27 अक्टूबर, 1996 के समाचार पत्र की ओर ले जाना चाहती हूँ। उसमें लिखा है—भारत से इस्पात उत्पादन में पिछड़ने की आशंका।

यह समाचार आपकी नजरों के सामने आया है या नहीं आया है, यह तो मैं आपसे नहीं कहूँगी। इस रिपोर्ट में लेखक ने जो लिखा है

उसमें 110 सदस्यों की 1000 कम्पनियों ने 14 अरब डालर से अधिक पैसा लगाया है और 40 इस्पात की कम्पनियाँ हैं। हिन्दुस्तान में भी 29 नए प्रस्तावित इस्पात संयंत्र हैं, इनमें कुल मिलाकर 31,523 करोड़ रुपये निवेश की जरूरत है। इसमें बाकी जो डिटेल् हैं उसमें मैं नहीं जाना चाहती हूँ। क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो अब भारत में हमारी इस्पात कम्पनियाँ पूरे देश से, विदेश से पिछड़ने जा रही हैं, इसका क्या कारण है ? इसमें आप किस तरह से अपनी इस्पात कम्पनियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं ? इनमें क्या-क्या सुविधाएँ और इनकी जो आवश्यकताएँ हैं, इनको देने का विचार कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत नहीं हूँ कि भारतीय इस्पात उद्योग के निष्पादन में कमी आ रही है। यह सच नहीं है। भारतीय इस्पात उद्योग का निष्पादन बढ़ रहा है। आजादी के समय, 1951 में भारत में केवल एक मिलीयन टन इस्पात का उत्पादन होता था। 1991-92 में भारत में 14.3 मिलीयन टन इस्पात का उत्पादन हुआ। 1995-96 में भारत में 21.4 मिलीयन टन इस्पात का उत्पादन हुआ और 1996-97 में भारत में 21.95 मिलीयन टन इस्पात का उत्पादन हुआ। हमारा निर्यात हमारे आयात के बराबर है। यह सच है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस्पात का मूल्य कम होता रहा है। इसलिए, भारत सरकार ने हमारे देश में इस्पात के विकास के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। आप जानते हैं, 1991 में भारत सरकार द्वारा नई आर्थिक नीति अपनाई जाने के बाद हमारे देश में आर्थिक सुधार शुरू हो गए थे। भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में कई उपाय किए हैं। इस्पात उद्योग निजी क्षेत्र के लिए भी खुला है जो अब विदेशी निवेश की मात्रा 74 प्रतिशत तक ला रहा है। हमारी परवर्ती इस्पात क्षेत्र में भी अच्छी प्रगति हो रही है। पिछले बजट में, मानसिक वित्त मंत्री ने इस्पात उद्योग के लिए एक अच्छा बजट प्रस्तुत किया था। मुझे आशा है कि इन उपायों द्वारा इस्पात उद्योग में भविष्य में भी अच्छा कार्य होगा। ... (व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, प्रश्न सं. 577 भी इसी विषय से संबंधित है।

सभापति महोदय : यह प्रश्न शुरू हो चुका है इसलिए इसे ही जारी रहने दो। मुझे यह देखना है।

श्री के. एस. आर. मूर्ति : इस्पात संयंत्रों की स्थापित क्षमता के संबंध में भिलाई, इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और आर. आई. एन. एल. ने आशा के अनुरूप कार्य नहीं किया है। जैसा कि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, यह प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण है। परंतु मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि बोर्ड का गठन या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रिक्त पद को भरने के लिए न्यूनतम आवश्यक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। मैं आर. आई. एन. एल., विशाखापत्तनम के बारे में जानता हूँ जहाँ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पद पिछले तीन महीनों से रिक्त पड़ा है।

क्या ऐसा निजी क्षेत्र में हो सकता है ? निजी क्षेत्र में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इतना बड़ा संगठन बिना अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के छोड़ दिया जाए। हम सार्वजनिक क्षेत्र में इसलिए असफल होते हैं

क्योंकि हमें सार्वजनिक क्षेत्र चलाने में कोई रुचि नहीं है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त नहीं किया जाता है। निदेशक मंडल का सही ढंग से गठन नहीं किया जाता। इसमें वे लोग काम करते हैं जिन्हें इस फैक्ट्री को चलाने के लिए समुचित अनुभव नहीं है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि शीघ्र ही व्यावसायिक व्यक्तियों को लेकर निदेशक मंडल का गठन किया जाए और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की जाए। इसमें कोई राजनीतिवादी लोग नहीं होने चाहिए, सिर्फ व्यावसायिक लोग ही हों। कम्पनियों को पर्याप्त स्वायत्तता दी जानी चाहिए जिससे वे अपनी इकाइयों को अच्छी तरह चला सकें। हम सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों में इसलिए असफल हो रहे हैं क्योंकि हम इन कम्पनियों में व्यावसायिक और निपुण व्यक्तियों को नहीं ले रहे हैं और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति भी नहीं की गई है।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए माननीय सदस्य का वास्तव में धन्यवाद करता हूँ। परन्तु जहाँ तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है तो मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ और यह सच नहीं है कि भिलाई इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र अपनी-अपनी स्थापित क्षमता का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। माननीय सदस्य की सूचना के लिए मैं यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि वर्ष 1996-97 के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए कच्चे इस्पात की उपयोग क्षमता 107 प्रतिशत है।

प्रश्न का दूसरा भाग अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के संबंध में है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी को इस विषय में चिंता होनी चाहिए। यह सभी को पता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के अध्यक्ष एवं प्रबंध-निदेशक की नियुक्ति मंत्रालय द्वारा नहीं की जाती है। एक सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड है जो एक पैनल की सिफारिश करता है और उस पैनल में से मंत्रालय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति करता है। परन्तु किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति करने से पहले, सतर्कता आयोग की स्वीकृति आवश्यक है। यह सच है कि पिछले तीन महीनों से वहाँ कोई भी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं है। परन्तु ऐसा इसलिए है क्योंकि सतर्कता आयोग से स्वीकृति नहीं मिली थी। चयन बोर्ड ने दो नाम दिए हैं परन्तु मैं इन व्यक्तियों के लिए सतर्कता आयोग से स्वीकृति मिलने का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे आज तक सतर्कता आयोग की स्वीकृति नहीं मिली है। यह एक विधायी मानदंड है कि जब तक सतर्कता आयोग की स्वीकृति नहीं ली जाती तब तक किसी की भी नियुक्ति नहीं की जा सकती। ... (व्यवधान)

श्री के. एस. आर. मूर्ति : ये सभी सतर्कता संबंधी स्वीकृतियाँ इत्यादि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के सेवा निवृत्त होने से छह महीने पहले ले ली जानी चाहिए थीं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की सेवानिवृत्ति के बाद सतर्कता संबंधी स्वीकृति मांगने का क्या औचित्य है ?

श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : सभापति महोदय, यह सच नहीं है। सही समय पर मेरे मंत्रालय ने विज्ञापन इस्पात संयंत्र के लिए व्यक्ति का चयन करने के लिए चयन बोर्ड से संपर्क किया था। समिति ने

एक पैनल की सिफारिश की थी। जैसे ही उन्होंने सिफारिश की थी, हमने तुरंत सतर्कता आयोग से संपर्क किया था। परंतु मेरा मंत्रालय सतर्कता संबंधी स्वीकृति के बिना कुछ नहीं कर सकता ... (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : आप कर सकते हैं। ... (व्यवधान)

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : महोदय, मेरे मंत्रालय ने पूरी कोशिश कर ली थी। हमने इस संबंध में अनेक पत्र लिखे हैं। मेरा सचिव रोज सतर्कता आयोग से सतर्कता संबंधी स्वीकृति भेजे जाने के लिए संपर्क करता है। ... (व्यवधान)

श्री नीतीश भारद्वाज : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उनके उत्तर की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जहाँ उन्होंने कहा था। "संयंत्र और उपस्कर के संशोधन तथा क्षमता उपयोगिता को सुधारने के लिए वे अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की सिफारिश कर रहे हैं।" जैसा कि आप जानते हैं, उनके मंत्रालय ने योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से कुछ अनुमति मांगी है जिससे अच्छी उत्पादकता के लिए नए उपस्करों की स्थापना की जा सके। परंतु इन नए उपस्करों के साथ आने वाली एक समस्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति है। यहाँ तक कि सार्वजनिक क्षेत्र में भी आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की सिफारिश की है। निजी क्षेत्र में भी, उदाहरण के लिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 'टिस्को' में भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू है। आप कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की सलाह दे रहे हैं अर्थात् लोग जबरदस्ती सेवानिवृत्ति नहीं ले सकते। परंतु आपको यह समझना चाहिए कि संयंत्रों के आधुनिकीकरण होने के बाद जो लोग कम्पनियों से बाहर होंगे वे भी प्रशिक्षित लोग होंगे। यहाँ तक कि 'टिस्को' में भी ऐसे बहुत सारे प्रशिक्षित लोग हैं जिन्हें कभी स्थायी नहीं किया जाता है। उन्हें 'अस्थायी मजदूर' कहा जाता है। उन्हें कभी स्थायी नहीं बनाया जाता। इस कम्पनी के कर्मचारियों के प्रशिक्षण देने के साथ-साथ क्या आप सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की इन कम्पनियों को कोई दिशा-निर्देश भी दे रहे हैं जिससे वे कम्पनी के बाहर के प्रशिक्षित कर्मिकों द्वारा अनुषंगी इकाइयों या कुछ ऐसी इकाइयों की स्थापना कर सकेंगे जो मुख्य संयंत्र के इस्पात उत्पादन की पूर्ति करेंगी ?

आपने अपने उत्तर में अभी-अभी कहा है कि भिलाई, दुर्गापुर संयंत्र में सौ प्रतिशत क्षमता से भी अधिक क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। परंतु इसके बावजूद आपने अपने उत्तर में कहा है कि भिलाई संयंत्र की योजना 2.33 मिलीयन टन उत्पादन करने की है जबकि इसकी स्थापित क्षमता 2.6 मिलीयन टन है; और दुर्गापुर संयंत्र 0.66 मिलीयन टन उत्पादन करता है जबकि इसकी उत्पादन क्षमता 0.73 मिलीयन टन है। मैं नहीं जानता कि आपने यह कैसे कह दिया कि सौ प्रतिशत से अधिक क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। मुझे यह समझ नहीं आया। परंतु इस मामले की सच्चाई यह है कि प्रशिक्षित कर्मिक संयंत्र के बाहर बैठे हैं और उनकी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है। कृपया इस संबंध में कुछ दिशा-निर्देश दीजिए।

क्या आपके पास इन कम्पनियों को दिशा-निर्देश देने के लिए कोई योजना है जिससे उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सके और इस्पात का उत्पादन बढ़ाया जा सके ?

श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : माननीय सदस्य को इस्पात संयंत्रों की स्थापित क्षमता की उपयोगिता के संबंध में कुछ सदिह है। 'सेल' के अंतर्गत न केवल दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है बल्कि बोकारो इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र भी हैं। इसमें सदिह नहीं है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में स्थापित क्षमता की तुलना में क्षमता उपयोगिता कम है। परंतु जब मैंने उत्तर दिया था तो मैंने स्पष्टतः कहा था कि पूरे 'सेल' में बिक्री योग्य इस्पात उपयोगिता क्षमता स्थापित क्षमता की तुलना में 1995-96 में सौ प्रतिशत से अधिक है।

जहाँ तक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का प्रश्न है आवश्यक और प्रशिक्षित कर्मिकों को अपनी सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाती।

जहाँ तक 'टिस्को' का संबंध है यह एक निजी संगठन है। मेरे मंत्रालय का निजी क्षेत्र में बहुत ही कम हस्तक्षेप है। नए आर्थिक सुधारों के बाद से लाइसेंसों की आवश्यकता नहीं रही। कोई परामर्श नहीं दिया जाता। इसलिए, निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में हमारा बहुत कम हस्तक्षेप है।

श्री नीतीश भारद्वाज : उत्तर अभी अधूरा ही है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : धन्यवाद, क्योंकि मेरे साथी इस पर जोर दे रहे थे। ... (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अगला प्रश्न।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आप कृपया प्रश्न पूछें, मैं उसका उत्तर दूंगा। हम कुछ समय बाद कहेंगे।

सभापति महोदय : आपको उनका उत्तर नहीं देना है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : आपको मार्शल ने व्यस्त रखा हुआ था। इसलिए मैं समय का उपयोग कर रहा था।

सभापति महोदय : नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं आप ही को देख रही थी।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मुझे सिर्फ एक बात कहनी है। जो कुछ भी पूर्वोत्तर क्षेत्र के निवासी मंत्री कहते हैं—उनसे पहले पूर्वोत्तर के एक अन्य इस्पात मंत्री ने भी कहा था अपने मंत्रालय के प्रति वे काफी सहानुभूति रखते थे। परंतु सच्चाई यह है कि चीन और भारत दोनों ने 1949-51 की अवधि में एक ही स्तर अर्थात् एक मिलीयन टन से कुछ कम से शुरू किया था।

आज, बिना कोई सुधार किए, चीन 100 मिलीयन टन इस्पात का उत्पादन करता है जबकि हम अभी लगभग 22 मिलीयन टन इस्पात का ही उत्पादन कर रहे हैं। यह इस्पात क्षेत्र के प्रति हमारे दृष्टिकोण की आलोचना ही है।

अब इससे जुड़ी एक अन्य समस्या है। मैं अपना प्रश्न कुछ देर बाद पूछूंगा। यह समस्या एक आत्मकथा सी है। जब दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस्पात पर जोर दिया गया था हम प्रो. महालानोबिस की अध्यक्षता में दूसरी पंचवर्षीय योजना पर कार्य कर रहे थे। मैं अपना प्रश्न पूछूंगा। मेरा प्रश्न यह है कि जो कुछ मैंने कहा क्या वह सच है या नहीं।

हम कुछ युवा अनुसंधानकर्ता प्रो. महालानोबिस के मसौदे के आलोचक थे क्योंकि उन्होंने इस्पात के उत्पादन पर जोर दिया था परन्तु देश में इस्पात संयंत्र बनाने वाली मशीनरी के उत्पादन को नजर अंदाज किया था।

वह अब भी सूखा क्षेत्र है। आज भी हमारा अनुसंधान एवं विकास तथा इस्पात संयंत्रों की हमारी संरचना उतनी मजबूत नहीं है कि हम वास्तव में आत्म निर्भर हो सकें। मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूँ कि हम विदेशों से प्रौद्योगिकी का आयात करते हैं। परन्तु एक और कमी का क्षेत्र है।

मुख्य समस्या यह है कि क्या वे इस बात से सहमत होंगे कि नहीं कि वर्षों तक निवेश की आवश्यक राशि सरकार द्वारा प्रदान नहीं की गई है। क्या वे इससे सहमत होंगे ? यह बात 'टिस्को' पर लागू होती है; यह दुर्गापुर पर भी लागू होती है। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मेरा प्रश्न यह है। क्या वे इस बात से सहमत होंगे कि हमने इसे नजर अंदाज किया है और नौवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसी बात नहीं होगी ? ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : केवल एक व्यक्ति ही यहाँ पीठासीन हो सकता है। अगर आप सभी आना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल जैन : किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। अभी हम उसी विषय पर बात कर रहे हैं। उन्हें प्रश्न पूछना चाहिए।

सभापति महोदय : सभी का स्वागत है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने उनसे कहा कि प्रश्न पूछें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया प्रश्न काल को व्यर्थ न करें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : साथ ही, ठेके के मजदूर भी हैं। क्या वे रेलवे की तरह इसे भी समाप्त कर देंगे ? अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के संबंध में उन्हें बहुत ही पहले, पहल कर लेनी चाहिए थी। क्या वे इस बात पर सहमत होंगे ?

श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : मैं वास्तव में श्री निर्मल कांति चटर्जी का धन्यवाद करता हूँ। वे एक विद्वान मित्र हैं। उन्होंने हमारे देश में इस्पात उद्योग के विकास के लिए विभिन्न सुझाव दिए हैं।

मैं कुछ कहना चाहूँगा। श्री चटर्जी ने अनुसंधान एवं विकास के बारे में कहा था। मैं उनसे सहमत हूँ। पहले भी मैंने इस सदन में स्पष्टतः कहा था कि हमारे देश में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम पर किया जाने वाला खर्च एक प्रतिशत से भी कम है।

जहाँ तक चीन के इस्पात उत्पादन का प्रश्न है, उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। इस्पात की खपत किसी देश के आर्थिक और औद्योगिक

विकास पर निर्भर होती है। चीन का औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति हो रही है। हमारे देश में इस्पात की खपत बहुत कम है। भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत केवल 23 कि० ग्रा० है। चीन में यह दर अधिक है। इसलिए हम चीन से तुलना नहीं कर सकते। परन्तु मैं एक पक्ष को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ... (व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : चीनी कम्युनिस्ट भारतीय कम्युनिस्टों से अधिक जिम्मेवार हैं। आप यह भी कह सकते हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : चीन को बरबाद करने के लिए कोई काग्रेस पार्टी नहीं है।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य : चीन की अत्यधिक महत्वाकांक्षी योजना है। वे बहुत उत्पादन करते हैं। परन्तु एक पक्ष यह भी है कि अगर हम चीन की मांग और आपूर्ति की स्थिति देखते हैं तो उनका उत्पादन आपूर्ति से अधिक है। वहाँ कोई मांग नहीं है। मांग नहीं बढ़ रही है। चीन में मांग कम हो रही है।

तीसरा, एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। योजना आयोग ने लोहा और इस्पात संबंधी एक तद्देश्यीय दल की स्थापना की है और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना बनाई है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस्पात उद्योग में 52,498 करोड़ रुपए निवेश करने का अनुमान लगाया गया है—20,005 करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र में और 32,493 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र में। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड नौवीं योजना के दौरान 15,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा।

सभापति महोदय : मैं श्री रूडी का नाम पुकारना चाहती थी। परन्तु मैं क्षमा चाहती हूँ कि समय नहीं बचा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

संचार क्षेत्र का निजीकरण

*564. **श्री पंकज चौधरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संचार क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख)

दूरसंचार क्षेत्र

सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में निजी भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :

(i) जुलाई, 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा से, संपूर्ण दूरसंचार विनियामक क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति दे दी गई है।

(ii) जुलाई, 1992 से मूल्यवर्धित दूरसंचार सेवाओं में निजी भागीदारी की अनुमति दी गई है। 1994 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा से, बुनियादी दूरसंचार सेवाओं में निजी निवेश की भी अनुमति दे दी गई है।

डाक क्षेत्र

अभी तक डाक सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी बहुत ही कम रही है और यह केवल डाक विभाग के प्रयासों में सहयोग करने तक ही सीमित रही है। निजी एजेंसियाँ डाक टिकटों तथा सामग्री की बिक्री, डाक-परिवहन तथा पोस्ट-शॉप जैसे कुछेक स्थानों पर अतिरिक्त जन-सुविधाएं प्रदान करने जैसे चुनिंदा कार्य-कलापों में ही भागीदारी करती रही हैं। तथापि, उक्त सीमित क्षेत्रों को छोड़कर फिलहाल, डाक क्षेत्र में सरकार की वर्तमान नीति तथा डाक सेवाओं के अंतर्विहित सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करने की दृष्टि से डाक विभाग के कार्य-कलापों में एक संगठित क्षेत्र के रूप में निजी प्रचालकों को शामिल करने की परिकल्पना नहीं है।

(ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन विकास के लिए वित्तीय सहायता

*565. श्री नवल किशोर राय :

श्री नीतीश कुमार :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और उस अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) राज्यों में पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना):

(क) से (ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई विशिष्ट पर्यटन परियोजनाओं को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक योजना के इनके अपने मानदण्ड हैं। सामान्यतः परियोजनाओं को उनके गुण-दोष, पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। आठवीं योजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को स्वीकृत की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता निम्न प्रकार से है :—

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृति राशि (रुपए लाखों में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	436.63
2.	असम	437.34

1	2	3
3.	अरुणाचल प्रदेश	156.28
4.	बिहार	376.88
5.	गोवा	598.96
6.	गुजरात	190.58
7.	हरियाणा	723.19
8.	हिमाचल प्रदेश	1615.21
9.	जम्मू एवं कश्मीर	826.75
10.	कर्नाटक	1178.31
11.	केरल	1014.87
12.	मध्य प्रदेश	80.81
13.	महाराष्ट्र	1065.40
14.	मणिपुर	243.45
15.	मेघालय	110.36
16.	मिजोरम	455.72
17.	नागालैण्ड	223.16
18.	उड़ीसा	684.78
19.	पंजाब	628.37
20.	राजस्थान	1374.42
21.	सिक्किम	321.79
22.	तमिलनाडु	1036.33
23.	त्रिपुरा	276.56
24.	उत्तर प्रदेश	741.06
25.	पश्चिम बंगाल	656.30
26.	अंडमान एवं निकोबार	193.97
27.	चण्डीगढ़	121.72
28.	दादरा एवं नागर हवेली	108.28
29.	दिल्ली	337.23
30.	दमन एवं दीव	146.05
31.	लक्षद्वीप	168.41
32.	पांडिचेरी	59.87

[अनुवाद]

खान कामगारों हेतु विकास संबंधी योजनाएं

*566. श्री धामस हंसदा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनन कार्यों में लगे कामगारों हेतु सामाजिक विकास संबंधी योजनाएं क्या हैं;

(ख) तत्संबंधी राज्य-वार विशेषरूप से बिहार के संबंध में इनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विकास कार्यक्रमों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) :

(क) से (घ) गवेषण कार्य प्रारम्भिक तौर पर सरकारी अधिकरणों यथा भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी. एस. आई.), खनिज गवेषण निगम लि. (एम. ई. सी. एल.) तथा राज्य खनन तथा भू-विज्ञान निदेशालयों द्वारा किया जाता है। इन संगठनों में कार्यरत कर्मचारी केन्द्र सरकार तथा केन्द्र सरकार के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तथा ऐसे कर्मचारी न केवल अपने वेतन/मजदूरी के बारे

में बल्कि अन्य सामाजिक पहलुओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास इत्यादि के बारे में काफी हद तक सुरक्षित हैं।

खनन गतिविधियों में लगे खान कर्मचारियों के लिए सामाजिक विकास योजनाएं संबंधित खान स्वामियों की जिम्मेदारियां हैं। देश में प्रमुख खनिजों (गैर-ईंधन तथा गैर-परमाणु) की लगभग 3200 चालू खानें हैं। सांविधिक प्रावधानों के तहत खानों में गवेषण/विदोहन में लगे कर्मचारियों के लिए सामाजिक विकास योजनाओं से संबंधित सूचना खान स्वामियों द्वारा भारत सरकार (भारतीय खान ब्यूरो) को प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं है इसलिए सरकार द्वारा इस प्रकार के ब्यौरे एकत्र नहीं किए जाते। तथापि, खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास इत्यादि के बारे में खर्च संबंधी सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

कर्मचारियों/श्रमिकों के सामाजिक विकास/कल्याण गतिविधियों पर खान मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान वास्तविक खर्च, 1996-97 के दौरान अनुमानित खर्च तथा 1997-98 में बजटबद्ध खर्च दर्शाने वाला विवरण।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	मद	1995-96 (वास्तविक)	1996-97 (अनुमानित)	1997-98 (बजटगत)
1	2	3	4	5 (लाख ₹.)
हिन्दुस्तान कॉपर लि.				
शिक्षा		540.00	600.00	660.00
स्वास्थ्य		994.00	1500.00	1650.00
शहर हेतु		909.00	1009.00	1110.00
अन्य*		6.00	6.00	7.00
उप-योग		2449.00	3115.00	3427.00
हिन्दुस्तान जिंक लि.				
शिक्षा		129.21	146.86	156.20
स्वास्थ्य		378.36	382.98	434.50
शहर हेतु		250.68	243.34	275.00
अन्य*		404.64	383.45	487.30
उप-योग		1162.89	1156.63	1353.00
खनिज गवेषण निगम लि.				
अन्य*		13.32	13.50	18.00
उप-योग		13.32	13.50	18.00
नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि.				
शिक्षा		210.92	225.00	240.00
स्वास्थ्य		259.21	248.00	300.00
अन्य*		571.36	672.04	664.50
उप-योग		1041.49	1145.04	1204.50

1	2	3	4	5
भारत गोल्ड साईंस लि.				
	शिक्षा	10.05	10.05	10.05
	स्वास्थ्य	141.56	141.56	141.56
	शहर हेतु	180.35	180.35	180.35
	अन्य*	64.48	64.48	64.48
	उप-योग	396.44	396.44	396.44
भारत एल्युमिनियम कंपनी लि.				
	स्वास्थ्य	265.00	269.00	272.00
	अन्य*	830.00	1231.00	1737.00
	उप-योग	1095.00	1500.00	2009.00
	कुल-योग	6158.14	7326.61	8407.94

नोट : * इसमें कैंटीन, क्लब, श्रमिक सहकारिता स्टोर, मनोरंजक तथा सांस्कृतिक गतिविधियाँ खेल, परिवहन सुविधाएँ, सहायता कोष तथा अन्य कल्याण उपाय इत्यादि जैसी मदों के लिए आबंटन शामिल हैं।

स्वर्ण, हरीरे आदि के खानन हेतु विदेशी सहायता

किए जाने का प्रस्ताव है;

*567. श्री अनंत कुमार :

श्री एन. डेनिस :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में और विशेषरूप से कोल स्वर्ण क्षेत्र में उक्त खनिजों के उत्खनन/खोज हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी न्यौरा क्या है ?

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खान से प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में हरीरे, स्वर्ण और चांदी निकाली गई और उनका मूल्य कितना था तथा विशेषरूप से कोलार स्वर्ण खान की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान 1996-97 तक इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि उपलब्ध कराई गई और 1997-98 के दौरान कितनी राशि आबंटित

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोलार गोल्ड माईंस सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पादित स्वर्ण, चांदी और हरीरे की वर्षवार मात्रा और उसका मूल्य नीचे दिया गया है :—

(स्वर्ण और चांदी की मात्रा कि० ग्रा० में, हरीरे की कैरेट में, मूल्य लाख रुपए में)

	1994-95		1995-96		1996-97	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
देश में उत्पादन						
स्वर्ण	2369	11576	2036	10266	2904	11472
चांदी	46024	2976	35512	2501	39698	2746
हरीरे	24819	957*	29447	1834*	31596 (पी)	2080 (पी)*
कोलार गोल्ड खान में उत्पादन						
स्वर्ण	353	1648	369	1831	357	1828

(पी = अनतिव)

(*वर्ष के दौरान बेची गई मात्रा का मूल्य)

(ख) भारत सरकार नीचे दर्शाए गए न्यौरों के अनुसार भारत गोल्ड माईंस लि. जो प्रारम्भिक तौर पर स्वर्ण के उत्पादन में लगा हुआ है

गत तीन वर्षों के दौरान स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए योजना ऋण, गैर-योजना ऋण के रूप में बजट सहायता और नेशनल रिनीवल्स फंड

(एनआरएफ) से अनुदान दे रही है :-

(लाख ₹.)				
वर्ष	योजना ऋण	गैर-योजना ऋण	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए नेशनल रिनीवल फंड से अनुदान	कुल
1994-95	600	1400	650	2650
1995-96	600	1490	200	2290
1996-97	600	1400	500	2500

वर्ष 1997-98 (बजट अनुमान) में बी. जी. एम. एल. के प्रस्तावित राशि 6 करोड़ ₹. (योजना), 10 करोड़ ₹. (गैर-योजना) और 7.5 करोड़ ₹. (एनआरएफ अनुदान) है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 उच्च मूल्य और दुर्लभ खनिजों, जिसमें स्वर्ण, चांदी और हीरा शामिल है, के गवेषण और खनन में विदेशी प्रौद्योगिकी और विदेश इक्विटी के प्रवेश को बढ़ावा देती है।

दावा संबंधी न्यायाधिकरणों में लंबित मुआवजा संबंधी मामले

*568. श्री एन. एस. बी. चित्थन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में रेल दुर्घटनाओं से संबंधित मुआवजों के कितने मामले दावा अधिकरणों में लंबित हैं; और

(ख) यात्रियों के दावों का तेजी से भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क)

पीठ का नाम	01.05.97 को लंबित दुर्घटना दावों के मामलों की संख्या	
	मृतक	घायल
1	2	3
दिल्ली	25	7
लखनऊ	48	17
चंडीगढ़	12	14
गोरखपुर	40	23
जयपुर	6	4
मद्रास	6	1
सिकंदराबाद	69	12
एर्णाकुलम	23	12
बेंगलुरु	2	5
मुंबई	6	3

1	2	3
नागपुर	6	5
भोपाल	15	13
अहमदाबाद	11	2
कलकत्ता	10	10
गुवाहाटी	13	5
भुवनेश्वर	14	6
पटना	85	14
	391	153

(ख) यात्रियों के दावों के शीघ्र निपटान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :-

I. प्रशासकीय कार्रवाई

- रेलों को निर्देश जारी किए गए हैं कि जैसे ही किसी यात्री गाड़ी की दुर्घटना हो या कोई अप्रिय घटना हो जाए, घायलों और मृतकों के सभी विवरण प्राप्त किए जाएं, दावाकर्ताओं के पास दावे के आवेदन-पत्र का फॉर्म भेजा जाए और इसका रिकार्ड रेल दावा अधिकरण की संबंधित पीठ को भी उपलब्ध कराया जाए।
- जब दावे दायर किए जाते हैं और सुनवाई के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, दावे के शीघ्र निपटान के लिए रेलों द्वारा अधिकरण को हर संभव सहायता दी जानी चाहिए।
- ऐसे मामलों में, रेलों द्वारा रेल दावा अधिकरण का नोटिस प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर लिखित ब्यौरा दायर किया जाना होता है।
- मुख्य दावा अधिकारियों को बिना किसी पूर्व वित्तीय सहमति के 2 लाख रुपए तक की डिगरी की राशि को स्वीकृत करने की शक्ति प्रदान की गई है।
- डिगरी की राशि स्वीकृत किए जाने के पश्चात् रेलों को यह सुनिश्चित करना होता है कि 15 दिन के भीतर चैक जारी और प्रेषित कर दिए जाने हैं।

II. अधिकरण द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

- दुर्घटना के दावों से संबंधित मामलों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है।
- दावेदारों की सुविधाजनक उपस्थिति के लिए पीठ के मुख्यालयों से इतर स्टेशनों पर समय-समय पर सर्किट पीठें आयोजित की जाती हैं।
- किसी पीठ में सदस्य उपलब्ध न होने के कारण अपेक्षित होने पर सदस्यों को एक पीठ से दूसरी पीठ में भेजा जाता है।
- दावेदारों के आवेदनों को उनकी सुविधा के अनुसार एक पीठ

से उनके निवास स्थान के नजदीक, दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाती है।

- (v) आम तौर पर पार्टियों को कार्यवाही रुकवाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

[हिन्दी]

देश में विभागेतर डाकघर तथा कर्मचारी

*569. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की तारीख तक कार्यरत विभागेतर डाकघरों की तथा कार्यरत विभागेतर कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या क्या है;

(ख) उक्त कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों को नियमित रोजगार दे दिया गया है;

(ग) क्या ये डाकघर देश में बिना किराए के भवनों में चल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विभागेतर डाकियों तथा "पोस्टमास्टर" को बहुत ही कम वेतन दिया जाता है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) इस तारीख तक देश में कार्य कर रहे अतिरिक्त विभागीय डाकघरों और अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की संख्या श्रेणीवार संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) प्रतिवर्ष औसतन 6025 अतिरिक्त विभागीय एजेंट नियमित रोजगार पर खपाए जाते हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं। अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर द्वारा सुलभ कराए गए परिसर में इन डाकघरों को चलाने के लिए 25 रु. प्रतिमाह भत्ता दिया जाता है।

(ङ) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की इन श्रेणियों को अदा किए जाने वाले पारिश्रमिक का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को दिए जाने वाले भत्तों की पुनरीक्षा के लिए सरकार समय-समय पर समितियां नियुक्त करती रही है। इस संबंध में सरकार द्वारा मई, 1995 में नियुक्त न्यायमूर्ति तलवार समिति की रिपोर्ट सरकार को 30.04.1997 को प्राप्त हुई है और इसकी जांच की जा रही है।

विवरण-I

देश में आज की तारीख को कार्य कर रहे अतिरिक्त विभागीय डाकघरों और अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या

अतिरिक्त विभागीय डाकघर

(i) अतिरिक्त विभागीय ठप डाकघर	—	2778
(ii) अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	—	124402

अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी

1. अतिरिक्त विभागीय सब पोस्टमास्टर	—	2701
2. अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर	—	124110
3. अतिरिक्त विभागीय पत्रवाहक	—	49524
4. अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट	—	81025
5. अतिरिक्त विभागीय पैकर	—	15282
6. अतिरिक्त विभागीय सदिशवाहक	—	2956
7. अतिरिक्त विभागीय डाक टिकट विक्रेता	—	4019
8. अतिरिक्त विभागीय रनर	—	5369
9. अतिरिक्त विभागीय सफाई कर्मचारी	—	104
10. अतिरिक्त विभागीय लैटर बॉक्स पियन	—	559
11. अतिरिक्त विभागीय वाटर मैन	—	63
12. अतिरिक्त विभागीय चौकीदार	—	1093
13. अतिरिक्त विभागीय मेल पियन	—	1784
14. अतिरिक्त विभागीय पत्रवाहक/पैकर	—	207
15. अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट	—	9270
16. अतिरिक्त विभागीय पत्रवाहक/वितरण एजेंट	—	359
17. *अन्य	—	11400
		3,09,825

*ईडी सार्टर, ईडी एसआरओ, ईडी पोर्टर, ईडी केयरटेकर आदि।

विवरण-II

अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को देय भत्ते निम्नानुसार हैं :-

श्रेणी	170% महंगाई भत्ते तथा अंतरिम राहत सहित मूल भत्ते	
	न्यूनतम	अधिकतम
(i) अतिरिक्त विभागीय सब-पोस्टमास्टर तथा अतिरिक्त विभागीय सार्टर	1190	1848
(iii) अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर	893	1618
(iii) अन्य सभी अतिरिक्त विभागीय एजेंट : अतिरिक्त विभागीय एजेंटों (पोस्टमैन) सहित। कार्यभार 2 घंटे से कम होने पर : 748 रुपए नियत कार्यभार 2 घंटे और उससे अधिक का होने पर :	879	1284

उपरोक्त भत्तों के अलावा अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की विभिन्न श्रेणियां निम्नलिखित अतिरिक्त भत्ते प्राप्त करने की पात्र भी होती हैं :-

- (i) जहाँ लागू हो, वहाँ अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर्स को वितरण तथा वाहन भत्ता 75 रुपए प्रतिमाह
- (ii) अतिरिक्त विभागीय सब-पोस्टमास्टर्स तथा शाखा पोस्टमास्टर्स को कार्यालय रख-रखाव भत्ता 25 रुपए प्रतिमाह
- (iii) अतिरिक्त विभागीय सब-पोस्टमास्टर्स और शाखा पोस्टमास्टर्स को नियत लेखन सामग्री भत्ता 5 रुपए प्रतिमाह
- (iv) वितरण कार्य करने वाले अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंटों और अतिरिक्त विभागीय डाक वाहकों को नियत लेखन सामग्री प्रभार 2 रुपए प्रतिमाह
- (v) जहाँ लागू हो, वहाँ साइकिल रख-रखाव भत्ता 30 रुपए प्रतिमाह
- (vi) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को अनुग्रह बोनस उनकी वास्तविक परिलब्धियों के आधार पर देय होता है
- (vii) पीसीओ/तार संबंधी कार्य करने हेतु अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर्स का परिभ्रमिक 20 रुपए प्रतिमाह/संदेशवाहक के शुल्क के रूप में जावक ट्रंक कालों के लिए 0.40 पैसे प्रतिकाल और आवक कालों के लिए 0.50 पैसे प्रति काल/फोन पर प्रेषित आवक और जावक तारों के लिए 0.40 पैसे।

(viii) उत्तराखण्ड डिवीजन भत्ता :

उत्तराखण्ड डिवीजन के अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को प्रतिवर्ष सितंबर के महीने में 40/- रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त भत्ते के रूप में भुगतान किए जा रहे हैं बशर्ते कि उन्होंने उस वर्ष के मार्च से अतिरिक्त विभागीय एजेंट के बतौर लगातार कार्य किया हो।

(ix) सामूहिक बीमा योजना :

01.04.1992 से अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को भी सामूहिक बीमा योजना में कवर किया गया है। यह स्कीम 01.04.1992 से पूर्व नौकरी में लगे अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए ऐच्छिक है और 01.04.1992 को या उसके बाद नियुक्त किए गए अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए अनिवार्य है। इस स्कीम में 10/- रुपए प्रतिमाह भुगतान करने पर 10,000/- रुपए का जोखिम कवर होता है। इसमें से 3.50 रुपए बीमा कवर के लिए होते हैं और 6.50 रुपए बचत घटक के रूप में होते हैं। यदि कोई अतिरिक्त विभागीय एजेंट सेवानिवृत्त हो जाता

है अथवा अपनी नौकरी छोड़ देता है तो उसे संचित बचत घटक का ब्याज सहित भुगतान कर दिया जाता है। मृत्यु हो जाने की स्थिति में नामित व्यक्ति को 10,000/- रुपए और संचित बचत घटक की राशि का भुगतान कर दिया जाता है।

(x) अनुग्रह उपदान :

6,000/- रुपए अनुग्रह उपदान के भुगतान के लिए अपेक्षित न्यूनतम अनिवार्य सेवा 10 वर्ष है।

(xi) महिला समृद्धि योजना, 1993 के संबंध में अतिरिक्त विभागीय सब-पोस्टमास्टर तथा शाखा पोस्टमास्टर्स को प्रोत्साहन:

10/- रुपए प्रतिमाह उस महीने से दिया जाता है जिसमें तीसरा खाता खोला गया हो और यह तब तक दिया जाता है जब तक तीन या अधिक खाते चालू रहें। इसके अतिरिक्त, बाद में खोले गए खातों के लिए 0.50 रुपए प्रति खाता आवर्ती आधार पर दिया जाता है बशर्ते कि यह अधिकतम 300/- रुपए प्रतिमाह होना चाहिए। तीन खाते खोलने पर 10/- रुपए प्रतिमाह का प्रोत्साहन। अतिरिक्त प्रोत्साहन हेतु नियम 300/- प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के भीतर ही आता है।

[अनुवाद]

भारतीय तथा विदेशी विमान कंपनियों को दिशा निर्देश

*570. लेफ्टीनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय सभी भारतीय तथा विदेशी विमान कंपनियों को इस आशय के आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने पर विचार कर रहा है कि वे विमानों में "ट्रैफिक एलर्ट तथा कालीजन एवायडेंस सिस्टम" (टी. ए. सी. ए. एस.) लगाएं;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया के अधिकांश उड़ानों (विमानों) में ट्रैफिक एलर्ट तथा कालीजन एवायडेंस सिस्टम नहीं लगा है तथा कुछ विदेशी विमान कंपनियों के विमानों में भी उक्त नहीं लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया दोनों के सभी विमानों में टी ए सी ए एस लगाने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या मंत्रालय को विदेशी तथा घरेलू विमान कंपनियों को विमान संचालन में सहायता देने के लिए विमान में एक अतिरिक्त सहायक के रूप में मोड "एस" ट्रांसपॉन्डर लगाने के बारे में उसके द्वारा पूर्व में सभी घरेलू तथा विदेशी विमान कंपनियों को जारी किए गए अनिवार्य परिपत्र का पालन न किए जाने की जानकारी मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो उन विमान कंपनियों, जिन्होंने उक्त अनिवार्य परिपत्र का पालन नहीं किया है, के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्नाहीम) : (क) नागर विमानन महानिदेशक ने आकाश मध्य टक्कर परिहार प्रणाली (एसीएएस) के अनिवार्य वहन के लिए दिनांक 24 अप्रैल, 1997 के नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) के अंतर्गत अनिवार्य मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं।

इस नागर विमानन अपेक्षा के अनुसार, 30 से अधिक की सीट क्षमता वाले अथवा 3 टन से अधिक के पे-लोड क्षमता वाले विमानों को 31.12.1998 को अथवा उससे पूर्व एसीएस 2 अवश्य लगाना होगा। 10 से 30 तक की सीट क्षमता वाले अथवा 1 से 3 टन तक की पे-लोड क्षमता वाले विमानों को 31.12.2003 को अथवा उससे पूर्व एसीएस अवश्य लगाना होगा।

(ख) और (ग) एयर इंडिया का बोइंग 747 विमान-बेड़ा एसीएस से सज्जित है। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के अन्य विमानों में एसीएस नहीं लगे हुए हैं। जहां तक विदेशी विमान कंपनियों का संबंध है, कुछ एयरलाइनों के विमान एसीएस प्रणाली से सज्जित नहीं हैं, परंतु उन्हें भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रचालन के लिए निर्धारित तारीखों तक उक्त उपकरण को लगवाना अपेक्षित होगा।

(घ) मोड "एस" ट्रांसपोर्टर के संस्थापन की अनिवार्य अपेक्षा का अनुपालन भारतीय हवाई अड्डों पर तदनुकूली भू-सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण स्थगित कर दिया गया है।

(ङ) 1.1.1999 से नागर विमानन महानिदेशालय के अनिवार्य परिपत्र के प्रभाव में आ जाने के बाद, चूककर्ता एयरलाइनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों के लिए प्रबंधन समितियां

*571. श्री सत्य पाल जैन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे स्टेशनों के लिए संसद सदस्यों की अध्यक्षता में प्रबंधन समितियां गठित करने हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन समितियों का गठन कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

एल्यूमिनियम/एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना

*572. श्री के. पी. सिंह देव :

श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कुछ बाक्सइट आधारित एल्यूमिनियम/एल्यूमिना संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक/निजी क्षेत्रवार तथा स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक इनकी स्थापना कर दी जाएगी ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री धीरेन्द्र कुमार वैश्य) :

(क) से (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में सार्वजनिक/संयुक्त क्षेत्र में बाक्सइट पर आधारित कोई नया एल्यूमिनियम/एल्यूमिना संयंत्र स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। औद्योगिक नीति के अनुसार एल्यूमिनियम उद्योग को अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेने संबंधी प्रावधान से छूट दी गई है ताकि एल्यूमिनियम के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिल सके।

[हिन्दी]

डाक सेवाओं का निजीकरण

*573. श्री राजकेशर सिंह :

श्री बादल चौधरी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) डाक सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी बहुत कम है और जो है, वह भी डाक विभाग के प्रयासों को संवर्धित करने की भूमिका निभाती है। प्राइवेट एजेंसियां डाक-टिकटों एवं डाक स्टेशनरी की बिक्री, डाक लाने-ले-जाने तथा कुछ स्थानों में पोस्ट शॉप जैसी अतिरिक्त जन-सुविधाओं की व्यवस्था करने के निर्धारित कार्य-कलापों के क्षेत्र में भाग ले रही हैं। तथापि, इन सीमित क्षेत्रों के अपवाद को छोड़कर, इस समय डाक के क्षेत्र में सरकार की मौजूदा नीति के संदर्भ में तथा डाक सेवाओं में अंतर्निहित सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने की दृष्टि से डाक विभाग के क्रिया-कलापों में एक संगठित सेक्टर के रूप में प्राइवेट ऑपरेटर्स को शामिल करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

डाक-टिकटों एवं डाक स्टेशनरी की बड़े पैमाने पर बिक्री करने जैसी बुनियादी डाक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए डाक विभाग निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त एजेंटों को कार्य करने की अनुमति दे रहा है।

इस समय निम्नलिखित एजेंसी प्रणालियां काम कर रही हैं :—

लाइसेंस प्राप्त डाक एजेंसी

यह स्कीम 1995 से चल रही है। इस स्कीम में लाइसेंस प्राप्त एजेंटों को डाक टिकटों तथा डाक स्टेशनरी की बिक्री करने और रजिस्टर्ड डाक वस्तुओं की बुकिंग करने की अनुमति दी जाती है। एजेंटों को बेची गई डाक-टिकटों और डाक स्टेशनरी की राशि पर प्रतिशत कमीशन और बुक की गई प्रत्येक रजिस्टर्ड डाक वस्तु पर कमीशन दिया जाता है।

कर्मचारियों द्वारा इस स्कीम का विरोध किए जाने को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1987 से इस स्कीम के तहत कोई भी नया लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। तथापि, जिन एजेंटों को इस स्कीम को आस्थगित रखने से पूर्व लाइसेंस दिए गए थे, उन्हें काम करते रहने की अनुमति दी गई है।

लाइसेंस प्राप्त डाक-टिकट विक्रेता

यह स्कीम 1969 में शुरू की गई थी। प्रारंभ में यह डाक सर्किलों के अध्यक्षों के मुख्यालय वाले शहरों के लिए थी और वर्ष 1983 में यह स्कीम सभी क्षेत्रों में शुरू कर दी गई। इस स्कीम में किसी व्यक्ति, फर्म अथवा सोसाइटी को डाक-टिकट तथा डाक स्टेशनरी की बिक्री हेतु एजेंसी लेने की अनुमति दी जाती है। एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ धारक भी इस स्कीम के लिए पात्र हैं।

निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर डाक डिवीजन के अध्यक्ष द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत लाइसेंस जारी किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

पंचायत संचार सेवा योजना

यह स्कीम 1995 में शुरू की गई थी। यह स्कीम उन क्षेत्रों में बुनियादी डाक सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाई गई, जहां ऐसी सेवाएं नहीं हैं तथा वहां डाकघर खोलने का औचित्य बनता है। इस स्कीम में गांव की ग्राम पंचायत को, जहां डाकघर खोलना औचित्यपूर्ण है, डाक-टिकटों तथा डाक स्टेशनरी की बिक्री, पंजीकृत वस्तुओं की बुकिंग, गांव में अलेखायोग्य वस्तुओं के वितरण तथा अल्प बचत योजनाओं के लिए सुविधा का प्रबंध करने के लिए पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने की अनुमति दी जाती है।

प्रसारण तथा समाचार पत्रों के प्रकाशन के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियां

*574. जस्टिस गुमान मल लोढा :

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी कम्पनियों को प्रसारण तथा समाचार पत्रों के प्रकाशन की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उपग्रह टेलीविजन तथा आकाशवाणी पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) क्या विदेशी कम्पनियों के केवल भारतीय साझेदारों को यह अनुमति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन भारतीय कम्पनियों की संख्या कितनी है जो विदेशी कम्पनियों की साझेदार हैं तथा जिन्हें उक्त सुविधाएं प्रदान की गई हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

खनिजों की निर्धारित सूची में से खनिजों का हटाया जाना

*575. श्री शांतिलाल पुरबोत्तम दास पटेल : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से यह अभ्यावेदन किया है कि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन सूचीबद्ध खनिजों की सूची में से चूना और बाक्साइट को हटा दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) :

(क) से (ग) जी, हां। पूर्वोक्त लाइसेंस/खनन पट्टे देने/नवीकरण संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने तथा विलम्ब को कम करने की दृष्टि से बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा तथा गुजरात राज्यों की सरकारों ने चूना पत्थर तथा बाक्साइट को खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची से हटाने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर सचिव (खान) की अध्यक्षता में गठित समिति ने 29 अप्रैल, 1997 को हुई अपनी प्रथम बैठक में विचार-विमर्श किया। समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ खनिजों के विनियमन तथा विकास संबंधी वर्तमान नियमों और पद्धतियों की समीक्षा करना तथा उन्हें नीतिगत परिवर्तनों के अनुकूल बनाने हेतु सुझाव देना तथा पूर्वोक्त लाइसेंस/खनन पट्टे देने/नवीकरण में विलम्ब को कम करने हेतु उपाय सुझाना शामिल हैं। समिति को गैर-कानूनी खनन को रोकने के उपायों तथा पूर्वोक्त लाइसेंस/खनन पट्टे देने/नवीकरण के बारे में राज्य सरकारों को और अधिक अधिकार देने पर भी विचार करना तथा सुझाव देना है।

नई पर्यटन नीति बनाना

*576. श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि करने हेतु अधिकाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नई पर्यटन नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का यह भी विचार है कि कम खर्चीले पर्यटकों के बजाय अधिक खर्चीले पर्यटकों पर ध्यान दिया जाए चाहे वे संख्या में कम ही क्यों न हों क्योंकि कम खर्च करने वाले पर्यटकों की संख्या भले ही ज्यादा हो, उनसे अपर्याप्त मूल ढांचे पर बोझ तो पड़ता है परन्तु पर्याप्त आय नहीं होती; और

(घ) यदि हां, तो पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु पर्यटन क्षेत्र के सतत् विकास की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना):

(क) से (घ) पर्यटन विभाग ने पर्यटन के विकास हेतु एक प्रारूप राष्ट्रीय पर्यटन नीति तैयार की है। नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

1. यह स्वदेशी पर्यटन, इन बाउन्ड पर्यटन और आउट बाउन्ड पर्यटन की पहचान करती है और इन बाउन्ड पर्यटन के साथ स्वदेशी पर्यटन पर पर्याप्त ध्यान देने का प्रयत्न करती है।
2. नीति पर्यटन के गरीबी उन्मूलन और रोजगार जनन पहलुओं पर बल देती है।
3. हमारे प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संरक्षण और बचाव को पर्यटन विकास के एक उद्देश्य के रूप में सम्मिलित किया गया है।
4. नीति यह मानती है कि पर्यटन भारत और अन्य देशों के लोगों के लिए, इसके भव्य आकर्षण और उपलब्धियां देखने, महसूस करने और प्रशंसा करने हेतु एक मुख्य मार्ग बन जाए।
5. नीति यह मानती है कि पर्यटन के आर्थिक और सामाजिक महत्त्व को समझने में सूचना अन्तराल है।
6. पर्यटन उत्पाद की एक व्यापक परिभाषा को अब नीति में सम्मिलित किया गया है।
7. नीति पर्यटन के विकास में केन्द्रीय और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्रों की भूमिकाओं को मानती है और स्पष्ट रूप से भेद करती है।
8. स्वदेशी पर्यटकों के लिए पर्यटक सुविधाओं के सृजन के लिए पंचायती राज संस्थानों, स्थानीय निकायों गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय युवकों को सम्मिलित करना नीति में माना गया है।
9. पर्यटन विकास के लिए नए गन्तव्यों को चुनने के लिए दिशा-निर्देशों को नीति में दर्शाया गया है।
10. सांस्कृतिक पर्यटन की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए पर्यटन उत्पादन के विविधिकरण को माना गया है।
11. क्षेत्र की कैरिंग क्षमता के भीतर पर्यटन के निरंतर विकास का समर्थन किया गया है।
12. सरलीकरण सेवाओं में सुधार करने की आवश्यकता को माना गया है।
13. नए उद्योगों की स्थापना और उनको दूर तक फैलाने के लिए भौतिक एवं वित्तीय प्रोत्साहनों के पैकेज हेतु आवश्यकता को माना गया है।
14. निजी क्षेत्र में विदेशी सहयोग और निवेश को प्रोत्साहित किया गया है।
15. पर्यटन विकास के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए योजना प्रतिबंध लगाने और लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता को उजागर किया गया है।

16. पर्यटन क्षेत्र में नई तकनीक अपनाने पर बल दिया गया है।

17. नीतियों के कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना का विशेष उल्लेख किया गया है।

नीति क्षेत्र की कैरिंग क्षमता के भीतर पर्यटन के लगातार विकास के रूप पर बल देती है। इसे उपयुक्त योजना उपकरणों, दिशा-निर्देशों और विनियमों के माध्यम से प्राप्त करने का प्रस्ताव है। तथापि, नीति अधिक खर्च करने वालों और कम खर्च करने वाले पर्यटकों के बीच भेद नहीं करती क्योंकि ऐसा वर्गीकरण बड़ा अवास्तविक और कार्यान्वयन हेतु कठिन है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण को घाटा

***577. श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

श्री राजीव प्रताप रूडी :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ इस्पात संयंत्र घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इन इस्पात संयंत्रों को कितना घाटा हुआ;

(घ) इन घाटों के क्या कारण हैं;

(ङ) इन इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण योजना को कारगर ढंग से लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ताकि आने वाले वर्षों में ये इस्पात संयंत्र अपने कार्य निष्पादन में सुधार लाएं; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) :

(क) से (ग) स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर. आई. एन. एल.) सरकारी क्षेत्र के दो उपक्रम हैं जो इस्पात संयंत्रों का प्रबंध करते हैं। सेल लाभ कमाने वाली एक कम्पनी है जबकि आर. आई. एन. एल. को 1992-93 से 1995-96 तक 1709 करोड़ रुपए की हानि हुई।

(घ) आर. आई. एन. एल. को कम क्षमता उपयोगिता के साथ-साथ पूंजी से जुड़े प्रभारों अर्थात् ब्याज और मूल्य ह्रास के अधिक होने के कारण हानि हुई है।

(ङ) और (च) सेल दुर्गापुर, राठकेला और बोकारो स्थित अपने एकीकृत इस्पात संयंत्रों का व्यापक पुनरुद्धार और प्रौद्योगिकीय उन्नयन (आधुनिकीकरण) कार्यक्रम शुरू कर चुका है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण 16 टर्नकी पैकेजों (6 सार्वभौमिक और 10 स्वदेशी) के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है जबकि राठकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण दो चरणों अर्थात् चरण-I (9 स्वदेशी पैकेज) और चरण-II (5 सार्वभौमिक और 15 स्वदेशी पैकेज) में टर्नकी आधार पर निष्पादित किया जा रहा है। बोकारो इस्पात संयंत्र (चरण-I) का आधुनिकीकरण

4 सार्वभौमिक और 34 स्वदेशी पैकेजों के जरिए टर्नकी आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। इन इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण कार्यक्रम पूरा होने वाला है। आशा है कि उत्पादन, उत्पादकता आदि की दृष्टि से इन एकीकृत इस्पात संयंत्रों के निष्पादन में इन आधुनिकीकृत इकाइयों के स्थिर होने के बाद सुधार होगा।

आर० आई० एन० एल० का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक नया संयंत्र है तथापि, इसकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए आर० आई० एन० एल० की द्रव इस्पात क्षमता को बढ़ाकर 40.5 लाख टन करने की योजना है।

सेंसर बोर्ड की आलोचना

***578. श्री विजय पटेल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उस निर्णय की जानकारी है जिसमें देर रात विभिन्न टी० वी० चैनलों पर अश्लील कार्यक्रमों के प्रसारण की आलोचना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्च न्यायालय द्वारा सेंसर बोर्ड की नीति की आलोचना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) गुजरात उच्च न्यायालय ने गुनाहगार श्री धर्मेन्द्र धीरजलाल सोनेजी उम्र 20 वर्ष द्वारा किए गए बलात्कार संबंधी धर्मेन्द्र धीरजलाल सोनेजी बनाम गुजरात राज्य के मामले में दायर की गई आपराधिक अपील संख्या 1995 की 716 तथा आपराधिक अपील संख्या 1995 की 912 में दिनांक 4.9.96 को दिए गए निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह आम टिप्पणी की थी कि टेलीविजन चैनलों सहित मीडिया पर दिखाई गई अश्लील फिल्मों एवं कार्यक्रमों से लोगों खासकर युवा पीढ़ी पर गलत प्रभाव पड़ता है जो बलात्कार जैसे अपराध कर बैठते हैं और यह भी कहा था कि खासकर टेलीविजन पर अश्लील फिल्मों तथा चित्रापनों के प्रदर्शन/प्रसारण को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने चाहिए। तथापि, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की नीतियों की विशिष्ट रूप से कोई आलोचना नहीं की गई है।

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा फिल्मों के प्रमाणन के बारे में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिए गए हैं।

लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में यात्री सुविधाएं

***579. श्री मुरलीधर जेना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत एक वर्ष से लंबी दूरी की रेलगाड़ियों तथा स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के स्तर में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या उनके द्वारा तथा रेलवे बोर्ड के अधिकारियों द्वारा भी इस संबंध में आकस्मिक जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : (क) जी नहीं।

(ख) 1996-97 के दौरान (फरवरी '97 तक) यात्री सुविधा मंदों के संबंध में 3003 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ग) और (घ) जी, हां। विभिन्न स्टेशनों और यात्री गाड़ियों में अचानक जांच की गई है।

(ङ) यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए संदर्श योजनाएं बनाने हेतु क्षेत्रीय रेलों को निर्देश दिए गए हैं ताकि इन्हें चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया/बढ़ाया जा सके।

शिकायतों की जांच की गई है और जहां कहीं आवश्यक हुआ है वहां निवारक कार्रवाई की गई है। लापरवाही के लिए दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध रेल कर्मचारी अनुशासन और अपील नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है और उन्हें दंड दिया जाता है।

स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ संबंधी कार्यक्रम

***580. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह :**

श्रीमती कुष्णा बोस :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म शताब्दी पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी राशि व्यय होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने वी० वी० सी० द्वारा नेताजी बोस पर निर्मित एक प्रशंसनीय वृत्तचित्र "एनीमी ऑफ एम्पायर" को भारत में प्रसारित करने हेतु अनुमति के लिए उनसे सम्पर्क किया है ?

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई समिति गठित की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस० जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। डी० डी०-1, डी० डी०-2 और डी० डी०-3 पर प्रसारित किए जाने वाले विशेष कार्यक्रमों और उन पर संभावित व्यय का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण I तथा II में दिया गया है। नेताजी अनुसंधान ब्यूरो, कलकत्ता द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर निर्मित एक वृत्तचित्र पहले ही दिनांक 23 जनवरी, 1997 को डी० डी०-1 पर प्रसारित किया

जा चुका है। क्षेत्रीय केन्द्रों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) जी, नहीं। निर्माता ने अभी तक दूरदर्शन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) भारत की आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर विषय-वस्तु

एवं कार्यक्रमों को अनुमोदित करने के लिए महानिदेशक, दूरदर्शन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसमें सभी कार्यक्रम उप महानिदेशक शामिल हैं।

(छ) कमीशंड या प्रायोजित श्रेणी में कार्यक्रमों का चयन, दूरदर्शन की प्रायोजित/कमीशंड कार्यक्रम स्कीमों में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है।

विवरण-I

क्र. सं.	निर्माता/निर्माण कम्पनी	पारावाहिक का शीर्षक	संकल्पना
1	2	3	4
(क) कमीशंड वर्ग के अंतर्गत कार्यक्रम			
1.	जाकुई फिल्मस, आई-104 ताज एन्क्लेव, लिंक रोड, गीता कालोनी निर्माता—मुशरफ आलम जाकुई।	"शब्द युद्ध" 25 मिनट के 4 प्रकरण बीटा कैम फारमेट पर हिन्दी भाषण	इस शृंखला में मुद्रण मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। यह स्वतंत्रता सेनानियों की गतिविधियों को प्रदर्शित करेगा। चार वर्ग प्रक्षिप्त हैं : (i) दासता तथा प्रेस (ii) प्रेस कानून-उपयोगिता तथा लाभ (iii) प्रेस कानून-1900 तक ऐतिहासिक प्रसंगिकता (iv) प्रेस कानून-1990 से 1974 तक।
2.	सुश्री अम्बिका चित्रा 1517, शंकर निवास, भागीरथ पैलेस, चांदनी चौक, दिल्ली निर्माता—संजेश आहुजा।	"कारावास" 25 मिनट के 6 प्रकरण बीटा कैम फारमेट पर हिन्दी भाषा	उन जेलों पर प्रकाश-डाला गया है जहां प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी बन्द थे। इन जेलों में शामिल हैं; नैनी जेल जहां (पंडित जवाहरलाल नेहरू, रंजीत पंडित, डॉ. सर सैय्यद अहमद खान, पंडित एम. एम. मालवीय, लखनऊ जेल एम. एल. नेहरू, ए. कृपलानी, वर्धा जेल गांधी जी, बरेली जेल, अहमद नगर जेल, डोंगरी जेल।
3.	सुवर्न क्रोएशनस 558 पाकेट 5, मयूर विहार, फेस-I, नई दिल्ली निर्माता—पी. के. कौशल।	"स्वराज की गुंज" भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन तथा सिनेमा 25 मिनट के 3 प्रकरण बीटा फारमेट हिन्दी	फिल्म निर्माता शांताराम से शुरू करते हुए स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय सिनेमा भागीदारी को कवर करना।
4.	ए. पी. फिल्म मेकर 4533, चौक दाल मंडी शोरा कोटी वसन्त रोड के नजदीक, नई दिल्ली निर्माता—जे. सी. जोशी।	"साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिंस इंडिपेंडेस" 2 प्रकरण-25 मिनट	विगत 50 वर्षों के दौरान विज्ञान के क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय विकास पर कार्यक्रम में प्रकाश डाला गया है जिसमें कृषि, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, परमाणु शक्ति तथा अनुसंधान प्रौद्योगिकी, दूरसंचार आदि।
5.	आधार का कम्प्यूनिकेशन बी-66, प्रथम मंजिल, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-I निर्माता—रमेश चन्द्र।	वी द पीपल "हम सब लोग" 3 प्रकरण-25 मिनट बीटा फोरमेट में हिन्दी	उन सब आम भारतीय नागरिकों के साक्षात्कार जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के आधारभूत ढांचे में अपना जीवन यापन तथा लक्ष्य प्राप्त किया है।

1	2	3	4
6.	के. संजय फिल्मस, 20-21, एफ रोड, भारत महल, मैरिन डाइव, मुम्बई निर्माता—के. संजय।	“वे पचास वर्ष” 4 प्रकरण-25 मिनट हिन्दी-बीटा फोरमेट	विगत 50 वर्षों में पंचायती राज के दृढ़ीकरण का पता लगाना।
7.	के. आर. जी. पिक्चर्स 48-टोलोगंज, सरकुल रोड, न्यू अलीपोर, कलकत्ता निर्माता—गुलबहार सिंह।	“संग्राम” 2 प्रकरण-25 मिनट हिन्दी-बीटा फोरमेट	यह स्वतंत्रता आन्दोलन पर शीर्ष लेखक प्रेम चन्द की लघु कहानियों पर आधारित है।
8.	रचनाकार प्रोडक्शन 1779, कूचा दखनी राय दरियागंज, नई दिल्ली निर्माता—अनीस अमरोहबी।	“स्वतंत्रता के पश्चात् उर्दू थियेटर” 4 प्रकरण-25 मिनट हिन्दी-बीटा फोरमेट	उर्दू थियेटर का इतिहास तथा विकास/उर्दू नाटक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ बदलता परिदृश्य तथा थियेटर पर इसका प्रभाव।
9.	आसिफ प्रोडक्शनस अशरफ स्टूडियोज महिम रेलवे स्टेशन के सामने महिम (प०) मुम्बई निर्माता—आसिफ खान।	“ये आशियाना हमारा”	भारत में विकास के विभिन्न पहलुओं को रेखांकित किया गया है। (i) सामाजिक (ii) तकनीकी (iii) उद्योग
10.	विसन वर्ल्ड इन्टरटेनमेंट, नई दिल्ली 3252, रंजीत नगर, नई दिल्ली निर्माता—सुरेन्द्र हंस।	“महा समर” 1 घंटा बीटा एस० पी० हिन्दी	फरीदकोट में राष्ट्रीय झंडा आंदोलन-1946, आंदोलन का नेतृत्व ज्ञानी जैल सिंह द्वारा किया गया था।
11.	आर० के० ए० फिल्मस 11, करन नगर, जम्मू निर्माता—राम कुमार अबरोल।	“ये कश्मीर हमारा है” 4 प्रकरण-25 मिनट बीटा एस० पी०-हिन्दी	जम्मू तथा कश्मीर की घटनाओं पर आधारित धारावाहिक। हसन नामक केन्द्रीय पात्र पर स्थिर किया गया है, जो हमें एकता की प्रेरणा देता है।
12.	एनके वीजन्स प्राइवेट लिमिटेड, 798, पानेर सेलवम सलई, केके नगर चेन्नई। निर्माता—एन० कृष्णास्वामी।	स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय मंच 6 प्रकरण-25 मिनट अंग्रेजी-बीटा कैम	विभिन्न राज्यों में भारतीय थियेटर का योगदान स्वतंत्रता संघर्ष में फिल्म तथा थियेटर हस्तियों के सारकथन के साथ।
13.	मीडिया मैन, 44, दिल्ली। प्रशासनिक फ्लैट्स, ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली। निर्माता—रंजन कुमार सिंह।	“स्वतंत्रता पूर्व के प्रसिद्ध मुकदमे” 6 प्रकरण-25 मिनट बीटा एस० पी०-हिन्दी	ब्रिटिश राज के अंतर्गत प्रसिद्ध मुकदमे जिसमें बहादुर जाफर, लोकमान्य तिलक, अली भाइयों, महात्मा गांधी, भगत सिंह, आईएनए अधिकारियों जैसे मुकदमे शामिल होंगे।
14.	देव फिल्मस घाट मोर वेस्ट मुम्बई निर्माता—देवेंद्र।	भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का यूरोपीय ज्ञान 4 प्रकरण-25 मिनट बीटा-अंग्रेजी	कार्यक्रम में राजनीति, संस्कृति, धर्मनिरपेक्षता, तथा आर्थिक वृद्धि के क्षेत्रों में स्वतंत्रता के पश्चात् भारत के विकास पर महत्वपूर्ण तथा सुविज्ञ हस्तियों में विचारों को एकत्रित करने का प्रयास किया गया है।
15.	कॉमनेट वीडियोटेक ए-65, मनु अपार्टमेंट्स मयूर विहार, फेस-1 दिल्ली निर्माता—रमेश खत्री।	“एक कहानी पता बोले” 4 प्रकरण-25 मिनट बीटा-हिन्दी	यह स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु ब्रिटेन के विरुद्ध विभिन्न कृषकों एवं आदिवासी आंदोलनों पर प्रस्तावित है।

1	2	3	4
16. श्री भूपेन हजारिका	"दि अवेकनिंग" 13 प्रकरण-46 लाख	500 वर्षों से अधिक पुराने समय की संस्कृति, धर्म तथा जीवनशैली में अहिंसा की असम की अंतर्लीनता का सार। उत्तर-पूर्व भारत को आज के परिदृश्य में नए सिरे से देखना तथा देश के बारे में युवकों के प्रत्यक्ष ज्ञान पर विचार करना।	
17. ऐश्वर्य फिल्मस, 651, सेक्टर-29, अरूण विहार, नोएडा निर्माता—सीता देवी।	"दु मोरोज सिटीजंस" 4 प्रकरण-25 मिनट बीटा-अंग्रेजी	स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बच्चों के विकास को एक सार्थक नागरिक के रूप में बदलने पर बल देना।	
18. गंगोत्री फिल्म्स, 34-ए, विजय मण्डल इन्क्लेव, नई दिल्ली निर्माता—कैप्टन डी. डी. के. शर्मा।	"रोल ऑफ इण्डियन आर्मड फोर्सज" 4 प्रकरण, 25 मिनट अंग्रेजी	भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय थल, जल, वायु सेवा की भूमिका तथा उसका विकास।	
19. ऑप्सन चैनल, ई-102 शीतल सरोवर, शीतल नगर, मीरा रोड, मुम्बई। निर्माता—दिनेश शकुल।	आजादी, 2 प्रकरण 25 मिनट बीटा-हिन्दी	कतिपय स्मारकों को फिल्माने के लिए बारकीय केन्द्र तकनीक का उपयोग करते हुए वृत्तचित्रिय सहायता देकर 1905 से 1947 तक काल क्रमानुसार झलकियां प्रस्तुत करने हेतु।	
20. साठथ व्यू प्रोडक्संस 73, पूर्वी मार्ग, वसंत बिहार, नई दिल्ली। निर्माता—मीरा दीवान।	लुकिंग बैक टू लुक फॉरवर्ड सचिंग न्यू मीनिंग इन ओल्ड प्लेट्स 4 प्रकरण 25 मिनट बीटा-हिन्दी	स्वराज, स्वदेशी, अहिंसा और सत्याग्रह जैसे गांधी जी के आदर्श के चार भिन्न-भिन्न पहलू और राजनीतिक दर्शन तथा कार्य।	
21. अल्ट्रा बीडियोट्रोनिक्स, 8/4 विजय नगर, दिल्ली निर्माता—मिकी सचदेव।	हमारा संविधान क्यों, क्या और कैसा, 6 प्रकरण 25 मिनट बीटा-हिन्दी	यह भारतीय संविधान के बारे में है। इसका विकास कैसे हुआ तथा कैसे संविधान सभा का देश के दिशा-निर्देश संबंधी सिद्धांतों को मजबूत करते हैं।	
22. ईस्टर्न मीडिया, 150 द्वितीय तल, सराय, जूलियाना, ओखला रोड, नई दिल्ली	रोल ऑफ एजुकेशनल इन्स्टिट्यूशंस इन दि फ्रीडम मूवमेंट, प्रकरण-25 मिनट बीटा	उपनिवेशी नियम के अंतर्गत विद्यालयों तथा संस्थाओं में प्रशिक्षित भारतीय युवकों के विचार प्रक्षिप्त करना। विगत की उपलब्धियों में पदचिह्नित राष्ट्रीय गौरव संबंधी नई क्रेज।	
23. सुरेश कोहली प्रोडक्संस ई-180, ग्रेटर कैलाश-2 नई दिल्ली।	फ्रीडम स्ट्रगल एण्ड इण्डियन पॉयट्री 6, प्रकरण, 25 मिनट बीटा, हिन्दी	रवीन्द्र नाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती, काजी नसरूल इस्लाम जैसे विभिन्न राष्ट्रीय कवियों तथा अन्य क्षेत्रीय कवियों के योगदान को उनकी कविताओं के साथ प्रसारित किया जाता है।	
24. अशीम घोष सी-67/6046 वसंत कुंज, नई दिल्ली।	मिडनाइट हावर, 3 प्रकरण, 25 मिनट बीटा-हिन्दी	उस समय की फोटो चित्रों के माध्यम से। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व के भारत की अतिप्राचीन घटनाओं से संबंधित उत्तेजक एवं अमूल्य दस्तावेजों को प्रदर्शित करने हेतु प्रस्तावित है।	

1	2	3	4
25. माइन्ड विजन इन्टरप्राइजेज 226/सी-7, एस. डी. ए. नई दिल्ली। निर्माता, डॉ अवधेश शर्मा।	आजादी की ओर (स्वास्थ्य परिदृश्य) 3 प्रकरण-25 मिनट बीटा-हिन्दी	स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के भारत के स्वास्थ्य परिदृश्य को एकत्र करके प्रदर्शित करना जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिदृश्य के बराबर हों।	
26. अन्नन्य, 105, संत नगर ईस्ट, ऑफ कैलाश, नई दिल्ली।	समर गाथा 6 प्रकरण-25 मिनट बीटा-हिन्दी	यह प्रस्ताव विश्व विख्यात भारतीय नेवी उत्थान पर आधारित है जो उस समय के साहस एवं देशभक्ति की कहानी सुनाता है जब स्वतंत्रता के लिए भारतीयों ने नेवी संगम से हाथ मिलाया।	
27. सूदन कम्यूनिकेसंस, जे-30, सैट्रल मार्केट लाजपत नगर, नई दिल्ली	स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिगीत 2 प्रकरण बीटा-एस. पी.	स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा गाए गए गीतों पर आधारित।	
28. मैसर्स कला संगम एफ-11/315, चरण खुड ग्राम, सूरजकुण्ड रोड, फरीदाबाद-121009	स्वतंत्रता संग्राम के तीन पक्ष, 3-प्रकरण-बीटा एस. पी.	(1) स्वदेशी, बहिष्कार। (2) राष्ट्रीय झंडा। (3) चक्र तथा खादी।	
29. मैसर्स, पेजावर एण्ड पेजावर, 162, 'बी' स्ट्रीट मेन रोड, शोशाद्रिपुरम।	"कथा व्यक्ति तथा स्वतंत्रता संग्राम"	एनीमेशन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम की कहानी बच्चों के लिए।	
30. वैली फिल्म मेकर्स होटल रेमेनियो जीरो ब्रिज, श्रीनगर। निर्माता-रशीद फिरदोसी।	"झेलम गवाह है" 6 प्रकरण-25 मिनट हिन्दी-बीटा	क्षेत्र और उनके प्रभाव की समस्याओं को उजागर करते हुए 1931 से आज तक जम्मू और कश्मीर के बारे में एक धारावाहिक है।	
31. जेनोसिस मीडिया 301-डी, मयूर विहार फेस-I, पाकेट-II, दिल्ली-1 निर्माता-काला टायर।	"इम्पैक्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑन इण्डिया सिनेमा" 3 प्रकरण-25 मिनट हिन्दी-बीटा	भारतीय सिनेमा स्वतंत्रता की लड़ाई से प्रभावित हुआ जिसके फलस्वरूप लोकप्रिय विषय, दृश्य एवं फिल्में प्रभावित हुई। इसमें शामिल फिल्मी हस्तियों को भी गिना जाएगा।	
32. अर्चना कपूर, 233, गुलमोहर इन्क्लेब, नई दिल्ली निर्माता-अर्चना कपूर।	"दी रोल ऑफ दी प्रेस" 2 प्रकरण-25 मिनट अंग्रेजी-बीटा	स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के भारत में प्रेस की मूल्यांकन नीति बनाने पर समाचार-पत्र की बढ़ोतरी और उसका प्रभाव।	
33. सिने आर्ट जी. पी.-112, पीतमपुरा, दिल्ली। निर्माता-अरूण खेमणि।	"गुलशन महक उठा" 4 प्रकरण-25 मिनट हिन्दी-बीटा	स्वतंत्रता के 50 वर्षों से प्रगति दिखाने के लिए पात्रों के साथ धारावाहिक के रूप में।	
34. सी. देविका रानी, 166-अमरपाली अपार्ट्स, प्लॉट सं. 56, जी. पी. विस्तार, दिल्ली। निर्माता-सी. देविका रानी।	"सुवर्ण भारत" 1 प्रकरण-25 मिनट हिन्दी-बीटा	पिछले 50 वर्षों में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों को खोजना एवं उजागर करना।	
35. टी. बी. फिल्मस 20-21, भारत महल, आर. रोड, मेरिन ड्राइव, मुम्बई निर्माता-रीमा मल्होत्रा।	"विकल्प" 4 प्रकरण-25 मिनट हिन्दी-बीटा	भारत की स्वतंत्रता के पिछले 50 वर्षों में प्रमुख प्रगति एवं घटनाओं को उजागर करना।	

1	2	3	4
36.	चिरंजीवी चित्रा, 314, एम. एल. ए. कालोनी, रोड नं. 12, बनारा हिल्स, हैदराबाद। निर्माता—बी. रामाराव	“श्री पिंगलि वेनकैह” 1 घंटा टेलीफिल्म हिन्दी-बीटा	पिंगलि वेनकैह का जीवन और जीवन-वृत्तांत जिसने राष्ट्रीय ध्वज बनाया।
37.	टेली ग्राफिट, 199, वेस्ट पार्क रोड, मल्लेश्वरम (वेस्ट) बैंगलूर। निर्माता—आर. श्रीनिवास।	“भारत एक सुहाना सफर” 4 प्रकरण-25 मिनट	पर्यटक भूमिका के साथ, भारत में सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक घटनाओं के उत्तर-चढ़ाव के कार्यक्रम पुनर्निर्मित करने के प्रस्ताव हैं।
38.	श्री रामनजनेया, तोगुलु गोम्बे मेला (लेदर पप्पिट) बेल्सरी-583102 निर्माता—बेलागल्लू वीर अन्ता।	“लेदर पप्पिट” 4 प्रकरण-25 मिनट हिन्दी-बीटा	लेदर पप्पिट के जरिए स्वतंत्रता संग्रह का चुनाव करना।
39.	अभिभक्ति, टेगोर गार्डन, नई दिल्ली। निर्माता—आशा कपूर।	“प्रगति के 50 वर्ष” 2 प्रकरण-25 मिनट	ग्रामीण विकास, शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों को खोजना एवं उजागर करना।
40.	पाल्को वीडियो, एम-7, पालिका बाजार, कनाट प्लेस, नई दिल्ली। निर्माता—रंजीत सिंह।	स्पोर्ट्स वेस्ट टेली धारावाहिक 3 प्रकरण-25 मिनट हिंदी-बीटा	पिछले 50 वर्षों में खेल के इतिहास एवं इसकी प्रगति को खोजना।
41.	जायदीपघोष, बी-1/135, एकता गार्डन, 9 पटपड़ गंज, नई दिल्ली।	“दी इण्डियन कैनवास” 2 प्रकरण-25 मिनट अंग्रेजी-बीटा	पिछले 50 वर्षों के दौरान आधुनिक भारतीय कला के मूल्यांकन को खोजना।

(ख) प्रायोजित कार्यक्रमों का व्यौरा :

निम्नलिखित प्रायोजित कार्यक्रम अनुमोदित किए गए हैं :—

1. गोल्डन मूमेंट	—52 प्रक.	13. संघर्ष	—52 प्रक.
2. अमेजिंग इंडिया (क्विज प्रोग्राम)	—21 प्रक.	14. परिवार	—26 प्रक.
3. अननाऊन सोलजर (महिला स्वतंत्रता संग्राम सैनानी)	—26 प्रक.	15. शुभ-लाभ	—104 प्रक.
4. इमजिंग इंडिया (विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां)	—26 प्रक.	16. स्वतंत्रता समर सैनानी	—26 प्रक.
5. गोल्डन जुबली शो (पैट्रिओटिक फिल्मस)	—13 प्रक.	17. मैकिंग ऑफ ए नेशन	—26 प्रक.
6. क्विज प्रोग्राम	—21 प्रक.	18. कांधापुरा	—26 प्रक.
7. रानी चेन्नम्मा	—26 प्रक.	(श्री राजा राव के उपन्यास पर आधारित)	
8. मैं दिल्ली हूँ	—52 प्रक.	विभिन्न विषयों पर देश की स्वतंत्रता लड़ाई एवं प्रगति की चित्रण की अवधि की 3-5 मिनट से गीत एवं लघु फिल्म प्रायोजित श्रेणी के अंतर्गत अनुमोदित की गई है। ये सम्पूर्ण वर्ष के दौरान प्रत्येक दिन प्रसारित की जाएंगी।	
9. गाथा (सोप ओपेरा) (स्वतंत्रता के बाद के क्रिया-कलाप)	—52 प्रक.	विवरण-II	
10. सियासत	—52 प्रक.	व्यय संबंधी व्यौरा	
11. अचीवमेंट इन 50 इअर्स (राज्यवार)	—26 प्रक.	महानिदेशालय स्तर पर डी. डी.-1, डी. डी.-2 तथा डी. डी.-3 पर प्रति सप्ताह एक-एक कमीशंड कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। महानिदेशालय स्तर पर, कमीशंड कार्यक्रम के प्रत्येक प्रकरण के लिए औसत बजट 2.5 लाख रुपए होगा।	
12. कहाँ गए वो लोग (व्यक्तित्व-आधारित)	—52 प्रक.	(कुल बजट = 52 × 3 × 2.5 = 3.9 करोड़ रुपए)	

इसके अलावा, निम्नलिखित प्रतिष्ठित फिल्म एवं टेलीविजन निर्माताओं को राष्ट्रीय चैनल के लिए उनके स्वयं के विचारों के अनुसार कार्यक्रमों का निर्माण करने हेतु चुना गया था :—

1. श्री गिरीश कर्नाड
2. श्री बुद्धदेव दासगुप्ता
3. श्री श्याम बेनेगल
4. श्री सईद मिर्जा
5. श्री भूपेन हजारिका

प्रत्येक निर्माता को 1-1 करोड़ रुपए के बजट (कुल 5 करोड़ रु.) से 13 प्रकरणों का निर्माण करने के लिए कहा गया है। जंगल और स्पाट्स को महानिदेशालय स्तर पर कमीशन किया जाएगा।

(कुल बजट : 1 करोड़ रुपए)

15 समाचार निर्माण केन्द्रों (अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, लखनऊ, मुम्बई, पटना तथा तिरुवनन्तपुरम) में से प्रत्येक केन्द्र द्वारा अधिकतम 2 लाख रुपए प्रति प्रकरण के बजट सहित 52 प्रकरण कमीशन किए जाएंगे। इसके लिए निर्माताओं की संख्या 10 से अधिक नहीं होगी।

(कुल बजट = $15 \times 52 \times 2 = 15.60$ करोड़ रुपए)

इसके अलावा, कार्यक्रम निर्माण केन्द्र, गुवाहाटी को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए कार्यक्रमों का निर्माण करने हेतु 1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

सुरक्षा गार्ड तथा सफाई कर्मचारियों द्वारा दिहाड़ी को अस्वीकार किया जाना

6240. श्री राम नाईक : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक विमान पत्तनों में फरवरी, 1997 में सुरक्षा गार्डों तथा सफाई कर्मचारियों ने दिहाड़ी लेने से मना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्नाहीम) : (क) कुछ श्रमिक कर्मचारी जिन्हें ठेकेदार द्वारा सफाई और पहरा तथा निगरानी योजना में अंतर्ग्रस्त थे, ने मुम्बई हवाई अड्डे पर फरवरी, 1997 के दौरान दैनिक दिहाड़ी लेने से मना कर दिया।

(ख) और (ग) 6.12.1996 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के फलस्वरूप, ठेकेदार द्वारा सफाई और पहरा तथा निगरानी कार्य में लगाए गए कामगारों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नियमित किया जाना है। सफाई कर्मियों के नियमितीकरण पूर्वाभास के रूप में, उन्हें घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है। ब्यौरों के पुष्टिकरण न हो पाने तक, जनवरी, 1997 से उन्हें प्रति माह (कार्यशील दिनों की संख्या से संबंधित) के हिसाब से 2400/- रुपए का भुगतान किया जा रहा है। जहां तक पहरा व निगरानी कार्य पर लगे कर्मिकों

का संबंध है, ये कर्मिक चूंकि महाराष्ट्र निजी सुरक्षा गार्ड बोर्ड की इफरी पर आ रहे हैं, बोर्ड को एक समेकित चेक भेजा गया है जिससे उन्हें उनके मासिक पारिश्रमिक का भुगतान सीधे ही किया जा सके।

भारतीय होटल निगम को बंद किया जाना

6241. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय होटल निगम को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार भारतीय होटल निगम के कुछ होटलों को बंद करने तथा कुछ नए होटलों को बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्नाहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय होटल निगम की चालू वित्त वर्ष में मुम्बई में दो होटल इकाइयों तथा दिल्ली में एक होटल इकाई के नवीकरण की योजनाएं हैं।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दिल्ली को बकाया धनराशि

6242. श्री सनत कुमार मंडल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 20 फरवरी, 1997 के "दि इकोनोमिक टाइम्स" के नई दिल्ली संस्करण में "सतीश शर्मा", बीमा रमानी एमंग ग्लोबी लोट ऑफ द बुक डेलहाइड्स ओ. एम. टी. एन. एल. ए. 450 करोड़" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा अब तक बकाया राशि वसूल न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस भारी धनराशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) 31.1.97 की स्थिति के अनुसार, दूरसंचार विभाग की कुल टेलीफोन बकाया राशि 1582 करोड़ रु थी। 424 करोड़ रु की राशि, एमटीएनएल, दिल्ली के उपभोक्ताओं की ओर बकाया है। यह बकाया राशि केवल चालू वर्ष की ही नहीं है, अपितु कई वर्षों से जमा हो गई है।

ऐसे मामलों, जिनमें चेक अस्वीकृत (बाउंस) हो गए हैं, में नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट से भुगतान की मांग की जाती है। इसके अलावा, अतिरिक्त प्रतिभूति भी ली जाती है।

समाचार की इस मद में उद्धृत विशिष्ट मामलों के संदर्भ में वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

(i) श्री भूपेन्द्र कुमार का टेलीफोन नम्बर 608647। इस उपभोक्ता ने न्यायालय में याचिका दायर कर दी थी जिसे न्यायालय ने 2.4.97 को खारिज कर दिया है। 13.38 लाख रु. की बकाया राशि की वसूली के उपाय किए जा रहे हैं।

(ii) कैप्टन सतीश शर्मा का टेलीफोन नम्बर 6862466। यह टेलीफोन काटा जा चुका है और बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया में सतत् निगरानी रखी जा रही है।

(iii) श्रीमती बीना रमणी का टेलीफोन नं. 6862931। उपभोक्ता ने बकाया राशि का नकद भुगतान कर दिया है।

(iv) मैसर्स अपोलो टायर्स के उपभोक्ता श्री ओ. एस. कंवर। जारी अनुपूरक बिलों का भुगतान कर दिया गया है।

(v) मैसर्स उषा इण्डिया लि. पार्टी ने आंशिक भुगतान कर दिया है और मामला निर्णयाधीन है।

(ग) बिल जारी करना और उनकी वसूली करना एक सतत् प्रक्रिया है और टेलीफोन बिलों की बकाया राशि की वसूली के लिए निर्धारित पद्धतियाँ स्पष्ट हैं। बिल संबंधी विवादों/न्यायिक मामलों के तत्काल निपटान के प्रयास किए जाते हैं। अन्य मामलों में, वसूली की कार्रवाई पत्राचार/व्यक्तिगत दौरों और कानूनी उपाय करके की जाती है।

(घ) 1997-98 के दौरान, ग्राहक सेवा प्रबंध प्रणाली (सीएसएमएस) के एक ही पैकेज के रूप में बिल पद्धति, दोष मरम्मत सेवा (एफ आर एस) तथा वाणिज्यिक जैसी विभिन्न कम्प्यूटरीकृत प्रणालियों का एकीकरण किया जा रहा है। इससे बिल शीघ्र जारी किए जा सकेंगे और सभी बिलों के भुगतान ऑन लाइन अद्यतन रखे जा सकेंगे जिससे चुककर्ता उपभोक्ताओं के टेलीफोन शीघ्र काटने में आसानी होगी और वसूली कार्य में तेजी आएगी।

ग्रैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप पर व्यय की गई राशि

6243. श्री बसुदेव आचार्य : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा गांधी स्टेडियम, नई दिल्ली में 12 फरवरी, 1997 से 16 फरवरी, 1997 तक ग्रैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के आयोजन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) इस चैंपियनशिप को आयोजित करने में एयर इंडिया के कितने कर्मचारी शामिल थे और इससे कम्पनी को श्रम शक्ति की कितनी हानि हुई;

(ग) एयर इंडिया के प्रबंधन ने चंडीगढ़ में गोल्फ चैंपियनशिप और दिल्ली में बैडमिंटन चैंपियनशिप सहित पिछले दो वर्षों में खेल-कूद टूर्नामेंटों में आयोजन पर कितनी धनराशि व्यय की है;

(घ) एयर इंडिया प्रबंध के पास फिलहाल कुल कितनी आरक्षित निधि है; और

(ङ) सरकार ने एयर इंडिया प्रबंधन द्वारा अनावश्यक व्यय रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) एयर इंडियन ने विश्व ग्रैंड प्रिक्स बैडमिंटन चैंपियनशिप के अग्रणी प्रायोजक के रूप में 26.4 लाख रुपए का नगद व्यय किया।

(ख) केवल वे ही अधिकारी, जो कार्यात्मक रूप से क्रीड़ा कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी हैं, इसे आयोजित करने के कार्य में शामिल थे।

(ग) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

	बजट	खर्च की गई राशि (करोड़ रुपयों में)
1995-96	1.15	1.15
1996-97	1.15	0.61
(31.1.1997 तक)		

(घ) 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार कुल आरक्षित निधि 1056 करोड़ रुपए थी।

(ङ) खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया जाने वाला खर्च सरकार/कम्पनी के व्यापक नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप ही है।

मंगलोर हवाई अड्डे पर प्रस्थान और आगमन लांडज सुविधाएं

6244. श्री आस्कर फर्नांडीज : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलोर हवाई अड्डे पर अन्य हवाई अड्डों की तुलना में पर्याप्त प्रस्थान और आगमन लांडज संबंधी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वहां पर पर्याप्त सुविधाएं देने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ग) जी, हां। सुविधाएं अपर्याप्त हैं चूंकि मंगलोर हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन बहुत पुराना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की नवीं योजना अवधि के दौरान चरणबद्ध तरीके से सीमित अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए मंगलोर हवाई अड्डे के स्तरोत्थन की योजनाएं हैं।

देवास जिले के कानौद शहर में एस. टी. डी. सुविधा

6245. श्री सुशील चन्द्र : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देवास से कानौद के बीच ऑप्टिक फाइबर लाइन बिछाने के बावजूद कानौद शहर में अभी तक वांछित स्तर की एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या टेलीफोन प्रणाली से सम्बद्ध उपकरण कानौद भेज दिए गए हैं परन्तु उन्हें अभी तक लगाया नहीं गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कानौद के लिए उप-मंडल अधिकारी के एक पद को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है परन्तु उसे लम्बे समय से भरा नहीं गया है; और

(ङ) कानौद में वांछित स्तर की एस. टी. डी. सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) पहले एस. टी. डी. सेवा ओवरहेड लाइनों पर प्रदान की गई थी। अब यह ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करके प्रदान की गई है।

(घ) एक अधिकारी को तैनात किया गया है।

(ङ) 15.4.97 से ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करके, अब एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध है।

सी. टी. एस. नेताजी नगर नई दिल्ली के अधिकारियों द्वारा अनियमितताएं

6246. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सी.टी.एस. नेताजी नगर, नई दिल्ली के अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ट्रक से माल उतरवाने के फलस्वरूप प्राप्त राशि का गैर-कानूनी उपयोग और दुरुपयोग करने के लिए कोई पूछ-ताछ करनी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) सी. टी. एस., नई दिल्ली के किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, मैसर्स सनराइज ट्रांसपोर्ट सर्विस, कलकत्ता और मैसर्स गजेन्द्र रोडलाइन्स, कलकत्ता नामक ट्रांसपोर्टों से माल उतारने संबंधी अत्यधिक प्रभारों के बारे में 2 शिकायतें प्राप्त हुई थी।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अजमेर के लिए वायु सेवा

6247. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार अजमेर को हवाई मार्ग के साथ जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(घ) क्या राज्य सरकार का विचार इस संबंध में अपनी ओर से मुक्त भूमि देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (च) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अजमेर में 50 सीटों वाले विमान के प्रचालन के लिए उपयुक्त एक हवाई अड्डे के निर्माण की योजना है, बशर्ते राजस्थान की राज्य सरकार निःशुल्क तथा सभी प्रकार के भार से मुक्त 460 एकड़ भूमि उपलब्ध कराए। राज्य सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का मुनाफा

6248. श्री बी. एल. शंकर : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996-97 के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का लाभ घटाकर 50 प्रतिशत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के घाटे को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ग) वर्ष 1996-97 के लेखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अतः इस चरण पर यह कहना कठिन है कि "सेल" के लाभ में 50 प्रतिशत कमी आई है।

मध्य प्रदेश में डाक तथा दूरसंचार सेवाओं का असंतोषजनक स्तर

6249. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में डाक तार तथा दूरसंचार क्षेत्र जैसी आवश्यक सेवाओं के द्वारा असंतोषजनक सेवा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के डाक, तार तथा दूरसंचार परिमंडलों में सुधार हेतु क्या निर्देश जारी किए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) डाक, तार और संचार के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में उपलब्ध अनिवार्य सेवा की गुणवत्ता आमतौर पर संतोषजनक है, निम्नस्तर की नहीं।

(ख) इन सेवाओं में सुधार की संभावना निरंतर बनी रहती है और सेवाओं में सुधार लाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते हैं।

(ग) इस संबंध में आवश्यक अनुदेश समय-समय पर जारी किए जाते हैं। जहां कहीं भी कोई कमी देखी जाती है, वहां सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में मध्य प्रदेश में 44 डाकघरों का आधुनिकीकरण किया गया है। ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता की जांच के लिए सुपरवाइजरी तथा निरीक्षण स्टॉफ को आकस्मिक विजिट करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

लकड़ी से बने फर्नीचर का विकल्प ढूंढना

6250. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उच्चतम न्यायालय के निर्देश के कारण पेड़ों के काटे जाने पर प्रतिबंध लगाने तथा प्लाइवुड उद्योग के बन्द हो जाने से उत्पन्न परिस्थिति की ओर आकृष्ट किया गया; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा प्लाइवुड के बने फर्नीचर के विकल्प ढूंढने हेतु क्या ब्यौरा है तथा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ को न केवल मौजूदा अभिकल्प के चल स्टॉक अपितु नए अभिकल्प के चल स्टॉक के लिए लकड़ी का विकल्प ढूंढने हेतु कहा गया है।

आसनसोल इलैक्ट्रिक लोकोशेड का उपयोग

6251. श्री महबूब जहेदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारी धनराशि व्यय करने के बावजूद पूर्वी रेलवे के आसनसोल लोकोशेड की वर्तमान क्षमता और बुनियादी सुविधाओं का उपयोग नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस शेड में कितने इंजन खड़े किए जा सकते हैं;

(घ) इस शेड में इस समय कितने विद्युत इंजन हैं;

(ङ) उन इंजनों के नाम और क्षमता कितनी है; और

(च) सरकार ने इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं। बिजली लोको शेड आसनसोल की क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) 1.5.97 को बिजली लोको शेड आसनसोल में रेल इंजन खड़ा करने की क्षमता 100 थी तथा वर्तमान में 147 रेल इंजन खड़े किए जा रहे हैं। रेल इंजनों की किस्म और उनकी क्षमता निम्नानुसार हैं :

रेज इंजन की किस्म	संख्या	अश्व शक्ति में क्षमता
डब्ल्यू ए एम 1	33	2870
डब्ल्यू ए एम 2	27	2790
डब्ल्यू ए एम 3	2	2790
डब्ल्यू ए जी 3	9	3150
डब्ल्यू ए जी 4	76	3150
जोड़	147	

(च) शेड की क्षमता को बढ़ाने की योजना है।

बिहार में पांच सितारा होटल खोला जाना

6252. श्री आर. एल. पी. वर्मा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के कोडरमा तथा हजारीबाग जिलों में पांच सितारा होटल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो पांच सितारा होटल कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) होटलों का निर्माण करना मुख्यतः प्राइवेट सेक्टर का कार्यकलाप है जो बहुत से शर्तों तथा उचित मूल्य पर उपयुक्त स्थलों की उपलब्धता, केन्द्र की पर्यटन क्षमता, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, संसाधनों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है। सरकार केवल उन उद्यमियों द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक सरलीकर्ता है जो इस प्रकार की परियोजनाओं की स्थापना करने के इच्छुक हैं।

इंडियन एयर लाइंस सेवा

6253. श्री मुस्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की सेवाओं को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इन एयर लाइंस का हवाई भाड़ा दूसरी निजी एयरलाइंस के बराबर है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इन्नाहीम) : (क) एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस अपने उत्पाद, छवि तथा समयबद्ध कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के कदम उठा रही हैं।

(ख) और (ग) विमान कम्पनियां, आदान लागतों में वृद्धियों और

यातायात पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपने बाणिज्यिक विवेक के अनुसार अंतर्देशीय सेक्टरों पर किराए निश्चित करने के लिए स्वतंत्र है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय किरायों का संबंध है, उनमें की जाने वाली वृद्धियों के बारे में विमान कम्पनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन एसोसिएशन (आयटा) के टैरिफ समन्वयन सम्मेलन में पहले चर्चा की जाती है और सहमति प्रदान की जाती है और तत्पश्चात् सम्बंधित सरकारों के अनुमोदन से उन्हें कार्यान्वित किया जाता है। आयटा द्वारा विभिन्न सेक्टरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय किरायों की समय-समय पर इस प्रकार संवीक्षा की जाती है।

एयर इंडिया के स्वाभित्व वाले विमान

6254. श्री मधुकर सरपोतदार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में एयर इंडिया द्वारा यात्रियों को लाने ले जाने हेतु कितने विमानों का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) कितने विमानों की वास्तव में आवश्यकता है;

(ग) क्या अन्य देशों से विमान खरीदने की सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इन्नाहीम) : (क) एयर इंडियर के पास इस समय विमान-बेड़े में 28 विमान हैं।

(ख) से (घ) एयर इंडिया द्वारा विमान की आवश्यकता और विमान बेड़े का विस्तार/नवीनीकरण विमान कम्पनियों के संसाधनों, यातायात उपेक्षाओं, विमान के किस्म की उपयुक्तता और विभिन्न सेक्टरों/मार्गों इत्यादि पर प्रचालनों की व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

गुजरात में मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलना

6255. श्री विजय घटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में वर्तमान मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलने का है; और

(ख) यदि हां, तो जिले-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद बर्मा) : (क) गुजरात में कोई मैनुअल एक्सचेंज नहीं है।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वैशकांती, अहमदाबाद स्थित शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाना

6256. डॉ. अमृत लाल भारती : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अहमदाबाद जिले में चैल निर्वाचन क्षेत्र के वैशकांती गांव को अम्बेडकर गांव घोषित कर दिया गया है तथा इस गांव की आबादी में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या इस गांव के शाखा डाकघर की स्थिति वैसी ही है जैसी कि पहले थी और अनेक संसद सदस्यों ने इस शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ा कर इसे उप डाकघर बनाए जाने का अनुरोध किया है;

(ग) क्या सरकार ने इस शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाकर इसे उप डाकघर बनाने तथा इसके विकास हेतु कोई ठोस कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद बर्मा) : (क) विभाग के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि ग्राम वैशकांती को अम्बेडकर ग्राम घोषित कर दिया गया है। अन्य गांवों की भांति इस गांव की जनसंख्या भी नियमित रूप से बढ़ रही है।

(ख) से (ङ) अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर 12 अक्टूबर, 1971 को खोला गया था और आज तक यह अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर ही है। समय-समय पर इस शाखा डाकघर का विभागीय उपडाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने के प्रस्ताव की बार-बार जांच की गई थी किन्तु कार्यभार तथा आय एवं लागत के आधार पर इसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया था।

खनिज गवेषण निगम लिमिटेड में संकट

6257. श्री हाराधन राय : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को खनिज गवेषण निगम लिमिटेड के श्रमिकों द्वारा सामना किए जा रहे संकट में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ग) सरकार को क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद करने, विभिन्न स्थानों की भूमि और भवनों के विक्रय, कर्मिकों के स्थानान्तरण आदि के विरुद्ध विभिन्न स्रोतों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि फिलहाल यथा स्थिति बनाए रखी जाए।

[हिन्दी]

बैलाडीला खानें

6258. डॉ. लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में बैलाडीला लौह अयस्क खान को निजी कंपनी को ठेके पर देने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव या सुझाव भेजे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर की गई कार्रवाई का न्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) :

(क) से (ग) संयुक्त उद्यम के जरिए बैलाडिला निक्षेप-II बी. का विकास करने के लिए नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. (एन. एम. डी. सी.) को दी गई सरकार की मंजूरी के आधार पर एन. एम. डी. सी. ने 10 जुलाई 1995 को निम्पोन डेनरो इस्पात लि. (एन. डी. आई. एल.) के साथ एक संयुक्त उद्यम करार पर हस्ताक्षर किए और 31 जुलाई 1995 को बैलाडिला मिनरल डेवलपमेंट कम्पनी लि. (बी. एम. डी. सी.) नामक एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी निगमित की गई। इसके अतिरिक्त एन. एम. डी. सी. ने निक्षेप-II बी. के खनन पट्टे का हस्तान्तरण संयुक्त उद्यम कंपनी के पक्ष में करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को अपना आवेदन प्रस्तुत किया था।

मध्य प्रदेश सरकार ने अपने 6.01.1996 के पत्र के तहत इस प्रस्ताव की सिफारिश की थी और बैलाडिला निक्षेप-II बी. का खनन पट्टा संयुक्त उद्यम कंपनी के पक्ष में हस्तांतरित करने के लिए एम. एम. आर. डी. अधिनियम-1957 के प्रावधानों के तहत तथा अपेक्षित केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी खान मंत्रालय से मांगी थी। केन्द्र सरकार की मंजूरी मांगते समय राज्य सरकार ने कतिपय शर्तें जैसे एक इस्पात संयंत्र की स्थापना करना, संयुक्त उद्यम कंपनी के साम्या में 20 प्रतिशत तक की राज्य सरकार की भागीदारी, विशेष रूप से बस्तर जिले से श्रमशक्ति की भर्ती करना, संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा इस क्षेत्र में स्कूल/अस्पताल स्थापित करना आदि शामिल करने का प्रस्ताव भी किया है। खान मंत्रालय ने एम. एम. आर. डी. अधिनियम, 1957 और खनिज रियायत नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुपालन की शर्त पर और इस शर्त पर कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात् बैलाडिला मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. और एन. एम. डी. सी. इन शर्तों पर एकमत हों और हस्तान्तरण की शर्तों पर सहमत हों और दोनों पक्षों के बीच किए जाने वाले करार अथवा किसी अन्य विधिक दस्तावेज में उन शर्तों को शामिल किया जाए :

खान मंत्रालय ने अपने दिनांक 13.6.1996 के पत्र के तहत मध्य प्रदेश सरकार से यह सूचित करने का अनुरोध किया था कि क्या एन. एम. डी. सी. खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 27(3) के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित शर्तों के संबंध में अपनी स्वीकृति दे दी है।

मध्य प्रदेश सरकार ने अपने दिनांक 19.6.96 और 3.8.96 के पत्रों के तहत इस्पात मंत्रालय से यह अनुरोध किया है कि वह राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित शर्तों पर अपनी स्वीकृति देने के संबंध में एन. एम. डी. सी. को सलाह दे।

श्री गुरुदास गुप्ता और श्री जीवन राय संसद सदस्यों द्वारा, लौह अयस्क खान-II बी. के खनन पट्टे का हस्तांतरण संयुक्त उद्यम कंपनी के पक्ष में करने के निर्णय के बारे में दायर की गई एक जनहित याचिका

पर माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 16.4.96 को स्थगन आदेश दे दिया है। माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारिता के आधार पर रिट याचिका 10.5.1996 को खारिज कर दी गई थी तथापि, उच्च न्यायालय द्वारा इस आदेश को 3 सप्ताह की अवधि के लिए 31.5.1996 तक स्थगित कर दिया गया था। इस आदेश के विरुद्ध संयुक्त उद्यम कंपनी की एक याचिका पर माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिया गया अंतरिम स्थगन तब तक निलंबित रहेगा जब तक कि अंतरिम स्थगन के विरुद्ध संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा की गई अपील और मूल रिट याचिका खारिज करने के आदेश के विरुद्ध श्री गुरुदास दास गुप्ता और श्री जीवन राय द्वारा की गई अपील का निपटान नहीं हो जाता। ये अपीलें नियमित बेंच के समक्ष प्रस्तुत की जानी हैं।

बैलाडिला निक्षेप-II बी. के हस्तांतरण के विरुद्ध जुलाई 1996 में दिल्ली उच्च न्यायालय में भी एक जनहित मुकदमा दायर किया गया है। यह मामला सुनवाई के लिए पिछली बार 26.3.97 को आया था और इसे पुनः स्थगित कर दिया गया है।

यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसकी विभिन्न पहलुओं से विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है। चूंकि यह मामला न्यायालय में लंबित है, अतः सरकार न्यायिक अधिमत की प्रतीक्षा करेगी।

[अनुवाद]

कर्नाटक की टेलीफोन परामर्शदाता समिति

6259. श्री रामचन्द्र बीरप्पा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक की टेलीफोन परामर्शदाता समिति का जिला और राज्य स्तर पर गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी न्यौरा क्या है;

(ग) कर्नाटक के नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद बर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक सर्किल के लिए तथा कुछ जिला स्तरीय टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन किया जा चुका है। गठित की गई टेलीफोन सलाहकार समितियों के नाम निम्नवत् हैं :

कर्नाटक (सर्किल स्तरीय)

बेंगलूर

बेलगाम

हुबली (धारवाड़)

मैसूर

(ग) संलग्न विवरण के अनुसार।

विवरण

कर्नाटक सर्किल की टेलीफोन सलाहकार समिति में निम्नलिखित व्यक्ति नामित किए गए हैं।

जनसेवक एवं अन्य

1. श्री शम्बीर पाशा सी. ए., 19/1 मलावल्ली, रामाराव रोड, बेंगलूर-560002
2. श्री बी. एस. कृष्णाअय्यर पूर्व सांसद शंकर मठ रोड, बसावनागुड़ी, बेंगलूर
3. श्री शनमुखप्पा के. आर. आत्मज श्री रेवनासिदप्पा, डी/2, विद्या गगर जिला चित्रदुर्ग, कर्नाटक
4. श्री बसदराज बुल्ला निवासी-35 एमआईजी हडको, के. एच. बी. कालोनी
5. श्री रशीद हाशम बोई (सिविल) निवासी-11-1814/31 विद्यानगर कालोनी गुलबर्गा-2
6. श्री रामचन्द्र प्रभु-यू चार्टर्ड एकाउंटेंट होटल नृपतुंगा स्टेशन रोड, रैचूर कर्नाटक
7. श्री ए. सी. राजशेखर रिपोर्टर, प्रजावाणी 205, छठी, मेन रोड विजयनगर, बेंगलूर
8. डॉ. महाबल शेटी एम. बी. बी. एस. बसवे नगर हुबली (धारवाड़ जिला) कर्नाटक (चिकित्सा व्यवसाय)
9. श्री एम. एस. विजय कुमार आत्मज श्री शिवन्ना ग्राम मरालागला (जिला-मंड्या, कर्नाटक (जन सेवक एवं अन्य)

संसद सदस्य की श्रेणी

10. श्री शिवानंद हेमप्पा कौजल्ली 212, कर्नाटक भवन सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली
11. श्री एस. एम. कृष्णा-संसद सदस्य ए. बी.-16, मथुरा रोड, नई दिल्ली
12. प्रो. आई. जी. सनादी, संसद सदस्य 39, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110011

बेलगाम टेलीफोन सलाहकार समिति

टेलीफोन सलाहकार समिति, बेलगाम के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित किया गया है।

राज्य विधान मण्डल :

1. श्री भोटगो, विधायक कुवाथी, टी. के., रायबाग जिला बेलगाम
2. श्री बी. डी. इनामदार, विधायक किट्टूर, बेलगाम

नगरमहापालिका/निगम

3. श्री जयप्रकाश एन नलवाड़े संकेश्वर, बेलगाम

कानूनी व्यवसाय

4. श्री एम. बी. शेटी एडवोकेट, चिकोडो बेलगाम

प्रेस

5. श्री जहांगीर शिराकोले सम्पादक "वार्ताशक्ति" निपानी बेलगाम

चिकित्सा व्यवसाय

6. डॉ. मकंदर, हुक्केरी, बेलगाम

व्यापार, बाणिज्य तथा उद्योग

7. श्री बसवराज कराले, हुक्केरी, बेलगाम
8. श्री विरन डी शाह, निपानी, बेलगाम
9. श्री बाबू जमादार, चिकोडो, बेलगाम
10. श्री विजय शाह कनागला, तालुक हुक्केरी, बेलगाम

जनसेवक तथा अन्य

11. श्री ए. बी. जकानूर, पूर्व विधायक, अथानी बेलगाम
12. श्री वी. कुमार पाटिल, पूर्व विधायक, कोगानोइल तालुक-चिकोडो, बेलगाम
13. श्री शेखर एस बाने डाकघर-मोराब तालुक-रायबाग बेलगाम
14. श्री राजेन्द्र भूपालराव देसाई, तिलकवाड़ी, बेलगाम
15. श्री इंदरजीत अप्पनसाहेब निम्बालकर ननदी, तालुक चिकोडो-बेलगाम
16. श्री जवाहर, ग्राम-कारिकट्टी, टीके, सौनदत्ती, बेलगाम
17. श्री एम. बी. तोंदीरवान ग्राम-कगरिकट्टी, सौनदत्ती, बेलगाम
18. श्री आर. बी. देसल, 190, गुरावर पोत, तिलकवाड़ी, बेलगाम
19. श्री मल्लप्पा मुरगोद, बैलहोंगल टाउन, बेलगाम
20. श्री बासनप्पा कंबर, गोकक टाउन, बेलगाम
21. श्री आई. आर. वेलकुद, आर/ओ कल्लोली, टीके, गोकक, बेलगाम
22. श्री दस्तीगिरसाब अट्टूर, गोकक टाउन, बेलगाम
23. श्री बी. एन. देसाई, एडवोकेट, टीके, रामदुर्ग, बेलगाम
24. श्री पी. जी. कुलकर्णी, आर/ओ हुलीकट्टी, टीके, रामदुर्ग, बेलगाम
25. श्री शिवान गौड़ा पाटिल, आर/ओ सिदनालग्राम, टीके, रामदुर्ग, बेलगाम
26. श्री शेकप्पा कल्लावदार, आर/ओ हनुमानपुर, टीके, रामदुर्ग, बेलगाम
27. श्री सी. जी. हिरोमथ, आर/ओ सिह्नसामुद्रा, पी. ओ.-बोलबंडी
28. डॉ. बी. एम. सिद्दीभावी, जेएन मेडिकल कॉलेज क्वार्टर, नेहरू नगर, बेलगाम
29. श्री मोहन कुलकर्णी, विजयलक्ष्मी प्रिंटिंग प्रेस, बेलगाम
30. श्री बालचन्द्र पाटिल, पीरनवाडी, बेलगाम

संसद सदस्यों की श्रेणी

31. श्री शिवानन्द कौजल्ली, संसद सदस्य, डाकघर-बैहूवगानी-591102, जिला-बेलगाम
32. श्रीमती रत्नमाला धारेश्वर सवानूर, संसद सदस्य, आर. डी.-सवानूर द्वारा जी. एम. पोल निर्णय कर्नाटक 42 एस. ए.

कानूनी व्यवसाय

33. श्री जी. एस. चचादी, एडवोकेट, पो. बेलग्रोमल 591102 कर्नाटक टेलीफोन सलाहकार समिति, हुबली में निम्नलिखित व्यक्ति नामित किए गए हैं :-

कानूनी व्यवसाय

1. श्री जी. एम. पाटिल, एडवोकेट, "सिनिवास" शिवानन्दनगर, धारवाड़
2. श्री जयावाडगी एडवोकेट, कल्याणनगर, हुबली।

इंजीनियर तथा अन्य व्यवसाय :

3. श्री अरविंद कुमार कुबसाद, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडियन एयरलाइंस के सामने क्लब रोड, हुबली

व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग

4. श्री एस. एम. तैगिनकर्ई, पुत्र श्री एम. आर. तैगिनकर्ई, सन्मति मार्ग, हुबली

जन सेवक तथा अन्य

5. श्री आर. एस. जामखंडी, पत्रकार कालोनी, हुबली-580032
6. श्री प्रफुल ए. सिंगला, 29/2, पिंटो रोड, हुबली-580038
7. श्री महेन्द्र एच. सिंधी, हिरेपेट, हुबली-580028
8. श्री कुरशीद कालघाटी एच. आई. जी., नवनगर, हुबली-580025
9. श्री के. डी. कोटेकर, देसाई ओनी, हुबली-580028
10. श्री शफी मुद्रदेबिहाल सी. जी. टी. हुबली
11. श्री एच. के. घोरपदे, होसयेल्लापुर, हुबली
12. श्री आर. सकनगोंडर, किट्टूर चन्नम्मा पार्क रोड, धारवाड़
13. श्री सवालगी बी. एम., 290 अरविंद नगर, हुबली
14. श्री विद्यानंद पालंकर, रवि बरी पेट, धारवाड़
15. श्री बी. सी. कमलानी, 11 क्रॉस 1 मेन, नारायणपुर, धारवाड़-580008
16. श्री बी. एस. पाटिल, मुकाम/डाकघर देबगिरि, होवेरी तालुक, हुबली
17. श्री रविराज बस्ती, मुकाम डाकघर मुंदागेरी, कुंदगोत तालुक, हुबली
18. श्री सिराज अहमद कुरची वाले माजदार ओनी हुबली
19. श्री दुर्गेश मालगी, गांधीनगर, न्यादगी हुबली
20. श्री बापूगौड़ा पाटिल, मुकाम/डाकघर अमरगोल, हुबली-तालुक जिला धारवाड़
21. श्री वी. डी. जाधव, मराठा गली, हुबली
22. डॉ. विजयकुमार एम. केरूदी, रोनेनेनूर तालुक, धारवाड़
23. धाला रेड्डियावर एच. एच. 11, क्रास, होसूर, हुबली

24. श्री वीरन्ना मट्टीकट्टी, पूर्व विधायक, यू. बी. हिल्स, जिला-धारवाड़

25. श्री बाजू अनवेकर, सराफ कट्टी, हुबली।

टेलीफोन सलाहकार समिति मैसूर में निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित किया गया है।

प्रेस :

1. श्री एच. बी. सत्यनारायण, संपादक, "समाचार" देबंग-II-स्ट्रीट, 9-30 कामराजनगर-571313 मैसूर

विधि-व्यवसाय :

2. श्री रोचप्पा, एडवोकेट, बोक्कलगिरि, ननजागोछ टाउन-571301
3. श्री एस. सिडेगौड़ा, एडवोकेट, डी. नं. 1069, जयलक्ष्मी विलास रोड, कामराजापुरम, मैसूर-570004

इंजीनियर एवं सभी अन्य व्यवसाय :

4. श्री आई जी चन्द्रशेख नायक, 2985, III मेन रोड, बी. बी. मोहल्ला, मैसूर

व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग

5. श्री सैयद इरशादुल्ला, प्रोप्राइटर "जम्बर इंडस्ट्रीज" महपुरा रोड, कामराजनगर, मैसूर
6. श्री जी. मोहम्मद इकबाल, 2334, 9वीं क्रास, बसवेश्वर रोड के. आर. मोहल्ला, मैसूर।

जनसेवक एवं अन्य

7. श्री वाई. एस. गोपालस्वामी, बालापेट, येलन्दुर टाउन, मैसूर।
8. श्री के. के. अनंत, नं. 6, 5 वी मेन, प्रथम स्टेट टेम्बलु, मेटागथ पोस्ट, मैसूर-16
9. श्री शिवलंकरियाह वनडोहाली, कोलेगल तालुक जिला मैसूर
10. श्री सतीश बाबू हेम्बला डाकघर, के. आर. नगर तालुक, जिला मैसूर
11. श्री राजू बिली केरा, हनसुर तालुक जिला-मैसूर
12. श्री गोविन्द गौड़ा, अध्यक्ष, कोमलपुरा पंचायत, कन्नूर ग्राम, कोमलपुरा पी. ओ. पेरियापट्टना तालुक, जिला मैसूर
13. श्री कृष्ण गौड़ा, नं. 902, कुर्कल रोड, हेगगेदादेवना, कोड-571114
14. श्री सुरेश यादव, 636, कामत गेरी, मंडी मोहल्ला-मैसूर
15. श्रीमती सुशीला केशवामूर्ति, नं. 1552, अनिखेयन्ना, 13वां क्रास, सी एंड डी ब्लॉक, कत्तपुंगुर, मैसूर-570023
16. श्री बी. एलियास अहमद, गर्गेश्वरी, टी नरसीपुर, टीके, जिला मैसूर।
17. श्री चन्नबेसाया, हेडगढ़, के. आर. तालुक जिला मैसूर।
18. श्री आर. गुरू, महानिदेशक, वसू अगबत्थी, डी नं. 2203, न्यू सौयाजी राव मार्ग, बेम्बू बाजार, मैसूर-21

19. श्री एन. कुमार, प्रथम मंजिल, नं. 286 टमाग मार्ग, सिद्धार्थ लेआउट, मैसूर-II
20. श्री एच. एस. प्रकाश, नं. 874, बेनीमन्तप "बी" ले आउट, शिवारण योश्वर नगर, मैसूर-15
21. श्री डी. सोमशेखर, डी नं. 292, 13 मैन सरस्वतीपुरम, मैसूर-9

संसद सदस्य श्रेणी :

22. श्री श्रीकांत दत्ता, नरसिंहमाराज वेदछायार, संसद सदस्य, 71 दी प्लेस, मैसूर-570001
23. श्री सिद्धाराजू एम. पी. अंत्रथा गोवडन हल्ली, गंडलुपेट जिला मैसूर

बंगलूर टेलीफोन सलाहकार समिति

1. श्री इराधद्राप्या लक्कानागौव, सुपुत्र, स्वर्गीय श्री रचप्पा, जीजापुर, कर्नाटक।

टिप्पणी : अन्य सदस्य नामित किए जा रहे हैं।

मूल सेलफोन कॉल दर

6260. श्री भाणिकराव होडल्ल्या गावीत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने मूल सेलफोन काल के लिए अत्यधिक दर पर वसूली करने संबंधी दूर संचार विभाग के आदेश पर स्थगन आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में सेल्युलर टेलिकाम आपरेटरों ने मंत्रालय से हस्तक्षेप करने को कहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) स्थगनादेश प्रदान नहीं करते हुए, माननीय न्यायालय ने याचिका-दाताओं को निर्देश दिए थे कि वे अपना मामला भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टी. आर. ए. आई.) के सम्मुख प्रस्तुत करें।

(ग) और (घ) जी, हां। परंतु चूंकि मामला न्यायाधीन है, अतः मंत्रालय के हस्तक्षेप का प्रश्न ही नहीं था।

वर्धमान में टेलीफोन एक्सचेंज

6261. श्री बलार्ड चन्द्र राय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान जिला, पश्चिम बंगाल में कोई नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम क्या हैं; और उनकी लाइन क्षमता कितनी है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान किन-किन स्थानों पर नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) 1996-97 के दौरान खोले गए एक्सचेंजों के नाम, उनकी लाइन क्षमताओं सहित, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

1996-97 के दौरान खोले गए नए एक्सचेंजों के नाम (वर्धमान जिला)

क्रम सं.	एक्सचेंज का नाम	लाइन (क्षमता)
1	2	3
1.	बिधान नगर	2000
2.	राजबंघ	256
3.	गोपालगढ़	256
4.	गोपालपुर	256
5.	बालगोना	256
6.	अमरद्वीप	256
7.	मध्यमग्राम	256
8.	अमरून	256
9.	रैना	256
10.	गंगपुर	256
11.	उत्तर रामनगर	256
12.	झंजरा	512

हैदराबाद आकाशवाणी पर विविध भारतीय प्रसारण को रोकना

6262. श्री एल. रमना : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विविध भारती ने 1 अप्रैल, 1997 से हैदराबाद में मीडियम वेव पर प्रसारण बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उसी प्रसारण को पुनः प्रारम्भ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विविध भारतीय सेवा में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न केन्द्रों से इस सेवा के कार्यक्रमों के प्रसारण को मीडियम वेव से उच्च गुणवत्ता वाली एफ. एम. पद्धति पर अंतरित किया जा रहा है। एफ. एम. प्रसारण से लोगों को परिचित कराने के लिए कभी-कभी मीडियम वेव प्रसारण को एफ. एम. प्रसारण के साथ-साथ जारी रखा जाता है। इसी तरह, हैदराबाद से विविध भारती सेवा 31 मार्च, 1997 तक मीडियम वेव एवं एफ. एम. सेवा दोनों पर प्रसारित की गई और

1 अप्रैल, 1997 से मीडियम वेव सेवा बन्द कर दी गई और अब प्रसारण एफ्. एम्. सेवा पर ही किया जा रहा है।

आकाशवाणी केन्द्र, नई दिल्ली से मलयालम समाचार के प्रसारण से संबंधित शिकायतें

6263. श्री एस. अजय कुमार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी केन्द्र, नई दिल्ली से मलयालम समाचार के प्रसारण में मलयालम शब्दों के गलत/अनुचित प्रयोग से संबंधित शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) आकाशवाणी महानिदेशालय ने सूचित किया है कि इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

असम में परियोजनाएँ

6264. श्री केशव महन्त : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में दूरदर्शन और आकाशवाणी की कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं का न्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन चालू परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने और कमीशन लिए जाने की संभावना है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए जाने वाले लिए प्रस्तावित नए टी. वी. ट्रांसमीटर/आकाशवाणी केंद्रों का स्थान-वार न्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। इसलिए इस स्तर पर परियोजनाओं के स्थानों के संबंध में कोई पक्का वादा नहीं किया जा सकता है।

विवरण

आकाशवाणी

क्रम. सं.	परियोजना	स्थिति	पूरा होने का संभावित वर्ष
1.	कोकराजार 20 कि. वा. मी. वे. ट्रांसमीटर तथा टाइप-1 स्टूडियो।	स्थापना कार्य पूरा हो गया है स्टूडियो परिसर को सुरक्षा गाड़ों द्वारा कब्जे में ले लिया गया है।	सुरक्षा बलों द्वारा कब्जा छोड़ते ही तत्काल।
2.	तेजपुर 20 कि. वा. मी. वे. ट्रांसमीटर तथा टाइप-1 स्टूडियो	स्थापना कार्य पूर्ण हो गया है। सिविल निर्माण कार्य पूरा हो गया है।	1997-98
3.	धुबरी (रिले) 6 कि. वा. एफ्. एम्. ट्रांसमीटर।	भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है।	1997-98
4.	गुवाहटी-50 कि. वा. मी. वे. ट्रांसमीटर को 100 कि. वा. मी. वे. उच्च शक्ति ट्रांसमीटर से प्रतिस्थापित करना।	स्थापना कार्य पूरा हो गया है।	1997-98
5.	गुवाहाटी वाणिज्यिक चैनल 10 कि. वा. एफ्. एम्. ट्रांसमीटर का विस्तार।	स्थापना जांच कार्य प्रगति पर है सह-निरीक्षण की व्यवस्था की जा रही है।	1997-98
6.	लुम्डिग सामुदायिक रेडियो केन्द्र	राज्य सरकार के परामर्श से अपेक्षित स्थल के अभिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है।	स्थल के अभिग्रहण की तारीख से छः मास

क्रम सं.	परियोजना	स्थिति	पूरा होने का संभावित वर्ष
दूरदर्शन			
1.	बोकाखत (डी० डी०-1) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर।	मार्च, 1997 में स्वीकृत की गई ये परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं तथा इनके 1998-99 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है बशर्ते उपस्कर, स्थल, स्टाफ तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।	
2.	सिल्वर (डी० डी०-1) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर।		
3.	डिब्रूगढ़ (डी० डी०-1) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर।		

ग्राम पंचायतों को टेलीफोन

6265. श्री शिवराज सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधाओं से जोड़ा गया है;

(ख) शेष ग्राम पंचायतों को कब तक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है; और

(ग) ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में टेलीफोन स्थापित करने पर अनुमानतः कितनी लागत आती है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की शेष ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा से जोड़े जाने की संभावना है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन स्थापित करने की अनुमानित औसत लागत रु. 75,000 प्रति ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन है।

वायु यातायात में अनियंत्रित वृद्धि

6266. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस एसोसिएशन ने बुनियादी ढांचा विकसित किए बिना वायु यातायात में किसी अनियंत्रित वृद्धि के विरुद्ध सरकार को चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने यह भी बताया कि दो विमानों के टकराने की घटना इस समस्या का सूचक है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस एसोसिएशन ने सरकार से यह निर्णय करने के लिए एक विशेष समिति स्थापित करने का अनुरोध किया है कि क्या घरेलू बाजार में एयर लाइंस की अधिक सेवाएं चलाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके सुझावों पर विचार किया है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) इंडियन एयरलाइंस में आठ मान्यता प्राप्त एसोसिएशन हैं जिसमें इंडियन एयरलाइंस

एसोसिएशन नाम से कोई एसोसिएशन नहीं है।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

लमडिंग में मंडलीय रेलवे अस्पताल

6267. श्री उद्धव बर्मन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लमडिंग स्थित मंडलीय रेलवे अस्पताल में सेवा के गिरते हुए स्तर के संबंध में अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त अस्पताल की सेवाओं तथा कार्यकलाप में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस अस्पताल के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए क्षेत्रीय अस्पतालों से विशेषज्ञ चिकित्सकों की कार्यक्रमबद्ध दौरों की व्यवस्था की गई है। नियमित विशेषज्ञों की तैनाती एवं लोक सेवा आयोग या अनुबंध सेवाओं के माध्यम से की जाती है। मेडिकल और पैरा-मेडिकल कर्मचारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोप जांच करने पर साबित नहीं हुए थे।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति

6268. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय दूर संचार नीति को लागू करने के लिए सरकार को कितनी अनुमानित राशि की आवश्यकता होगी; और

(ख) उक्त नीति को कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जैसा कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के मसौदा-प्रस्तावों में परिकल्पना की गई है, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के कार्यान्वयन हेतु, सरकार को अनुमानतः लगभग 86,250 करोड़ रु. की धन-राशि की आवश्यकता होगी।

नीति का कार्यान्वयन, विशेषकर प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक निरन्तर प्रक्रिया है। 9वीं योजना के दौरान, सरकार एवं निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से इसके लक्ष्य काफी हद तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

6269. श्री बुद्धसेन पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान मध्य प्रदेश में जिलावार कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं;

(ख) दिसंबर, 1996 तक जिलावार प्रतीक्षा सूची पर कुल कितने व्यक्ति थे;

(ग) इस प्रतीक्षा सूची को जिलावार कब तक समाप्त कर दिया जाएगा;

(घ) क्या मध्य प्रदेश में विशेषरूप से रीवा मंडल में टेलीफोन के विस्तार और विकास के लिए कोई विशेष योजना तैयार की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो ऐसी योजना कब तक तैयार किए जाने की संभावना है;

(छ) वर्ष 1996-97 के दौरान इस प्रयोजन के लिए जिलावार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ज) इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) सामग्री और उपस्कर उपलब्ध होने पर प्रतीक्षा सूची के मार्च, 98 तक निपटा दिए जाने की संभावना है।

(घ) से (च) कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है। वर्ष 1997-98 के दौरान रीवा जिले सहित मध्य प्रदेश में 70000 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए वार्षिक योजना बनाई गई है।

(छ) वर्ष 1996-97 के दौरान, मध्य प्रदेश के सभी जिलों के लिए आवंटित की गई कुल धनराशि रु. 335.76 करोड़ थी। निधि का राज्यवार आवंटन संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ज) भूमि का अधिग्रहण करने, एक्सचेंज भवन का निर्माण करने तथा सामग्री और उपस्कर की व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

विवरण-I

मध्य प्रदेश में दिए गए और प्रतीक्षा सूचीबद्ध टेलिफोन कनेक्शनों का जिलावार ब्यौरा

जिला	प्रतिवर्ष दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या			दिसंबर 1996 तक की प्रतीक्षा सूची
	1993-94	1994-95	1995-96	
1	2	3	4	5
बालघाट	912	604	358	298
बस्तर	1389	591	228	1392

1	2	3	4	5
बेतूल	1411	1115	659	1258
भिण्ड	1208	940	1013	582
भोपाल	3700	6629	9166	8390
बिलासपुर	3855	4054	207	6154
छत्तरपुर	1697	642	666	838
छिन्दवाड़ा	1824	1746	1709	826
दमोह	656	779	889	297
दातिया	359	120	660	420
देवास	2285	1246	690	964
धार	2324	2091	973	831
दुर्ग	4050	2693	2107	7483
गुना	1983	1504	3418	420
ग्वालियर	6436	4320	6017	2419
होशंगाबाद	3232	1535	9	1966
इन्दौर	13111	18649	16433	5046
जबलपुर	7309	6417	6714	4832
झाबुआ	667	570	52	337
खण्डवा	1948	1524	1419	1195
खारगोन	3173	1880	1690	1160
माण्डला	639	414	100	185
मन्दसौर	4137	2436	2794	1026
मुरैना	1643	1467	2071	648
नरसिंहपुर	914	833	591	723
पन्ना	403	680	167	196
रायगढ़	858	570	348	626
रायपुर	5512	5036	6251	2989
रायसेन	555	1319	480	510
राजगढ़	946	738	1394	385
राजनंदगांव	340	905	403	1032
रतलाम	2907	1877	1087	1725
रीवा	953	911	1303	750
सागर	2962	1591	2543	960
सरगुजा	1406	108	120	1213
सतना	717	1175	1846	1663
सिंहोर	1002	2306	974	1056

1	2	3	4
सेवनी	758	576	121
शहडोल	926	1069	556
शाजापुर	1539	876	523
शिवपुरी	1363	727	597
सिधी	455	199	586
टीकमगढ़	651	241	599
उज्जैन	3846	3447	1742
विदिशा	1673	1172	435

विवरण-II

वर्ष 1996-97 के दौरान मध्य प्रदेश दूरसंचार
सर्किल में आर्बाइटेड धनराशि

(सभी आंकड़े हजार रु. में)

यूनिट के प्रमुख	रोकड़	स्टोर	जोड़
1	2	3	4
जी. एम. टी. डी. भोपाल	129958	50821	180779
जी. एम. टी. डी. ग्वालियर	70302	23273	93575
जी. एम. टी. डी. इंदौर	91385	51725	143110
जी. एम. टी. डी. जबलपुर	114400	3486	149296
जी. एम. टी. डी. रायपुर	46633	14163	60796
टी. डी. ई. बेतुल	70232	11656	81888
टी. डी. ई. छत्तरपुर	38227	19514	48741
टी. डी. ई. छिन्दवाड़ा	51557	13860	65417
टी. डी. ई. देवास	25632	4651	30283
टी. डी. ई. गुना	29522	6772	36294
टी. डी. ई. जगदलपुर	33674	4713	38387
टी. डी. ई. कौशल	53065	41607	94672
टी. डी. ई. नरसिंहपुर	35701	28010	63711
टी. डी. ई. रायगढ़	75371	3584	78955
टी. डी. ई. राजगढ़	63075	10335	73410
टी. डी. ई. रीवा	30919	3180	34099
टी. डी. ई. सागर	42908	11349	54257
टी. डी. ई. सतना	37777	3770	41547
टी. डी. ई. शहडोल	121854	5235	127089
टी. डी. ई. शाजापुर	84208	19505	103713
टी. डी. ई. शिवपुरी	25813	5470	31283
टी. डी. ई. विदिशा	31295	2286	33581

1	2	3	4
टी. डी. एम. बिलासपुर	76369	22987	99356
टी. डी. एम. धार	35732	15674	51406
टी. डी. एम. दुर्ग	56765	8534	65299
टी. डी. एम. होसंगाबाद	116862	19098	135960
टी. डी. एम. खंडवा	136077	28924	165001
टी. डी. एम. खरगौन	69633	7874	77507
टी. डी. एम. मंदसौर	90685	21447	112132
टी. डी. एम. मोरेना	27600	5733	33333
टी. डी. एम. रतलाम	83019	29466	112485
टी. डी. एम. उज्जैन	52235	10957	63192
ई. ई. (सी.) भोपाल	56877	0	56877
ई. ई. (सी.) इंदौर	40989	0	40989
ई. ई. (सी.) जबलपुर-I	35120	0	35120
ई. ई. (सी.) जबलपुर-II	13525	0	13525
ई. ई. (सी.) रायपुर	52597	0	52597
ई. ई. (सी.) भोपाल	55310	0	55310
ई. ई. (सी.) जबलपुर	52268	0	52268
ई. ई. (सी.) रायपुर	12616	0	12616
सी. ओ. भोपाल	289813	167931	457744
कुल	2657600	700000	3357600

**दिल्ली स्थित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कार्यशाला
कर्मचारियों की प्रोन्नति**

6270. श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कार्यशाला के कर्मचारियों की प्रोन्नति की प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या कार्यशाला कर्मचारियों, आर. सी. डी. यू. कर्मचारियों के मामले में रामलिंगम समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के भेदभाव के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्यशाला कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए सामान्य कार्यविधि तैयार नहीं की गई है। दोनों प्रभाग अपनी पहले की ही कार्यविधियों का अनुसरण कर रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात का निर्यात

6271. श्री नारायण अठाबले : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 फरवरी, 1997 के 'द हिन्दु' में "स्टाक बिल्ड अप इन स्टील काउजेज कन्सर्न" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई टिप्पणियों पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है तथा इस मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) 31 दिसम्बर, 1996 तक इसका कितना भंडार रह गया था तथा यह किस हद तक अधिक है; और

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) :
(क) जी, हां।

(ख) से (घ) 31 दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार प्रमुख उत्पादकों के पास लगभग 16.2 लाख टन विक्रेय इस्पात का स्टॉक था जबकि 31 दिसम्बर, 1995 को यह स्टॉक 12.3 लाख टन था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर. आई. एन. एल.) इस्पात मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के दो इस्पात उत्पादक उपक्रम हैं। माल सूची में कमी करने के लिए सेल ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

- स्वदेशी उत्पादकों और आयात से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए बाजार-उन्मुखी बिक्री नीति अपनाना;
- बाजार खण्ड, प्रतिस्पर्धा और मात्रा से जुड़ी खरीद पर निर्भर करते हुए वाणिज्यिक नीतियाँ और अनुकूल मूल्ययन अपनाना;
- बिक्री बढ़ाने और उससे माल सूची कम करने के लिए सरकारी विभागों, सरकारी क्षेत्र, परियोजनाओं और निजी क्षेत्र द्वारा दी गई निविदाओं में भाग लेना;
- बाजार की आवश्यकताओं के अनुकूल उत्पाद-मिश्र उन्मुखी होना और बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन समायोजित करना;
- ग्राहकों से लगातार सम्पर्क बनाए रखना और शीघ्र सुपुर्दगी करने के लिए पृथक-पृथक ग्राहकों के आर्डरों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- विभिन्न ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शाखा से दूसरी शाखा में स्टॉक स्थानांतरित करने की व्यवस्था करना;
- बिक्री पश्चात् सेवा में सुधार करना, धन लौटाने और गुणता संबंधी वाणिज्यिक शिकायतों का निपटान शीघ्र करना;
- सेल ने निर्यात में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए हैं और 1996-97 के दौरान 4,89,000 टन मृदु इस्पात, 25,000 टन विशेष इस्पात का निर्यात करने में सफल हुआ। 1997-98 के दौरान सेल और अधिक निर्यात करने का प्रयास कर रहा है।

माल सूची में कमी करने के लिए आर. आई. एन. एल. द्वारा उठाए गए कदमों में बिक्री में सुधार करने के प्रयास घरेलू बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्यात पर बल देना आदि शामिल हैं।

कालीकट, मंगलौर से दिल्ली के लिए उड़ान

6272. श्री टी. गोविन्दन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में मालाबार के लोगों की मांग को पूरी करने हेतु कालीकट और मंगलौर से दिल्ली के लिए उड़ानें शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ख) ये उड़ानें कब से शुरू की जाएंगी ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख) क्षमता की कमी के कारण फिलहाल इंडियन एयरलाइंस की कालीकट और मंगलौर से दिल्ली की उड़ान शुरू करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, निजी प्रचालकों को उनके नेटवर्क में और स्टेशन जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

दिल्ली-अमृतसर रेलमार्ग का विद्युतीकरण

6273. श्री विजय गोयल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और अमृतसर के बीच रेल लाइन का पूर्णरूपेण विद्युतीकरण किए जाने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के कार्यान्वयन की प्रगति में मुख्य बाधाएं क्या हैं; और

(घ) इसका शीघ्र पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं। दिल्ली-अमृतसर रेल लाइन का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं था। बहरहाल, दिल्ली-अंबाला-लुधियाना खंड जो दिल्ली-अमृतसर मार्ग पर है, पहले से ही विद्युतीकृत है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

रेल कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण तथा विकास

6274. श्री विजय संकेश्वर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाली रेल कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण तथा विकास करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन कार्यशालाओं, उनके लिए विकास योजनाओं तथा उन योजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य हेतु आवश्यक बजटीय प्रावधान किया गया है;

(घ) यदि हां, तो आधुनिकीकरण तथा विकास कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ड) क्या इन कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण तथा विकास से किसी रोजगार का सृजन होगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग)

(करोड़ रुपयों में)

कारखाना	आधुनिकीकरण/विकास योजना	प्रत्याशित लागत	परिच्यय 1997-98
हुबली 1.	कैरिजों की आवधिक ओवरहालिंग हेतु कारखाने का ब. ला. में परिचर्तन	14.30	0.78
	2. कैरिज की आवधिक ओवरहालिंग की गतिविधियों हेतु अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना।	6.47	0.20
	3. माल डिब्बा निर्माण सुविधाएं स्थापित करना।	15.00	0.50
गुंटूपल्ली 1.	माल डिब्बा कारखाना-हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर के अनुरक्षण हेतु विकास सुविधाएं।	2.25	0.01

(घ) इन कार्यों के नौवीं योजना के दौरान पूरा होने की संभावना है।

(ड) जी नहीं, मौजूदा स्टॉक की पुनः तैनाती करके सुविधा को बनाए रखने की योजना है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया की उड़ानें

6275. श्री तरित बरण तोपदार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम तथा संख्या कितनी है जहां के लिए एयर इंडिया के विमान उड़ानें भरते हैं;

(ख) उन उड़ानों में से कलकत्ता से कितनी उड़ानें भरी जाती हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार एयर इंडिया की यूरोप तथा अन्य देशों के लिए उड़ानों को कलकत्ता से शुरू करने अथवा वहां से होकर चलाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्नाहीम) : (क) एयर

इंडिया इस समय यू. ए. ई. बेहरीन, थाईलैंड, यू. एस. ए., तंजानिया, सऊदी अरेबिया, कतार, जर्मनी, स्विटजरलैंड, हांग-कांग, इंडोनेशिया, मलेशिया, कुवैत, यू. के., सोवियत संघ, ओमान की सल्तनत, केन्या, जापान, फ्रांस, इटली, सिंगापुर, इजराइल और कनाडा के लिए अपनी सेवाएं प्रचालित कर रहा है।

(ख) एयर इंडिया कलकत्ता से थाईलैंड और जापान के लिए सीधी उड़ानें प्रचालित कर रहा है।

(ग) से (ड) एयर इंडिया यू. ए. ई. बेहरीन, थाईलैंड, यू. एस. ए., तंजानिया, सऊदी अरेबिया, कतार, कुवैत, यू. के., इटली, इजराइल, जापान और स्विटजरलैंड के लिए कलकत्ता से जाने वाले यात्रियों के लिए मुम्बई होकर विमान सम्पर्कों की व्यवस्था करती है।

गुजरात में खनन कार्य

6276. श्री एन. के. राठवा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में किन-किन स्थानों पर विशेषकर जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक खनन कार्य किया जा रहा है;

(ख) तत्संबंधी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में खनन कार्य के संबंध में कुछ विदेशी संस्थाओं से तकनीकी सहायता मांगी गई है या मांगे जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य के लिए किन-किन कंपनियों से सहायता मांगी गई है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मीडिया संबंधी सचिवों के पैनल की सिफारिश

6277. श्री संदीपान थोरात : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिवों की समिति ने यह सिफारिश की है कि प्रसारण तथा समाचार पत्र कंपनियों के बीच मीडिया प्रतिधारण की अनुमति दी जाए जैसा कि दिनांक 22 फरवरी, 1997 के "बिजनेस स्टैंडर्ड" में उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सचिवों के पैनल की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(घ) पैनल द्वारा की गई सिफारिशों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा सरकार कब तक इस मामले में अंतिम निर्णय लेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) संसद के चालू सत्र में सरकार का प्रसारण विधेयक प्रस्तुत करने का विचार है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अन्तर मीडिया सम्पत्ति

का उल्लेख होगा।

एम. ए. आर. आर. प्रणाली की खरीद

6278. श्री के. पी. नायडू : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम. ए. आर. आर. प्रणाली के 6000 नगों की खरीद की जा रही है;

(ख) क्या देश के लिए इस प्रणाली की उपयुक्तता की जांच की गई है; और

(ग) विद्यमान ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क विशेषरूप से आंध्र प्रदेश में विजय ग्राम में, का कार्य-निष्पादन किस प्रकार का है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 1997-98 के लिए निम्नलिखित मात्रा प्राप्त की जा रही है :—

2/15 यू. एच. एफ.	एम. ए. आर. आर. प्रणाली	1928
4/36 यू. एच. एफ.	एम. ए. आर. आर. प्रणाली	1492

(ख) जी, हां।

(ग) आंध्र प्रदेश में विजयनगरम में ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क का कार्यनिष्पादन संतोषजनक है। विजयनगरम के सभी ग्रामीण एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक हैं और ग्रुप डायलिंग से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण नेटवर्कों की दोष दर लगभग 11 प्रतिशत है।

रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन

6279. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दीवानपुर रेलवे स्टेशन (उत्तर पूर्व रेलवे) के नाम को परिवर्तित कर "सुखराम धाम" रखने संबंधी सुझाव प्राप्त किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सिगनलिंग परियोजना

6280. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ईरान ने हाल ही में 25 मिलियन डॉलर के अहवाज बादर ई. इमाम सिगनलिंग परियोजना के ठेके पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) परियोजना के लिए भुगतान का कौन-सा तरीका अपनाया

गया है; और

(ड) भारतीय रेलवे द्वारा ईरान में अभी तक पूरी की गई परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां। बाद में खंड को बदलकर शहरौद-मशाद खंड कर दिया गया।

(ख) इस कार्य में उन्नत सिगनल प्रणाली जैसे केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण, रिले अंतर्पाशन व्हील डिटेक्टर, हॉट बाक्स डिटेक्टर आदि की व्यवस्था करना शामिल है। इस कार्य में मुख्य रूप से सामग्रियों की आपूर्ति तथा संस्थापनाओं का पर्यवेक्षण करना शामिल है।

(ग) सामग्रियों की आपूर्ति के लिए पूरी करने की अवधि "साख पत्र" को खुलने के बाद 18 माह है। संस्थापनाओं के पर्यवेक्षण हेतु केवल जन-माह दरें कोट की गई हैं।

(घ) ईरान 10 अर्द्ध वार्षिक समान किस्तों में राशि वापस करेगा। बहरहाल, ईरान 3.75 मिलियन अमरीकी डॉलर के मोबिलाइजेशन एडवांस के साथ "साख पत्र" खोलेगा। ईरान कार्य का स्थल बदल जाने के कारण अभी तक "साख पत्र" नहीं खोल सका है।

(ड) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. केरमन और शुरगाज के बीच 325 कि. मी. लम्बी रेल लाइन का व्यावहारिकता-एवं-लागत अध्ययन (1976)।
2. जेहेदान से रिश्जेवेह तक 92 कि. मी. लम्बी बड़ी लाइन के लिए रेलपथ पुनः स्थापन अध्ययन (1976)।
3. इरानियन स्टेट रेलवेज के लिए 10 वर्षीय कार्य योजना निर्धारित करने के लिए रेलपथ पुनः स्थापन अध्ययन (1978)।
4. स्ट्राक के पुनःस्थापन और रेलपथ के पुनःचलस्थापन/सुदृढ़ीकरण हेतु प्रारंभिक अल्प अवधि अध्ययन (1980)।
5. माल गाड़ी परिचालनों और प्रबंधन सूची के कम्प्यूटरीकरण के लिए अल्प अवधि अध्ययन (1988)।
6. एग्रिन में प्रस्तावित विन्यास यार्ड के लिए सिगनल प्रणालियों की विस्तृत योजना बनाना (1988)।
7. ईराक में खुजेस्तान क्षेत्र में लगने वाले चीनी मिलों के लिए परिवहन प्रणाली हेतु पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन (1993)।
8. रेल इंजन कारखाने के पुनर्निर्माण और पुनःस्थापन के लिए करदज में नए डीजल रेल इंजन कारखाने की स्थापना हेतु तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन/यह अध्ययन इरानियन इस्लामिक रिपब्लिक रेलवे के लिए किया गया था (1993)।
9. इरानियन स्टेट रेलवेज को रेलपथ अनुरक्षण के लिए ठेका सेवा (1978-79)।

इस्पात उत्पादों का डम्प किया जाना

6281. श्री परसराम भारद्वाज :

श्री छीतू भाई गामीत :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी, 1997 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि इस्पात उद्योग ने यह आरोप लगाया है कि कुछ देशों, विशेषरूप से राष्ट्रकुल देशों द्वारा भारत में एच. आर. क्वाइल्स, टिन प्लेट्स और प्लेट जैसे इस्पात उत्पादों की भारी मात्रा में डम्पिंग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की तत्संबंधी प्रतिक्रिया क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) :

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि डम्पिंग से घरेलू उद्योग को वस्तुपरक क्षति होती है तो सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और इसके तहत बनाए गए नियमों में डम्पिंग के मामलों की जांच करने और अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाने का प्रावधान है। रूस से आयातित एच. आर. क्वायल्स/चादरो/प्लेटों/पत्तियों की डम्पिंग का आरोप लगाते हुए घरेलू उद्योग की ओर से एक याचिका सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत नियुक्त किए गए नामजद अधिकारी को प्राप्त हुई है। नामजद अधिकारी द्वारा जांच शुरू करने के लिए आवेदन की जांच की जा रही है।

केरल के रेल यात्रियों को हो रही कठिनाइयां

6282. श्री ए. सम्पथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के रेल यात्रियों को गर्मियों की छुट्टियों के दौरान हावड़ा से आने में हो रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो केरल के लोगों के लिए गर्मियों में हावड़ा से त्रिवेन्द्रम तक विशेष रेलगाड़ियां उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या आनेवाली गर्मियों में ऐसी रेल गाड़ियां उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में अब घोषणा करने जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) यद्यपि हावड़ा से केरल तक कोई सीधी विशेष गाड़ी नहीं चल रही है तथापि हावड़ा और चेन्नई के बीच सप्ताह में दो दिन विशेष गाड़ी और चेन्नई और कोल्लम के बीच एक दैनिक विशेष गाड़ी चल

रही है। हावड़ा से केरल सहित दक्षिण की ओर जाने वाले यातायात पर गहन निगरानी रखी जा रही है और यातायात का औचित्य होने पर कोचीन और तिरुवनंतपुरम के लिए मौजूदा गाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बों की व्यवस्था की जाती है।

(ग) से (च) जी, नहीं।

कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र

6283. श्री अनिल बसु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रीरामपुर और तारकेश्वर में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र उपलब्ध कराने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इनके कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार तीर्थ यात्रियों के लाभ के लिए तारकेश्वर में एक यात्री निवास के निर्माण पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आरक्षण कार्यभार प्रतिदिन के आरक्षण संबंधी लेन-देन के मापदंड से कम है और इस समय कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं बनता है। बहरहाल, जब कभी कार्यभार में पर्याप्त रूप से वृद्धि होगी, मामले की समीक्षा की जाएगी।

(घ) से (च) तारकेश्वर में रेल यात्री निवास बनाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। तारकेश्वर और हावड़ा में मौजूदा सुविधाएं पर्याप्त हैं।

बारबिल से दिल्ली के लिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी की शुरुआत

6284. श्री माधव सरदार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बारबिल औद्योगिक कस्बे (उड़ीसा) से दिल्ली के लिए किसी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टाट पठानकोट एक्सप्रेस गाड़ी की सेवाओं को बारबिल से टाटनगर तक बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद से सीबी अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ान

6285. श्री बी. धर्म भिक्षुम : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद से विदेशों के लिए सीधी अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ान के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ख) हैदराबाद विमानपत्तन पर प्रशीतन भंडार संबंधी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्नाहीम) : (क) कार्गो के लिए "मुक्त गगन नीति" के अंतर्गत, विमान कम्पनियाँ हैदराबाद से विदेशी स्टेशनों के लिए भारवाही उड़ानें प्रचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं। इंडियन एयरलाइंस हैदराबाद से विदेशी स्टेशनों के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित यात्री उड़ानों में अंतर्राष्ट्रीय कार्गो का वहन कर रही है। एयर इंडिया के अपने विमान-बेड़े में सर्वथा कार्गो विमान उपलब्ध नहीं है।

(ख) हैदराबाद हवाई अड्डे पर शीतागार की सुविधाएँ नहीं हैं। आंध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम की, उनके द्वारा अनुरक्षित परिसर में "वाक-इन-कोल्ड स्टोरेज" का निर्माण करने की योजना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भी हैदराबाद हवाई अड्डे पर 6.66 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शीतागार सुविधाओं सहित एक कार्गो परिसर का निर्माण करने की योजनाएँ हैं।

दिल्ली-गुवाहाटी सड़क पर रेलवे गेट का निर्माण

6286. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर बंगाल में दिल्ली-गुवाहाटी रेलवे मार्ग पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए अनेक रेलवे गेटों का निर्माण किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है और इन स्थानों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हाँ।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

समपार गेटों की संख्या और ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

क्र. सं.	समपार संख्या	स्थान कि. मी.	स्टेशनों के बीच
1	2	3	4
1.	367 एस. के.	140/15	सुदानी-बरसोई
2.	318 एस. के.	89/6-7	किशनगंज-हटवाड़
3.	311 एस. के.	86/1-2	किशनगंज-यार्ड
4.	53 एन. सी.	51/0-1	दुलाबाड़ी
5.	9 एन. सी.	10/1-2	रानीनगर-निजबाड़ी

1	2	3	4
6.	29 एन. सी.	32/4-5	दुमडांग-तीन मील हाट
7.	8 एन. सी.	9/10-11	रानीनगर-निजबाड़ी
8.	14 एन. एन.	30/3-4	रानीनगर-जलपाईगुड़ी
9.	15 एन. एन.	31/13-14	रानीनगर-जलपाईगुड़ी
10.	16 एन. एन.	32/6-7	रानीनगर-जलपाईगुड़ी
11.	43 एन. एन.	80/14-15	सलबाड़ी-खिरेरकोट
12.	44 एन. एन.	83/9-10	खिरेरकोट-फलाकाटा
13.	64 एन. एन.	115/0-1	बोकसडांगा-पुंडीवाड़ी

चुरू, राजस्थान में डाकखाने

6287. श्री नरेन्द्र बुडानिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान डाक मंडल के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डाकघरों, उप-डाकघरों, शाखा डाकघरों की स्थलवार संख्या और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान डाकघरों को स्थापित करने के लिए किन स्थानों के नामों के बारे में अनुरोध प्राप्त हुए हैं और इन अनुरोधों पर अमल करते हुए किन स्थानों पर उक्त डाकघरों को स्थापित किया गया और कितने डाकघरों को अभी स्थापित किया जाना है;

(ग) उक्त क्षेत्र में उन स्थानों की संख्या कितनी है जो डाकघरों को स्थापित करने के लिए सभी मानदंडों को पूरा करते हैं और इसके बावजूद डाकघर स्थापित नहीं किए गए हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में किन स्थानों पर डाकखाने खोलने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) राजस्थान डाक सर्किल के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंचायत समितियों में डाकघरों, उप-डाकघरों और शाखा डाकघरों की स्थान-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन स्थानों पर डाकघर खोलने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं, उनके नाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

वर्ष 1996-97 के दौरान केवल एक डाकघर गिंही पट्टा लोहसाणा में खोला गया था। डाकघर आवश्यकता/अनुरोधों को ध्यान में रखकर खोले जाते हैं बशर्ते कि मानदंडों पर आधारित औचित्य बनता हो और संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) और (घ) शोला, चरणवासी, गुपालपुरिया, दीपासर और जिनरासर में मानदंडों के आधार पर डाकघर खोलने का औचित्य पाया गया है लेकिन इनको खोलना संसाधनों की आवश्यकता पर निर्भर करता है।

विवरण-I

राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डाकघरों, उप-डाकघरों और शाखा डाकघरों की संख्या का पंचायत समिति-वार ब्यौरा :

क्रम सं.	चुरू निर्वाचन क्षेत्र में पंचायत समिति का नाम	प्रधान डाकघरों की संख्या	उप-डाकघरों की संख्या	अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघरों की संख्या	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों की संख्या
1.	चुरू	01	09	—	43
2.	राजगढ़	—	08	—	66
3.	रतनगढ़	01	07	01	52
4.	सरदारशहर	—	06	—	43
5.	श्री डूंगरगढ़	—	05	—	43
6.	सुजानगढ़	—	11	02	47
7.	तारानगर	—	03	—	38
	कुल	02	49	03	332-

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन स्थानों पर डाकघर खोलने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे।

1994	1995	1996
1	2	3
1. मालासर	1. भामीसर-	1. बुकुनसर-छोटा
2. कीकासर	तेजसिंह रोटन	2. रतनगढ़ आई. ए.
3. बेजासर	2. सिकिआली	3. सुलखनिया
4. हरियासर घर सौतन	3. शिवपुरा	4. महारावनसर
5. देलमान	4. खुदी	5. लीलसर
6. सुकनसर छोटा	6. सुलखनिया	6. खुदेरा-छोटा
7. जीवन देसर	6. सरारगसर	7. सेहला
8. निहासर		8. दीपसर
9. धर्मास		9. चरनवासी
10. लुनास		10. बलरामपुरा
11. संगारसर		11. लच्छरसर
12. सीतासर		12. दालमन
13. सिकराली		13. जसरासर
14. मलासी		14. कस्बा-छौआर एनडीएसओ
15. घटियालबाड़ी		15. घसला-औथाना
16. गुडा बाड़ी		16. जेतासर
17. रंधीसर		17. धोधल्ला
18. भनियासरिया		18. जिनारासर
19. लालसर बनीरोटन		19. गोपालपुरिया
20. रिबिया		
21. बतरासर औथाना		
22. घघरिया		
23. जेगानिया-बीकन		

1	2	3
24.	तोल्यासर	
25.	खड़िया	
26.	सोहला	
27.	धरसीसर	
28.	बोलंगा	
29.	डूंगरसर-अथोना	
30.	खीनवानसर	
31.	खैराथबाइसा	
32.	कालेरा की धानी	
33.	बंगसरा पूर्व	
34.	खड़िया-दारा	
35.	परावा	
36.	धानी कुनीहरोकी	
37.	जैतासर	
38.	डूंगरास-अगोना	
39.	घुमांडा	
40.	कतारबाड़ी	

बरवाडीह मिडिल स्कूल का दर्जा बढ़ाना

6288. श्री ललित उरांव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों और उस क्षेत्र के ग्रामवासियों ने केन्द्र सरकार से धनबाद डिवीजन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) के अंतर्गत पढ़ने वाले बरवाडीह मिडिल स्कूल का दर्जा बढ़ाकर हाई-स्कूल करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने उपर्युक्त स्कूल का दर्जा बढ़ाने की बात मान ली है;

(ग) यदि हाँ, तो इस पर रेलवे बोर्ड की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उपर्युक्त स्कूल का दर्जा न बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ) बरवाडीह, जो पूर्व रेलवे के धनबाद मण्डल में आता है, में एक गैर रेलवे हाई स्कूल पहले ही है। बरवाडीह के रेलवे मिडिल स्कूल की दसवीं कक्षा तक बढ़ाने का एक प्रस्ताव पूर्व रेल से प्राप्त हुआ था। बरवाडीह में उपलब्ध पर्याप्त शैक्षणिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वहाँ रेलवे मिडिल स्कूल को हाई स्कूल तक बढ़ाने का औचित्य नहीं पाया गया।

रगिया और गुवाहाटी के बीच रेल फाटक

6289. डॉ. प्रवीन चन्द्र शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम में रगिया और गुवाहाटी के बीच के दो रेलवे फाटकों से सड़क यातायात की भीड़ लग जाती है जिससे सड़क पर आने-जाने वालों को बहुत असुविधा होती है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन रेलवे फाटकों पर ऊपरी पुल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हाँ।

(ख) दोनों स्थानों पर ऊपरी सड़क पुल रेल बजट 1996-97 में अनुमोदित कर दिए गए हैं। अपेक्षित औपचारिकताएँ राज्य सरकार के साथ पूरी की जा रही हैं।

“वेगन इंडक्शन प्रोग्राम”

6290. श्री नामदेव दिवाडे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला, इस्पात मंत्रालयों और उद्योगों को वेगन देने सम्बन्धी कार्यक्रम के बारे में लिए गए अपने निर्णय पर अनुवर्ती कार्यवाही शुरू कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो निर्णय को कार्यान्वित करने हेतु वर्ष 1997-98 के लिए तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्णय के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) एक वर्ष में ढोए जाने वाले माल यातायात हेतु स्वस्थ के संबंध में विभिन्न

उपयोगकर्ता मंत्रालयों तथा कोयला, इस्पात, उद्योग पेट्रोलियम आदि के साथ विचार-विमर्श करके विनिश्चय किया जाता है। एक वर्ष में, प्रणाली में शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित मालडिब्बों की संख्या, होने वाले यातायात आऊटपुट, मालडिब्बों के उपयोग आदि पर निर्भर करता है।

(ख) और (ग) 1997-98 में 26,000 माल डिब्बे (चौपहिया यूनिटों में) लगाए जाने की योजना है। इस संबंध में कार्रवाई पहले ही आरम्भ कर दी गई है।

नई रेलवे लाइनें बिछाने हेतु मानदंड

6291. श्री खेल्सीबा नंदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नई रेलवे लाइनें बिछाने के लिए क्या मानदंड स्वीकार किया गया है और अनुपालन किया जा रहा है;

(ख) क्या नई रेलवे लाइनें बिछाने के लिए लाभकारी पहलू को मानदंड के रूप में लिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसी कितनी नई लाइनें क्षेत्रवार/राज्यवार लाभकारी बन गई हैं; और

(घ) अलाभकारी रेलवे लाइनों के संबंध में सरकार द्वारा कौन-कौन से कदमों पर विचार किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) रेलों पर नई लाइनों के निर्माण हेतु मानदंड का राष्ट्रीय यातायात नीति समिति, दिनांक, मई 1990 की सिफारिशों के आधार पर पालन किया जा रहा है जिसमें नई लाइनों के निर्माण शुरू करने के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए थे :—

(1) खनिज और अन्य संसाधनों के दोहन के लिए नए उद्योगों को सेवित करने के लिए परियोजनापरक लाइनें।

(2) मौजूदा संतुप्त मार्गों पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए पूर्ण वैकल्पिक मार्गों, हेतु अप्राप्त संपर्क लाइनें।

(3) सामरिक कारणों के लिए आवश्यक लाइनें, तथा

(4) नए विकास केन्द्रों की स्थापना अथवा दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए लाइनें।

इसके अलावा, नई लाइनों को बिछाते समय लाभ पहलू पर भी विचार किया जाता है।

(ख) जी, हां, यह भी एक मानदंड है।

(ग) उड़ीसा में दक्षिण-पूर्व रेल पर केवल एक परियोजना अर्थात् हरिदासपुर-भारदीप।

(घ) पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ अलाभकारी रेलवे लाइनें भी बिछाई जाती हैं।

सवारी डिब्बों की कमी

6292. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंदार मंडल में क्विलोन-मद्रास मीटर गेज पर चलने वाली सभी रेलगाड़ियों में यात्री डिब्बों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने क्विलोन-मद्रास मीटर गेज लाइन पर शटल और सुपर फास्ट रेलगाड़ियों के लिए अधिक सवारी डिब्बे प्रदान किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं। सभी गाड़ियां अपने सामान्य निर्धारित संरचना के अनुसार चल रही हैं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। बहरहाल, अतिरिक्त भीड़ की निकासी के लिए आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाए जाते हैं।

बिहार की ग्राम पंचायतों में डाक सुविधाएं

6293. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में जिलेवार ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं जहां डाकघर सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) प्रत्येक ग्राम पंचायत में यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) ग्राम पंचायतों के कितने डाकघरों में टेलीग्राफ सुविधा उपलब्ध है और इस सुविधा को उपलब्ध कराने संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य के प्रमुख शहरों में "स्पीड पोस्ट" सेवा उपलब्ध कराने संबंधी योजना का जिलेवार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) बिहार में ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्या 8254 है, जिनमें डाकघर सुविधाएं उपलब्ध हैं। डाकघर वाली ग्राम पंचायतों की संख्या का जिलावार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1997-98 में 40 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 5 विभागीय उप डाकघर खोलने का लक्ष्य है। इन डाकघरों को चालू वर्ष में खोले जाने की संभावना है। डाकघर वार्षिक योजनाओं के अधीन मानदंडों पर आधारित औचित्य के अनुसार उत्तरोत्तर रूप से खोले जाते हैं बशर्ते कि लक्ष्य और संसाधन उपलब्ध रहें।

(ग) ग्राम पंचायतों में ऐसे डाकघरों की संख्या 3394 है, जिनमें तार सुविधा उपलब्ध है।

तार सुविधा का विस्तार करने की स्कीम उस स्टेशन पर मांग और कुल तार परियात की मात्रा के औचित्य पर निर्भर करती है।

(घ) बिहार में जिन स्थानों पर स्पीड पोस्ट सुविधा सुलभ है, उनका ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

स्पीड पोस्ट सुविधा की शुरुआत एक अनवरत प्रक्रिया है और यह

किसी स्थान विशेष पर वाणिज्यिक व्यवहार्यता और प्रचालन संभाव्यता के आधार पर प्रदान की जाती है। इस समय बिहार में और स्थानों पर स्पीड पोस्ट सेवा का विस्तार करने की कोई स्कीम लंबित नहीं है।

विवरण-I

बिहार में डाकघरों वाली ग्राम पंचायतों की संख्या का जिलावार ब्यौरा

क्रम सं.	जिले का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या
1	2	3
1.	सारन	287
2.	वैशाली	153
3.	भोजपुर	205
4.	बक्सर	131
5.	गया	190
6.	नवादा	122
7.	जहानाबाद	116
8.	नालन्दा	227
9.	भागलपुर	184
10.	बांका	106
11.	पटना	241
12.	बेगूसराय	204
13.	खगड़िया	112
14.	दरभंगा	252
15.	पूर्वी चंपारन	286
16.	पश्चिम चंपारन	265
17.	मधुबनी	306
18.	मुंगेर	80
19.	लखीसराय	72
20.	शेखपुरा	33
21.	जमुई	108
22.	मुजफ्फरपुर	281
23.	अरारिया	154
24.	कटिहार	173
25.	किशनगंज	85
26.	पूर्णिया	170
27.	सहरसा	145

1	2	3
28.	मधेपुरा	160
29.	सुपौल	149
30.	सीवान	237
31.	गोपालगंज	170
32.	सीतामढ़ी	238
33.	सीहोर	12
34.	समस्तीपुर	281
35.	हुमका	122
36.	पाकुर	46
37.	बी. देवघर	66
38.	गोड्डा	93
39.	साहिबगंज	93
40.	औरंगाबाद	170
41.	पलामू	102
42.	बरवा	22
43.	हजारीबाग	154
44.	कोडरमा	51
45.	छतरा	76
46.	गिरिडीह	174
47.	पश्चिम सिंहभूम	174
48.	पूर्वी सिंहभूम	110
49.	रांची	251
50.	गुमला	168
51.	लोहारदगा	61
52.	धनबाद	69
53.	बोकारो	93
54.	रोहतास	159
55.	भाभुआ	65
कुल		8254

विवरण-II

राष्ट्रीय नेटवर्क पर स्पीड पोस्ट सेंटर

I.	पटना
II.	रांची
III.	जमशेदपुर
IV.	धनबाद

प्वाइंट-टू-प्वाइंट सेवा पर स्पीड पोस्ट सेंटर

क्रम सं.	सेंटर का नाम	जिस शहर से जुड़ा है	दोनों ओर से या एकतरफा
1.	पटना	दरभंगा	दोनों ओर से
2.	-वही-	कटिहार	-वही-
3.	-वही-	बेगुसराय	-वही-
4.	-वही-	मोतीहारी	-वही-
5.	-वही-	पूर्णिया	-वही-
6.	-वही-	बेतियाह	-वही-
7.	-वही-	मुंगेर	-वही-
8.	-वही-	गिरिडीह	-वही-
9.	-वही-	बी. एस. सिटी	-वही-
10.	-वही-	गया	-वही-
11.	-वही-	सीवान	-वही-
12.	-वही-	भागलपुर	-वही-
13.	-वही-	मुजफ्फरपुर	-वही-
14.	गिरिडीह	कलकत्ता	-वही-
15.	बी. एस. सिटी	कलकत्ता	-वही-
16.	बी. एस. सिटी	धनबाद	-वही-
17.	-वही-	रांची	-वही-
18.	पटना	आरा	-वही-
19.	पटना	जहानाबाद	-वही-

श्रीनगर को रेलमार्ग द्वारा जोड़ना

6294. श्री ए. जी. एस. रामबाबू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार श्रीनगर को रेलमार्ग से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना का ब्यौरा तथा वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इसमें अनुमानतः कितने सुरंग तथा पुल बनाए जाएंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला नई रेल लाइन परियोजना (290 कि. मी.) 1900.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 1994-95 में स्वीकृत की गई है। आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडल समिति ने, इस परियोजना के चरणों में कार्यान्वयन के लिए सिद्धांत रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है। ऊधमपुर और कटरा के बीच पहले चरण का कार्य शुरू किया गया है जिसके लिए 1997-98 के दौरान 75.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कटरा से बारामूला तक अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण रेलवे द्वारा शुरू किया गया है।

(ग) लगभग 81 अदद सुरंगें और 223 अदद पुल।

दूरसंचार विभाग द्वारा उठाया गया घाटा

6295. श्री थावर चन्द्र गेहलोत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान और अब तक संचार विभाग द्वारा केबलों और अन्य विभागीय उपकरणों की चोरी होने की वजह से कुल कितना घाटा उठाना पड़ा है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभाग द्वारा इस संबंध में चोरी के कुल कितने मामलों की रिपोर्ट दर्ज की गई है; और

(ग) विभाग द्वारा इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में स्पीड पोस्ट सेवा

6296. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के वे कौन-कौन से जिला मुख्यालय हैं जहां स्पीड पोस्ट सेवा अभी तक उपलब्ध नहीं है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ख) सभी जिला मुख्यालयों को इस नेटवर्क में कब तक शामिल किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) गुजरात के जिन जिला मुख्यालयों में स्पीड पोस्ट सेवा अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है, वे इस प्रकार हैं :

1. हिममतनगर, 2. महेसाणा, 3. पालनपुर, 4. सुरेन्द्रनगर, 5. अमरेली, 6. जामनगर, 7. जुनागढ़, 8. खेड़ा, 9. भरूच, 10. बलसाड, 11. आहवा (डांग), 12. गोदरा, 13. भावनगर, 14. भुज।

स्पीड पोस्ट सुविधा का प्रावधान एक अनवरत प्रक्रिया है और यह सुविधा स्थान विशेष पर कामर्शियल व्यवहार्यता तथा सेवा की प्रचालनपरक संभाव्यता के आधार पर ही सुलभ कराई जाती है। ऊपर उल्लिखित स्थानों पर स्पीड पोस्ट सुविधा का प्रावधान इस समय औचित्यपूर्ण नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सवारी और माल डिब्बों की कमी

6297. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

डॉ. राम बिलास बेदान्ती :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की भारी कमी है तथा पुराने का उपयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो जोन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाने का विचार है;

(घ) क्या माल डिब्बों की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों की दुलाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस समस्या के निदान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है;

(च) क्या सरकार का विचार तीसरी कोच निर्माण फैक्टरी की स्थापना करने का है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) निर्धारित गाड़ी सेवाओं को चलाने के लिए सवारी डिब्बों की कोई कमी नहीं है। बहरहाल, कुल बेड़े में गतायु सवारी डिब्बों की संख्या को ध्यान में रखते हुए जी. एस. और एस. एल. आर. की कमी है। इसके अलावा अतिरिक्त गाड़ियों और विशेष गाड़ियों को चलाने के लिए कमी है। माल डिब्बों की कोई कमी नहीं है तथापि मांग और सप्लाई के बीच कुछ अंतर अपरिहार्य है।

(ग) 1997-98 में और अधिक जी. एस. और एस. एल. आर. खरीदने का प्रस्ताव है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, नहीं।

(छ) देश में मौजूदा निर्माण क्षमता को वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

[हिन्दी]

प्रशिक्षु विमान चालकों की भर्ती

6298. श्री फगन सिंह कुलस्ते : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस प्रशिक्षु विमान चालकों की भर्ती के लिए भिन्न मानदंड अपनाए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइंस में प्रशिक्षु विमान चालकों की भर्ती के लिए व्यावसायिक विमान चालक का लाइसेंस होने की योग्यता आवश्यक है जबकि एअर इंडिया में व्यावसायिक विमान चालक के लाइसेंस की योग्यता के अतिरिक्त मल्टी इंजन का अनुभव आवश्यक है और सरकार मल्टी इंजन तक नहीं वरन् केवल व्यावसायिक विमान चालक लाइसेंस तक ही छात्रवृत्ति प्रदान करती है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इक्बाली) : (क) से (ग) विमान चालक को शामिल करने हेतु मानदण्ड विमान बेड़े में विमान के प्रकार और प्रचालनात्मक मार्ग ढांचे के आधार पर विमान कंपनी दर विमान कम्पनी बदलता रहता है।

जबकि इंडियन एयरलाइंस में वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस प्रशिक्षु पायलट हेतु आवश्यक है, एअर इंडिया में प्रशिक्षु पायलट हेतु मानदण्ड वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस-बहु इंजन पृष्ठांकन सहित रखा गया है। ऐसा विमान-बेड़े में बड़े नेट विमान और उच्च घनत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय मार्गों, जिन पर एअर इंडिया प्रचालन करती है, को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।

गुजरात में टेलीफोन लाइन संबंधी लक्ष्य

6299. श्री जयसिंह चौहान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान गुजरात में टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) आज तक कितनी लाइनें बिछाई गई हैं;

(ग) कितने सर्किल में कार्य लक्ष्य से पीछे चल रहा है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) गुजरात में वर्ष 1997-98 के दौरान नए टेलीफोन कनेक्शनों का लक्ष्य 208000 लाइनों का है।

(ख) 30.4.97 की स्थिति के अनुसार, 5880 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए थे।

(ग) और (घ) टेलीफोन लाइनों के लिए सर्किलवार लक्ष्य, माहवार आधार पर निर्धारित नहीं किए जाते हैं। उक्त लक्ष्य 1997-98 के पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित किए गए हैं।

(ङ) वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक सामग्री तथा अन्य उपस्कर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

पेंशन को पुनः बहाल करना

6300. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के 15 दिसम्बर, 1995 के उस निर्णय का अध्ययन किया है जिसमें केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों के लिए पेंशन के 1/3 भाग का संशोध्यकरण पुनः बहाल कर दिया गया है, जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में खपाए जाने के समय स्वीकार्य आनुपातिक पेंशन के एक एकमुश्त भुगतान का विकल्प दिया था;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) इस सम्बन्ध में तत्कालीन दिल्ली टेलीफोन के सेवानिवृत्त अधिकारियों से महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली टेलीफोन्स, नई दिल्ली के मुख्य महाप्रबंधक को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इन आवेदनों पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही किए जाने और इन व्योवृद्ध पेंशनधारियों को पेंशन स्वीकृत किए जाने में कितना

समय लगने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 15.12.95 के निर्णय का कड़ाई से अनुपालन हेतु इसे दूरसंचार सर्किटों के सभी अध्यक्षों को परिचालित कर दिया गया है।

(ग) दो।

(घ) पेंशन और पी डब्ल्यू विभाग के मार्ग-निर्देशों के अनुसरण में प्राप्त हुए मामले निपटाय जा रहे हैं।

बोकारो इस्पात संयंत्रों के उत्पादों के विरुद्ध शिकायतें

6301. प्रो. रीता वर्मा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र के विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता के संबंध में गत तीन वर्ष के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा कितनी शिकायतें की गई;

(ख) उन उत्पादों के नाम क्या हैं जिनके संबंध में अधिकतम शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या उन उपभोक्ताओं के बिलों में उत्पाद की घटिया किस्म के कारण कटौती की गई;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) :

(क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और समा-पटल पर रख दी जाएगी।

बंगलौर विमानपत्तन पर यात्री सेवा शुल्क में वृद्धि

6302. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 जनवरी, 1997 से बंगलौर विमानपत्तन पर यात्री सेवा शुल्क में वृद्धि कर दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उपरोक्त शुल्क वृद्धि के परिणामस्वरूप विमान यात्रियों को प्रदान की गई अतिरिक्त सुविधाएँ क्या हैं ;

(घ) वर्तमान में यात्री सेवा शुल्क कितना है; और

(ङ) प्रतिदिन कितनी धनराशि वसूली जाती है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहिम) : (क) और (ख) देश के सभी हवाई अड्डों पर प्रति अंतर्राष्ट्रीय यात्री के हिसाब से यात्री सेवा शुल्क को बढ़ाकर 125/-रुपए कर दिया गया है और ऐसा केवल बंगलौर हवाई अड्डे तक ही सीमित नहीं है। इस धन का इस्तेमाल यात्री सुविधाएँ मुहैया कराने और हवाई अड्डा सुरक्षा के लिए किया जाएगा।

(ग) यात्री सुविधाओं का सुधार एक सतत प्रक्रिया है और बढ़ी हुई धनराशि से जुटाई जाने वाली अतिरिक्त सुविधाओं का उल्लेख संभव नहीं है। बंगलौर हवाई अड्डे पर, अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान टर्मिनल का कार्य पूरा हो गया है और सुधरी हुई यात्री सुविधाएँ प्रदान करने के लिए एक एकीकृत टर्मिनल ब्लॉक निर्माणाधीन है।

(घ) वर्तमान यात्री सेवा शुल्क सवार होने वाले प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय यात्री के लिए 125/- रुपए है।

(ङ) बंगलौर हवाई अड्डे पर यात्री सेवा शुल्क के रूप में प्रति दिन एकत्र औसत राशि 2.98 लाख रुपए (लगभग) है।

नौवहन और संचार के अन्तर्राष्ट्रीय मानक

4303. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवहन और संचार के अन्तर्राष्ट्रीय मानक क्या हैं; और

(ख) इन्हें कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहिम) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ने विभिन्न भू-आधारित दिक्कालनात्मक व संचार प्रणालियों के लिए मानक तैयार किए हैं और कार्यविधियों की सिफारिश की है। ये मानक पूरे विश्व पर लागू होते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इन मानकों के अनुपालन हेतु कार्यवाहियाँ की हैं। भू-आधारित दिक्कालनात्मक व संचार प्रणालियाँ और ए. टी. सी. कार्यपद्धतियाँ संस्तुत मानकों के अनुरूप हैं। भू-आधारित प्रणालियों के कार्य-निष्पादन की समर्पित और उपयुक्त रूप से सज्जित विमान द्वारा नियमित रूप से मानिट्रिंग की जाती है ताकि विहित मानकों के अन्दर निष्पादन स्तर सुनिश्चित हो सके। सरकार अंतर्राष्ट्रीय मानकों के पूर्णतया अनुरूप सी. एन. एस. सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए वचनबद्ध है।

यात्रियों को ऊँची श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति देना

6304. श्री बी. प्रदीप देव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअर इंडिया के किस प्राधिकारी को यात्रियों की उस श्रेणी में जिसके लिए उन्होंने किराया भुगतान किया है, से ऊपर की श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति देने के लिए अधिकृत किया गया है;

(ख) इस प्रकार की अनुमति देने के लिए किन मानदंडों का अनुसरण किया जाता है और क्या इस प्रकार की अनुमति देने का कोई रिकार्ड रखा जाता है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में ऐसी अनुमति दी गई थी;

(घ) क्या यह सच है कि ऐसी अनुमति देने के संबंध में नामों की सूची बोर्ड को गत तीन वर्षों के दौरान नहीं दी गई;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) भुगतान किए गए किराए की राशि और इन यात्रियों द्वारा

जिस श्रेणी में यात्रा की गई उसके वास्तविक किराये में अंतर को देखते हुए ऊंची श्रेणियों के टिकटों की कुल राशि/मूल्य कितना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख) क्षेत्रीय प्रधान स्टेशनों के ऑन लाइन प्रबंधक, दिल्ली और मुम्बई विमानपत्तनों के वाणिज्यिक प्रबंधक, उप-वाणिज्यिक प्रबंधक, पर्यटन, एअर इंडिया यात्रियों को उच्च श्रेणी में उन्नयन करने हेतु प्राधिकृत हैं। सामान्यतः वाणिज्यिक कारणों हेतु स्तरोन्नयन प्राधिकृत किए जाते हैं।

स्तरोन्नयन का अभिलेख सम्बन्धित स्टेशनों/क्षेत्रों द्वारा रखा जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्तरोन्नयन किए गए मामलों की कुल संख्या के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) स्तरोन्नयनों की सूची एअर इंडिया के बोर्ड को प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं है।

(च) राजस्व की कोई हानि नहीं होती क्योंकि स्तरोन्नयन सीट उपलब्धता के आधार पर किया जाता है और किसी टिकटधारी यात्री को प्रतिस्थापित नहीं किया जाता।

केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार/आधुनिकीकरण

6305. श्री रमेश चैन्नितला :

श्री पी. सी. थामस :

प्रो. पी. जे. कुरियन :

श्री मुस्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री एन. एन. कृष्णादास :

श्री एस. अजय कुमार :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में कुछ एक्सचेंजों का विस्तार/आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है तथा 1997-98 के दौरान इसके लिए कितना निवेश करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) केरल में 1997-98 के दौरान, जिन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने हैं और जहां एक्सचेंजों का विस्तार किया जाना/उन्हें आधुनिक बनाया जाना है, उनके नाम अभी निश्चित नहीं हुए हैं। किया जाने वाला प्रस्तावित निवेश भी अभी तय नहीं हुआ है।

अनुसूचित जाति समुदाय हेतु आरक्षित रिक्तियां

6306. डॉ. बलिराम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा (i) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (ii) सीनियर सेलैक्शन ग्रेड में नियमित नियुक्ति तथा नान फंक्शनल ग्रेड; और (iii) जूनियर टाइप स्केल में स्थायी करने के संबंध में दूरसंचार विभाग को विभिन्न शाखाओं में 12.6.68 से 31.3.88 के दौरान आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु 40 प्वाइंट रोस्टर का पालन किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा समूह "क" वर्ग आरक्षण नीति के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जाने का क्या विचार है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में रेलवे आरक्षण सुविधाएं

6307. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में प्रत्येक आरक्षण काउंटर पर आने तथा जाने का टिकट देने की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार प्रत्येक आरक्षण काउंटर पर "बन मैन्, बन रिविविजेशन फार्म" "बन मैन्, टू रिविविजेशन फार्म" नियम में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) दिल्ली में मुख्य आरक्षण प्रणाली से संबद्ध स्टेशनों से चल वाली सभी गाड़ियों के लिए दिल्ली में आने और जाने की यात्रा आरक्षण कराने की सुविधा उपलब्ध है। संचार संपर्कों में कुछ सीमितता के कारण दिल्ली में केवल मद्रास, कलकत्ता, मुंबई और सिकंदरा प्रणालियों के साथ संबद्ध कुछ टर्मिनलों पर फिलहाल सीमित सा की व्यवस्था करा पाना संभव हुआ है।

(ग) से (ङ) फिलहाल, उस मामले जिसमें आवेदन करने व्यक्ति उत्तर रेल यात्री आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत उसी गंतव्य से आने और जाने के लिए आरक्षण करा रहा है, को छोड़कर एक व्यक्ति के एक आवेदन फार्म जमा कराने का पात्र है।

रेल यातायात पर सब्सिडी

6308. श्री के. परशुरामन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में रेल यातायात तथा शहरी यातायात के लिए सन्सिडी प्रदान कर रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान 4 महानगरीय शहरों में यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तथा शहरी बुनियादी ढांचा हेतु कुल कितनी सन्सिडी दी गई;

(ग) क्या सरकार का विचार सन्सिडी को कम करने अथवा उसे समाप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान रेलों के लिए लाभांश रहित तथा अन्य रियायतों के प्रति सामान्य राजस्व से आर्थिक सहायता इस प्रकार है :

1994-95	419.73 करोड़ रु
1995-96	388.07 करोड़ रु
1996-97 (सं.अ.)	465.71 करोड़ रु

बहरहाल, महानगरों सहित किसी भी शहर के लिए आर्थिक सहायता के लेखों को असंग-असंग रखने की प्रणाली नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जी. सी. एस. पदों को भरना

6309. श्री वृष षूषण सिन्हा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में अनुभाग अधिकारियों की पदोन्नति के माध्यम से जी. सी. एस. पदों को भरने की प्रक्रिया सविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है जिससे समान अवसर के सिद्धांत का उल्लंघन भी होता है;

(ख) क्या ऐसे स्नातक अनुभाग अधिकारी उपलब्ध हैं जो कभी भी प्रतिनियुक्ति पर नहीं रहे हैं और उनकी उस ग्रेड में 10-16 वर्ष की सरकारी सेवा पूरी हो चुकी है परंतु उनके स्थान पर ऐसे चहेते व्यक्तियों का चयन किया गया है जो एक जगह से दूसरी जगह प्रतिनियुक्ति पर जाते रहे हैं;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक निश्चित अवधि तक मूल कार्यालय में रहने (कूलिंग ऑफ पीरियड) की शर्त में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी और उन व्यक्तियों के बजाय जो तीन वर्ष से पहले ही संवर्ग पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बजाय उन अधिकारियों का चयन किया जाए जिनके तीन वर्ष तक रहने की संभावना है; और

(घ) उन अधिकारियों की किस प्रकार प्रतिपूर्ति किए जाने का प्रस्ताव है जिनसे कनिष्ठ अनुभाग अधिकारी उनसे पहले जी. सी. एस. के पद पर पदोन्नत हो गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) संचार मंत्रालय में जी. सी. एस. पदों को अनुभाग अधिकारियों की पदोन्नति करके नहीं भरा जाता। इन पदों के लिए आवेदन करने के पात्र अधिकारियों को सभी श्रेणियों के बीच अधिसूचित करके रिक्त पदों को भरा जाना है तथा इनका चयन योग्यता पर आधारित होता है।

(ग) जी. सी. एस. पदों हेतु चयन करते समय सामान्यतः नियमों के तहत निर्धारित "कूलिंग-ऑफ-अवधि" का पालन किया जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि जी. सी. एस. पदों को केवल एक ही समूह के अधिकारियों से नहीं भरा जाता।

(घ) चूंकि जी. सी. एस. पदों को विशेष रूप से अनुभाग अधिकारियों के संवर्ग से नहीं भरा जा सकता, इसलिए जिन वरिष्ठ अनुभाग अधिकारियों को जी. सी. एस. पदों के लिए नहीं चुना गया है, उन्हें क्षतिपूर्ति प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता।

हवाई यात्रा में वृद्धि

6310. डॉ. टी. सुब्बाराजी रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी 20 वर्षों में हवाई यात्रा में 4.9 प्रतिशत वार्षिक की दर पर वृद्धि जारी रहेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या एशिया प्रशांत क्षेत्र 6.6 प्रतिशत की वार्षिक और अनुमानित यात्रा की दर पर विश्व के अन्य क्षेत्रों में यात्रा में वृद्धि को पीछे छोड़ जाएगा;

(ग) क्या एयर इंडिया के रिक्तियों का अध्ययन करने संबंधी उप समिति ने हाल ही में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में बोईंग 777 अथवा मोडेलनल डबलस दो अथवा एयर बस 340 के मुकाबले स्विन जेट एयर बस 330 को प्राथमिकता प्रदान करके समर्थन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस समिति ने यह भी बताया है कि एयर इंडिया बोईंग 777 द्वारा आफर किए जाने वाले अतिरिक्त 30 सीटों का 50 प्रतिशत भी नहीं भर पाएगा;

(ङ) क्या भारतीय अनुमान के अनुसार आगामी 20 वर्षों में विमान यात्रा के 5.6 प्रतिशत होने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो वर्ष 1997-98 के दौरान विमान यातायात में वृद्धि में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और क्या विमान यातायात में भीड़-भाड़ की वृद्धि से निपटने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख) इकाओं द्वारा तैयार की गई भविष्यवाणी के अनुसार यात्री किलोमीटर

के सम्बन्ध में कुल विश्व विमानकम्पनी अनुसूचित यातायात 1985-1995 की 5 प्रतिशत वार्षिक की तुलना में 1995 से 2005 की अवधि में 5.5 प्रतिशत औसत वार्षिक दर से बढ़ने की सम्भावना है। प्रक्षेपित सबसे अधिक बढ़ने वाले क्षेत्र परा प्रशांत और यूरोप-एशिया/प्रशांत हैं।

(ग) और (घ) एअर इंडिया ने अभी तक मध्यम क्षमता वाले लम्बी दूरी के विमानों का अभिग्रहण करने के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय नहीं किया है।

(ङ) और (च) नौवीं योजना अवधि के दौरान भारत को/से यात्री यातायात की औसत वार्षिक वृद्धि दर 7% रहने की सम्भावना है। वृद्धि को पूरा करने हेतु एअर इंडिया अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है।

दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के मुख्य प्रबंध निदेशक के आवास का जीर्णोद्धार

6311. प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के पूर्व-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त किए जाने पर उनके सरकारी आवास के जीर्णोद्धार पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा 9 लाख रुपए व्यय किए गए थे;

(ख) यदि हां तो उनके सरकारी आवास के जीर्णोद्धार पर इस तरह फिजूल खर्च किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या जीर्णोद्धार हेतु धनराशि की कोई सीमा निर्धारित की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी न्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं। तथापि पिछले दो वर्षों के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एम. टी. एन. एल. के सरकारी आवास की मरम्मत तथा प्रतिस्थापन पर लगभग नौ लाख रुपए खर्च किए गए हैं।

(ख) पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एम. टी. एन. एल. के बी. आई. जी. क्षेत्र में स्थित सरकारी आवास की केवल अनिवार्य मरम्मत तथा प्रतिस्थापन के लिए उक्त व्यय किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कोंकण रेल परियोजना

6312. प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेल परियोजना में कोई नई तकनीकी समस्या उत्पन्न हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी न्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना में और विलम्ब किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है और इस परियोजना के किस तिथि से चालू हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अप्रैल, 1997 के अंत में कोंकण रेलवे परियोजना की वास्तविक प्रगति 98.5 प्रतिशत है। 760 कि. मी. में से 464 कि. मी. (उत्तर साइड पर रोहा और सावंतवाडी के बीच 364 कि. मी. तथा दक्षिण साइड पर मंगलोर और कुंडापुरा के बीच 100 कि. मी.) को यात्री यातायात के लिए पहले ही खोल दिया गया है। दक्षिण साइड पर कुंडापुरा और कानाकोना के बीच 185 कि. मी. की दूरी सभी तरह से पूरी हो गयी है तथा रेल संरक्षा आयुक्त के निरीक्षण के लिए पेश कर दी गई है तथा मई, 1997 के दौरान इसे शुरू कर दिया जाएगा।

लाइन के शेष भाग को जुलाई 1997 तक शुरू किए जाने की संभावना है।

सिटिजन बैंड रेडियो फ्रीक्वेंसीज

6313. श्री हरिन पाठक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सिटिजन बैंड रेडियो के अंतर्गत उपलब्ध फ्रीक्वेंसीज क्या हैं;

(ख) यह किस प्रकार कार्य करेगा; और

(ग) पाठशालाओं, कालेजों और ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलेस को और अधिक लोकप्रिय और उपयोगी बनाने हेतु संसद सदस्यों द्वारा किस प्रकार इस योजना को कार्यान्वित किया जाएगा ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) संसद सदस्यों के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को शामिल करते हुए सिटिजन बैंड रेडियो अनुप्रयोगों हेतु चालीस आवृत्ति चैनल (सूची संलग्न विवरण में दी गई है) निर्धारित किए गए हैं।

(ख) सिटिजन बैंड रेडियो के लाइसेंस की मंजूरी हेतु आवेदन प्राप्त होने पर विभिन्न प्रयोजनों हेतु निर्धारित चैनल आवृत्तियों में से उपयुक्त आवृत्तियों का आवंटन किया जाता है।

(ग) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा कार्यान्वित संसद सदस्य के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा आवश्यक विवरण प्रदान करते हुए स्कूलों, कालेजों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सिटिजन बैंड रेडियो के इस्तेमाल को बढ़ावा देने तथा लोकप्रिय बनाने के लिए "सिटिजन बैंड रेडियो" नामक परियोजना तैयार की गई है।

विवरण

शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संचार हेतु फ्रिक्वेंसी बैंड 26957-27283 किलोहर्ट्ज (सिटिजन बैंड सीबी) के उपयोग।

भारत में सीबी रेडियो के पूर्वानुमानित विस्तार हेतु विभिन्न संचार आवश्यकताओं के लिए सिटिजन बैंड के आवंटन की एक योजना बनाई गई है। इस प्रकार की योजना में, ग्रामीण क्षेत्रों में संचार संबंधी आवश्यकताओं, आपातकालीन सेवाओं इत्यादि के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

6 किलोहर्ट्ज प्रति चैनल तथा 8 किलोहर्ट्ज निकटवर्ती (एडजेसेंट) चैनल स्पेसिंग के साथ फ्रिक्वेंसी बैंड 26957-27283 किलोहर्ट्ज के लिए चालीस संचार चैनलों वाली निम्न चैनलिंग योजना तैयार की गई है।

चैनल नं.	फ्रिक्वेंसी (किलोहर्ट्ज)	चैनल नं.	फ्रिक्वेंसी (किलोहर्ट्ज)	चैनल नं.	फ्रिक्वेंसी (किलोहर्ट्ज)	चैनल नं.	फ्रिक्वेंसी (किलोहर्ट्ज)
1.	26964.0	11.	27044.0	21.	27124.0	31.	27204.0
2.	26972.0	12.	27052.0	22.	27132.0	32.	27212.0
3.	26980.0	13.	27060.0	23.	27140.0	33.	27220.0
4.	26988.0	14.	27068.0	24.	27148.0	34.	27260.0
5.	26996.0	15.	27076.0	25.	27156.0	35.	27236.0
6.	27004.0	16.	27084.0	26.	27164.0	36.	27244.0
7.	27012.0	17.	27092.0	27.	27172.0	37.	27252.0
8.	27020.0	18.	27100.0	28.	27180.0	38.	27260.0
9.	27028.0	19.	27108.0	29.	27188.0	39.	27268.0
10.	27036.0	20.	27116.0	30.	27196.0	40.	27276.0

विभिन्न प्रयोजनों के लिए सीबी संचार चैनलों को निर्दिष्ट करना

क्रम सं.	चैनल सं.	प्रयोजनों की किस्म	उत्सर्जन/बिजली
1.	1, 2, 10, 21,	रुचियों से संबंधित निजी संचार	6 के00ए3ई/100 मेगावाट
2.	38	रेडियो नियंत्रित खिलौने	2 के00पी2/10 एमडब्ल्यू (मेगावाट)
3.	6, 20, 24, 25, 34	ऐरोमॉडलिंग	2के00ए2ए/1 डब्ल्यू (वाट)
4.	23,31	पर्वतारोहण	6के00ए3ई/500मेगावाट
5.	33,36	खेलकूद की घटनाओं से संबंधित रेडियो संचार	6के00ए3ई/1 डब्ल्यू वाट
6.	7, 9, 27, 32	ग्रामीण क्षेत्रों में संचार की आवश्यकता	6के00ए3ई/5 वाट
7.		सड़क दुर्घटनाओं/आपातकाल से संबंधित संचार	6के00ए3ई/500 मेगावाट
	11	(क) पुलिस से संपर्क स्थापित करना	-वही-
	12	(ख) अस्पताल/एम्बुलेंस से संपर्क करना	-वही-
8.	3, 35	राजमार्गों पर संचार संबंधी आवश्यकताएं	-वही-
9.	17, 18	वन्यजीवन/वन संरक्षण संबंधी संचार आवश्यकताएं	-वही-
10.	13, 14	तटीय जल/नदियों/झीलों में जीवन रक्षक संचार	-वही-
11.	15, 16	प्राकृतिक आपदा राहत प्रदान करने हेतु	-वही-
12.	8, 19	विशेष रेडियो नियंत्रित उपायों (गैरिज डोर ओपनर्स, सेफ्टी अलार्म आदि) के लिए	-वही-
13.	4, 5, 22, 26, 28, 29, 30, 37, 39, 40	भविष्य की आवश्यकताओं के लिए चैनल	-वही-

केलकर समिति

6314. श्री माधवराव सिंधिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केलकर समिति ने इंडियन एअर लाइंस जिसे 43 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है, को 1995-96 में 134 करोड़ रुपए में निबल घाटे की तुलना में 1999-2000 तक 3000 करोड़ रुपए के निबल लाभ कमाने योग्य बनाने में सहायता के लिए एक बहु आयामी द्विचरणीय नीति बनाने का प्रस्ताव किया था;

(ख) समिति द्वारा इन दो चरणों अर्थात् (1) 1996-97 से 1998-99 और (2) 1999-2000 से 2002-2003 तक कौन-कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव था और प्रत्येक चरण में कौन-कौन से लक्ष्य प्राप्त किए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है और उसके परिप्रेक्ष्य में क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्नाहीम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केलकर समिति ने प्रथम चरण में ए-320 विमान को ग्राउंड किए जाने हेतु मुआवजे, के रूप में अधीनस्थ ऋण, इक्विटी निवेश, इंडियन एयरलाइन्स कर्मचारी स्टॉक विकल्प, इंडियन एयरलाइन्स अंशदान और विमानन टरबाईन ईंधन मूल्य अंतर 922 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की सिफारिश की है। दूसरे चरण में, इंडियन एयरलाइन्स 1999-2000 में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश करने की स्थिति में होगी, जिससे वह मार्केट से लगभग 760 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर लेगी। केलकर समिति का निष्कर्ष था कि यदि उपर्युक्त पूंजी निवेश होता है, तो वर्ष 1999-2000 में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के बाद इसके अंशदान पर सरकार को कोई 48 प्रतिशत आय होगी। इस प्रकार सरकार के लिए बाजार मानकों के अनुसार यह एक अच्छा निवेश होगा। चूंकि इस समिति की सिफारिशों में विशाल वित्तीय प्रभाव निहित है, इसलिए इस मामले को वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के साथ उठाया गया है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा उधार पर दिए गए उत्पाद

6315. श्री दिलीप संधानी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण जो एक सार्वजनिक उपक्रम है, ने हॉट रोल्ड क्वाइल्स/प्लेट्स/शीट्स जैसे अपने उत्पादों को उधार पर दे रहा है और क्या इस प्रकार कुल बकाया धनराशि जिसकी वसूली न हो पाने की आशंका है वह 1000 करोड़ रुपए से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार उधार दिए गए उत्पादों का मूल्य कितना है और किन पक्षों पर बकाया है और इस प्रकार धनराशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाई की जा रही है,

(ग) इस संबंध में भविष्य में कंपनी द्वारा क्या एहतितायती उपाए किए जाएंगे ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) :

(क) से (ग) सेल मौजूदा वाणिज्यिक कार्य जिन्हें सेल के प्रतिस्पर्धियों ने भी अपना रखा है, को ध्यान में रखते हुए सेल अपनी विपणन नीति के कतिपय प्राचलों के आधार पर विशेष मामलों में अपने उत्पादकों को उधार देता है। यह सही नहीं है कि 1000 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया धनराशि की वसूली न हो पाने की आशंका है।

उधार की राशि को फील्ड अधिकारियों के साथ-साथ मुख्यालय स्तर पर मॉनीटर किया जाता है। जब कभी वसूली में विलंब होता है तो सेल लागू ब्याज सहित धनराशि वसूल करता है।

पार्टियों और उन पर बकाया उधार का विवरण देना सेल के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा।

विदेश यात्रा में भारी वृद्धि

6316 श्री टी. गोपाल कृष्ण : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को विदेश यात्राओं में भारी वृद्धि होने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो इन विदेश यात्राओं में से सरकार को कितना लाभ होने की आशा है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): (क) से (ग) आर्थिक उदारीकरण तथा लोगों की बढ़ती हुई समृद्धि के कारण विदेश यात्राओं में भारी वृद्धि होने की सम्भावना है। इन बातों से विदेशों में भारतीय व्यापार की वृद्धि विश्व के बारे में बेहतर समझ-बूझ तथा भारत में बेहतर वायु-सेवाएं जैसे अनुकूल प्रभाव होने की आशा है। विदेशों में यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए, विशेष रूप से अलग से सुविधाएं उपलब्ध करवाने के फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

हज यात्री

6317. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दो महीने से राष्ट्रीय कैरियर की हज यात्रियों को लाने-ले-जाने की वचनबद्धता के कारण एयर इंडिया की उड़ानों में भारी व्यवधान आया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्नाहीम) : (क) और (ख) 1997 की हज यात्रा के लिए अपने स्वयं के पांच बी 747-200 विमानों को लगा दिए जाने के कारण, एयर इंडिया को यूरोप, लन्दन, टोरंटो, हांग-कांग और ओसाका स्थिति स्टेशनों पर सेवाओं की आवृत्तियों को रद्द करना/कम करना पड़ा था। यह इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि चार्टर किराए के लिए उपलब्ध निजी विमानों को उपयुक्त नहीं पाया गया था।

मल्टीमीडिया सेवा

6318. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लखनऊ और कानपुर के बीच मल्टीमीडिया सेवा आरम्भ कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर जनता की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) 15.01. 97 को लखनऊ तथा कानपुर में मल्टीमीडिया सेवा चालू की गई थी। इसके अतिरिक्त दोनों केन्द्रों पर मल्टीमीडिया दूरसंचार केन्द्र भी स्थापित किए गए थे।

तब से कुछ मल्टीमीडिया कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

दूरसंचार केन्द्रों का प्रयोग जनता को मल्टीमीडिया सेवा की कार्य-प्रणाली का प्रदर्शन करने के लिए किया गया है।

दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी में कथित घोटाला

6319. श्री अजमीरा चन्दूलाल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी में 2 करोड़ रुपए के घोटाले में वहां के अधिकारियों के कथित अनाचार तथा अनुचित तरीकों के समाचार प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जबपाल रेड्डी) : (क) से (ग) फिल्म निर्देशकों और निर्माताओं सहित कुछ कलाकारों द्वारा आयोजित एक प्रेस सम्मेलन के दौरान, कतिपय समाचारपत्रों को भारत की आजादी के 50वें वर्ष के उपलक्ष्य में दूरदर्शन के कमीशंड कार्यक्रमों के आबंटन के संबंध में दूरदर्शन कर्मचारियों के खिलाफ अपराध के कुछ आरोप थे।

गुवाहाटी केन्द्र में कमीशंड कार्यक्रमों के आबंटन के लिए निर्माताओं के चयन संबंधी प्रक्रिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, जहां इस समय मामला न्यायाधीन है।

कैरिबजेट के साथ वेट-लीज

6320. श्री जी. ए. चरण रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने कैरिबजेट के साथ सितम्बर, 1996 में वेट-लीज समझौता समाप्त किया और कैरिबजेट के साथ 24 मिलियन अमरीकी डालर के मुआवजे का दावा किया;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते को समाप्त करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय को भी इस निर्णय की सूचना दी गई थी;

(घ) क्या एयर इंडिया को मुआवजा मिला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) और (ख) जी, हां। एयर इंडिया ने तकनीकी खामियों और विभिन्न नागर विमानन महानिदेशालय के मानकों को पूरा न करने के आधार पर कैरिबजेट के साथ करार तोड़ दिया था। एयर इंडिया ने 85 मिलियन अमरीकी डालर का दावा किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी घाट में उत्खनन कार्य

6321. श्री एस. बंगारप्पा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में उत्खनन कार्य करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा भारतीयों कंपनियों को अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि सरकार पश्चिमी घाट में उत्खनन कार्य की अनुमति देती है तो क्या इसके सागर, सोराबा तथा शिमोगा तालुका बुरी तरह प्रभावित होंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार कर्नाटक राज्य सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित विदेशी और स्वदेशी कंपनियों से स्वर्ण आदि के लिए पूर्वक्षेत्र लाइसेंस/खनन पट्टे हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार ने इस संबंध में नीति संबंधी दिशा-निर्देश निर्धारित करने के लिए वाणिज्य और उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने कर्नाटक के पश्चिमी घाट क्षेत्र में पूर्वक्षेत्र/खनन कार्यों के लिए इनमें से किसी भी कंपनी को अभी तक मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 में उच्च मूल्य और दुर्लभ खनिजों के गवेषण और खनन में विदेशी प्रौद्योगिकी और विदेशी भागीदारी को शामिल करने का प्रावधान है। खनिज रियायतों की मंजूरी सिर्फ खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के संगत सांविधिक प्रावधानों के तहत आवश्यक वन और पर्यावरण संबंधी अनुमति मिलने पर ही दी जा सकती है।

निजी विमान कंपनियों द्वारा करों का भुगतान

6322. डॉ. हरि सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी विमान कंपनियों के मालिक यात्रियों से वसूल किए गए कर का सरकार को भुगतान नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस कारण कितनी हानि हो रही है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप इन विमान कम्पनियों द्वारा प्रचालित की गई कुछ उड़ानों पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने निजी विमान कंपनियों के प्रचालकों द्वारा यात्रियों से लिए गए कर की समय पर वसूली के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इन्नाहीम) : (क) कुछ गैर-सरकारी विमानकम्पनियों ने सरकार को अंतर्देशीय विमान यात्रा कर सम्बन्धी बकायों की अदायगी का भुगतान नहीं किया है।

(ख) गैर-सरकारी विमान कम्पनियों से कुल देय बकाये की लम्बित वसूली 13.5.1997 की स्थिति के अनुसार इस प्रकार है :—

अंतर्देशीय विमान यात्रा कर बकाया	: 1851.34	लाख
ब्याज	: 921.10	लाख
जुर्माना	: 1500.08	लाख

(ग) और (घ) अंतर्देशीय विमान यात्रा कर की बकाया राशि की वसूली के लिए विगत में सात विमान रोके गए थे। इनमें से, पांच विमान सीमा शुल्क विभाग ने प्रचालकों द्वारा देय बकायों का भुगतान करने के बाद छोड़ दिए थे। विमानों में से एक जो नवम्बर, 1996 में रोका गया था, अदालत द्वारा निर्धारित की गई जमानत जमा कराने पर दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अंतरिम आदेश के आधार पर छोड़ा गया था। अंतर्देशीय विमान यात्रा कर की अदायगी का भुगतान न करने वाली विमान कंपनी के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाई की जाती है।

[हिन्दी]

आबू रोड के निकट हवाई अड्डे का विस्तार

6323. श्री परसराम मेघवाल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए आबू रोड के निकट हवाई अड्डे के विस्तार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी.एम. इन्नाहीम) : (क) से (ग) आबू रोड के निकट हवाई पट्टी राजस्थान राज्य सरकार की है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इस हवाई पट्टी के स्तरोन्नयन की कोई योजनाएं नहीं हैं।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी लोगों द्वारा संचालित डाकघर

6324. श्री भीमराव विष्णुजी बडाडे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघर गैर सरकारी लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कोपर गांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गैर-सरकारी लोगों द्वारा चलाए जा रहे डाकघरों की संख्या क्या है;

(ग) ऐसे लोगों को कितने रूपए माहवार का वेतन दिया जाता है;

(घ) क्या ऐसे डाकघरों को पूर्णतः विभाग द्वारा चलाए जाने संबंधी कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं। प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा कोई डाकघर नहीं चलाया जाता डाकघर या तो विभागीय कर्मचारियों द्वारा या विभाग द्वारा नियुक्त अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों द्वारा चलाए जाते हैं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

दूरसंचार संबंधी गणना दर

6325. श्री चन्द्र भूषण सिंह :

श्री राम सागर :

श्री संतोष मोहन देव :

डॉ. टी. सुब्बाराव रेड्डी :

श्री जी. ए. चरण रेड्डी :

श्री आर. साम्बासिवा राव :

डॉ. कृपा सिंधु भोई :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फेडरल कम्यूनिकेशन कमीशन (एफसीसी) ने सरकार से दूरसंचार की अंतर्राष्ट्रीय गणना दरों में भारी कमी करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारत ने विश्व व्यापार संघ के सामने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) फेडरल कम्यूनिकेशन कमीशन ने भुगतान दर (सेटलमेंट रेट) के कतिपय बैंच मार्क का प्रस्ताव किया है जिस पर चार से पांच वर्ष के भीतर अमल किया जाएगा।

(ख) फेडरल कम्यूनिकेशन कमीशन के प्रस्तावित नियम निर्माण

नोटिस का जवाब भारत सरकार ने इस प्रकार दिया है :—

(i) आई. टी. यू. के प्रावधान के अंतर्गत, गणना दरों को बहुपक्षीय मंच में तय किया जाता है तथा गणना दरों पर बहुपक्षीय वार्ता (नेगोशिएशन) उनके ढाँचे के अंतर्गत की जाती है। एक पक्षीय रूप से अंतर्राष्ट्रीय गणना दरों में परिवर्तन करना एफ. सी. सी. के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

(ii) संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर की जाने वाली कालों की अधिकता, यू. एस. कैरियरों द्वारा अपनाई गई बाजार रणनीति का परिणाम है।

(iii) बैंच मार्क तय करने की पद्धति में, भारत में विद्यमान आधारभूत तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा गया है तथा यह अनुचित है।

चूँकि विकासशील देशों में विकसित देशों की अपेक्षा आवक-कालों (टर्मिनेशन ऑफ काल्स) की संख्या अधिक है अतः गणना दरों का विभाजन का आधार 50:50 नहीं होना चाहिए।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय गणना दरों को कम करने से संबंधित फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन की प्रस्तावित नियम निर्माण की सूचना एक सामान्य सूचना थी जो विश्व के सभी देशों को भेजी गई थी तथा यह सूचना डब्ल्यू टी. ओ. के माध्यम से नहीं भेजी गई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर में नीलम की खानें

6326. श्री चमन लाल गुप्त : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले के पाडर क्षेत्र में नीलम की खानें खस्ताहाल हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इन खानों से बहुमूल्य नीलम की निकासी करने का विचार है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार यह कार्य किसी केन्द्रीय एजेंसी को सौंपने का है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) :

(क) से (च) उपलब्ध सूचना के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार ने नीलम के भण्डारों के विदोहन के लिए 1988 में अनिवासी भारतीय श्री लक्ष्मण रावत को अकेले एजेंट के रूप में नियुक्त किया था और जे. के. मिनरल लि. (राज्य का एक सावर्जनिक क्षेत्र का उपक्रम) ने इस उद्देश्य के लिए उसके साथ एक समझौता सम्पन्न किया। तथापि, केन्द्र सरकार ने इस व्यवस्था को अनुमोदित नहीं किया। दूसरी ओर मैसर्स गोल्डन फिल्मस एंड फाइनेंस लि. ने श्री रावत की नियुक्ति के खिलाफ एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में निर्णय लेने के बाद ही

राज्य सरकार आगामी कार्यवाही कर सकती है।

दार्जिलिंग में रेल परिवहन में सुधार

6327. श्री हनुमान मोस्लाह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में रेल परिवहन में सुधार लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) इस खण्ड पर 3 नए छोटी लाइन के रेल इंजन चलाने की योजना है। 18 नए सवारी डिब्बों को पहले से ही सेवा में लगाया जा चुका है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बंद पड़े विमानपत्तन

6328. श्री काशीराम राणा :

श्री अय्यन्ना पट्टरुधु :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों से कुछ विमानपत्तन बंद पड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बंद पड़े कितने विमानपत्तनों को अब तक कार्यशील बनाया गया है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्नाहीम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, 27 हवाई अड्डे प्रचालन में नहीं हैं।

(ख) और (ग) हवाई अड्डों को इस कारण बन्द कर दिया गया है चूँकि कोई भी विमानकंपनियाँ इन स्थानों के लिए किन्हीं भी उड़ानों का प्रचालन नहीं करती। यह सम्पूर्ण रूप से विमानकंपनियों पर निर्भर करता है कि वे यह निर्णय लें कि क्या उन्हें किसी विशेष हवाई अड्डे पर प्रचालन करना होगा अथवा नहीं। विमानपत्तन प्राधिकरण इन हवाई अड्डों के लिए सुरक्षित प्रचालनों हेतु आवश्यक सुविधाएँ जुटाएगा। पिछले तीन वर्षों के दौरान, अकोला, हुबली, कोटा और गया पर चार हवाई अड्डों को प्रचालनात्मक बनाया गया है।

[अनुवाद]

सुन्दरवन, पश्चिम बंगाल में विश्व बैंक परियोजना

6329. श्री समीक लाहिड़ी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार विश्व बैंक की सहायता से पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरवन के विकास का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वहां पर्यटन संबंधी परियोजना कब तक आरम्भ की जाएगी?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना):

(क) से (ग) पर्यटन विभाग के पास, सुंदरवन में पर्यटन के विकास हेतु विश्व बैंक की सहायता लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, पर्यटन विभाग ने, सुंदरवन में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 200.44 लाख रुपए की राशि की केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।

कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं

6330. श्री अंचल दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोगों के धन और समय की बचत करने की दृष्टि से देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सुगमता से पहुंच वाले कस्बों में रेल आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) जाजपुर-क्योंझर रोड जंक्शन में, जो उड़ीसा के कई जिलों के लिए लाभकारी है और इसका रेल की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान है, कम्प्यूटरीकृत रेल आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करना एक सतत् प्रक्रिया है तथा स्टेशनों पर इन सुविधाओं की व्यवस्था मानदंडों के अनुसार तथा धन उपलब्ध होने पर की जाती है। प्रतिदिन के आरक्षण संबंधी कार्यभार के मानदंड की अपेक्षा जाजपुर क्योंझर रोड जंक्शन पर आरक्षण संबंधी कार्यभार काफी कम है तथा फिलहाल इन सुविधाओं की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं है। मानदंड पूरा होने के बाद इस पर विचार किया जा सकता।

पूर्व रेलवे के अंतर्गत नई रेल लाइन हेतु सर्वेक्षण

6331. डॉ. असीम बाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के अंतर्गत नई रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

क्र. संख्या	सर्वेक्षण का नाम
1	2
1.	राजगीर से गया तक एक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण अद्यतन करना।
2.	गिरिडीह से कोडरमा तक एक नई बड़ी लाइन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।
3.	रांची-हजारीबाग-गया तक एक नई बड़ी लाइन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।

1

2

4. सियालदह-दम-दम तक एक नई बड़ी लाइन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।
5. गिरिडीह से कोडरमा तक एक नई बड़ी लाइन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण अद्यतन करना।
6. पटना में गंगा पुल के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और विस्तृत जांच करना।
7. तारकेश्वर से आरामबाग तक नई लाइन के लिए टोह किस्म का व्यावहारिकता एवं यातायात सर्वेक्षण।
8. बोनगांव-पेन्नापोल रेल लाइन को पुनः खोलने के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।
9. देहरी-ऑन-सोन से बरवाडीह तक एक नई बड़ी लाइन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।
10. कोडरमा-हजारीबाग-गडवा रोड तक एक नई बड़ी लाइन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।
11. चुनार से सासाराम तक एक नई बड़ी लाइन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।
12. डुमका से बैद्यनाथ धाम तक एक नई बड़ी लाइन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण को अद्यतन करना।
13. पीरपैटी से एन. टी. पी. सी. के मैरी-गो-राउंड तक एक नई बड़ी लाइन के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।
14. गया-छतरा बड़ी रेल लाइन के लिए टोह इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।
15. फतुआ-इस्लामपुर-राजगीर-मानपुर-गया लाइन के लिए सर्वेक्षण।
16. बज-बज से फल्टा तक एक नई बड़ी लाइन के लिए टोह इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।
17. बज-बज-नामखाना-फ्रेजरगंज के बीच एक नई बड़ी लाइन के लिए टोह इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण।

इंडियन एयर लाईंस तथा एयर इंडिया में विमान चालकों की कमी

6332. श्री के. एस. रायडू : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयर लाईंस तथा एयर इंडिया में विमान चालकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कई विमान चालक त्यागपत्र देकर दूसरी एयरलाइनों में शामिल हो गए हैं; और

(घ) इन त्यागपत्रों के क्या कारण हैं तथा भविष्य में इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इन्नाहीम) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स में कमांडरों की कोई कमी नहीं है। तथापि, एयर इंडिया में 28 प्रशिक्षित कमांडरों की कमी है।

(ग) और (घ) जनवरी, 1996 में प्रबन्धक वर्ग और भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद इंडियन एयरलाइन्स से किसी भी विमानचालक ने त्यागपत्र नहीं दिया। जनवरी, 1996 से 30 अप्रैल, 1997 की अवधि के दौरान व्यक्तिगत/चिकित्सा कारणों से तीन कमांडरों और एक सह-विमानचालक ने एयर इंडिया की सेवा से त्यागपत्र दिया। एयर इंडिया उत्पादकता-सम्बद्ध-प्रोत्साहन स्कीमों को लागू करने के लिए कदम उठा रहा है जिससे भत्तों के कुल पैकेज को विमानचालकों के लिए आकर्षक बनाया जा सके।

आई. ए. क्रेक फोर्स

6333. श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारीका : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 फरवरी, 1997 के "द इंडियन एक्सप्रेस" दिल्ली संस्करण में "आई. ए. क्रेक फोर्स टु टेम पैसंजर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्रेक फोर्स की स्थापना से क्या नतीजे मिलने की संभावना है; और

(ग) उक्त बल में कितने कर्मी होंगे ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इन्नाहीम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) क्रेक फोर्स का उद्देश्य, इंडियन एयरलाइन्स सुरक्षा

तन्त्र में चुनिंदा युवा तथा शारीरिक रूप से उपयुक्त कार्मिकों को निरस्त्र संघर्ष में व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है ताकि किसी अप्रिय घटना के घटित होने पर रक्षा की प्रथम पंक्ति तैयार हो सके। उक्त फोर्स मौजूदा नफरी का हिस्सा होगी।

[हिन्दी]

किराये के भवनों में डाकघर

6334. श्री हरिवंश सहाय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली मंडल के कितने डाकघर 1982 से आज तक निजी मकानों में कार्यरत हैं; और

(ख) कितने डाकघरों को निजी आवास खाली करने पड़े हैं तथा इसके क्या कारण थे ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) प्राइवेट मकानों में 1992 से आज की तारीख तक चल रहे दिल्ली सर्किल के डाकघरों की संख्या इस प्रकार है :—

1992	1993	1994	1995	1996	1997
(12.5.97 तक)					
217	216	212	210	206	203

(ख) 1. 1. 92 से 30. 4. 97 तक 26 डाकघरों को किराए के भवनों से हटाकर किराए के उपयुक्त वैकल्पिक भवन में/विभागीय भवन में अंतरित कर दिया गया है।

भवन खाली करने के कारण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1.1.92 से 30.4.97 तक की अवधि के दौरान किराए के भवनों से अंतरित किए गए डाकघरों का ब्यौरा

क्रम सं.	डाकघर का नाम	खाली करने के कारण
1	2	3
1.	लेखू नगर डाकघर	मकान मालिक के निरंतर अनुरोध पर
2.	भारत नगर डाकघर	-वही-
3.	जी. एच.-8 पश्चिम विहार डाकघर	-वही-
4.	मैडन होटल डाकघर	होटल के अधिकारियों के अनुरोध पर
5.	आदर्श नगर डाकघर	मकान मालिक के अनुरोध पर
6.	शकूर बस्ती आर. एस. डाकघर	-वही-
7.	नरेला डाकघर	माननीय न्यायालय के आदेश पर
8.	डी. सी. एम. मिल डाकघर	मिल बंद होने के कारण
9.	रोहिणी डाकघर	विभागीय भवन का निर्माण होने पर
10.	"बी" ब्लॉक पश्चिम विहार डाकघर	-वही-
11.	पश्चिम विहार डाकघर	-वही-
12.	राजौरी मार्केट डाकघर	मकान मालिक के अनुरोध पर

1	2	3
13.	पंजाबी बाग सेक्टर-III	-वही-
14.	महावीर नगर डाकघर	-वही-
15.	जेल रोड डाकघर	-वही-
16.	एम. बी. एस. नगर डाकघर	-वही-
17.	ललित माकन नगर डाकघर	-वही-
18.	गोविन्दपुरी डाकघर	-वही-
19.	शकरपुर डाकघर	-वही-
20.	पुराना सीलमपुर डाकघर	-वही-
21.	सुभाष पार्क डाकघर	भवन की जर्जर हालत के कारण
22.	शाहदरा डाकघर	-वही-
23.	ब्रह्मपुरी डाकघर	-वही-
24.	थान सिंह नगर डाकघर	मकान मालिक के अनुरोध पर
25.	पटेल नगर दक्षिण डाकघर	माननीय न्यायालय के आदेश पर
26.	श्री अरविन्द आश्रम डाकघर	आश्रम की अथॉरिटीज के अनुरोध पर

**उत्तर प्रदेश के सम्मल में रेल कोच फैक्टरी
स्थापित करना**

6335. श्री डी. पी. यादव :

श्री हरिवंश सहाय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के औद्योगिक पिछड़े जिले में रेल कोच फैक्टरी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल कोच फैक्टरी और व्हील एक्सल फैक्टरी पूर्वी उत्तर प्रदेश से किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके स्थान पर कोई अन्य फैक्टरी स्थापित किए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दूरदर्शन/आकाशवाणी का नियतकालिक उपयोग

6336. श्री अन्ना साहिब एम. के. पाटिल :

श्री प्रमोद महाजन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को राज्य के लोगों के साथ साप्ताहिक संवाद के लिए आकाशवाणी/दूरदर्शन के नियमित नियतकालिक उपयोग की अनुमति दी है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ग) क्या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वे जनहित में साप्ताहिक आधार पर लोगों से सम्पर्क स्थापित कर सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकेन्द्रीकृत उपयोग संबंधी ऐसी उदार नीति में क्या-क्या परिवर्तन किए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) अनुमति दी गई थी हालांकि वह नियमित आधार पर नहीं बल्कि तकनीकी व्यवहार्यता और कार्यक्रम संबंधी अत्यावश्यकताओं के अधीन थी।

(ख) से (ङ) "जन्म भूमि" नामक कार्यक्रम को अब तक दो बार 28 अप्रैल तथा 5 मई, 1997 को प्रसारित किया गया है। तकनीकी व्यवहार्यता और कार्यक्रम संबंधी अन्य अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित राजधानियों में स्थित केंद्रों से इसी प्रकार के कार्यक्रमों हेतु मुख्यमंत्रियों के अनुरोधों पर भी विचार किया जा सकता है।

रेलगाड़ियों में रसोई खान के लिए ठेका दिया जाना

6337. श्री लाल बाबू प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह

मतानों की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेलमार्गों का ज्वैरा क्या है जिनमें नई खान-पान नीति के क्रियान्वयन के पश्चात् रस्ती का न होना ठेके दिए गए हैं तथा ठेकेदारों के नाम तथा पते क्या हैं;

(ख) क्या उक्त ठेकों में से अधिकांश ठेके अपने मनचाहे ठेकेदारों को दिए गए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार ठेके दिए जाने के संबंध में उक्त मनमाने ढंग को समाप्त किए जाने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ज्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) एक विवरण संलग्न है

(ख) से (ङ) जी, नहीं। नीति के अनुसार, क्षेत्रीय रेलों द्वारा पेट्रीकारों की व्यवस्था हेतु लाइसेंस, प्रेस अधिसूचनाओं के माध्यम से व्यावसायिक और प्रतिष्ठित खान-पान प्रबंधकों से आवेदन आमंत्रित करके गुण-दोष के आधार पर दिए जाते हैं। लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस रखने की सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं है—

विवरण

क्र. सं.	गाड़ी सं. और नाम	लाइसेंसधारियों के नाम और पते
1	2	3
1.	1025/1026 प्रगति एक्सप्रेस	मैसर्स वी. पी. दिवाकर, रामा पंढरीनाथ निवास, प्लाट नं. 6, तीसरी मंजिल, 6 ए तड़ीवाला रोड, पुणे-400061
2.	7617/7618 तपोवन एक्सप्रेस	मै. भोल कैटरर्स, 1 ए/लिंड पिरखन स्ट्रीट, शिराज मेन्सन, मुम्बई-8
3.	1077/1078 झेलम एक्सप्रेस	मै. महेश एच. कैटरर्स एण्ड कं., आर. एम. एस. पोस्ट ऑफिस रेलवे स्टेशन परिसर के पीछे, मुंबई सेन्ट्रल
4.	1019/1020 कोणार्क एक्सप्रेस	मै. ए. ए. कैटरिंग कं. 9, ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, छठी मंजिल, कलकत्ता-1
5.	2027/2028 पुणे-मुंबई छ. शि. ट. शताब्दी एक्सप्रेस	मै. आहार कैटरर्स, आर. एम. एस. पोस्ट ऑफिस रेलवे स्टेशन परिसर के पीछे, मुंबई सेन्ट्रल
6.	3003/3004 हवड़ा-मुंबई मेल	मै. श्री हकिम चन्द्र एण्ड सन्स, आर. एम. एस. ऑफिस के पीछे, मुंबई सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन, मुंबई

1	2	3
7.	2307/2308 हवड़ा-जोधपुर मेल	मै. ए. बी. सी. इंटरप्राइजेज, 56 नेता जी सुभाष मार्ग, कलकत्ता-700001
8.	2401/2402 श्रमजीवी एक्सप्रेस	मै. पूर्वांचल कैटरर्स देशरथ प्रसाद द्विवेदी मार्ग स्वदेश सदन, सिविल लाइन-2, गोरखपुर-2
9.	2019/2020 हवड़ा-बोकारो स्टील सिटी शताब्दी एक्सप्रेस	मै. आर. के. एसोसिएट्स, होटल सागर इंटरनेशनल दुर्ग (मध्य प्रदेश)
10.	2005/2006 नई दिल्ली-कालका शताब्दी एक्सप्रेस	मै. पी. के. एसोसिएट्स, 9/60 पंजाबी बाग नई दिल्ली
11.	2011/2012 नई दिल्ली चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस	--वही--
12.	2013/2014 नई दिल्ली-अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस	मै. पी. के. एसोसिएट्स, 9/60 पंजाबी बाग, नई दिल्ली
13.	6687/6688 नवयुग एक्सप्रेस	--वही--
14.	4067/4068 मालवा एक्सप्रेस	मै. हकमी चन्द डी. चट्टे, 5527 शोरा मोती पहाड़गंज, नई दिल्ली
15.	4659/4660 अमृतसर एक्सप्रेस	--वही--
16.	2311/2312 हवड़ा-कालका मेल	मै. आर. सी. गोयल 7787/88 रामनगर होटल एयरलाइन्स के समीप, नई दिल्ली-55
17.	4681/4682 लुधियाना सुपर-फास्ट एक्सप्रेस	--वही--
18.	8101/8102 मुरी एक्सप्रेस	श्री के. आर. शर्मा, बी-106 नरवाना अपार्टमेंट्स, पहाड़गंज, नई दिल्ली
19.	4083/4084 महानंदा एक्सप्रेस	मै. सिंह कैटरर्स एण्ड वेन्डर्स, दूसरा तल जाजू अपार्टमेंट्स, 7/18 कालकाजी एक्सप्रेस, नई दिल्ली-13
20.	2017/2018 नई दिल्ली-देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस	मै. ब्रूनस कैटरर्स, सी.-40 नेहरू कालोनी देहरादून
21.	2015/2016 नई दिल्ली-अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस	मै. फूड वर्ल्ड, ई/176 ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-48

1	2	3
22. 4057/4058 काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस	मै. एक्सीलेंट फूड सर्विसेज, शोराकोठी, पहाड़गंज, नई दिल्ली	
23. 2421/2422 नई दिल्ली-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस	मै. पी. आर. कैटरिंग कं., 9 ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, छठा तल कलकत्ता-24	
24. 2423/2424 नई दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस	--वही--	
25. 1015/1016 कुशीनगर एक्सप्रेस	मै. आर. के. एसोसिएट्स, ए. सी.-I, फ्लैट नं. 1 जंगपुरा एक्सटेंशन, भोगल, शाही मस्जिद के पीछे, नई दिल्ली	
26. 1033/1034 पुष्पक एक्सप्रेस	--वही--	
27. 5011/5012 राप्तीसागर एक्सप्रेस 5089/5090, 5011ए/5012ए तथा 5091/5092	मै. भारत कैटरिंग कोर, 51, वैभव अपार्टमेंट्स बुद्धमार्ग, पटना	
28. 5045/5046 गोरखपुर-अहमदाबाद	मै. वरदान रेस्टोरेंट एण्ड कैटरर्स रेलवे स्टेशन रोड, गोरखपुर	
29. 5047/5048 पूर्वांचल एक्सप्रेस	मै. वरदान रेस्टोरेंट एण्ड कैटरर्स रेलवे स्टेशन रोड, गोरखपुर	
30. 5087/5088 अमरनाथ एक्सप्रेस 5087ए/5088ए	--वही--	
31. 5049/5050 गोरखपुर-हवड़ा एक्स.	--वही--	
32. 5205/5206 लिचववी एक्सप्रेस	मै. पूर्वांचल कैटरर्स, 68 न्यू धर्मपुर शाहपुर/गोरखपुर	
33. 5063/5064 अवध एक्सप्रेस	मै. वरदान रेस्टोरेंट एण्ड कैटरर्स रेलवे स्टेशन रोड, गोरखपुर	
34. 6519/6520 गुवाहाटी-बैंगलूरु एक्सप्रेस	श्री रमन डेका, हाथीगांव अनुपम पथ, गुवाहाटी-781006	
35. 5651/5652 लोहित एक्सप्रेस	श्री आलोक कुमार घोष प्रथम तल, 13 बी. टी. रोड, पोस्ट ऑफिस शिथिर मोड़, कलकत्ता-50	
36. 2007/2008 मद्रास-मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस	मै. मद्दूर कैटरर्स. बैंगलूरु	

1	2	3
37. 2023/2024 मद्रास-कोयम्बदूर शताब्दी एक्सप्रेस	मै. गोल्डन कैटरर्स, बैंगलूरु	
38. 2431/2432 त्रिवेन्द्रम-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस	मै. आर. के. एसोसिएट्स नई दिल्ली	
39. 2429/2430 बैंगलूरु-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस	मै. पी. के. एसोसिएट्स नई दिल्ली	
40. 2607/2608 लालबाग एक्सप्रेस	श्री इम्तियाज अहमद, बैंगलूरु	
41. 2617/2618 मंगला एक्सप्रेस	मै. एन. बी. के. कैटरिंग सर्विस, कालीकट/ मै. सी. के. के. मोइदु कोचीन	
42. 2633/2634 मद्रास-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस	मै. आर. के. एसोसिएट्स, नई दिल्ली	
43. 2637/2638 मद्रास ए. मोर-मुदरै कुदाल एक्सप्रेस	श्री पी. के. सफी विल्लुपुरम	
44. 2675/2676 कोवई एक्सप्रेस	मै. एरेंट कैटरिंग, कालीकट	
45. 6335/6336 नगरकोइल-गांधीधाम एक्सप्रेस	मै. सिंदूर कैटरर्स, गुंतकल	
46. 6339/6340 नगरकोइल मुंबई छ. शि. ट.	मै. के. एम. ए. कैटरर्स	
47. 6341/6342 एर्णाकुलम त्रिवेन्द्रम इंटरसिटी एक्सप्रेस	मै. सी. के. के. कैटरिंग सर्विस, कोचिन	
48. 2479/2480 गोवा एक्सप्रेस	मै. आर. के. एसोसिएट्स, ए. I प्लॉट नं. 1, जंगपुरा एक्सटेंशन, भोगल, शाही मस्जिद के पीछे नई दिल्ली	
49. 7021/7022 दक्षिण एक्सप्रेस	--वही--	
50. 2711/2712 पिनाकिनी एक्सप्रेस	मै. ए. बी. सी. इंटरप्राइजेज, 56 नेताजी सुभाष मार्ग, तीसरा तल, कलकत्ता।	
51. 2713/2714 सतवाहन एक्सप्रेस	--वही--	
52. 7245/7246 रत्नाचल एक्सप्रेस	मै. ए. ए. कैटरिंग कं. 9 ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, कलकत्ता	
53. 7569/7570 सिंदरानाद-जयपुर एक्सप्रेस	मै. पी. आर. कैटरिंग कं. 9 ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, कलकत्ता	
54. 7061/7062 शिरडी एक्सप्रेस	मै. मिडवेस्ट कैटरिंग, द्वारा बी. आर. आर. कटिक्टर, तुनी	

1	2	3
55. 2801/2802	पुरूषोत्तम एक्सप्रेस	मै. आर. के. एसोसिएट्स, ए 1, प्लाट नं. 1, जंगपुरा एक्सप्रेसन, भोगल, शाही मस्जिद के पीछे, नई दिल्ली
56. 8401/8402	पुरी-ओखा एक्सप्रेस	मै. पूर्वांचल कैटरर्स, 68 न्यू धर्मपुर, शाहपुर-गेट्याबाटिका, गोरखपुर-273006.
57. 8301/8302	संबलपुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस	मै. आर. के. एसोसिएट्स, होटल सागर इंटरनेशनल, दुर्ग (मध्य प्रदेश)
58. 2021/2022	हवड़ा-राठरकेला शताब्दी एक्सप्रेस	मै. कथलीन कैटरर्स, 2 यू. के. दत्ता रोड, कलकत्ता-28 (29.9.96 तक)
		मै. आर. के. एसोसिएट्स 522 जीटी रोड (दक्षिण) हवड़ा (30.9.96 से)
59. 8033/8034	हवड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस	मै. महेश एच. कैटरर्स ओकारा प्रोविजन स्टोर्स, 6 टूटी चौक, पहाड़गंज, नई दिल्ली
60. 2933/2934	कर्णावती एक्सप्रेस	--वही--
61. 2009/2010	मुंबई सेन्ट्रल-अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस	मै. बून कैटरर्स, मुंबई सें. रेलवे स्टेशन परिसर, आर. एम. एस. ऑफिस के पीछे, मुंबई-8
62. 2955/2956	जयपुर सुपर-फास्ट एक्सप्रेस	मै. हकमीचंद डी. संस एण्ड कं., मुंबई सें. स्टेशन परिसर, आर. एम. एस. ऑफिस के पीछे, मुंबई-8

उत्तर प्रदेश और राजस्थान में निर्मित होटल, यात्री निवास और पर्यटन लॉज

6338. श्री महेन्द्र सिंह भाटी :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार की सहायता से उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बनाए गए होटलों, यात्री निवासों और पर्यटन लॉजों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन राज्यों में और अधिक होटलों, यात्री निवासों और पर्यटन लॉजों के निर्माण के लिए उक्त राज्य सरकारों से केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) लम्बित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दी जाएगी ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना):

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रीय सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश और राजस्थान में स्वीकृत किए गए यात्री निवासों तथा पर्यटक लॉजों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन राज्यों में केन्द्रीय सहायता से किसी होटल का निर्माण नहीं किया गया।

(ख) से (घ) पर्यटन विभाग, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को उनसे प्राप्त विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, उनके गुण-दोषों, पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटक स्थलों की पहचान और विकास करना सतत प्रक्रिया है तथा मुख्यतः यह राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की जिम्मेदारी है।

विवरण

परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)
1994-95	
1. हनुमानगढ़, राजस्थान में पर्यटक बंगला	18.76
2. भीलवाड़ा, राजस्थान में पर्यटक बंगला	18.76
3. अजमेर, राजस्थान में यात्रिका	26.99
4. मेहंदीपुर का बालाजी, राजस्थान में यात्रिका	15.38
5. केला देवी राजस्थान में यात्रिका	20.24
6. चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में यात्री निवास	35.74
1995-96	
1. चाहेटन, राजस्थान में पर्यटक कुटीर	18.27
2. किराड़ू, राजस्थान में पर्यटक रिजार्ट	18.27
3. खींचन, राजस्थान में पर्यटक परिसर	29.15
4. महाबीर टीबा, राजस्थान में पर्यटक रिजार्ट	18.26
1996-97	
1. चुरू, राजस्थान में पर्यटक बंगला	28.76

प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टी वी कैमरा लगाया जाना

6339. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्रीमती केतकी देवी सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपराधियों पर नजर रखने हेतु प्रमुख रेलवे स्टेशनों में क्लोज सर्किट टी वी कैमरा लगाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर अनुमानतः कितनी धनराशि व्यय होगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी, हाँ। रेलों 15 महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर सी० सी० टी० वी० कैमरे लगाने का एक प्रस्ताव तैयार कर रही है ताकि आरक्षण खिड़कियों, दलालों की गतिविधियों, यात्रियों के व्यवहार, अधिक भीड़-भाड़ तथा दंगों एवं असामाजिक तत्त्वों पर भी निगरानी रखी जा सके।

(ग) चालू वित्त वर्ष 1997-98 में इस उपस्कर को लागू करने का प्रस्ताव है।

(घ) प्रति स्थान अनुमानित लागत लगभग 25 से 30 लाख रुपए के बीच होगी।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में डाकघर

6340. श्री सुरेश प्रभु :

श्री कच्छरुभाक राउत :

श्री दत्ता मेघे :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जिले-वार कितने डाकघर कार्यरत हैं;

(ख) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने डाकघर कार्यरत हैं;

(ग) महाराष्ट्र में जिले-वार किन-किन गांवों में डाक सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(घ) जनता द्वारा डाकघर खोलने के संबंध में कितने अध्यावेदन प्राप्त हुए हैं और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) ऐसे गांवों में डाकघर कब तक खोले जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) महाराष्ट्र में कार्य कर रहे डाकघरों की जिलावार संख्या, राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे डाकघरों की जिलावार संख्या तथा महाराष्ट्र के उन गांवों की जिलावार संख्या, जहां डाक सुविधाएं सुलभ नहीं हैं, संलग्न विवरण में दी गई है।

उन गांवों के जिलावार नाम जहां डाकघर के रूप में डाक सुविधाएं सुलभ नहीं हैं, एकत्र किए जा रहे हैं और सभा-पटल पर रख दिए जाएंगे।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) डाकघर वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत खोले जाते हैं बशर्ते कि मानदंड पूरे होते हों और संसाधन उपलब्ध रहें। वार्षिक योजना 1997-98 के दौरान महाराष्ट्र के गांवों में 35 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

विवरण

महाराष्ट्र में कार्य कर रहे डाकघरों का जिलावार व्यौरा, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या तथा बिना डाकघर वाले गांवों की संख्या :

क्र. सं.	जिले का नाम	डाकघरों की कुल संख्या	ग्रामीण क्षेत्र में डाकघरों की कुल संख्या	बिना डाकघर वाले गांवों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	मुम्बई	271	—	—
2.	अहमदनगर	640	607	909
3.	अकोला	393	364	1236
4.	अमरावती	447	406	1287
5.	औरंगाबाद	—	—	—
6.	बुलडाना	347	326	962
7.	भण्डारा	296	285	1614
8.	बीड	320	299	958
9.	चन्द्रपुर	320	306	1475
10.	धुले	451	422	1165
11.	गढ़चिरोली	187	184	1495
12.	जालना	174	163	674
13.	जलगांव	512	473	654
14.	कोल्हापुर	546	503	686
15.	लातूर	248	234	645
16.	नागपुर	341	249	1375
17.	नांदेड़	456	445	1086
18.	नासिक	658	593	1190
19.	उस्मानाबाद	274	255	455
20.	पुणे	784	632	1197
21.	परभनी	302	290	1139
22.	रायगढ़	431	386	1432
23.	रत्नागिरि	638	619	918
24.	सोलापुर	529	464	384
25.	सतारा	650	613	924
26.	सांगली	412	386	342
27.	सिंधुदुर्ग	353	260	354
28.	थाणे	404	316	1439
29.	वर्धा	185	165	802
30.	यकतमाल	366	344	1492
कुल		12317	10923	28314

[अनुवाद]

कर्नाटक में नए टेलीफोन एक्सचेंज

6341. श्री अनन्त कुमार हेगड़े : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1997-98 के दौरान कर्नाटक में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर ये एक्सचेंज स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) इन नए टेलीफोन एक्सचेंजों के कब तक स्थापित होने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1997-98 के दौरान जिन स्थानों पर नए एक्सचेंजों को चालू किया जाना है उनके नामों का निर्णय अभी नहीं किया गया है।

टेलीफोन उद्योग-श्रीनगर

6342. श्री गुलाम रसूल कार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीनगर में टेलीफोन उद्योग में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) श्रीनगर में यह उद्योग कब स्थापित किया गया था;

(ग) क्या सरकार की इस उद्योग का विस्तार करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) फिलहाल आई टी आई की श्रीनगर यूनिट में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 160 है।

(ख) 1969 में श्रीनगर में यूनिट स्थापित की गई थी।

(ग) से (ङ) इस यूनिट की उत्पादन-क्षमता 2 लाख टेलीफोन प्रति वर्ष है। तथापि श्रीनगर में विद्यमान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के कारण, यह यूनिट अपनी क्षमता का 25% भी उपयोग नहीं कर सकी है। अतः फिलहाल इसकी क्षमता के विस्तार का प्रश्न ही नहीं उठता।

डाकघरों के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण

6343. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1992 में नालिया, 1981 में खावडाडा, 1983 में खेडा और 1993 में कुकमा गांवों में डाक भवन के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया था; और

(ख) यदि हां, तो 15 वर्षों से अधिग्रहीत की गई भूमि का किस प्रकार उपयोग हो रहा है और इस अधिग्रहीत की गई भूमि पर डाकघर न होने से गांव वालों को क्या नुकसान हो रहे हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) फंड की कमी के कारण, विभाग निर्माण-कार्य शुरू नहीं कर सका और इन गांवों में डाकघर न होने से ग्रामवासियों को कोई हानि नहीं हो रही है क्योंकि निकटतम डाकघर उन्हें सेवा प्रदान कर रहा है।

वायुयानों के लिए विदेशी ऋण

6344. डॉ. सी. सिल्वेरा :

श्री प्रमोद महाजन :

श्री येल्लैया नंदी :

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया को तीन हवाई बस ए-310 और बोईंग 747-400 वायुयान शामिल करने के लिए विदेशी ऋण प्राप्त करने की अनुमति मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि अपेक्षित है; और

(ग) विदेशी वाणिज्यिक ऋण कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्नाहीम) : (क) अतिरिक्त ए-310 और बोईंग 747-400 विमान को शामिल करने के लिए परियोजना प्रस्ताव को सरकार ने अभी तक अनुमोदित नहीं किया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राजस्थान में विमान सेवाओं का उपयोग करने वाले भारतीय/विदेशी यात्री

6345. श्री भेरू लाल मीणा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में कितने भारतीय और विदेशी यात्रियों ने विमान सेवाओं का उपयोग किया और उससे कितनी आय प्राप्त हुई;

(ख) क्या यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्तमान विमान सेवाएं पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्नाहीम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में इंडियन एयरलाइन्स की सेवाओं का लाभ उठाने वाले यात्रियों की संख्या और उनसे अर्जित धन राशि का उल्लेख नीचे किया गया है :—

	यात्रियों की संख्या	अर्जित राशि (लाख में)
1993-94	1,78,012	1788.00
1994-95	1,38,919	1735.16
1995-96	1,12,523	2110.82

इसके अतिरिक्त, गैर-सरकारी विमानकंपनियां राजस्थान में भी अपनी सेवाएं प्रचलित कर रही हैं।

(ख) जी, हां,

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

गाड़ों के बिना मालगाड़ियों का चलाया जाना

6346. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या रेल मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल में मालगाड़ियों को बिना गाड़ों के चलाया जा रहा है और इसके कारण पूर्व रेलवे में गरवा रोड पर और दक्षिण मध्य रेलवे में गोलेगुन्डा में बड़ी-बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त रेलगाड़ियों में काम करने के लिए गार्ड उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जिन गाड़ों ने कार्यभार ले लिया था उनसे जाने के लिए कहा गया और संबंधित अधिकारी द्वारा रेलगाड़ियों को बिना गार्ड के चलाए जाने की अनुमति दे दी गई;

(ङ) यदि हां, तो मालगाड़ियों में गाड़ों की तैनाती न करने के लिए कौन-कौन से अधिकारी दोषी पाए गए और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्रवाई की गई;

(च) क्या ऐसे उदाहरण हैं जिनमें कर्मचारियों को सुरक्षा उपाय नियम तोड़ने पर मजबूर किया गया और परिणामस्वरूप दुर्घटनाएं घटित हुई;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) प्रतिमाह गाड़ों की उपलब्धता के बावजूद कितनी संख्या में रेलगाड़ियां बिना गार्ड के चलाई जा रही हैं;

(झ) क्या यह प्रणाली अन्य जोंनों में भी लागू है; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी, नहीं। बहरहाल, सामान्य और सहायक नियमों में निर्धारित पर्याप्त ऐहतियात बरतते हुए केवल विशेष परिस्थितियों में बिना गाड़ों के गाड़ियां चलाने की अनुमति दी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(व) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) कुछ नहीं।

(झ) जी, नहीं।

(ञ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

6347. श्री गोरखनभाई जावीया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना के परिणामस्वरूप उनके मंत्रालय के दूरसंचार विभाग का कार्य नीतियां बनाने और संचालनगत पहलुओं तक ही सीमित रह गया है; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय और भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले कार्यों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) 25 जनवरी, 97 को प्रख्यापित भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अध्यादेश (1997 का सं. 11) के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए एक स्तरीय क्षेत्र प्रदान करने और निवेशकों में अधिक विश्वास पैदा करने हेतु 20 फरवरी, 1997 से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना की थी। तत्पश्चात् भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अध्यादेश, 1997 की संसद के अधिनियम से प्रतिस्थापित किया गया। आशा है कि प्राधिकरण के अधिकार और कार्य, इसे दूरसंचार क्षेत्र के लिए प्रभावी रूप से सजग प्रहरी की भूमिका निभाने में मदद करेंगे।

(ख) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ, सार्वभौमिक सेवा प्राप्त करना, दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता को विश्व स्तरीय बनाना, उपभोक्ताओं के मांगों को उचित मूल्य पर पूरा करने हेतु व्यापक सेवाएं प्रदान करना, बुनियादी और मूल्य-वर्द्धित सेवाओं में भारत में पंजीकृत कंपनियों को भागीदारी का अवसर देना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और प्रोत्साहन करने के लिए प्रबंध करना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है। इस नीति के परिप्रेक्ष्य में, यह महसूस किया गया था कि सेवा-प्रदाता कार्यों से नियामक को अलग करने की आवश्यकता है। टी आर ए आई को सौंपे गए कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) एक नए सेवा प्रदाता को शुरू करने की आवश्यकता और समय की सिफारिश करना,

(ii) सेवा प्रदाता को लाइसेंस के नियम और शर्तों की सिफारिश करना,

(iii) विभिन्न सेवा-प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी इंटरकनेक्शन सुनिश्चित करना,

(iv) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने से अर्जित राजस्व की हिस्सेदारी की व्यवस्थाओं को विनियमित करना,

- (v) लाइसेंस के नियम और शर्तों का अनुपालन न करने पर लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश करना,
- (vi) लाइसेंस के नियम और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना,
- (vii) दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना,
- (viii) सेवा प्रदाताओं के बीच विवादों का निबटारा करना,
- (ix) भारत में और बाहर दूरसंचार प्रदान करने के लिए दरें निर्धारित करना, तथा

(x) सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करना और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई ऐसी सेवा का आवधिक सर्वेक्षण करना।

हालांकि टी आर ए आई को प्रदत्त भूमिका और अधिकारों में प्राधिकरण को यथेष्ट स्वायत्तता की परिकल्पना की गई है, तथापि लाइसेंस जारी करने/रद्द करने से और लाइसेंसों के नियम तथा शर्तें निर्धारित करने संबंधी कार्य अभी भी केंद्र सरकार के पास हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 25 (2) के अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग करने और अपने कार्यों के निष्पादन में टी आर ए आई नीति संबंधी प्रश्नों पर, ऐसे निर्देशों से बंधा रहेगा जो केंद्र सरकार समय-समय पर इसे लिखित रूप में जारी करेगी।

टी आर ए आई का गठन मुख्यतया नियामक कार्य करने और इस प्रकार दूरसंचार क्षेत्र में एक स्तरीय क्षेत्र प्रदान करने के विचार से किया गया है। केंद्र सरकार लाइसेंस जारी करने, रद्द करने और लाइसेंस के नियम तथा शर्तें तय करने के लिए प्राधिकारी बनी रहेगी, एक सेवा प्रदाता होने के नाते दूर संचार विभाग, टी आर ए आई के कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत होगा किंतु नीति के क्षेत्र सहित इसके दायित्व प्रभावित नहीं हैं।

किराए के भवनों में कार्यरत डाकघर

6348. श्री दिनेश चन्द्र घादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में डाकघरों/उप-डाकघरों के लिए भवन का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बावजूद ये सभी किराये के भवनों में कार्यरत हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण भारी मात्रा में राजस्व की हानि हुई :

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का विचार किराए के भवनों में डाकघरों/उप-डाकघरों को नव-निर्मित भवनों में विशेषकर सिमरी भक्तियारपुर के उप-डाकघरों के भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद कब तक शिफ्ट करने का है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं। सभी उप डाकघर विभागीय भवनों में स्थित हैं जहां निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और ये भवन विभाग को सौंप दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) डाकघरों के निर्माण के लिए इस समय चल रही परियोजनाओं के 1997-98 तक पूर्ण होने की संभावना है। सिमरी भक्तियारपुर उपडाकघर के मामले में निर्माण कार्य पूरा होने की संभावित तारीख 30.9.97 है।

सेल्युलर आपरेटर्स से अधिक धन की वसूली

6349. श्री तारीक अनवर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चार महानगरों में सेल्युलर फोन सर्विसेज आपरेटिंग कम्पनियों से अधिक धन की वसूली करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

ट्रंक स्वचल एक्सचेंज हेतु निविदा

6350. श्री आई. डी. स्वामी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ट्रंक स्वचल एक्सचेंज से संबंधित निविदा को खोले जाने के बाद निविदा दर में संशोधन कर बढ़ा दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण तथ्य क्या है और निविदा खोलने के बाद दर मूल्य में संशोधन किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इस मामले की जांच कराने और इस गंभीर धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दण्डित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां। दूरसंचार विभाग आपसी बातचीत से मूल्य बढ़ाने पर सहमत हो गया है।

(ख) डिजिटल टैक्स उपस्कर की 2.77 लाख लाइनों के प्रापण हेतु 26.4.97 को खुली निविदा संख्या 117-10/94-एमएमडी खोली गई थी। बोलियों के मूल्यांकन तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् 14.9.94 को अग्रिम खरीद आदेश (पीओ) दिए गए। चूंकि यह उपस्कर पहली बार खरीदा जा रहा था, अतः इसके आर्डर, दूरसंचार विभाग के नेटवर्क में इस उपस्कर के सफलतापूर्वक विधिमाम्यकरण के बाद ही दिए जाने थे। निविदा खोलने के बाद उद्धृत मूल्य में संशोधन करने के कारण इस प्रकार हैं :

(i) कार्य स्थल संबंधी विनिर्देशनों का निविदा में उल्लिखित मॉडल विनिर्देशनों से भिन्न होना।

(ii) सम्बद्ध अवधि के दौरान विदेशी विनिमय में अत्यधिक भिन्नता।

(iii) मुद्रास्फीति में वृद्धि आदि।

चूँकि टीएक्स उपस्कर की तत्काल आवश्यकता थी, अतः विभाग ने सभी सम्बद्ध मुद्दों के निपटान हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की। आपूर्तिकर्ताओं के साथ तकनीकी तथा वाणिज्यिक मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, समिति ने अग्रिम खरीद आदेश (पीओ) में उल्लिखित प्रति सर्किट लागत 3306/-रु० के बजाय 4266/-रु० की लागत की सिफारिश की। अब नई पेशकश के अनुसार, उपस्कर की आपूर्ति कर दी गई है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु निर्धारित धनराशि

6351. डॉ. चाई. एस. राजशेखर रेड्डी : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) राज्य में किन-किन नए स्थानों को प्रोत्साहित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश में भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा नए होटलों का निर्माण किए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना):

(क) और (ख) पर्यटन के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता, प्रत्येक वर्ष, संबद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर प्रदान की जाती है। वर्ष 1997-98 के लिए परियोजनाएं/प्रस्ताव अभिनिर्धारित नहीं हुए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सबरीमाला तथा अंगमाली के बीच रेल लाइन

6352. श्री पी. सी. थामस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंगमाली-मुवलीपुज-पाल-इरुमेली-सबरीमाला रेल लाइन की अनुमानित लागत क्या है तथा क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त लाइन के लिए सरकार द्वारा क्षेत्र-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई;

(ग) उपर्युक्त लाइन के लिए कम राशि देने के क्या कारण हैं; और

(घ) कब तक उपर्युक्त लाइन पूरी किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) इस लाइन की अनुमानित लागत निम्नानुसार है:-

अंगमाली-इरुमेली 343 करोड़ रुपए

इरुमेली-सबरीमाला 207 करोड़ रुपए

(ख) रेल कार्यों के लिए निधियां परियोजनावार आबंटित की जाती हैं न कि क्षेत्रवार, 1997-98 के दौरान इस लाइन के लिए 1 लाख रुपया आबंटित किया गया है।

(ग) इस लाइन को बजट 1997-98 में शामिल कर लिया गया है बशर्ते आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हो जाएं। इस कार्य को अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् आरंभ किया जाएगा और इसलिए टोकन प्रावधान किया गया है।

(घ) संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

एयर लंका द्वारा शेरों की बिज्जी का प्रस्ताव

6353. श्री मोहन राबले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर लंका का विचार कुछ विदेशी साझेदारों को 40 प्रतिशत शेयर बेचने का है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स ने भी इस प्रयोजन के लिए अपनी निविदाएं प्रस्तुत की हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्नाहीम) : (क) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात में डाकघर रहित गांव

6354. डॉ. ए. के. पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात राज्य के इस समय डाकघर रहित गांवों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हाँ, तो उनका जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का राज्य के सभी गांवों में कब तक डाकघर खोल देने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य के उन गांवों की डाक संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फिलहाल वहां चलते-फिरते डाकघर की सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद बर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) जिन गांवों में इस समय डाकघर नहीं हैं उनका जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) डाकघर वार्षिक योजनाओं के तहत खोले जाते हैं बशर्ते कि मानदंडों पर आधारित औचित्य बनता हो और संसाधन उपलब्ध रहें। वार्षिक योजना 1997-98 के दौरान गुजरात के गांवों में 25 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

(घ) जी, नहीं।

(ड) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गुजरात सर्किल में बिना डाकघर वाले गांवों की जिलावार संख्या

क्रम सं.	जिले का नाम	बिना डाकघर वाले गांवों की संख्या
1.	अहमदाबाद	244
2.	गांधीनगर	14
3.	महेसाणा	848
4.	बनासकांठा	930
5.	साबरकांठा	565
6.	भरूच	588
7.	डांग	253
8.	खेड़ा	392
9.	पंचमहल	1370
10.	सूरत	642
11.	वडोदरा	1039
12.	वलसाड	294
13.	अमरेली	279
14.	भावनगर	440
15.	जामनगर	365
16.	जूनागढ़	578
17.	कच्छ	394
18.	राजकोट	361
19.	सुरेन्द्रनगर	339
20.	दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र	16
21.	दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र	38
	कुल	9989

इलाहाबाद में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा

6355. डॉ. मुरली मनोहर जोशी : क्या संचार मंत्री 27 फरवरी, 1997 के तारकित प्रश्न सं. 85 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद जिले के कितने गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा पहले से ही दी गई है;

(ख) 1996 में कितने प्रतिशत टेलीफोन काम कर रहे थे और सभी टेलीफोनों के प्रचालन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ग) इलाहाबाद जिले में उन गांवों, तहसीलों या खंडों की संख्या क्या है जहां 1997-98 में सार्वजनिक टेलीफोन लगाए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 30.4.97 की स्थिति के अनुसार, इलाहाबाद जिले में 1072 गांवों को सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है।

(ख) (I) बताया गया है कि लगभग 95% ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) सही ढंग से कार्य कर रहे थे।

(II) सभी टेलीफोनों को प्रचालित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

— सभी ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की जांच संबंधित एक्सचेंज द्वारा प्रतिदिन की जाती है। ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के दोषों की रिपोर्ट एक्सचेंज के उपमंडलीय प्रभारी अभियंता को प्रतिदिन दी जाती है। 2, 7 अथवा इससे अधिक दिनों तक लंबित दोषों को विभिन्न उच्च स्तरों पर के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा देखा जाता है।

— मल्टी एक्सेस ग्रामीण रेडियो उपस्कर के खराब मॉडयुल्स की मरम्मत करने के लिए, वार्षिक अनुरक्षण ठेका दिया जा रहा है।

— सभी ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों को सौर ऊर्जा पैनल पॉवर बैक अप से सज्जित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

— जिस एम ए आर आर उपस्कर को ठीक नहीं किया जा सकता, उसे बदलने संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

(ग) 1997-98 के दौरान, इलाहाबाद में 706 गांवों को ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की योजना बनाई गई है। तहसील-वार एक अनंतिम सूची संलग्न विवरण के रूप में संलग्न है। तथापि, यह निर्धारित करना कि किन-किन गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जाने हैं, यह तकनीकी व्यवहार्यता पर निर्भर होगा।

विवरण

इलाहाबाद जिले में गांवों के तहसील-वार नाम

तहसील चैल

1. अब्दुल वहाबपुर
2. अहमदपुर अबटोल ईकचार
3. अहमदपुर अबरौल ई उपरहार
4. अहमदपुर पुरैनी उर्फ नायापुर
5. अकबराबाद
6. अकबरपुर मिर्जापुर
7. अलामपुर
8. अमरवाई
9. अमावान
10. अमरैन
11. अशरफपुर खास
12. अमरफपुर ताल्लुक असादुलिया

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 13. बाहोगारी खुर्द | 49. इब्राहीमपुर नौगिरा उपरहार |
| 14. बाक्कीपुर खास | 50. इबमेलपुर कोतवा |
| 15. बालीध्वान देह | 51. जयरामपुर |
| 16. बालीहवाण पट्टी | 52. कुन्दनपुर |
| 17. बलकारापुर | 53. कुन्दारी |
| 18. बल्लेपुर | 54. कुबबाम |
| 19. बामरौली कछार | 55. लालपुर |
| 20. चाक पियागपुर | 56. लोही |
| 21. चाक राबूलपुर | 57. लोहरा |
| 22. चाक सैगज | 58. मादपुर |
| 23. चालौली | 59. मैनापुर |
| 24. चन्द्र भानपुर | 60. नावापुर देहमाफी |
| 25. चिरारी | 61. निजामपुर पुरैनी |
| 26. चित्तापुर | 62. नादेरपुर ताल्लुक अब्दुल्लापुर |
| 27. दादानपुर | 63. पदुमंथपुर बुरवेनी |
| 28. पाकीराबाद | 64. पहाड़पुर सुधुवार |
| 29. फरीदपुर टप्पा मालक | 65. पहाड़पुर ताल्लुक अब्दुल्लापुर |
| 30. फतहपुर सबाहलपुर | 66. पाकबाराई |
| 31. गनकबारी | 67. पलहाना कछार |
| 32. दरियापुर | 68. पलहाना उपरहार |
| 33. दरवेमपुर | 69. पान्नोई |
| 34. देवघाट | 70. कुजीपुर ताल्लुक सैयद सारावान |
| 35. धान्नी | 71. बुतुवानपुर |
| 36. धारूपुर | 72. रहीमाबाद |
| 37. धावाबार | 73. रैयादेह मौफी |
| 38. डुडेपुर | 74. रामपुर ताल्लुक अब्दुल्लापुर |
| 39. गोपालपुर टिकारी | 75. रबूलाबाद |
| 40. गोविन्दपुर | 76. रसूलपुर बादले |
| 41. हफीजपुर | 77. रसूलपुर काजी |
| 42. हपजीपुर | 78. रतगहा |
| 43. हर्दुआ जोत | 79. वैदपुर खास |
| 44. हर्दुआ खास | 80. सैन्ता |
| 45. हरिरामपुर | 81. वाका बारीपुर कछार |
| 46. हुबाईनमठ | 82. वाका बारीपुर उपरहार |
| 47. इब्राहीमपुर बामरौली | 83. वाका बारीपुर उपरहार |
| 48. इब्राहीमपुर नौगिरा कछार | 84. टिकरी उपरहार |

85. उदियापुर
 86. उझिनी खालसा उपरहार
 87. उझिनी ऐमा
 88. उमरछा कछार
 89. अरानवा
हाडिया तहसील
 90. अर्जुन पट्टी
 91. अनावदौदपुर
 92. अबेपुर
 93. अतारोरा बानबारीपुर
 94. अतारोरा गिर्द कौट
 95. अवार्ता
 96. बब्बपुर बेल
 97. बब्बपुर बाधर
 98. बबुवापुर
 99. बाग कृशन
 100. बागादाहा
 101. बागादाहा हवाबाबाद
 102. बागाहा
 103. बागाहापुर
 104. बिराहीमपुर
 105. बिटठलपुर बेकामापुर
 106. बिटठलपुर जगदीशपुर
 107. बियुर्फ
 108. भेंड
 109. चाक ए आजम
 110. चाक अब्दुल्लाह
 111. चाक बिन्दा
 112. चाक बुद्धाभारत
 113. चाक दाओलत
 114. चाक दासाराम
 115. चाक धीराम
 116. चाक फिरोज
 117. दादौपुर
 118. दलीप चांदपुर
 119. दलपाटपुर
 120. डांडी
 121. दारोगापुर
 122. दासौती
 123. दासेर
 124. दातेपुर
 125. दयालापुर
 126. देवानीपुर
 127. देवतैया
 128. देबाली
 129. दारूता
 130. ईश्वरपुर
 131. फरीदपुर
 132. फतहपुर माफी
 133. फतुहा
 134. फिरोसेपुर
 135. फुलाहा
 136. वहारपुर दोभाहा
 137. गहारपुर सियादीह
 138. गैला
 139. गाओहारपुर टी मसारी
 140. गरबा
 141. छामाहा
 142. छाराबानपुर
 143. गोविन्दपुर
 144. गोविन्दपुर दुबे
 145. गोविन्दपुर रातीपुर
 146. गुलाचापा
 147. गुड़गांव
 148. हावतपुर
 149. हाकिम पट्टी
 150. हकीमपुर
 151. हरचांदपुर
 152. हरदासपुर
 153. हरिहरपुर कछार
 154. हरिहरपुर उपरहार
 155. हरिपुर बबाना

156. हरिपुर मिसिरपुर
157. इन्द्रावार
158. इतिश इब्राहीमपुर
159. जागुआ सराय पिथा
160. जैतापुर
161. जलालपुर
162. जलालपुर चन्दोपाड़ा
163. जलालपुर मर्दापुर
164. जलालपुर मुताफरका
165. जांगापुरा
166. कबीरउद्दीनपुर
167. कहारा
168. कैलई
169. राजीपुर
170. राजीपुर फतुहा
171. राजपुर बयार
172. राजपुर उत्तरनवा
173. कलाना
174. आता

फूलपुर तहसील

175. अभयपुर
176. अबूबा
177. आदमपुर
178. अबरापट्टी
179. अहिराइन
180. अखालसपुर
181. अतमादपुर
182. औरहा कछार
183. औरहा कुपरहार
184. वायन कुइयाँ
185. बदरूद्दीनपुर
186. बदौरा
187. बदनामा
188. बादरा
189. बीकापुर
190. बीर काजी

191. बीरापुर
192. बिरगापुर
193. बोमापुर
194. बुआपुर
195. चक अब्दुल करीम पुरा भोलई
196. चक अब्दुल भाकुर
197. चौका कछार
198. चौडा कछार
199. छाता
200. छतनार कछार
201. छतनाग उपरहार
202. चिखारी
203. चिलौदा
204. चिलौदी
205. चिंतामनपुर
206. छितरहा
207. चुरहई
208. डालापुरा
209. डालीपुर
210. दामोदरपुर
211. दरियापुर गुलालपुर
212. दासूपट्टी
213. दौलतपुर
214. देवकली
215. दुदमापुर
216. दुडुबी
217. दुलहापुर
218. दुरजनपुर
219. फैजल्लानपुर
220. फतेहपुर
221. गोपालपट्टी
222. गोपालापुर
223. गौरापुर
224. गोस्कापट्टी
225. हरिराम पट्टी
226. भरबू पट्टी

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 227. हसनपुर माईचक मनबर | 263. रैदेपुर |
| 228. इब्राहिमपुर मिर्जा कटका | 264. रैनी |
| 229. इब्राहिमपुर अपरहाई | 265. राजापुर माई चक काली औलिया |
| 230. जगबन्धनापुरा | 266. रजिपुरा |
| 231. जुड़लिपुर | 267. राजपुर सानी |
| 232. झुवीक खाब | 268. राजपुर माई सराय अर्जानी |
| 233. जिवनारायनपुर | 269. राजपुर |
| 234. जुनाड पट्टी | 270. रामनगर |
| 235. जुनाडपुर | 271. रामनाथ पट्टी |
| 236. कादी कन्दी | 272. रामगढ़ कुठारी |
| 237. केथवाल | 273. रामापुर |
| 238. कुतबपट्टी | 274. रामनाथपुर |
| 239. कुतबपट्टी | 275. रतेबड़ा |
| 240. कुवौडिह | 276. रियाजा |
| 241. लखराबन | 277. रूदापुर |
| 242. लतीफपुर | 278. रूहेड़ा |
| 243. लेखराजपुर | 279. सदलपुर |
| 244. मुकुन्दपुर | 280. सदमपुर |
| 245. मंगरा | 281. साधपुर |
| 246. मुरादपुर | 282. बंद्रेपुर |
| 247. मुरारपट्टी | 283. सकारा |
| 248. मुरिलेपुर | 284. सुनी |
| 249. नबाबपुर | 285. — |
| 250. नदियानी | 286. सुदनीपुर खुर्द |
| 251. नगईपुर | 287. सुदनीपुर कईयां |
| 252. नाइका | 288. सुल्तानपुर |
| 253. नरई नरायनपुर | 289. सुल्तानपुर |
| 254. नरायणपुर | 290. ताला कछार |
| 255. नाड़ी | 291. तारनपुर |
| 256. नसीरापुर | 292. तारापुर |
| 257. पुरागोपी | 293. अमीना |
| 258. पुरा पाण्डेय | 294. अमीना बाद |
| 259. पुरा कुदसशाह | 295. अमीनपुर सनवाई |
| 260. पुरा सुखदास | 296. अमुरा |
| 261. रघनाथपुर | 297. हसनाकाशीपुर |
| 262. रहीमपुर | 298. अतरबईयां |

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 299. अवाना आलमपुर | 335. जमुनापुर उपरहार |
| 300. बाभनकानती | 336. जरीहा |
| 301. बाभनपुर | 337. कबराहा |
| 302. बधरी कछार | 338. कलनी |
| 303. बधरी उपहार | 339. कपरबारा |
| 304. बदले पुर | 340. कराब खास |
| 305. बहाउद्दीनपुर | 341. लहना |
| 306. भावनबुरी | 342. लकोरमा उर्फ फाजीपुर |
| 307. भेलखा | 343. लोधरा उर्फ कायमपुर |
| 308. हिरोजपुर | 344. लोहकट उपरहार |
| 309. बिनायकपुर | 345. महेन्द्रा |
| 310. चक अल्लानियाज | 346. महेबा कछार |
| 311. चक बरहा | 347. महेबा उपरहार |
| 312. चक गुरैनी | 348. महमूदपुर उखैया |
| 313. चक हिंगई | 349. मझियारी चक अलई रोसा |
| 314. चक कुसियारी | 350. मलकिया |
| 315. चक बाहनपुर | 351. लामीपुर |
| 316. दोरमा कछार | 352. मालपुर उर्फ महाराजगंज |
| 317. दोरमा उपरहार | 353. कौबसिया उपरहार |
| 318. दोसीपुर जमदुवा | 354. नवारी |
| 319. दबौली | 355. निगहा |
| 320. फरोदनपुर | 356. निखड्डा |
| 321. फरीदपुर | 357. निजामपुर |
| 322. फरीदपुर सोरून | 358. ओसा |
| 323. घासीपुर | 359. पभोसा |
| 324. गोबर सहाय | 360. पचवहा |
| 325. गोहानी | 361. पश्चिम सरवा |
| 326. गोहरा मारूफपुर | 362. कासिमपुर |
| 327. गोईठा | 363. कायमपुर |
| 328. हकीमपुर | 364. कुतुब अलामपुर |
| 329. हसनपुर | 365. रहीमपुर |
| 330. हटवा अबासपुर कछार | 366. शाहपुर कछार |
| 331. हटवा अबासपुर उपरहार | 367. शाहपुर टिकरी |
| 332. हिसमपुर | 368. बाहपुर उपरहार |
| 333. जमदुवा | 369. भारिफपुर |
| 334. जमनापुर कछार | 370. भिवड़ा |

371. सौनौली उमरपुर
372. सोनौरा
373. ताहिरपुर
374. तयाबपुर मगौरा
375. ताजपुर
376. ताभा अलाबलपुर
377. थाभान
378. टिकरीकाली
379. टिकरी मुज्जफरपुर
380. टिकरीनागी
381. तियरा जमालपुर
382. तुरदीपुर
383. छखतिया खास
384. उमरा
385. उमरावां उपरहार
386. उमरवां कछार
387. यूसुफपुर राड

मेजा तहसील

388. आराजी अकोरहा
389. अराजी फतेहबाग
390. अराजी पानसा कछार
391. अराजी पनसा उपरहार
392. अराजी उमापुर कलान
393. अरूवारी
394. अटकैया गलैया
395. अटखरीया
396. बाभन पट्टी
397. बधनी उपरन्ध
398. बदौर
399. बदौवा
400. बडुहीहा
401. बाडोखपर
402. बदोखरा
403. बादपुर कछार
404. बादपुर उपरहार
405. भुसका

406. बिगहना
407. बिगहनी
408. बिजौरा
409. बिरटिया
410. बिरहा
411. बिसारी
412. बिशोनपुर
413. बिशीजनकलां
414. बिशीजनखुर्द
415. बिशनाथपुर
416. ब्रहवारीकलां
417. चैलारी
418. चाक बिसुनदाती
419. चाक दादर
420. चाक खरीहानी
421. चाक मुसाही
422. चाक उचैहरकर
423. चक्रबानपुर
424. चाकरो
425. चमडीपुर
426. चांद खमरीपर
427. चंदापुर
428. चंधास
429. चांदी
430. चन्द्र उदय
431. चपरतला
432. चपरतला तफ्फा चौरासी
433. चापोड
434. चौकटा लच्छन

तहसील सोरांब

435. सूफीपुर
436. सूर्यभानपुर
437. ताजपुर पुर
438. तबुद्दीनपुर
439. तार्ती
440. तुलसीपुर

441. उदयचंदपुर
 442. उधपुर
 443. उस्मानपुर
 444. वजीराबाद
तहसील मेजा
 445. चौखता तिवरियां
 446. चौकीमाई अर्जीफनासा कच्छर
 447. चौकीमाई अर्जी फनासा उपरहार
 448. छनाना
 449. छापर
 450. च्वापरी
 451. छरगारा
 452. छतवा काछर
 453. चिरांव
 454. चुरवाना
 455. चुरवाना
 456. दादर
 457. दिया बाबुरहीया
 458. दलाइपुर
 459. डंढानपुर
 460. डारी
 461. दसौती
 462. देल
 463. देबंघ
 464. दलौन्हा
 465. देवहाटा कछार
 466. देवहाता उपरहार
 467. डिंगुरपुर
 468. दोरवा
 469. दुबेपुर कछार
 470. दुबेपुर यूफरहार
 471. डुषरा
 472. दुलाहीपुर
 473. दादेवरा
 474. गडेरिया
 475. गहरपुर खुर्द
 476. गजाधरपुर
 477. गरान
 478. गरार
 479. गरदया
 480. गोवला
 481. गुंडनपुर
 482. गुलानपुर
 483. गुनाईगहरपुर
 484. गुरगावां
 485. हरदिहा
 486. हरदिहा
 487. हरगद
 488. हरवारी लखापुर
 489. हत्र जागीर
 490. हेमपुर
 491. इबुता
 492. इटवा कलां
 493. इटवा खुर्द
 494. जादुपुर
 495. जाफरा
 496. जगीपुर
 497. जयपुर
 498. जुकाकाई
 499. जोर
 500. जोरा
 501. जोरवाट
 502. कैथवाल
 503. काकराही
 504. कल्याणपुर
 505. कुंडवा
 506. कुपर पट्टी
 507. कुरिहार
 508. कुर्की कलां
 509. कुर्की खुर्द
 510. कुसुमहा कछार
 511. कुसुमहा उपरहार

512. लखनपुर
513. लखनपुर
514. ललितपुर
515. लडकोन
516. मुजरा मिशा
517. मुजरा तिवारी तारा
518. मोखर
519. मुदकाटी
520. मुदपसला
521. मरगुरा
522. औनौर उपरहार
523. पचौहान
524. पचौनहान
525. पचकारी
526. पचखारा
527. पैनबाथ
528. उदयमल
529. उधेरंगा
530. उधेरंगा
531. अजमऊ
532. अनिजपुर
533. बादलेपापुर नन्दवानी
534. बदसी केदार
535. बागहा
536. बाधेलापुर कछार
537. बाधेलापुर कछार
538. बाधेला कछार
539. बख्तप्यारा
540. बिहामीदपुर
541. बिपीपुर उचरावान
542. चक एमापुर अनेये
543. चक औरोहा
544. चक दाजापुर
545. बख्तेयारा फरसीपुर
546. चक बिजलीपुर
547. चक चमरूपुर

548. चक चमरूपुर दरांगर
549. बालक महु
550. बमक्यपुर
551. दमहरीली
552. बारा हवेली खालसा
553. बारा हवेलीयमा
554. डोलची
555. डौंडापुर
556. डोरमा
557. फरीदपुर
558. फतेहपुर बेला
559. फतेहपुर प्रभाखी
560. फतेहशाहपुर
561. फजीलपुर गोपालपुर
562. गंगापुर खैनी
563. गंगापुर वारू कछार
564. हिशामपुर परसाखी उपरहार
565. इचौली
566. जदुबीरपुर
567. जगन्नाथपुर
568. जौरा
569. कुच्छ दरिया बुर्द कछार
570. कच्छ दरिया बुर्द उपरहार
571. कहारा
572. कैमा
573. मोनगारी कारा
574. मोनगारी अम्माधाय गौम
575. नागीया माई
576. नन्दे माई
577. नान माई
578. नारा
579. नारायणपुर बंगाली
580. नरसिंह पुर
581. नरसिंह पुर फरीदगंज
582. सुलतानपुर कसार
583. सुलतानपुर ख्वाजा करक

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 584. सुलतानपुर वारी | 620. मदीका कच्छार |
| 585. तैबपुर शमशादपुर | 621. मदीका उपरहार |
| 586. टंडा | 622. माधुरी |
| 587. अनितारसुइया | 623. माषा |
| 588. अंतरी अलाफह | 624. मुदादपुर |
| 589. अंतरी बाबावर | 625. नचवना |
| 590. अंतरी कला | 626. नादानपुर |
| 591. बुंदावन | 627. नागरा |
| 592. बुशा | 628. क्ययगी अपरहार |
| 593. चाक अमईराम | 629. पचीदिओरा |
| 594. चाक अंतरी दुभा | 630. पचखारी |
| 595. चाक निरासू | 631. पोहपा कलां |
| 596. चाक नूर | 632. पोहपा खुर्द |
| 597. चाक फिरोमामाड | 633. पुरा बैझठ |
| 598. चाक प्रेमगीर | 634. पुरा बैस |
| 599. दिहवा | 635. पुरेनी |
| 600. फतेहपुर | 636. काजीपुर |
| 601. बदालिया कच्छार | 637. रापताना |
| 602. घाटवा | 638. रायपुरप |
| 603. धिवडोडा | 639. रियैया |
| 604. भाधारा | 640. रूम |
| 605. गोरखा | 641. सहोलवा |
| 606. हराई | 642. सौनौर |
| 607. हारदी | 643. सोनहिया |
| 608. हरदुआ | 644. सौऔरी |
| 609. हिनीटी चंदेल | 645. बुलमई |
| 610. हिनीटी लुंदेल | 646. सुदिरपुर |
| 611. इछौरा | 647. तिलखवार |
| 612. इकौनी | 648. त्रिवेणु स्ट्रकचरल लि. |
| 613. खीरी | 649. ऊरहारी |
| 614. खोजवा बैद | 650. ठमापुर |
| 615. खोजवा सवार | तहसील सराँब |
| 616. खोपना | 651. अब्दुल्लापुर |
| 617. कुवां | 652. अबलूपुर |
| 618. लखनावटी | 653. आदमपुर |
| 619. लखनपुर | 654. अहमदपुर |

655. आकारीपुर
656. अरहानपुर
657. अरियावन
658. अर्जुनपुर
659. बाधनपुर
660. बाधनपुर डेरा गढ़ई
661. ब्रिसिंहपुर अकैसपुर
662. बुदोना
663. चाक बहार
664. चाक डेरा गढ़ई
665. चाक दंगागीर
666. चाक जोखर राय
667. दुबारा जगदीशपुर
668. दुबारी
669. फरीदपुर
670. फतेहपुर बुंदावन
671. गढियानी
672. गणेशीपुर
673. गर्वपुर
674. गरियानवन
675. गोपालपुर
676. गोपालपुर
677. हरि दीह
678. हरि रामपुर
679. हुसैनपुर
680. इब्राहिमपुर टी. ए. मेंडारा
681. इम्मान कुल्लीपुर
682. इजमैलपुर टा. बादलपुर
683. जदोपुर
684. जुगीपुर
685. जोदापुर करनई
686. जुरापुर झिंगाहा
687. कल्याणपुर
688. कल्याणपुर कच्छड
689. कुरसंद
690. कुतुब उद्दीनपुर

691. लखनीपुर
692. लखनपुर कंड़
693. लखनपुर कर्ण
694. नजरपुर
695. नकेलपुर
696. पारथपुर
697. प्रसादपुर
698. पुलें शोभई
699. पुरे उधो
700. राधोपुर जंगलपुर
701. राधोठपुर हरदुआ
702. रघुवंशपुर
703. रूही
704. रूघपुरी
705. शाहजीपुर
706. साकारा मऊ

“ऑप्टिकल फाइबर” प्रणाली-संबंधी पी.डी.एच. प्रौद्योगिकी

6356. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्सचेंजों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली ऑप्टिकल फाइबर प्रणाली संबंधी पी. डी. एच. प्रौद्योगिकी, जो कि पूरे विश्व में पुरानी पड़ चुकी है और जिसे एम टी एन एल ने खरीदा है, अब यह उसके भंडारों में बेकार पड़ी है;

(ख) क्या आपूर्तिकर्ता को वास्तविक से अधिक भुगतान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई जांच करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं। ऑप्टिकल फाइबर केबल उपस्कर महानगर टेलीफोन निगम लि. द्वारा स्थानीय नेटवर्क में शुरू किया आधुनिकतम प्रौद्योगिकी उपस्कर था। पी डी एच प्रश्नगत अवधि के दौरान ऑप्टिकल फाइबर केबल उपस्कर के लिए प्रौद्योगिकी थी और यह दूरसंचार विभाग की नीतियों के अनुरूप थी। एम टी एन एल द्वारा प्राप्त किए गए पी डी एच उपस्कर बेकार नहीं पड़े हैं। इस उपस्कर की खरीद परियाप्त आवश्यकताओं पर आधारित थी, जो नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्यों, इंटर-एक्सचेंज जंक्शन नेटवर्क के आधुनिकीकरण और विभिन्न मूल्य-संवर्द्धित सेवा प्रदाताओं की आवश्यकताओं पर निर्भर होती है।

(ख) और (ग) एम टी एन एल के खरीद-आदेश में दी गई दरों और बाद में दूरसंचार विभाग द्वारा तय की गई दरों में पर्याप्त अंतर होने के कारण एम टी एन एल ऐसी स्थिति में आ गया जहां आपूर्तिदाताओं को पहले ही से की जा चुकी भुगतान राशि की वसूलियां करने की आवश्यकता थी और किसी भी अवस्था में यह कल्पना नहीं की जा सकी थी कि दरों के बीच इतना बड़ा अंतर होगा। वसूल की जाने वाली राशि 3.29 करोड़ रुपए बनती है।

एम टी एन एल यह राशि वसूल कर रही है। एम टी एन एल ने भारत के अपर महा-सॉलि... से कानूनी सलाह ली थी और सदैव वसूली के लिए आदेश दिया था। इस प्रक्रिया में, एम टी एन एल ने संबंधित आपूर्तिदाताओं द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी को जम्ब करने का आदेश दिया था, किंतु आपूर्तिदाताओं ने इसे अदालत में चुनौती दे दी है। एक आपूर्तिदाता ने माध्यस्थता की मांग की है। भारतीय माध्यस्थता परिषद् भारत के तीन पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को मध्यस्थ के रूप में पहले ही नामित कर चुका है और माध्यस्थता प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

(घ से (च) उपर्युक्त (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

टेलीकॉम क्षेत्र का निजीकरण

6357. श्री पी. एस. गडवी :

श्री छीतुभाई गामीत :

श्री नारायण अठावले :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीकॉम क्षेत्र में निजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कोई प्रोत्साहन पैकेज तैयार किया है/उसे अंतिम रूप दिया है तथा इस संबंध में अन्य नीतिगत निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या बाधाएं हैं;

(ग) दूरसंचार क्षेत्र में स्वीकृत अनुमानित निजी और विदेशी निवेश कितना है तथा अब तक वास्तव में कितना निवेश किया गया है और चालू वर्ष तथा अगले तीन वर्षों के दौरान कितना निवेश होने की आशा है;

(घ) निजी प्रचालनों के साथ विवादास्पद मुद्दों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है, और

(ङ) इसके क्या परिणाम रहे ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) दूरसंचार क्षेत्र में निजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु लिए गए मुख्य नीतिगत निर्णयों में से कुछ नीचे दिए गए हैं:—

(1) दूरसंचार सेवा परियोजनाओं (बुनियादी और सेल्युलर) को अवसंरचना क्षेत्र में शामिल किया गया है इस प्रकार सभी वित्त लाभ यथा कर-मुक्ति अवधि (टेक्स होलिडे) बाह्य वाणिज्यिक ऋण की बढ़ाई गई सीमा, रियायती परियोजना आयात इत्यादि निजी प्रचालकों को प्राप्त

हैं।

(II) कर उद्देश्यों हेतु लाइसेंस शुल्क का परिशोधन करने की अनुमति दी गई है।

(III) अवसंरचना/सेवा क्षेत्र की कंपनियों के मामले में जहां विदेशी निवेश की निर्धारित सीमा का प्रावधान है, उक्त सीमा के संबंध में अब केवल सीधे निवेश पर ही विचार किया जाता है तथा निवेशक कंपनी में विदेशी निवेश के मामले में सीमा बंदी पर विचार नहीं किया जाता है बशर्ते कि निवेशक कंपनी में सीधा विदेशी निवेश 49% से अधिक न हो।

(IV) विभिन्न नेटवर्क प्रचालकों के बीच उनके अंतः कनेक्शनों सहित सभी विवादों को निपटाने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का गठन किया है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) लाइसेंसधारक कंपनियां अपनी समस्याओं की चर्चा करने और उनका समाधान करने हेतु दूरसंचार विभाग के संबंधित अधिकारियों से मिलने अथवा उन्हें अपने अध्यावेदन देने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का भी गठन किया है और इस प्राधिकरण ने पहले ही कार्य करना आरंभ कर दिया है बड़ी संख्या में विवादास्पद मामले, जैसे लाइसेंस सौंपना अपरिहार्य परिस्थिति में आशोधन इंटर-कनेक्ट प्रभार, दूरसंचार विभाग को अग्रिम जमा का भुगतान इत्यादि का समाधान कर दिया गया है।

इन उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप 2 कंपनियां यथा मैसर्स भारती टेलीनेट लिमिटेड और मैसर्स रिलायन्स टेलीकॉम प्रा. लिमिटेड ने बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रचालित करने हेतु क्रमशः मध्य प्रदेश और गुजरात दूरसंचार सर्किलों के लाइसेंसों पर हस्ताक्षर कर दिए।

होटलों में भीड़-भाड़

6358. श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला :

डा. टी. सुब्बाराामी रेड्डी :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने होटलों को इस आशय के निर्देश दिए हैं कि गर्मियों में निश्चित संख्या से अधिक पर्यटक न ठहराये जाएं;

(ख) यदि हां, तो क्या होटलों की क्षमता को बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं ताकि विदेशी पर्यटक प्रभावित न हों;

(ग) यदि हां, तो क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की गयी है जिसको "ऑफ सीज़न" के दौरान पर्यटकों को भेजा जा सके; और

(घ) यदि हां, तो "आफ सीज़न" पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना):

(क) और (ख) जी, नहीं। चूंकि गर्मी का मौसम सामान्यतः मंदी का

काल होता है। जब पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा सभी गंतव्य स्थलों पर पर्यटक यातायात बहुत कम होता है। तथापि, होटल आवास में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) विशेष पैकेजों की मार्केटिंग निजी व्यावसायियों द्वारा की जाती है। पर्यटन विभाग अपने नियमित मार्केटिंग कार्यक्रम में गर्मी में मन्दी काल का भी ऑफ सीज़न के रूप में ध्यान रखता है और पैकेजों का संवर्धन करने का प्रयास करता है जो एक सतत् प्रक्रिया है।

रेलवे स्टेशन की नई इमारत का निर्माण

6359. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1997-98 के दौरान महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशन हेतु नई इमारत बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) दादर, घाटकोपर, थाणे, मुंबा, डोंबिवलि, कल्याण, अकूरडी, चिंचवाड, खड़की, लोनावला, शिवाजीनगर, नागपुर, अंधेरी तथा बोरिवली स्टेशनों की इमारतों का पुनर्निर्माण/नवीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है।

विभिन्न वस्तुओं की खरीद में भ्रष्टाचार

6360. श्री बी. के. गडवी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे के प्रयोग में आने वाली विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करने का है ताकि रेलवे द्वारा की जाने वाली खरीद में पारदर्शिता लाई जा सके और भ्रष्टाचार की संभावना को रोका जा सके; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे के विभिन्न जोनों द्वारा ऐसी प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए खोले जाने वाले प्रस्तावित केंद्रों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर खोले जाने वाले केंद्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

चरण-1

रेल	प्रदर्शनी की जगह
रेलवे बोर्ड	दिल्ली
उत्तर रेलवे	
रेल कोच फैक्टरी	
डी.पु.का.	

चरण-II

रेल	प्रदर्शनी की जगह
पूर्व रेल	कलकत्ता
दक्षिण पूर्व रेल	
चि. रे. का.	
म. प. प.	
पूर्वोत्तर रेल	गोरखपुर
डी. रे. का.	वाराणसी
मध्य रेल	मुम्बई
पश्चिम रेल	
दक्षिण मध्य रेल	सिकंदराबाद
दक्षिण रेल	चेन्नई
स. डि. का.	
प. धु. का.	बेंगलूरु
प. सी. रेल	गुवाहाटी

इस्पात परिसर को वित्तीय सहायता

6361. श्री पी. सी. चावको : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य सरकार के उपक्रम स्टील काम्प्लैक्स लिमिटेड, कालीकट को वित्तीय सहायता के साथ-साथ तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विशेषज्ञों को उक्त इस्पात परिसर की स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु स्टील काम्प्लैक्स लिमिटेड, कालीकट का दौरा करने हेतु भेजने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वित्तीय सहायता के साथ-साथ तकनीकी सहायता कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

इस्पात मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) :

(क) से (घ) केरल सरकार के एक उपक्रम स्टील काम्प्लैक्स लिमिटेड, कालीकट को प्रौद्योगिकीय सहायता के साथ-साथ वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) की एक विशेषज्ञ समिति ने स्टील काम्प्लैक्स लि. का दौरा किया था और स्टील काम्प्लैक्स लि. द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का अध्ययन किया था। सेल ने इस इकाई को, यदि उसे आवश्यकता है तो तकनीकी सहायता देने की पेशकश की थी।

सीटों की स्थिति के बारे में सूचना देने में कठिनाइयाँ

6362. श्री जी. एम. बनावाला : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कालीकट स्थित एयर इंडिया के कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण यात्रियों और अधिकृत एजेंटों को सीटों की क्लियरेंस लेने में कठिनाइयाँ आती हैं;

(ख) क्या विशेषकर आई. ए. टी. ए. एजेंट एसोसिएशन, कालीकट से इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं।

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्नाहीम) : (क) से (ग) आयटा एजेंट्स एसोसिएशन से तो कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु यह सही है कि एयर इंडिया के कालीकट कार्यालय में बहुत अधिक कार्यभार है। तदनुसार, एजेंटों से आने वाली कालों पर ध्यान देने और उनके संबंध में कार्यवाही करने के लिए अलग स्टाफ नियत किया गया है।

डॉ. भीम राव अम्बेडकर पर फिल्म

6363. श्री अशोक प्रधान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का विचार डॉ. भीम राव अम्बेडकर पर फिल्म बनाने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक अन्तिम रूप दिया जाएगा और इस पर कितना व्यय होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हाँ। कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार की ओर से डॉ. भीम राव अम्बेडकर पर राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. एक फीचर फिल्म बना रहा है।

(ख) और (ग) फिल्म का बजट 6 करोड़ रुपए है जिसमें से 1 करोड़ रुपए महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने हैं तथा शेष 5 करोड़ रुपए का कल्याण मंत्रालय का हिस्सा है।

फिल्म का निर्देशन डॉ. जम्बार पटेल द्वारा किया जा रहा है। फिल्म के परामर्शदाता श्री श्याम बैनेगल हैं। मलयालम सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता श्री ममूटी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। नाट्य-लेख और उत्पादन पूर्व किये जाने वाले कार्य की मंजूरी के पश्चात् अगस्त 1996 में शूटिंग आरम्भ हुई। अस्सी प्रतिशत शूटिंग पूरी हो चुकी है। 15-8-97 तक फिल्म के पूरे हो जाने की उम्मीद है।

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएँ

6364. श्री सी. नारायण स्वामी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामीण

क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार शहरी/अर्द्ध शहरी क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले दो कलेंडर वर्षों के दौरान विस्तार का वर्षवार अनुपात क्या है;

(ग) इस संबंध में किन कारणों का पता लगाया गया है; और

(घ) विस्तार के अनुपात में आए अंतर को कम करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में करोड़ों रुपए का घोटाला

6365. श्री चर्चिल अलेमाओ :

श्री दिलीप संचानी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में करोड़ों रुपए के कुछ घोटालों का पर्दाफाश हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे घोटालों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्नाहीम) : (क) से (ग) मुम्बई हवाई अड्डे पर मैसर्स होटल लीला लीला वैचर लिमिटेड को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भूमि को पट्टे पर देने में हुई अनियमितताओं के परिणामस्वरूप प्राधिकरण को हुई यथेष्ट हानि की छानबीन केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जा रही है।

[हिन्दी]

100 किलोवाट क्षमता वाले ट्रांसमीटर

6366. श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजनाविधि के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश में स्थानवार किन-किन स्थानों में 10 किलोवाट क्षमता वाले दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ख) 100 किलोवाट क्षमता वाले प्रसारण केन्द्र की स्थापना के कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) उक्त कार्य के पूरा हो जाने के बाद प्रत्येक राज्य में दूरदर्शन के प्रसारण क्षेत्र के दायरे में कितनी प्रतिशत जनसंख्या को लाए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) हालांकि देश में किसी भी जगह 100 किलोवाट टी. वी.

ट्रांसमीटर को स्थापित करने की कोई स्कीम नहीं है तथापि, नौवीं योजना में जिन स्थानों पर 10 कि. वा./ 1 कि. वा. टी. वी. ट्रांसमीटरों को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है उन स्थानों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। प्रस्तावित ट्रांसमीटरों की वास्तविक क्षमता तकनीकी संभाव्यता और परिणामी कवरेज जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर होगी। इसके अतिरिक्त आठवीं योजना की कई चालू उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10 कि. वा.) परियोजनाओं को 1997-98 और 1998-99 के दौरान पूरा किए जाने का भी लक्ष्य बनाया गया है।

(ग) वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन/नौवीं योजना में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित सभी टी. वी. परियोजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात टी. वी. सेवा द्वारा कवर किए जाने के लिए संभावित जनसंख्या की राज्यवार प्रतिशतता संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

उन स्थानों की राज्यवार सूची, जहां पर धनराशि, भूमि, विद्युत आपूर्ति आदि की उपलब्धता के अधीन नौवीं योजना के दौरान उच्च शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर (10 कि. वा./1 कि. वा.) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

राज्य	स्थान
1	2
आंध्र प्रदेश	वारंगल
	आंगोल
असम	तेजपुर
	जोरहाट
	बोंगाईगांव/कोकराझार
	सिल्वर (डीडी-II)
	गुवाहाटी (डीडी-II)
बिहार	मोतिहारी
	जमशेदपुर
	देवघर
गुजरात	भावनगर
	सूरत
	वडोदरा
	राधनपुर
	जूनागढ़
हरियाणा	हिसार
हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला
जम्मू और कश्मीर	नीशेरा
	पुंछ (डीडी-II)

1	2	3
कर्नाटक		मंगलूर
		मैसूर
		रायचूर
केरल		कन्नानोर
मध्य प्रदेश		अंबिकापुर
		गुना
		शहडोल
		सागर
महाराष्ट्र		चंद्रपुर
		जलगांव
		महिपतगढ़
		ब्रह्मपुरी
मेघालय		तुरा (डीडी-II)
उड़ीसा		बरहमपुर
पंजाब		अमृतसर (डीडी-I)
राजस्थान		अजमेर
		अनूपगढ़
		बीकानेर
		नाथद्वारा
		जैसलमेर (डीडी-II)
तमिलनाडु		धर्मपुरी
		कुम्भकोणम
		तिरुनेलवेली
त्रिपुरा		अगरतला (डीडी-II)
उत्तर प्रदेश		लखीमपुर
		जालौन
		मसूरी (डीडी-II)
पश्चिम बंगाल		बलुरघाट
		खड़गपुर
		कृष्णनगर
		शांतिनिकेतन
		मुर्शिदाबाद (डीडी-II)
पाण्डिचेरी		पाण्डिचेरी

विवरण-II

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जनसंख्यावार टी. वी. कवरेज

क्र. सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन/नौवीं योजना में स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित ट्रांसमीटरों के चालू होने पर टी वी सेवा को प्राप्त करने के लिए संभावित जनसंख्या की प्रतिशतता
----------	------------------------	--

1	2	3
01.	आन्ध्र प्रदेश	94.3
02.	अरुणाचल प्रदेश	53.2
03.	असम	88.1
04.	बिहार	96.4
05.	दिल्ली	99.9
06.	गोवा	99.9
07.	गुजरात	96.4
08.	हरियाणा	99.9
09.	हिमाचल प्रदेश	71.8
10.	जम्मू और कश्मीर	92.3
11.	कर्नाटक	82.1
12.	केरल	99.7
13.	मध्य प्रदेश	80.9
14.	महाराष्ट्र	90.2
15.	मणिपुर	81.2
16.	मेघालय	97.2
17.	मिजोरम	72.6
18.	नागालैण्ड	69.6
19.	उड़ीसा	89.0
20.	पंजाब	99.9
21.	राजस्थान	83.7
22.	सिक्किम	95.0
23.	तमिलनाडु	96.1
24.	त्रिपुरा	93.5
25.	उत्तर प्रदेश	95.0
26.	पश्चिम बंगाल	99.9
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	99.5
28.	चण्डीगढ़	99.9

1	2	3
29.	दादरा और नगर हवेली	65.0
30.	दमन और दीव	99.9
31.	लक्षद्वीप द्वीपसमूह	99.0
32.	पाण्डिचेरी	99.9
राष्ट्रीय औसत		92.8

[अनुवाद]

लोडेड वर्किंग दुर्गापुर स्टील प्लांट

6367. श्री सुनील खान : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में 81.12 टन स्लैग लादा गया था जबकि रजिस्टर में वैगन बॉक्स संख्या 103522 में दिनांक 1.3.97 को 10 बजकर 50 मिनट 21 सेकंड पर 59.89 टन का लदान दिखाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो 21.32 टन अतिरिक्त स्लैग लादे जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिमी रेलवे खण्ड पर रेलगाड़ियों का पटरी से उतरना

6368. डॉ. जी. आर. सरोदे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिमी रेलवे के सूरत-भुसावल (ताप्ती सैक्शन) सैक्शन पर रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की दुर्घटनाओं में रेलवे को कुल कितनी धनराशि का नुकसान हुआ;

(ग) क्या रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई थी;

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त जांच के परिणामस्वरूप जो तथ्य सामने आए हैं उनका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) पश्चिम रेल के सूरत-भुसावल खंड पर गाड़ियों के पटरी से उतरने की 4 दुर्घटनाएं हुई थीं-1994-95 के दौरान एक तथा 1996-97 के दौरान तीन।

(ख) 1994-95 और 1996-97 के दौरान दुर्घटनाओं में रेल संपत्ति

को हुए नुकसान की लागत क्रमशः 0.27 लाख रुपए तथा 2.55 लाख रुपए थी।

(ग) जी, हां।

(घ) 1994-95 के दौरान दुर्घटना अत्यधिक वर्षा के कारण हुई 1996-97 के दौरान रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की 3 दुर्घटनाओं में से 2 इंजीनियरिंग तथा एक यांत्रिक कारणों से हुई।

(ङ) गाड़ियों के पटरी से उतरने की दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए परिसंपत्तियों के अनुरक्षण पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी ओर कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर निगरानी रखी जा रही है तथा दोषी पाए गए कर्मचारियों को परामर्श दिया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी सतर्क हैं; वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किए जा रहे हैं, ऐसे कर्मचारी जिनकी लापरवाही से दुर्घटनाएं होती हैं उनके विरुद्ध अनुशासन और अपील नियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है।

एम. ए. आर. आर. उपस्करों की खरीद के आदेश

6369. श्री अनन्त गुडे :

श्री पी. आर. दास मुंशी :

डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

श्री जी. ए. चरण रेड्डी :

श्री सी. नारायण स्वामी :

श्री नामदेव दिवाधे :

श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार विभाग ने मैल्टी एक्सेस रिले रेडियो सिस्टम (एम. ए. आर. आर.) प्रणाली की खरीद के आदेश जारी करने में दिखाई गई अनुचित शीघ्रता जिससे 23 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई है के संबंध में कोई जांच कराई है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम रहे;

(ग) सरकार द्वारा इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) विभाग द्वारा भविष्य में इस प्रकार की हानि की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) उक्त प्रणाली के निर्माणकर्ताओं का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) संलग्न विवरण के अनुसार।

विवरण

एम. ए. आर. आर. प्रणालियों के विनिर्माताओं की सूची

1. आई. टी. आई. लि. बंगलूर
2. गुजरात कम्यूनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक लि. बड़ोदरा
3. नेशनल टेलीकॉम इंडिया लि., नासिक
4. टेक्नीकॉम सिस्टम्स (इंडिया) लि., नासिक
5. डब्ल्यू एस टेलीसिस्टम्स लि., बंगलूर
6. एच. टी. एल. लि., चेन्नै
7. श्याम टेलीकॉम लि. गुडगांव
8. यूनाइटेड टेलीकॉम लि. बंगलूर
9. पंजाब बायरलेस सिस्टम लि. हैदराबाद
10. ए. आर. एम. लि. हैदराबाद
11. सिक्लेयर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि. हैदराबाद
12. कावेरी टेलीकॉम लि. हैदराबाद
13. नवनिधि इलेक्ट्रॉनिक्स (प्रा.) लि. हैदराबाद
14. एम. आई. सी. इलेक्ट्रॉनिक्स (प्रा.) लि. हैदराबाद
15. फिनिक्स टेक्नोलॉजी कांफ़ोरेशन प्रा. लि. बंगलूर
16. हिमाचल फ्यूटरिस्टिक कम्यूनिकेशन्स लि. सोलन
17. एनको कम्यूनिकेशन्स लि. बंगलूर
18. इंटरसिटी केबल्स प्रा. लि. गुडगांव
19. गोल्डस्टोन टेलीकॉम इंडिया लि. सिंदराबाद
20. अवन्टेल कम्यूनिकेशन्स लि. हैदराबाद
21. बिनफो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि. बंगलूर
22. पैरीन कम्यूनिकेशन्स इलेक्ट्रॉनिक्स (इंडिया) लि. विशाखापटनम
23. विन्टेक आर. एफ. प्रोडक्ट लि. बंगलूर
24. फिनिक्स टेलीकॉम, हैदराबाद-62

रेल मार्गों का विद्युतीकरण

6370. श्री सिद्ध्या कोटा :

डॉ. एम. जगन्नाथ :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेनीगुनता और गुडूर के बीच रेल मार्ग का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेनीगुनता और होस्पेट के बीच विद्युतीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं पर अनुमानित व्यय कितना होगा; और

(ङ) इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) गूडर और रेणिगुटा स्टेशन पहले से ही बड़े आमान की रेल लाइन द्वारा जुड़े हुए हैं और ये राष्ट्रीय रेल नेटवर्क पर हैं।

बहरहाल, 140 करोड़ रु० की लागत पर 1997-98 के रेल बजट में इस खण्ड का दोहरीकरण कार्य शामिल किया गया है। अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।

(ग) से (ङ) रेणिगुटा-होसपेट खण्ड का विद्युतीकरण एक अनुमोदित कार्य है लेकिन संसाधनों की तंगी के कारण इस कार्य को फिलहाल लंबित कर दिया गया है।

राउरकेला रेलवे स्टेशन पर टर्मिनल सुविधा

6371. कुमारी फ़िदा तोपनो : क्या रेल मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की राउरकेला रेलवे स्टेशन पर टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं को कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) मार्च, 1998

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिलासपुर में सूक्ष्म तरंग प्रणाली

6372. श्री पुन्नु लाल मोहले : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले को बिल्हा सिटी से सूक्ष्म तरंग प्रणाली से जोड़े जाने की योजना के भवन तथा टावर के अंतर्गत निर्माण किए जाने के बावजूद सूक्ष्म तरंग प्रणाली ने कार्य करना प्रारंभ नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त प्रणाली को कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं। मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले के बिल्हा सिटी से सूक्ष्म तरंग प्रणाली मार्च, 1996 में पहले ही चालू की जा चुकी है।

(ख) और (ग) लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

दिल्ली से प्रारंभ होने वाली उड़ानों में विलम्ब

6373. श्री सुबीर गिरि : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996 के दौरान दिल्ली से इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानें कितनी बार विलम्ब से भरी गई;

(ख) इस प्रकार के विलम्ब के क्या कारण थे; और

(ग) विलम्ब के कारणों को दूर करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्नाहीम) : (क) वर्ष 1996 में दिल्ली से जाने वाली 11425 उड़ानों में से इंडियन एयरलाइन्स की 2895 उड़ानें विलम्बित हुई थीं।

(ख) और (ग) उड़ानें खराब मौसम, विमानपत्तन प्रतिबंधों, अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आवागमन आदि के कारण विलम्बित हुईं। सभी तकनीकी विलम्बों की जांच करके कारण का पता लगाया जाता है तथा जहां भी आवश्यक हो, उपचारी कार्रवाई की जाती है।

उत्तर प्रदेश में उपरिपुलों का निर्माण

6374. श्री सोहनवीर सिंह :

श्री किशन लाल दिलेर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के हाथरस जंक्शन में रेलवे फाटक पर उपरी पुल के निर्माण संबंधी प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) ऊपरी पुलों का पूरा होना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा औपचारिकताएं और वचनबद्धताएं पूरी करने पर निर्भर करता है।

विवरण

प्रस्ताव	समपार के बदले	स्वीकृत/बजट में शामिल
1	2	3
1. जबलपुर-इलाहाबाद खण्ड में इरादतगंज ऊपरी सड़क पुल	सं. 430-ए	मार्च, 72 में प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, आरेख की सामान्य व्यवस्थाएं अनुमोदित हैं। भूतल परिवहन मंत्रालय के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
2. झांसी-दिल्ली खंड पर झाझ ऊपरी सड़क पुल	सं. 478-ए	अक्टूबर, 72 में प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। स्थान बदल गया है जिसके लिए भूतल परिवहन मंत्रालय के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।
3. झांसी-दिल्ली खंड पर ओराई ऊपरी सड़क पुल	सं. 182-बी	1989 में प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। सड़क संरेखण रेलवे भूमि में पड़ती है जिसे बदलने की आवश्यकता है।
4. बादशाह नगर (लखनऊ) रेलवे स्टेशन के समीप ऊपरी सड़क पुल	सं. 3 एम. एल.	1996-97 के बजट में अनुमोदित किया गया। पहुँच मार्गों के विस्तृत अनुमान एवं डाइंग की सामान्य व्यवस्थाओं की स्वीकृति राज्य सा. नि. वि. को अभी देनी है।
5. नेत्र चिकित्सालय, कानपुर के समीप ऊपरी सड़क पुल	सं. 6 स्पेशल	विस्तृत अनुमान की स्वीकृति अभी नगर निगम को देनी है। 1994-95 के बजट में अनुमोदित किया गया।
6. दिल्ली-सहारनपुर खंड पर परतापुर में ऊपरी सड़क पुल	सं. 21-ए	1995-96 के बजट में अनुमोदित
7. गाजियाबाद-कानपुर खंड पर हाथरस में ऊपरी सड़क पुल	सं. 95-ए	1996-97 के बजट में अनुमोदित
8. गाजियाबाद-कानपुर खंड पर अलीगढ़ में ऊपरी सड़क पुल	सं. 109-ए	1996-97 के बजट में अनुमोदित
9. दिल्ली-सहारनपुर खंड पर सकोटी-टाडा में ऊपरी सड़क पुल	सं. 40-बी	1996-97 के बजट में अनुमोदित
10. गौशाला रोड के दिल्ली-सहारनपुर खंड गाजियाबाद में निचला सड़क पुल।	सं. 154-सी	1997-98 के बजट में अनुमोदित

संचार सेवाएं

6375. श्रीमती केतकी देवी सिंह : क्या संचार यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न नई संचार सेवाओं को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी न्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद बर्मा) : (क) से (ग) जी, हाँ। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, दूरसंचार विभाग के नेटवर्क में इन्टेलीजेंट नेटवर्क (आई एन) सेवाओं की शुरुआत को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है।

पत्रकारों को मान्यता

6376. डॉ. अरुण कुमार शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों और असम से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के मान्यता प्राप्त पत्रकारों का न्यौरा क्या है;

(ख) इन क्षेत्रों में प्रकाशित समाचार पत्रों में कार्यरत पत्रकारों को मान्यता प्रदान करने के संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं/निपटारे गए हैं; और

(ग) शेष मामलों को निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) सूचना सलग्न विवरण में दी गई है।

विबरण

(क) आज तक की स्थिति के अनुसार असम के तीन तथा त्रिपुरा से एक पत्रकार प्रत्यायित है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :-

क्र. सं.	नाम	संगठन
1.	श्री एम. एन. राय चौधरी	असम ट्रिब्यून, गुवाहाटी
2.	श्री देव प्रकाश	द असम एक्सप्रेस, गुवाहाटी
3.	श्री पी. बी. बरथाकुर	द दैनिक जन्मभूमि, जोरहाट
4.	श्री निखिल भट्टाचार्य	दैनिक संवाद, अगरतला

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान, उत्तर-पूर्वी राज्यों से प्रकाशित समाचारपत्रों की तरफ से भारत सरकार के मुख्यालय में प्रत्यायन हेतु केवल 4 (चार) आवेदन प्राप्त हुए हैं। मामलों की स्थिति तथा उनके विलम्ब के कारण, यदि कोई हो, निम्नलिखित हैं :-

क्र. सं.	नाम	संगठन	आवेदन प्राप्ति की तारीख	स्थिति/विलम्ब के कारण
1.	श्री मानस बैनर्जी	दैनिक जुगसंखा, सिलचर	4.1.95	भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय/प्रसार लेखा परीक्षक ब्यूरो से प्रसार प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा है।
2.	श्री सुकान्ता सरकार	असमिया प्रतिदिन गुवाहाटी	26.4.96	मामले को बंद कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने संगठन को छोड़ दिया है तथा उनका अन्य केंद्र में स्थानांतरण हो गया है।
3.	श्री सी. के. नायक	शिलांग टाइम्स, शिलांग	28.8.96	केंद्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति ने 26.2.97 को हुई अपनी बैठक में प्रत्यायन प्रदान करने हेतु उनके मामले की पहले ही सिफारिश कर दी है।
4.	श्री कल्याण बरुआ	द असम ट्रिब्यून, गुवाहाटी	28.11.96	आवेदक द्वारा प्रेषित नियुक्ति पत्र की फोटोप्रति के ऊपर कुछ लिखा हुआ है तथा उनके अनुभव के सत्यापन के लिए उनसे नियुक्ति पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

देश में स्थापित एस. टी. डी./पी. सी. ओ.

6377. श्री निहाल चन्द चौहान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार कितने एस. टी. डी./ पी. सी. ओ. बूथ स्थापित किए गए हैं;

(ख) इनकी स्वीकृति देने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) राजस्थान में कितने एस. टी. डी./पी. सी. ओ. खराब पड़े हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन्हें ठीक करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं। प्रस्तावित हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद बर्मा) : (क) सूचना, संलग्न विवरण

में दी गई है।

(ख) एस. टी. डी. पी. सी. ओ. का आवंटन प्रत्येक गौण स्विचन क्षेत्र के लिए गठित दो सरकारी सदस्यों तथा गैर-सरकारी सदस्यों की एक एस. टी. डी./ पी. सी. ओ. आबंटन समिति द्वारा किया जाता है जिन्हें, प्रत्येक गौण स्विचन क्षेत्र के वर्तमान संसद सदस्यों द्वारा नामित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में एस. टी. डी./पी. सी. ओ. के आबंटन के लिए शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास तथा शहरी क्षेत्रों के लिए दसवीं/हाई स्कूल पास है। निम्न श्रेणियों के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है :

1. नेत्रहीन व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्ति।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक।
3. भूतपूर्व सैनिक तथा युद्ध में शहीदों की विधवाओं।
4. दूरसंचार विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उनके आश्रित।

5. स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित।

6. धर्मार्थ संस्थाओं/चिकित्सालय।

(ग) एस. टी. डी./पी. सो. ओ. की सेवा के संबंध में कोई शिकायतें लम्बित नहीं हैं।

(घ) खराब एस. टी. डी./पी. सी. ओ. की शिकायतों पर तत्काल ध्यान दिया जाता है।

विवरण

सर्किल/ जिले का नाम गत तीन वर्षों (1994-95, 95-96, 96-97) के दौरान प्रदान किए गए एस. टी. डी./पी. सी. ओ. की संख्या

1	2
अण्डमान एवं निकोबार	10
आन्ध्र प्रदेश	5300
असम	1337
बिहार	3161
गुजरात	8512
हरियाणा	1952
हिमाचल प्रदेश	472
जम्मू तथा कश्मीर	514
कर्नाटक	6037
केरल	5815
मध्य प्रदेश	6800
महाराष्ट्र	8594
उत्तर पूर्व	509
उड़ीसा	2252
पंजाब	8009
राजस्थान	5269
तमिलनाडु	4097
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	11292
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	
पश्चिम बंगाल	2309
मुम्बई	4427

1	2
कलकत्ता	4233
दिल्ली	4328
चेन्नई	3654
	98883

[अनुवाद]

हवाई टैक्सी सेवा के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करना

6378. श्री मृत्युन्जय नाईक :

श्री सत्यजीत सिंह दिलीप सिंह गायकवाड़ :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा निजी अनुसूचित/गैर अनुसूचित हवाई टैक्सी सेवा चालू करने के लिए कुल कितने अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए गए;

(ख) उन कम्पनियों/व्यक्तियों के नाम और ब्यौरे क्या हैं जिन्हें अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए गए;

(ग) उनमें से कितनों ने इन सेवाओं को वास्तविक रूप से शुरू किया है;

(घ) कितनों ने अनापत्ति प्रमाणपत्रों की समयावधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कितनों की अनापत्ति प्रमाणपत्रों की समयावधि समाप्त हो गई और उनका ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं और सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्राहीम) : (क) से (ङ) विगत तीन वर्षों के लिए अपेक्षित विवरण दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(च) दिनांक 18.9.1996 से प्रभावी मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विमान परिवहन सेवाओं के प्रचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आरंभिक वैधता एक वर्ष छः महीने है। तथापि जब आयात के लिए प्रस्तावित विमान एक निश्चित सुपुर्दगी अनुसूची के साथ नया हो तो सुपुर्दगी की वास्तविक लीड समय के लिए समय बढ़ाने की अनुमति दी जाती है। इस निर्धारित समय के आगे समय बढ़ाने के अनुरोध विचार विमान अर्जन समिति गुणवत्ता के आधार पर करती है।

विद्यमान

क्र.सं.	अनापत्ति प्रमाण-पत्र धारक का नाम	निर्गम की तिथि	तक वैधता	यदि समाप्त हो गया हो, क्या इसे बढ़ाये जाने के लिए आवेदन किया है, यदि ऐसा है तो कब तक बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है।	
1	2	3	4	5	6
क. अनुसूचित विमान परिवहन सेवाएं					
01	मै. मुक्ति एयरवेज प्रा. लि.	12.07.95	10.04.97	हां, एक वर्ष के लिए	विमान अर्जन समिति के समक्ष विचार-विमर्श के लिए रख जा रहा है।
02	मै. बावा एविएशन एण्ड मैटेनेन्स प्रा. लि.	02.11.95	01.11.96	नहीं	
03	मै. क्लार्क एयर लिमिटेड	02.11.95	01.05.97	नहीं	
04.	मै. क्लासिक एयरलाइंस प्रा. लि.	02.11.95	01.05.97	हां, एक वर्ष के लिए	अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है। कम्पनी को अपनी योजनाएं सुदृढ़ करने तथा पुनः आवेदन करने के लिए सलाह दी गई है।
05.	मै. ट्रांस इंडिया एयरलाइंस प्रा. लि.	02.11.95	01.11.97	—	
06.	मै. यूनाइटेड इंडिया एयरवेज लि.	01.03.96	06.09.97	—	
07.	मै. गुजरात एयरवेज लि.	12.12.95	11.11.96	नहीं	
08.	मै. बंगाल एयर सर्विसेज लि.	12.01.96	11.07.97	—	
09.	मै. सहारा इंडिया	12.12.95	11.12.96	—	अनुसूचित प्रचालक की परमिट पर 1.1.1996 से प्रचालन कर रहा है।
10.	मै. ओरियण्ट एयरवेज (प्रा.) लि.	15.01.96	14.07.97	—	
11.	मै. जे. वी. जी. एयरवेज	04.03.96			
12.	मै. स्काईलार्क इनलैंड एयरवेज लि.	25.07.96	24.07.97		
13.	मै. नॉर्थ ईस्टर्न एयरवेज लि.	21.08.96	20.08.97		
14.	मै. लुफ्थांसा कार्गो इंडिया प्रा. लि. (कार्गो के लिए)				
15.	स्टैल्लियन एयरलाइंस प्रा. लि.	08.04.97	07.10.98	—	
ख. गैर-अनुसूचित विमान परिवहन सेवाएं					
01.	मै. ट्रेवल मास्टर्स	01.07.94	30.12.95	नहीं	
02.	मै. ईस्टर्न एयरवेज लि.	04.08.94	03.02.96	—	
03.	मै. यूनाइटेड इंडिया एयरवेज लि.	24.06.94	23.06.97	—	
04.	मै. गुजरात एयरवेज लि.	14.02.95	13.02.96	—	दिनांक 24.7.95 को ए. टी. ओ. परमिट जारी किया गया।

1	2	3	4	5	6
05.	मै. स्पान एयर प्रा. लि.	05.07.95	04.07.96	—	दिनांक 24.11.95 को ए. टी. ओ. परमिट जारी किया गया।
06.	मै. एलबी एविएशन लि.	18.04.95	17.04.96	— कार्गो के लिए नहीं	दिनांक 16.10.95 को विमान कार्गो परमिट जारी किया गया।
07.	मै. ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	12.07.95	11.07.96		
08.	मै. ब्ल्यू डार्ट एविएशन लि.	12.07.95	12.07.96		दिनांक 12.6.96 को विमान कार्गो परमिट जारी किया गया।
09.	मै. जी. एम. एम. सी. ओ. लि.	12.07.95	10.07.97	—	31.12.97 तक के लिए विस्तार का अनुरोध विचाराधीन है।
10.	मै. डेक्कन एविएशन (प्रा.) लि.	31.07.95	31.07.97	—	
11.	मै. रागा एयरलाइंस लि.	05.10.95	30.10.97	—	
12.	मै. नरधरम लीजिंग कं. (प्रा.) लि.	02.11.95	01.11.96	नहीं	
13.	मै. पटेल एयरवेज	02.11.95	11.11.96		
14.	मै. फर्स्ट एविएशन	12.12.95	11.12.96	नहीं	
15.	मै. इंडो पॅसिफिक एविएशन प्रा.	17.01.96	16.07.97	—	
16.	मै. वी. आई. एफ. एयरवेज मैटेनेन्स एण्ड इंजीनियरिंग प्रा. लि.	07.02.96	06.02.97	नहीं	
17.	मै. बन्नी एविएशन प्रा. लि.	25.07.96	24.07.97	—	
18.	मै. ओमनी ईटल एयर (प्रा.) लि.	12.09.96	11.09.97	—	
19.	मै. महिन्द्रा एयर सर्विसेज लि.	12.09.96	11.09.97	—	
20.	मै. सेंचुरी टेक्सटाइल्स एण्ड इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	12.09.96	11.09.97	—	
21.	मै. गोल्डन हिल एविएशन प्रा. लि.	12.09.96	11.09.97	—	
22.	मै. टाटा टी. लि.	12.09.96	12.09.97	—	दिनांक 2.12.1996 को ए. टी. ओ. के लिए परमिट जारी किया गया।
23.	मै. चौधरी एयरवेज प्रा. लि.	12.09.96	11.09.97	—	
24.	पश्चिम बंगाल सरकार	14.11.96	13.05.98	—	
25.	राजस्थान सरकार	26.12.96	25.06.98	—	
26.	मै. एनबी एविएशन लि.	26.12.96	25.06.98	—	
27.	मै. हेलीकॉप्टर सर्विसेज	26.12.96	25.06.98	—	
28.	मै. तनेजा एरोस्पेस एण्ड एविएशन लि.	26.23.96	25.06.98	—	
29.	मै. द्वारका एयर टैक्सी	10.03.97	09.09.98	—	

1	2	3	4	5	6
30.	जम्मू कश्मीर सरकार	03.03.97	02.09.98	—	दिनांक 30.3.97 को नागर विमानन महा-निदेशालय ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र को रद्द करने की सलाह दी।
31.	मै. जे. वी. जी. एयरवेज	08.04.97	07.10.98	—	
32.	महाराष्ट्र सरकार	08.04.97	07.10.98	—	दिनांक 28.4.97 को राज्य सरकार के अनुरोध पर नागर विमानन महानिदेशालय ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र को रद्द करने की सलाह दी।

जयपुर में डाकियों की संख्या

6379. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर डाक डिलीवरी डिपार्टमेंट द्वारा कितने क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया है;

(ख) क्या जयपुर में डाक वितरण हेतु नियोजित डाकियों की संख्या पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) जयपुर मंडल के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां डाकघरों की स्थापना करने हेतु इस विभाग के पास भूमि उपलब्ध है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जयपुर डाक वितरण विभाग 218.26 वर्ग किमी. क्षेत्र को कवर करता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार के मितव्ययिता संबंधी अनुदेशों के दबावों के भीतर मौजूदा स्टाफ की अधिकतम तैनाती सुनिश्चित की जा रही है ताकि डाक-वितरण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(घ) जयपुर में डाकघर भवनों के निर्माण के लिए निम्नलिखित 7 स्थानों पर भूमि उपलब्ध है :-

1. झालना इंगरी
2. मानसरोवर सेक्टर नं. 2
3. मानसरोवर सेक्टर नं. 6
4. मानसरोवर सेक्टर नं. 12
5. मुरलीपुरा

6. वैशाली नगर

7. विद्याधर नगर

(ङ) राजस्थान डाक सर्किल के लिए गत 5 वर्षों के दौरान डाकघरों के लिए विभागीय भवनों के निर्माण हेतु निम्नलिखित राशि आवंटित की गई है :-

वर्ष	आवंटित फंड (रुपयों में)
1992-93	75,00,000
1993-94	1,87,00,000
1994-95	2,87,00,000
1995-96	58,54,000
1996-97	29,55,000

सेल्यूलर फोन प्रसार

6380. श्री छीतूभाई गामीत :

श्री इलियास आजमी :

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार महानगरों को छोड़कर सर्किलों में किसी "फिक्सड" टेलीफोन से सेल्यूलर मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को किए गए काल का शुल्क बढ़ाने हेतु 15.7.97 से प्रभावी हुए दूरसंचार विभाग के हाल के आदेश के परिणामस्वरूप स्थानीय काल दरें 24 गुनी हो जाएंगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सेल्यूलर ऑपरेटर संघ ने इस संबंध में सरकार से अपना विरोध दर्ज किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में लाइसेंस जारी-करते समय कोई सीमा निर्धारित की है; और

(ङ) क्या ये शुल्क अंतर्राष्ट्रीय शुल्क के समतुल्य हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ड) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

निःशुल्क यात्रा पास का जारी किया जाना

6381. श्री सुन्दर लाल पटवा :

श्री जी. ए. चरण रेड्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा 5500 से अधिक निःशुल्क यात्रा पास जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या रेलवे अधिकारियों के लिए यह एक बड़ी समस्या बन गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि ये पास एक व्यक्ति के नाम में जारी किए गए हैं जिसके साथ तीन या चार अतिरिक्त व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा की अनुमति है और ये यात्री अधिकतर वातानुकूलित श्रेणी-दो में यात्रा करते हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार इस प्रकार के पास का जारी किया जाना बंद करने का विचार कर रही है; और

(छ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) रेल कर्मचारियों की ड्यूटी, स्थानांतरण, सुविधा, सेवानिवृत्ति पश्चात् आदि विभिन्न लेखों से नियमों के अधीन उनकी पात्रता के अनुसार निःशुल्क पास जारी किए जाते हैं। इसके अलावा मौजूदा नीति के तौर पर रेल मंत्री जी के विवेक पर-भूतपूर्व रेल मंत्री/रेल राज्य मंत्री/रेल उप मंत्री, भूतपूर्व संसद सदस्यों, अर्जुन पुरस्कार विजेताओं/ओलम्पिक में पदक जीतने वालों, शौर्य पुरस्कार विजेताओं (रक्षा) शौर्य पुरस्कार विजेताओं (पुलिस) भारतीय राष्ट्रीय खेलकूद फेडरेशन के अध्यक्ष/सचिवों तथा व्यक्तियों एवं संगठनों को मानार्थ कार्ड/चैक पास जारी किए जाते हैं। दर्जा और इन पासों पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या सक्षम प्राधिकारी के विशिष्ट आदेशों के अनुसार निर्धारित की जाती है। विशिष्ट अवधि का उल्लेख न किए जाने की स्थिति में 5500 की संख्या के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में पहले ही शामिल है।

(च) जी, नहीं।

(छ) उपरोक्त कोटियों को पास मौजूदा नीति के अनुसार जारी किए जाते हैं।

डाक विभाग में नियुक्ति पर प्रतिबंध

6382. प्रो. ओम पाल सिंह "निडर" : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का डाक विभाग में नई नियुक्तियाँ किए जाने पर प्रतिबंध लगाने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न डाक और दूरसंचार संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

दलालों की गतिविधियाँ

6383. श्री एस. रामचन्द्र रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 मार्च, 1997 के "न्यूज टाइम" में "क्लिक डैट डयूप्स रेल पैसेन्जर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) दलालों की विशेषकर आर. ए. सी. के संबंध में चालू गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हाँ।

(ख) कुछ अनधिकृत ट्रेवल एजेंसियाँ हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहरों के क्षेत्र में रेल आरक्षण टिकटों को खरीदने और बेचने के गैर-कानूनी कार्य में संलिप्त हैं।

(ग) दक्षिण मध्य रेलवे ने अलग-अलग स्थानों और कार्यालयों में भेजने और दलालों और आरक्षण में कदाचार में संलिप्त अन्य अनधिकृत व्यक्तियों को पकड़ने के लिए रेल सुरक्षा बल और टिकट जांच कर्मचारियों का एक विशेष दल गठित किया है। इसके अलावा, राजकीय रेल पुलिस/रेल सुरक्षा बल की सहायता से वाणिज्यिक और सतर्कता विभाग द्वारा संयुक्त रूप से ऐसी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों की जांच के लिए आरक्षण/बुकिंग कार्यालयों में नियमित रूप से अचानक जांच की जाती है तथा रेल अधिनियम के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाई की जाती है। वर्ष 1995 और 1996 के दौरान क्षेत्रीय रेलों द्वारा आयोजित निवारक जांचों के परिणामस्वरूप क्रमशः 1532 और 1944 दलाल पकड़े गए।

चल स्टाक का रख-रखाव

6384. श्री संतोष मोहन देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल डिब्बों, माल डिब्बों, इंजनों और पटरियों

जैसे चल स्टाक के खराब रख-रखाव जिसके कारण बार-बार रेलगाड़ियां पटरी से उतर जाती हैं और रेल यातायात बाधित होता है, पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जौनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों के नियंत्रकों के सम्मेलन के दौरान रेलवे को यह अनुदेश दिया था कि वांछित स्तर पर रख-रखाव और देखभाल के सभी पहलुओं के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जाए; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे चल स्टाक के रख-रखाव में कहां तक सुधार कर पाया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) सरकार ने गाड़ी दुर्घटनाओं और रेल यातायात में परिणामी रुकावट पर चिन्ता व्यक्त की है। दुर्घटनाएं तोड़-फोड़, बम विस्फोट, आतंकवादी गतिविधियों और समपारों पर सड़क वाहनों को तेजी और लापरवाही से चलाने और रेल उपकरण के अनुरक्षण/सामग्री की खराबी के कारण होती हैं।

(ख) सरकार द्वारा गाड़ी परिचालन में संरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है और इस दिशा में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर महाप्रबंधकों के सम्मेलनों में क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों के साथ नियमित रूप से विचार विमर्श किया जाता है।

(ग) चल स्टाक में अनुरक्षण में नियमित सुधार हुआ है। चल स्टाक के उपस्कारों की खराबी 1995-96 की तुलना में 1996-97 के दौरान 10-15% कम रही है।

खनिज खनन निगम लिमिटेड

6385. श्री प्रमोद महाजन : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज खनन निगम लि. घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उठाए गए घाटे का ब्यौरा क्या है और निगम की वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है;

(ग) क्या निगम ने 52 कार्यकारी अधिकारियों के पदों के विज्ञापन पर चार लाख रुपये व्यय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पदों और उन पर आए खर्च का ब्यौरा क्या है तथा चयनित/नियुक्त किए गए व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या निगम ने वर्ष 1991-92 के दौरान स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना आरंभ की है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अब तक प्रति वर्ष स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या निगम ने संसाधनों और जनशक्ति का भरपूर उपयोग नहीं किया है जैसा कि 25 मार्च, 1997 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

इस्यार्थ मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) जी, हां। खनिज गवेषण निगम लि. को पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए घाटे का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	1994-95	14.03 करोड़ रु.
	1995-96	12.24 करोड़ रु.
	1996-97	14.10 करोड़ रु.

खनिज गवेषण निगम लि. को 1992-93 से लगातार घाटा हो रहा है। कुल संचयी घाटा 64.10 करोड़ रु. है।

(ग) और (घ) निगम ने 49 पदों के विज्ञापन पर 4,09,813.10 (4 लाख 9 हजार आठ सौ तेरह रु. और दस पैसे सिर्फ) व्यय किए। पदों का विवरण निम्न प्रकार है :-

महाप्रबंधक (खनन)	1
चीफ मैनेजर (माइनिंग/पी एंड ए (वित्त))	3
प्रबंधक वित्त	1
उपप्रबंधक (खनन)	2
उपप्रबंधक (वित्त)	1
कंपनी सचिव	1
सहायक प्रबंधक (खनन)	2
सहायक प्रबंधक (वित्त)	1
व. खनन अभियंता	6
खनन अभियंता	5
प्रबंधक प्रशिक्षु (खनन/पी. एण्ड ए/वित्त/मैकेनिकल)	16
औद्योगिक प्रशिक्षु (खनन/मैकेनिकल/इलेक्ट्रानिक)	10
कुल	49

अभी तक किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई है।

(ङ) और (च) खनिज गवेषण निगम लि. ने जुलाई 1992 में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना आरंभ की थी। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य कारण अतिरिक्त कर्मचारियों में कमी करना था। अक्टूबर, 1992 से 31 मार्च, 1997 के दौरान उपरोक्त योजना के तहत सेवा निवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	कार्यपालक	गैर-कार्यपालक	कुल
1992-93	07	43	50
(अक्टूबर, 92-मार्च, 93)			
1993-94	67	507	574
1994-95	38	238	276
1995-96	07	60	67
1996-97	20	48	68
कुल	139	896	1035

(छ) और (ज) संवर्धनात्मक गवेषण परियोजनाओं के लिए बजट सहायता में की गई कमी के कारण और संविदा संबंधी पर्याप्त गवेषण परियोजनाओं के अभाव में संसाधनों और जनशक्ति का भरपूर उपयोग नहीं हुआ है। वित्तीय प्रतिबंधों के कारण वेधन संबंधी पुरानी मशीनों को बदलना और उनकी मरम्मत करवाना संभव नहीं था इसलिए उत्पादन में कमी आई।

[हिन्दी]

रेलवे क्रॉसिंग

6386. श्री दत्ता जेजे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के नागपुर जिले में कुल कितने रेलवे क्रॉसिंग हैं;

(ख) ऐसे कितने रेलवे क्रॉसिंग हैं जहां निचला पुल अथवा ऊपरी पुल निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है और कितने रेल फाटकों पर पुल निर्मित किए गए हैं; और

(ग) इन पुलों का निर्माण न कराए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 221 अदद।

(ख) नागपुर में 6 समपारों पर ऐसे निचले सड़क पुल या ऊपरी सड़क पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव है तथा 5 समपारों पर निचले/ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण किया जा चुका है।

(ग) जहां राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रायोजित किए गए हैं वहां ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों के बारे में विचार किया गया है। अन्य समपारों के लिए राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

जगतबेला स्टेशन पर बंदारा एक्सप्रेस का ठहराव

6387. श्रीमती सुभाबती देवी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यात्रियों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से जगतबेला रेलवे स्टेशन पर बंदारा एक्सप्रेस के ठहराव के लिए व्यवस्था करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी न्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) औचित्य नहीं बनता।

खुरई में सम्बलपुर-हीराकुंड एक्सप्रेस का ठहराव

6388. श्री बीरेन्द्र कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुरई में सम्बलपुर-हीराकुंड एक्सप्रेस का और मुंडी-बामोरा में सदन एक्सप्रेस के स्टापेज संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी न्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) औचित्य का अभाव।

खनिजों की खोज संबंधी नीति

6389. डॉ. कृपासिन्धु भोई :

डॉ. एम. जगन्नाथ :

श्री बी. एल. शंकर :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई स्वर्ण और हीरा खनन नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) खनिज विशेषकर स्वर्ण और हीरा पाए जाने वाले क्षेत्रों की खोज संबंधी नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(घ) अब तक पता लगाए गए सम्भाव्य क्षेत्रों का न्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निर्यात द्वारा आय प्राप्ति हेतु इन क्षेत्रों के दोहन के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(च) क्या देश में अप्रयुक्त बंद पड़ी तथा वर्षों पुरानी खानों के आधुनिकीकरण हेतु विदेशी प्रौद्योगिकी अपनाई गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी न्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य) :

(क) से (ग) राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 में विदेशी प्रौद्योगिकी के आगमन तथा उच्च मूल्य तथा दुर्लभ खनिजों के गवेषण तथा खनन में विदेशी भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रावधान है। भारतीय कंपनियों द्वारा खनन में प्रोत्साहित किए गए संयुक्त उद्यमों में विदेशी इक्विटी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। जहां इक्विटी में विदेशी निवेश को सामान्य तौर पर 50% पर सीमित रखा जाएगा वहां यह सीमा उद्योग के लिए आवश्यक किसी खनिज की गृहीत खानों पर लागू नहीं होगी। बढ़ी हुई इक्विटी होल्डिंग के बारे में मामला दर मामला आधार पर विचार किया जा सकता है। निर्धारित नीति के अनुसार स्वर्ण तथा हीरा सहित 13 खनिजों जिनको अभी तक सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया था, को

विदेशी निवेश सहित निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। केन्द्रीय सरकार ने हवाई सर्वेक्षण के लिए बड़े क्षेत्र देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्वर्ण तथा हीरा समेत खनिजों के बारे में खनिज रियायतें खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए नियमों के अनुसार दी जाती हैं। अधिनियम तथा नियमों एवं नीतिगत घोषणाओं को प्रभावी करने के लिए संशोधित किया गया है।

(घ) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पता लगाए गए संभावित क्षेत्र निम्न प्रकार हैं :-

स्वर्ण हेतु

- (1) कर्नाटक में अज्जानहाली और कैमपिनकोटे।
- (2) राजस्थान के बारुवाहा जिले में भूकिया जगपुरा क्षेत्र।
- (3) आंध्र प्रदेश में गोवनीकोडा खान।
- (4) कर्नाटक में हीरा बुदनी खण्ड, हट्टी मस्की शिष्ट पट्टी और चिनमुलगुंड क्षेत्र।
- (5) मध्य प्रदेश के सिधी जिले में गुरहारपहाड़ पश्चिम खण्ड।
- (6) महाराष्ट्र के नागपुर-भंडारा गडचिरोली जिलों में कोटियारी अज्याल और परसोरी।
- (7) कर्नाटक राज्य के सनबाल और मस्की, सुरापल्ली, जलीगिरी और साराटूर, जी. के. हल्ली, थिपागाडानहल्ली, कुंचीगनाहल्ली और बानगरादागनी क्षेत्र।

हीरा हेतु

- (1) आंध्र प्रदेश के कोचापल्ली खण्ड।
 - (2) मध्य प्रदेश के बस्तर/रायगढ़ जिले की इब, मैनी, मंड और ताल्दा-उत्तीआला नदियों के निकटवर्ती क्षेत्र।
- (ङ) स्वर्ण और हीरे सहित खनिजों के विदोहन के लिए पूर्वक्षेत्र लाइसेंस खनन पट्टे की मंजूरी खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा नियंत्रित की जाती है। निर्यात को देश की निर्यात-आयात नीति के प्रावधानों द्वारा दिशा दी जाती है।

(च) और (छ) इन खानों के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी का प्रवेश संबंधित संगठनों के प्रौद्योगिकी-आर्थिक निर्णय पर निर्भर करता है।

ढाक तथा दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के लिए आवास

6390. श्री रामकृपाल यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने ढाक तथा दूरसंचार विभाग के सभी कर्मचारियों को आवास सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है;
- (ख) दोनों विभागों में पृथक रूप से राज्य-वार कर्मचारियों की संख्या कितनी है;
- (ग) अब तक जिला-वार, श्रेणी-वार कुल कितने कर्मचारियों को

आवास सुविधा उपलब्ध करा दी गई है;

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान निर्मित आवासों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आवास निर्माण हेतु उत्तरदायी अधिकारी इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (छ) ढाक विभाग : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दूरसंचार विभाग : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रांची और दिल्ली के बीच इंडियन एयरलाइन्स की विमान सेवा

6391. श्री राम टहल चौधरी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने रांची से दिल्ली तथा रांची से मुम्बई के बीच इंडियन एयरलाइन्स की दैनिक विमान सेवा आरम्भ की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इन्नाहीम) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइन्स इस समय दिल्ली-पटना-रांची और वापसी मार्ग पर दैनिक सेवा और मुम्बई-पटना-रांची-कलकत्ता और वापसी मार्ग पर सप्ताह में तीन बार की सेवाओं का प्रचालन कर रही है। विमानक्षमता की कमी और अपर्याप्त यातयात मांग के कारण, इंडियन एयरलाइन्स की इस समय रांची और मुम्बई के बीच सेवाएं आरंभ करने की कोई योजनाएं नहीं हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों में एस. पी. ओ./एस. टी. डी. सुविधाएं

6392. श्री बच्ची सिंह रावत "बच्चदा" : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने वर्ष 1997-98 के दौरान उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में नए उप-ढाकपर खोलने और एस. टी. डी. सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो लंबित पड़े आवेदनों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) ढाक पर, वार्षिक योजनाओं के तहत खोले जाते हैं बशर्ते कि मानदण्डों के आधार पर इनका औचित्य बनता हो और संसाधन उपलब्ध हों। पहाड़ी क्षेत्रों में,

डाकघर खोलने के औचित्य की जांच करने के लिए अपनाए जाने वाले मानदण्डों में आय तथा जनसंख्या के सम्बंध में ढील दी जाती है। एस. टी. डी. सुविधा मांग के आधार पर प्रदान की जाती है।

(ख) वार्षिक योजना 1997-98 के दौरान, उत्तर प्रदेश में 70 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 6 विभागीय उप डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में खोले जाने वाले डाकघर शामिल हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद में गौशाला फाटक पर उपरि-पुल का निर्माण

6393. श्री सुख लाल कुशवाहा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गाजियाबाद में गौशाला रेल फाटक पर उपरि-पुल के निर्माण की मंजूरी दी थी;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य आरंभ होने में अब तक विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं, 1997-98 के बजट में इसके बदले एक निचला सड़क पुल अनुमोदित किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विस्तृत अनुमान और नक्शों को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।

बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन

6394. श्री शिबु सोरेन : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान प्रबंधन की गलत नीतियों के कारण बोकारो इस्पात संयंत्र की उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त संयंत्र की उत्पादन क्षमता को इसकी कुल क्षमता के बराबर रखने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) :

(क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हवाई अड्डों पर सुविधाएं

6395. श्री के. सी. कोंड्या : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश विकास निगम ने "रेल इंडिया टेक्नीकल एन्ड इकोनोमिक सर्विसिज लिमिटेड" (राइट्स) को कर्नाटक में हवाई अड्डों पर उपलब्ध वर्तमान सुविधाओं का अध्ययन करने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या "राइट्स" ने बेलारी हवाई अड्डे पर उपलब्ध सुविधाओं का अध्ययन किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या "राइट्स" ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) ऐसे अध्ययन के लिए कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश विकास निगम ने कितनी धनराशि का भुगतान किया था;

(ङ) बेलारी हवाई अड्डे पर अपेक्षित अतिरिक्त सुविधाओं के लिए अनुमानतः कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है; और

(च) क्या उपर्युक्त रिपोर्ट की एक प्रति सभा के पटल पर रखी जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) बेल्लारी हवाई अड्डे के अध्ययन हेतु राइट्स को देय शुल्क 1.75 लाख रु. है।

(ङ) डोरनियरब्लास एयरक्राफ्ट (20 सीट बाला) के परिचालन हेतु एयरपोर्ट के ग्रेडोन्नयन के लिए अनुमानित खर्च 235.60 लाख रु. है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(i) रनवे, टैक्सीवे और एप्रन में सुधार।

(ii) न्यू ए. टी. सी. टावर, फायर स्टेशन, ऑफिस बिल्डिंग, कुछ संचार प्रबंध और मौसम विज्ञान संबंधी सहायता और आनुवंशिक निर्माण कार्य।

(च) सभा पटल पर रिपोर्ट की कोई प्रति प्रस्तुत नहीं की गई थी।

मध्य प्रदेश में रेल द्वारों/ऊपरि-पुलों का निर्माण

6396. डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मध्य प्रदेश के व्यस्त रेल फाटकों पर रेल द्वारों/ऊपरि-पुलों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में निर्माण किए जाने वाले प्रस्तावित रेल द्वारों/ऊपरि-पुलों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रेल फाटकों और ऊपरी पुलों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

1. रेल फाटक

(i) भिलाई पावर स्टेशन और भिलाई नगर के बीच कि० मी० 858/11-12 पर समपार फाटक।

(ii) निक्षेप शतों पर इटारसी-खंडवा खंड पर धर्मकुंडी और खुतवानसा रेलवे स्टेशनों के बीच कि० मी० 725.33 पर चौकीदार वाला समपार फाटक।

2. ऊपरी पुल

(i) उज्जैन-इंदौर खंड पर समपार सं० 29 के बदले देवास में ऊपरी सड़क पुल।

(ii) समपार सं० 51 के बदले राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 3 पर कि० मी० 94/10-11 पर मक्सी में फ्लाई ओवर।

(iii) चूचीपाड़ा में कि० मी० 717/18-20 पर ऊपरी सड़क पुल।

(iv) इटारसी में कि० मी० 745/14-15 पर समपार सं० 1-बी और कि० मी० 740/1-2 पर समपार सं० 255-बी पर ऊपरी सड़क पुल।

(v) होशंगाबाद में कि० मी० 762/11-12 पर समपार सं० 232-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल।

(vi) खंडवा में कि० मी० 567/4-5 पर समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल।

(vii) दामोह में कि० मी० 1126/1 पर समपार सं० 59-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल।

(viii) सतना-कोतवाली में कि० मी० 1178/5-6 पर समपार सं० 386-ए के बदले में निचला सड़क पुल।

(ix) बिरला नगर में कि० मी० 1227/13-14 पर समपार सं० 425 के बदले ऊपरी सड़क पुल।

(x) बेतुल में कि० मी० 850/7-8 पर समपार सं० 256 के बदले ऊपरी सड़क पुल।

(xi) सौगार में कि० मी० 1048/3-4 पर समपार सं० 23-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल।

(xii) रतलाम में समपार संख्या 192 के बदले ऊपरी सड़क पुल।

(xiii) इंदौर में समपार संख्या 146 के बदले ऊपरी सड़क पुल।

(xiv) नागदा में समपार सं० 1 के बदले में ऊपरी सड़क पुल।

(xv) निम्बोला में कि० मी० 505/12-13 पर समपार सं० 175 के बदले ऊपरी सड़क पुल।

पंजाब में रेल विकास

6397. श्री सुखबीर सिंह बादल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब और अन्य राज्यों में रेलवे के आधारभूत ढांचे के विकास हेतु कितनी धनराशि आवंटित और खर्च की गई है;

(ख) इसके अंतर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेल पटरी का आयात

6398. श्री पी. आर. दासमुंशी :

श्री बी. एल. शंकर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेल द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान तथा 31 मार्च, 1997 तक कितनी मात्रा में तथा किन-किन रेलवे वस्तुओं का आयात किया गया तथा किन-किन देशों से इनका आयात किया गया है और वस्तु-वार इसमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है;

(ख) इन वस्तुओं के आयात के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ वस्तुओं में कोई कमी पाई गई थी;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के सभी प्रकार की रेलवे वस्तुओं का उत्पादन किए जाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) मद- 60 कि० ग्रा० सख्त कोर वाली पटरी।

मात्रा- 60,000 टन।

वे देश जिनसे-यू० के० (40,000 टन) एवं

आयात की गई कनाडा (20,000 टन)

राशि-143 करोड़ सी० आई० एफ०

(ख) सख्त कोर वाली पटरी भारत में निर्मित नहीं की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय रेलों के लिए सख्त कोर पटरियों की जरूरत बहुत कम होने के कारण ऐसी पटरियों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

[हिन्दी]

विलंब से पहुंचाए गए धनादेशों के बारे में शिकायतें

6399. श्री इलिषास आज़मी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विलंब से पहुंचाए गए धनादेशों की शिकायतों के बारे में कोई जांच की है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कथित दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो उन पर की गई कार्यवाही के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद बर्मा) : (क) जी, हां। मनीआर्डरों का भुगतान अधिकतर समय पर किया जाता है। मनीआर्डरों के भुगतान में विलंब से संबंधित शिकायतें, कुल मनीआर्डर परियात का लगभग 0.1% हैं, जिनकी तत्काल जांच की जाती है।

(ख) जून, 1996 से अगस्त, 1996 के महीनों के दौरान एक विशेष अभियान चलाया गया और प्राप्त शिकायतों के, जिनमें भुगतान में विलंब की शिकायत भी शामिल है, 90% मामलों में डुप्लीकेट मनीआर्डर जारी किए गए। वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान जितनी शिकायतों की जांच की गई उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

सर्किल	प्राप्त हुई तथा जांच की गई शिकायतों की संख्या		
	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4
असम	6003	4102	4931
आंध्र प्रदेश	15748	13674	18700
बिहार	6833	6805	6730
दिल्ली	27268	26900	32437
गुजरात	40782	13482	14399
हरियाणा	6376	5846	5878
हिमाचल प्रदेश	1593	1646	2300
जम्मू-कश्मीर	1551	1611	1030
कर्नाटक	15045	18512	21775
केरल	4907	5646	5011
मध्य प्रदेश	14417	16202	16629
महाराष्ट्र	36079	43592	49699
उत्तर पूर्व	8412	8579	8689
उड़ीसा	4132	4981	4337
पंजाब	15081	14857	14500
राजस्थान	5606	5888	6618
तमिलनाडु	13332	15566	14963
उत्तर प्रदेश	22989	32217	29276
पश्चिम बंगाल	24270	26158	27450
वेस डाकघर	1427	978	1608
	242139	267242	286960

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई थी। वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान क्रमशः 117, 210 और 185 कर्मचारियों को दंडित किया गया।

जबलपुर-भोपाल अन्तर्गरीब गाड़ी चलाना

6400. श्री दादा बाबू राव पराजपे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति जबलपुर (मध्य प्रदेश) के सदस्यों की इस मांग से अवगत है कि जबलपुर-भोपाल अन्तर्गरीब गाड़ी चलाने, जबलपुर-दिल्ली महामाया गाड़ी को पूरे डिब्बों के साथ चलाने और यात्रियों के लिए उपयुक्त गाड़ियों का समय निर्धारित करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) जबलपुर और भोपाल के बीच एक गाड़ी चलाने, जबलपुर-निजामुद्दीन गोंदवाना एक्सप्रेस को पूरे भार के साथ चलाने तथा गोंदवाना एक्सप्रेस के समय के पुनः निर्धारण की मांगों की जांच की गई थी परंतु परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया। इसके अलावा, जबलपुर-निजामुद्दीन गोंदवाना एक्सप्रेस बीना और निजामुद्दीन के बीच पूरे भार के साथ चल रही है।

[अनुवाद]

नई खनिज खनन नीति

6401. श्री के. प्रधानी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव नई खनिज खनन नीति आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति की घोषणा कब तक होगी ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री खीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) से (ग) खनिजों के गवेषण के लिए निर्धारित नीति राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 के तहत आती है। कोई अलग नई खनिज गवेषण नीति आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बैंक गारण्टी का जन्म किया जाना

6402. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा एस्सार ग्रुप की कम्पनियों की बैंक गारण्टियों को जन्म दिए जाने तथा आशय पत्र को रद्द किए जाने के कारण मूलभूत टेलीफोन सेवा का निजीकरण गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या मूलभूत टेलीफोन की 13 कम्पनियों में से जिन कम्पनियों को लाइसेंस प्राप्त है, वे संकट की स्थिति में हैं;

(ग) क्या टाटा तथा टैलीमैटिक्स विभाग की, विवादित हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्पनी लिमिटेड से कानूनी लड़ाई चल रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो उनके लाइसेंस को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) 12 दूरसंचार सर्किलों में टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए जिन 8 कंपनियों को 12 आशय-पत्र (एल. ओ. आई.) जारी किए गए थे उनमें से दो कंपनियों यथा मै. भारती टेलीनेट तथा मै. रिलायन्स टेलीकाम ने प्रथम वर्ष के लिए लाइसेंस फीस का भुगतान करने के बाद क्रमशः मध्य प्रदेश तथा गुजरात सर्किलों के लिए लाइसेंस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। दो कंपनियों, जिनके पास 3 आशय-पत्र हैं, को आशय-पत्र को लाइसेंस में बदले जाने के लिए अभी औपचारिकताएँ पूरी करनी हैं। तथा लाइसेंस फीस जमा करानी है। 7 आशय-पत्र धारक शेष चार कंपनियों (मै. एस्सार ग्रुप सहित जिसके पास पंजाब सर्किल के लिए आशय-पत्र है) द्वारा निविदा प्रावधानों के अनुपालन न करने पर उनकी बयाना बैंक गारंटी को जन्त करने संबंधी सरकार के आदेश के विरुद्ध उक्त कंपनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में सिविल मुकदमा दायर किया है। उनके मामले न्यायाधीन हैं। तथापि उनके द्वारा उठाए गए कई मुद्दों के समाधान के लिए सरकार द्वारा समुचित प्रयास किए गए हैं ताकि इन परियोजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा सके।

(ग) दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश (पश्चिम) तथा उड़ीसा के लिए आशय-पत्र धारक कंपनी मै. एच. एफ. सी. एल. बेजेक टेलीकाम लि. द्वारा निविदा प्रावधानों के अनुपालन न करने पर सरकार द्वारा उसकी बयाना बैंक गारंटी जन्त करने संबंधी कार्रवाई के विरुद्ध उक्त कंपनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में सिविल मुकदमा दायर किया है। इसके अलावा दो निजी-कंपनियों मै. टाटा एव. मै. हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कंपनी लि. के बीच किसी भी प्रकार की मुकदमेबाजी के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(घ) मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

[हिन्दी]

शिक्षित बेरोजगार युवकों को होटल चलाने के लिए ऋण

6403. डॉ. रमेश चन्द तोमर :

श्री देवी बक्स सिंह :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवकों को पर्यटक स्थलों पर होटल आदि चलाने के लिए रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लाभार्थियों की पहचान करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी जिलों में कितने युवकों को ऋण प्रदान किया गया ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (घ) जी, नहीं। भारत सरकार, पर्यटक केन्द्रों पर होटलों आदि को प्रारंभ करने के लिए उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल पहाड़ी क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवकों को कोई विशेष रियायती ऋण प्रदान नहीं करती है। तथापि, पर्यटन विभाग की, उन उद्यमियों को, जो एक, दो और तीन सितारा अनुमोदित होटल परियोजनाओं में निवेश करने के इच्छुक हैं और जिन्होंने चुनिंदा वित्तीय संस्थानों से 3% की ब्याज छूट पर ऋण लिया है, को ब्याज इमदाद देने की योजना है। ऋषिकेश-नरेन्द्रनगर गंगोत्री-बद्रीनाथ के यात्रा परिपथ में 5% की उच्च ब्याज इमदाद है। सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित होटलों में निवेश करने के लिए आयकर में भी छूट देती है।

[अनुवाद]

विमान यातायात सेवा का आधुनिकीकरण

6404. श्री सत्यजीत सिंह हलीप सिंह गायकबाड़ : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी विमान कम्पनी, रेथियोन के वाईस प्रेसिडेंट (परिवहन) मार्क होप्लर के नेतृत्व में उक्त कम्पनी के अधिकारियों के एक उच्च स्तरीय दल ने मुम्बई तथा दिल्ली में विमान यातायात सेवाओं के आधुनिकीकरण (एम. ए. टी. एस. बी. डी.) के भाग के रूप में विमानपत्तन परियोजना के संबंध में चर्चा करने हेतु हाल ही में भारत का दौरा किया है;

(ख) यदि हाँ, तो एम. ए. टी. एस. बी. डी. परियोजना का ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना के विभिन्न स्तर क्या हैं; और

(ग) उक्त दल के साथ हुई बातचीत का निष्कर्ष क्या है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इक्बालीम) : (क) जी, हाँ।

(ख) इस आधुनिकीकरण परियोजना के अधीन, दिल्ली और मुम्बई हवाई अड्डों पर समूचे विमान यातायात नियंत्रण को, उड़ान डेटा प्रोसेसिंग प्रणाली, राडार डेटा प्रोसेसिंग प्रणाली, स्वचालित स्वयं ब्रीफिंग प्रणाली और वायस कंट्रोल संचार प्रणाली का प्रावधान करके स्वचालित बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अत्याधुनिक राडारों, जिनमें हवाई अड्डा निगरानी राडार, विमान मार्ग निगरानी राडार, मोड-एस क्षमता सहित मोनेपल्स गौण निगरानी राडार शामिल हैं तथा विमान क्षेत्र भू-खोजी उपस्कर की भी व्यवस्था की गई है। इन प्रणालियों के स्थल प्रतिग्रहण परीक्षण चरणबद्ध तरीके से चल रहे हैं। विमान यातायात सेवाओं की समन्वित प्रणाली पर परीक्षण दिल्ली में मई, 1997 तक और मुम्बई में जून, 1997 तक पूरा हो जाने की आशा है। परियोजना की कुल लागत 423.89 करोड़ रुपए है और उसमें 266.48 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का अंश भी शामिल है।

(ग) वार्ताओं के दौरान, परियोजना के सुचारु कार्यान्वयन के लिए रुकावटों का पता लगा लिया गया है और परियोजना के तेजी से कार्यान्वयन

के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है ताकि परियोजना में समयी विधि में और आगे कोई ढिलाई न आ जाए।

स्थानीय डाइलिंग हेतु हैदराबाद सिकन्दराबाद का सीमा क्षेत्र

6405. श्री पी. बी. राजेश्वर राव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद के कितने सीमा क्षेत्र में स्थानीय टेलीफोन काल किया जा सकता है;

(ख) क्या सरकार का विचार दिल्ली की तरह हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद में स्थानीय टेलीफोन काल हेतु सीमा क्षेत्र बढ़ाने का है;

(ग) यदि हाँ, तो हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद में किन स्थानों के लिए स्थानीय टेलीफोन काल सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है तथा यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद में स्थानीय टेलीफोन काल हेतु स्थानीय सीमा क्षेत्र न बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) हैदराबाद और सिकन्दराबाद के दो शहरों के नगर निगम और सिकन्दराबाद छावनी बोर्ड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले टेलीफोन उपभोक्ताओं को स्थानीय काल सुविधा उपलब्ध है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मौजूदा नीति के अनुसार, एक मल्टी एक्सचेंज सिस्टम का स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका/निगम के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र को कवर करता है। दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई के महानगरों को विशेष वितरण सेवा प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

कुलियों द्वारा सीटों पर कब्जा

6406. श्री पवन दीवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित डिब्बों में कुली सीटों पर कब्जा कर लेते हैं और फिर वे यात्रियों से उन सीटों के बदले पैसा वसूलते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन रेलवे स्टेशनों से ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) ऐसी गतिविधियों में शामिल कुलियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) ऐसी कुछ घटनाएँ ध्यान में आई हैं।

(ख) जनवरी से दिसम्बर, 1996 के दौरान मुम्बई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, दादर टर्मिनस, कल्याण, कुर्ला टर्मिनस, पुणे, लखनऊ, गोरखपुर,

न्यू जलपाईगुड़ी, चेन्नई सेन्ट्रल, हावड़ा, मुम्बई सेंट्रल और बांद्रा टर्मिनस के लाइसेंसधारी भारिकों के विरुद्ध 33 शिकायतें प्राप्त हुई।

(ग) कुलियों की ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए रेलवे द्वारा नियमित जाँचें की जाती हैं। ऐसे लाइसेंसधारी भारिकों, जो कदाचार में लिप्त होते हैं और जिनके विरुद्ध आरोप सिद्ध हो जाते हैं, के लाइसेंस बिल्टों को आस्थगित/समाप्त कर दिया जाता है।

[अनुवाद]

"टॉय ट्रेन" का डिजाइन फिर से तैयार किए जाने संबंधी उपाय

6407. श्री नारायण अठावले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 मार्च, 1997 के "एशियन एज" में "रिस्ट्रिक्टेड मेजर्स आर "टॉय ट्रेनस आन ए बम्पी ट्रेक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें की गई टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई/प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) समाचार में छपे पहाड़ी खंडों पर गाड़ियों को चलाने से हो रहे घाटे की रेलवे को जानकारी है। गाड़ी सेवाओं को चलाने से हो रहे घाटे को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाए किए गए हैं :-

(क) खंड के भीतर यात्रा करने के लिए यात्री किरायों के लिए दूरी में वृद्धि के प्रभार को हटाना।

(ख) पर्यटन संभाव्यता का दोहन करके पर्यटन यातायात में वृद्धि करने के लिए विशेष कदम;

इन प्रयासों का कार्यान्वयन एक सतत् प्रक्रिया है तथा बिना किसी ढील के इन्हें किया जा रहा है।

[हिन्दी]

पर्यटन का विकास

6408. श्री राधा मोहन सिंह :

श्री देवी बक्स सिंह :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान राज्यों में पर्यटन महत्त्व वाले पता लगाए गए स्थानों के विकास हेतु गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर/नामंजूर/लम्बित रखे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पर्यटन के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त राज्यों को आर्बिट्रिट धनराशि का राज्य सरकारों द्वारा प्रयोग किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना):

(क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के साथ परामर्श करके पर्यटन के विकास के लिए वित्तीय सहायता हेतु परियोजनाओं/योजनाओं को प्राथमिकता देता है जो एक सतत् प्रक्रिया है। परियोजनाओं/योजनाओं को उनके गुण-दोषों, धन की उपलब्धता और परस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

वर्ष 1996-97 के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं/योजनाओं की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

स्वीकृत परियोजनाओं की सं.		
1.	गुजरात	11
2.	बिहार	4
3.	उत्तर प्रदेश	17

(ग) से (ङ) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात को 16 परियोजनाओं/योजनाओं के लिए 111.38 लाख रुपए, उत्तर प्रदेश को 32 परियोजनाओं/योजनाओं के लिए 526.86 लाख रुपए और बिहार को 15 परियोजनाओं/योजनाओं के लिए 268.96 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत की गई धनराशि का उपयोग करना पूर्ण रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही धनराशि किरतों में प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में खराब टेलीफोन

6409. श्री राममूर्ति सिंह वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार प्रणाली के अंतर्गत लगाए गए अधिकांश टेलीफोन खराब पड़े हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा संचार के ऐसे साधनों को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या इस मामले की जांच एक विशेषज्ञ समिति द्वारा कराए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार प्रणाली के अंतर्गत अधिष्ठापित किए गए अधिकांश टेलीफोन एक्सचेंज पहले ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदल दिए गए हैं और इन एक्सचेंजों से सम्बद्ध कनेक्शन संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं। तथापि, विभिन्न कारणों से ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों सहित

लम्बी दूरी के कनेक्शनों के अनुरक्षण में कुछ समस्याएं हैं।

(ख) व्यवधान तथा तोड़फोड़ के निम्नलिखित कारण हैं :-

(i) दूरस्थ तथा अगम्य स्थानों का होना तथा संतोषजनक परिवहन प्रणाली का न होना।

(ii) ओवर हेड लाइनों और तारों की चोरी।

(iii) रुक-रुक कर बिजली की आपूर्ति।

(iv) बिजली गिरने से क्षति।

(ग) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सहित ग्रामीण संचार के कार्यकरण में सुधार लाने तथा उन्हें ग्रुप डायालिंग एवं एस. टी. डी. सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :-

(i) शिरोपरि संरक्षण को भूमिगत केबलों में यथा व्यवहार्य एवं यथा संभव बदला जा रहा है।

(ii) ग्रामीण/पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए रेडियो/सेटलाइट माध्यम इत्यादि का अधिक उपयोग करके पारिषण माध्यम को सशक्त बनाया जा रहा है।

(iii) ग्रामीण एक्सचेंजों में उच्च क्षमता को बैटरियों तथा इंजन जेनरेटर प्रदान करके विद्युत आपूर्ति बढ़ाई जा रही है।

(iv) उपचारात्मक कार्रवाई के लिए समय सूची के अनुसार सम्बन्धित एक्सचेंजों से सभी ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की जांच की जाती है।

मुख्यालयों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के कार्य निष्पादन की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

(v) एम. ए. आर. आर. उपकरण मरम्मत योग्य नहीं हैं उन्हें बदलने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(घ) यह निर्णय लिया है कि ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के कार्यकरण संबंधी फील्ड रिपोर्ट का सत्यापन विभाग द्वारा चुने गए स्वतंत्र अधिकरण द्वारा किया जाए।

डाक सेवाओं में सुधार

6410. श्री हंसराज अहीर :

श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटिल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और डाकघरों में प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता, उत्पादकता और क्षमता में सुधार के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो डाक स्टेशनरी की गुणवत्ता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या राष्ट्रीय बचत पत्र, कृषि विकास पत्र और इन्दिरा विकास पत्र जारी करने के लिए उपयोग में लायी जाने वाली स्याही और रबर धातु की मुहर खराब किस्म की है और अक्सर इन्हें जारी करने वाले डाकघर का नाम और जारी करने की तारीख स्पष्ट नहीं होती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। विभाग की तत्संबंधी वार्षिक योजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों का उद्देश्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करना, डाकघरों में प्रदान की जा रही सेवाओं की कार्यकुशलता, उत्पादकता और गुणवत्ता बेहतर बनाना है। आठवीं योजनावधि के अंतर्गत वार्षिक योजना 1997-98 में डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों को शामिल किया गया है जो इस प्रकार हैं :-

1. कम्प्यूटर आधारित बहुदेशीय काउंटर मशीनों की शुरुआत।
2. बड़े नोडल केन्द्रों में मेल प्रोसेसिंग का आटोमेटाइजेशन।
3. मनीआर्डरों के त्वरित पारेषण के लिए वेरी स्माल अपरचर टर्मिनलों (वी सेट्स) का प्रयोग तथा अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं की व्यवस्था।
4. बचत बैंक, डाक जीवन बीमा तथा स्पीड कार्यों के लिए कम्प्यूटरों का प्रयोग।
5. चुनिंदा महत्वपूर्ण डाकघरों में काउंटर सेवाओं तथा फ्रंट आफिस कार्यकलापों का आधुनिकीकरण।
6. कार्य पद्धति को आधुनिक बनाने के लिए अधिक महत्वपूर्ण डाकघरों में उन्नत प्रचालन उपकरणों की व्यवस्था।

मेल प्रोसेसिंग के लिए उपयोग में लाई जा रही नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए डाक स्टेशनरी की गुणवत्ता में सुधार करना आरंभ कर दिया गया है। अंतर्देशीय पत्र काडों, पोस्ट काडों और लिफाफों के डिजाइनों में परिवर्तन किया गया है ताकि उन्हें आटोमेटाइड मेल प्रोसेसिंग प्रणाली के अनुकूल बनाया जा सके।

(ग) और (घ) जी, नहीं। स्याही और मोहर सील की क्वालिटी घटिया नहीं है। राष्ट्रीय बचत पत्रों, किसान विकास पत्रों/इन्दिरा विकास पत्रों पर तारीख और डाकघर के नाम की पठनीय छाप सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से स्याही लगाने तथा खराब मोहरों की बदलने के लिए स्थायी अनुदेश है।

[अनुवाद]

विदेशी निवेश

6411. श्री मंगत राम शर्मा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के विभिन्न राज्यों में पर्यटक स्थलों के विकास हेतु निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को आमंत्रित

करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख) भारत सरकार ने विदेशी निवेश के लिए पर्यटन को एक उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग के रूप में घोषित किया है। फलस्वरूप, विशिष्ट दिशा-निर्देशों पर प्राथमिकता के आधार पर विदेशी निवेश के प्रस्तावों को अनुमोदित करने के उद्देश्य से सरकार ने एक विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड और एक परियोजना अनुमोदन बोर्ड की स्थापना की है। तकनीकी परामर्शी सेवाओं, फ्रैन्चाइसिंग, प्रबंधन शुल्क के संबंध में विदेशी सहयोग सहित 51% तक का विदेशी निवेश और 100% तक अनिवासी भारतीय निवेश स्वतः अनुमोदन के तहत आते हैं जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक (विशिष्ट प्रतिशत की शर्त पर) स्वयं अनुमोदन करता है।

गुजरात में माइक्रोवेव टॉवर

6412. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के जामनगर, राजकोट तथा जूनागढ़ जिलों के किन-किन तालुकों में किन-किन स्थानों पर माइक्रोवेव टॉवर्स बनाए गए और वर्तमान में कहां-कहां मौजूद हैं;

(ख) उपरोक्त जिलों में ऐसे कौन-कौन से तालुका है जहां माइक्रोवेव टॉवर्स अभी नहीं लगे हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) ये टॉवर्स कब तक लगा दिए जाएंगे;

(ङ) इन टॉवरों में से कितने टॉवर कार्यरत हैं/कार्य करने की स्थिति में हैं तथा कितने कार्य करने की स्थिति में नहीं हैं;

(च) इसके क्या कारण हैं; और

(छ) उनको कार्यशील बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) एक विवरण, संलग्न है।

(ग) भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण टॉवरों की स्थापना नहीं की जा सकी।

(घ) जामनगर तथा जूनागढ़ जिला तालुकों में माइक्रोवेव टॉवर, मार्च 98 तक तथा राजकोट जिला तालुकों में (मलिया के अलावा जहां ओ. एफ. सी. लिंक प्रदान किए जाने के कारण फिलहाल टॉवर की आवश्यकता नहीं है) अक्टूबर, 98 तक संस्थापित किए जाने की आशा है।

(ङ) जामनगर एस. एस. ए. के लालपुर को छोड़कर जहां अभी प्रणाली की संस्थापना की जानी है, सभी मौजूदा टॉवर कार्य कर रहे हैं।

(च) और (छ) लालपुर, प्रस्तावित माइक्रोवेव लिंक जामनगर-लालपुर तथा भनवाड़-जमजोधपुर लिंक का हिस्सा है तथा मार्च 1998 तक इसके चालू हो जाने की आशा है।

विवरण

(क) तालुक, मुख्यालयों के नाम जहाँ माइक्रोवेव टावर संस्थापित हैं

जामनगर जिला	राजकोट जिला	जूनागढ़ जिला
धोल	धोराजी	केशोड
जामनगर	गोण्डल	पोरबंद
जोड़िया	जसदान	वेरावल
खम्भलिया	राजकोट	जूनागढ़
लालपुर	मोरवो	कुटियाना
ओखा	उपलेटा	मंगरोल
	जेटपुर	मनावदार
	कोटिदासगिनी	रानावव
	पदधारी	तलाला
	बंकानेर	उना
	जीडिया	वंथली

(ख) तालुक मुख्यालयों के नाम जहाँ माइक्रोवेव टावर संस्थापित नहीं हैं

जामनगर जिला	राजकोट जिला	जूनागढ़ जिला
भनवाड़	लोधिक	मलिया हतिना
जमजोधपुर	जम कंदोरना	मेंदरा
जमकल्यानपुर	मलिया	विसवादार
कलाववाड़		बेसन

अप्राधिकृत पर्यटक गाइड

6413. चौधरी रामचन्द्र बेंदा : क्या पर्यटक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना किसी वैध लाइसेंस के कुछ अप्राधिकृत पर्यटक गाइड विदेशी पर्यटकों से मनमाने ढंग से फीस ले रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ऐसे गाइड इन विदेशी पर्यटकों को विशेष दुकानों में ले जाते हैं जहाँ से उन्हें अच्छा कमीशन प्राप्त होता है तथा उन्हें सरकार के इम्पोरियम में नहीं ले जाते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अप्राधिकृत गाइड प्रणाली को समाप्त करने तथा ऐसे सरकारी गाइड तैनात करने का है जो विदेशी पर्यटकों को सही सूचना दे सकें; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना):

(क) और (ख) इस प्रकार की कोई घटना पर्यटन विभाग के नोटिस में नहीं आई है।

(ग) और (घ) अनुमोदित गाइड मुहैया कराने के उद्देश्य से, भिन्न-भिन्न पर्यटक केन्द्रों पर मांग का मूल्यांकन करने के पश्चात पर्यटन विभाग समय-समय पर गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। अनुमोदित क्षेत्रीय गाइडों को पहचान पत्र जारी किए गए हैं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पृष्ठांकित कर दिए गए हैं ताकि वे उनके द्वारा नियंत्रित स्मारकों, ऐतिहासिक स्थलों आदि में प्रवेश कर सकें। राज्य सरकारें, राज्यीय और स्थानीय स्तर के गाइडों के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है।

बोलंगीर-खुर्दा रेल लाइन

6414. श्री शरत पटनायक :

डॉ. कृपासिन्धु भोई

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बोलंगीर-खुर्दा रेल लाइन परियोजना को तीन वर्ष के अंदर पूरा किए जाने संबंधी किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं। कार्य के 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में पूरा किए जाने की संभावना है, बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

(ख) 1997-98 के बजट में 2.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

(ग) संसाधनों की तंगी।

[हिन्दी]

लौह अयस्क का उत्पादन

6415. डॉ. महादीपक सिंह शास्त्री :

श्री नीतीश कुमार :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लौह अयस्क के मौजूदा भंडार की दृष्टि से विश्व के लौह-अयस्क उत्पादक देशों में भारत का स्थान चौथा है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का क्या आकलन है;

(ग) क्या विश्व के अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में लौह अयस्क उत्पादन की लगत अत्यधिक कम है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में भारत तथा अन्य देशों में लौह अयस्क के उत्पादन की औसत लागत कितनी है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) लौह अयस्क के भण्डारों की दृष्टि से भारत का विश्व में छठा स्थान है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 1995 के दौरान भारत विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में पाँचवें स्थान पर था।

(ग) और (घ) लौह अयस्क की उत्पादन लागत प्रौद्योगिकी, लौह अयस्क की गुणवत्ता, अपेक्षित प्रक्रमण सीमा, भू-वैज्ञानिक घटक आदि जैसे घटकों पर निर्भर करती है। तथापि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत विश्व में लौह अयस्क विशेषकर उच्च ग्रेड के लौह अयस्क का सबसे कम लागत पर उत्पादन करता है।

[अनुवाद]

इस्पात का उत्पादन

6416. श्री सुरेन्द्र यादव :

श्री नीतीश कुमार :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 अप्रैल, 1994 और 30 मई 1994 के बीच समझौता ज्ञापन नामक एक योजना पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसके अंतर्गत भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. के कुल उत्पादन का 75% भाग गैर-सरकारी क्षेत्र के चुनिंदा 100 संस्थानों को दिया जाना था;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या तथ्य हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. ने अपने उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की घोषणा की किन्तु उक्त 100 चुनिंदा संस्थान इस मूल्य-वृद्धि से प्रभावित नहीं हुए; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण को इस कारण 500 करोड़ रुपए की हानि हुई है और यदि नहीं तो इस संबंध में तथ्य क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) 29 अप्रैल, 1994 से 30 मई, 1994 के बीच कुल लगभग 12,83,105 एम. टी. मात्रा के करीब 42 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इन 42 ग्राहकों में से एक ग्राहक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम था। 96,400 एम. टी. के दो ग्राहकों का समझौता ज्ञापन बाद में रद्द कर दिया गया। अतः यह सही नहीं है कि बेचे गए कुल उत्पादन का 75% भाग चयनित संस्थानों को दिया गया था।

(ग) और (घ) अधिकांश समझौता ज्ञापनों में 31.12.1994 तक निश्चित मूल्य खण्ड विहित था जबकि शेष कुछ समझौता ज्ञापनों में मूल्य 31.3.95 तक स्थिर थे। सेल ने ऐसा ग्राहकों की ओर से माल जिसमें काफी उत्पादन था, उठाने की गारन्टी का आश्वासन देने के लिए एक

सीमित अवधि तक मूल्य स्थिर रखने के लिए वाणिज्यिक नीति के रूप में किया था। इससे सेल को प्रत्येक उत्पाद के लिए एक समर्पित ग्राहक वर्ग विकसित करने में सहायता मिली। ठेकों के तहत स्थिर मूल्य रखने के लिए यह एक प्रचलित कारोबारी प्रक्रिया है जिसमें ग्राहक दीर्घावधिक आधार पर सप्लाई के लिए उत्पादक के साथ तालमेल रखने के लिए तैयार रहते हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान के सीमा क्षेत्र में हवाई अड्डे

6417. श्री ताराचन्द भंगोरा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्थान में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में नागर विमानन सेवाओं हेतु अलग हवाई अड्डे बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उन शहरों के नाम क्या हैं जहाँ इन हवाई अड्डों का निर्माण प्रस्तावित है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्नाहीम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नागपुर टेलीफोन की कार्यप्रणाली

6418. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर टेलीफोन की कार्यप्रणाली दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या टेलीफोन ग्राहकों को अपने टेलीफोन ठीक कराने के लिए कई बार शिकायतें दर्ज करानी पड़ती हैं;

(ग) क्या नागपुर टेलीफोन्स के कर्मचारियों का व्यवहार भी अपने ग्राहकों के साथ अच्छा नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं। नागपुर टेलीफोन्स की कार्यचालन संतोषजनक है।

(ख) जी, नहीं। सभी प्रमुख एक्सचेंजों में दोष मरम्मत सेवा को मानदंडों के अनुसार कम्प्यूटीकरण कर दिया गया है तथा उपभोक्ता बेहतर सेवा प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। उपभोक्ताओं के साथ कर्मचारियों का व्यवहार संतोषजनक है।

किसी कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत होने पर, मामले की जांच की जाती है और समुचित कार्यवाही की जाती है।

यात्री गाड़ियां चलाया जाना

6419. डॉ. अरविन्द शर्मा : क्या रेल मंत्री 13 मार्च, 1997 के अतारंकित प्रश्न सं. 2895 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और रोहतक के बीच वाया बहादुरगढ़ चलने वाली यात्री गाड़ियों (मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियों के अलावा) की संख्या कितनी है जिनके किराए मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों से कम हैं और वे स्थानीय लोगों के लिए फायदे-मंद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रचालनात्मक व्यवहार्यता, यातायात क्षमता और केवल इसी सेक्शन पर यात्री गाड़ियों के चलाने में संसाधनों की कमी संबंधी कोई समस्या है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सेक्शन पर रुकने वाली गाड़ियों का ब्यौरा क्या है और स्टेशनों तथा इन रेल गाड़ियों के रुकने की अवधि का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) इस खंड पर 9 जोड़ी पैसेंजर/डीजल पुरा-पुल गाड़ियां उपलब्ध हैं जिनका किराया मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के किराए से कम है।

(ग) और (घ) दिल्ली-बहादुरगढ़-रोहतक खंड सहित भारतीय रेलों के विभिन्न खंडों पर अतिरिक्त पैसेंजर गाड़ियां चलाने की समस्या है।

(ङ) दिल्ली-रोहतक खंड पर पैसेंजर गाड़ियों का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

दिल्ली-बहादुरगढ़-रोहतक खंड पर पैसेंजर गाड़ियों का ब्यौरा दर्शाने वाली सूची

अप दिशा में

स्टेशन	गाड़ी संख्या									
	1डी आर बी	341	353	3डीजे	1डीजे	1डी जे	1डी आर	1टी आर	3डी आर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
नई दिल्ली	प०								18.50	
	छू०								18.52	
	प०								18.58	
सदर बाजार	छू०								18.59	
दिल्ली जं.	छू०	5.05	6.15	8.50	11.45	17.55	15.10	17.00	—	19.55
दिल्ली किशनगंज	प०	5.15	6.27	9.00	11.55	18.05	15.20	17.10	19.05	20.05
	छू०	5.17	6.29	9.02	11.56	18.08	15.22	17.13	19.06	20.06
विवेकानंदपुरी		—	—	—	—	—	—	—	—	—
दयाबस्ती	प०	5.22	6.34	9.10	12.01	18.15	15.27	17.19	19.13	20.11
	छू०	5.23	6.36	9.11	12.02	18.17	15.29	17.21	19.14	20.12
शकूरबस्ती	प०	5.35	6.42	9.17	12.08	18.24	15.34	17.27	19.20	20.18
	छू०	5.37	6.44	9.19	12.09	18.26	15.39	17.29	19.22	20.19
मंगोलपुरी हाल्ट	प०	—	6.49	9.24	—	18.31	15.44	17.34	19.27	20.23
	छू०	—	6.51	9.25	—	18.33	15.46	17.35	19.28	20.24
नांगलोई	प०	5.44	6.55	9.29	12.17	18.37	15.50	17.39	19.34	20.29
	छू०	5.46	6.57	9.30	12.18	18.39	15.52	17.41	19.36	20.30
मुंडका हाल्ट	प०	—	7.04	—	12.21	18.43	16.00	17.45	19.40	—
	छू०	—	7.06	—	12.22	18.45	16.02	17.46	19.41	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
धेवरा	प०	5.52	7.13	9.36	12.25	18.49	16.09	17.50	19.46	20.35
	छ०	5.54	7.15	9.37	12.26	18.51	16.11	17.52	19.48	20.36
बहादुरगढ़	प०	6.01	7.23	9.44	12.32	18.58	16.17	17.59	19.56	20.42
	छ०	6.03	7.25	9.46	12.33	19.00	16.19	18.01	19.58	20.43
अशोदा	प०	6.12	7.31	9.53	12.40	19.07	16.26	18.09	20.06	20.50
	छ०	6.14	7.33	9.54	12.41	19.09	16.28	18.11	20.08	20.51
दहकोरा हाल्ट	प०	—	7.39	10.00	12.46	19.15	16.33	18.16	20.14	—
	छ०	—	7.41	10.01	12.47	19.17	16.35	18.17	20.15	—
सांपला	प०	6.25	7.46	10.06	12.52	19.23	16.39	18.22	20.21	21.00
	छ०	6.27	7.48	10.07	12.53	19.25	16.41	18.24	20.23	21.01
इस्माइला हरियाणा	प०	6.33	7.55	10.13	12.56	19.30	16.46	18.29	20.28	21.05
	छ०	6.35	7.57	10.14	12.57	19.32	16.48	18.30	20.29	21.06
खरवाड़	प०	6.43	8.04	10.20	13.03	19.39	16.55	18.37	20.36	21.11
	छ०	6.45	8.06	10.21	13.04	19.41	16.57	18.39	20.38	21.12
अस्थल बोहर	प०	6.52	8.13	10.30	13.09	19.48	17.03	18.46	20.45	21.17
	छ०	6.54	8.15	10.31	13.10	19.50	17.05	18.48	20.46	21.18
रोहतक	प०	7.10	8.32	10.45	13.20	19.57	17.15	19.05	21.00	21.30
	छ०	7.15	8.37	—	13.25	20.25	17.25	—	—	—

डाउन दिशा में

स्टेशन	गाड़ी संख्या									
	2 डी आर	2 टी आर	4 डी आर	2 डी जे	2 डी जे	354 जे	4 डी जे	6 डी जे	342	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
रोहतक	प०				8.40	7.40		16.50	19.40	20.25
	छ०	4.40	6.25	7.10	9.15	8.10	16.00	17.35	19.50	20.35
अस्थल बोहर	प०	4.47	6.32	7.16	9.22	8.17	16.10	17.42	19.57	20.42
	छ०	4.49	6.33	7.17	9.24	8.19	16.12	17.43	19.59	20.44
खरवाड़	प०	4.56	6.40	7.22	9.31	8.26	16.19	17.50	20.07	20.51
	छ०	4.58	6.41	7.23	9.33	8.28	16.21	17.51	20.09	20.53
इस्माइला हरियाणा	प०	5.05	6.46	7.28	9.40	8.35	16.28	17.57	20.18	21.00
	छ०	5.07	6.47	7.29	9.42	8.37	16.30	17.58	20.33	21.02
सांपला	प०	5.12	6.54	7.33	9.49	8.43	16.34	18.03	20.38	21.07
	छ०	5.14	6.56	7.34	9.52	8.46	16.36	18.04	20.50	21.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
हकोरा हाल्ट	प०	—	7.02	7.39	—	8.53	16.43	—	—	—
	छ०	—	7.03	7.40	—	8.55	16.45	—	—	—
अशोदा	प०	5.24	7.09	7.45	9.09	9.03	16.51	18.15	21.05	—
	छ०	5.26	7.10	7.46	9.11	9.05	16.53	18.16	21.32	—
बहादुरगढ़	प०	5.34	7.18	7.53	10.19	9.13	17.00	18.23	21.42	21.29
	छ०	5.36	7.20	7.54	10.21	9.15	17.10	18.24	21.44	21.31
धेवरा	प०	5.43	7.27	7.59	10.29	9.23	17.17	18.30	21.52	21.39
	छ०	5.45	7.28	8.00	10.31	9.25	17.19	18.31	22.07	21.41
मुंडका हाल्ट	प०	—	7.32	8.03	10.37	9.31	17.24	18.36	22.12	—
	छ०	—	7.33	8.04	10.39	9.33	17.26	18.37	22.25	—
नांगलोई	प०	5.52	7.37	8.07	10.44	9.38	17.30	18.41	22.30	21.57
	छ०	5.54	7.39	8.08	10.46	9.40	17.32	18.42	22.40	21.59
मंगोल पुरी	प०	5.59	7.44	8.13	10.51	9.45	17.36	18.46	—	—
	छ०	6.01	7.46	8.14	10.53	9.47	17.38	18.47	—	—
शकूरबस्ती	प०	6.05	7.55	8.19	10.59	9.53	17.52	18.58	22.48	22.13
	छ०	6.07	7.57	8.20	11.01	9.55	17.54	19.00	22.50	22.15
दयाबस्ती	प०	6.13	8.03	8.26	11.07	10.01	18.01	19.06	22.57	22.21
	छ०	6.15	8.04	8.27	11.09	10.03	18.03	19.07	22.59	22.23
विवेकानंदपुरी	प०	6.19	8.08	—	—	—	—	—	—	—
	छ०	6.20	8.09	—	—	—	—	—	—	—
दिल्ली किशनगंज	प०	6.25	8.12	8.32	11.16	10.08	18.11	19.13	23.06	22.29
	छ०	6.29	8.14	8.33	11.18	10.10	18.13	19.14	23.08	22.33
दिल्ली जंक्शन	प०	6.45	—	8.50	11.30	10.20	18.25	19.25	23.20	22.45
सदर बाजार	प०	—	8.21	—	—	—	—	—	—	—
	छ०	—	8.22	—	—	—	—	—	—	—
नई दिल्ली	प०	—	828	—	—	—	—	—	—	—
	छ०	—	830	—	—	—	—	—	—	—

गांवों में प्रदान की गई टेलीफोन सेवा

6420. श्री अमर पाल सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार कितने गांवों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं;

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान कितने गांवों में यह सुविधा प्रदान करने का अनुमान है; और

(ग) कब तक शेष गांवों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 1.4.1997 की स्थिति के अनुसार, कुल 267832 गांवों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान, कुल 83,000 गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की सम्भावना है।

(ग) शेष गांवों को, नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है।

घटिया किस्म की दवाइयों की आपूर्ति

6421. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इलाहाबाद स्थित डिबीजनल रेलवे मैनेजर अस्पताल में मरीजों को घटिया किस्म की दवाइयां प्रदान की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या अस्पतालों का उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ प्राधिकारियों द्वारा रेलवे अस्पतालों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो निरीक्षक प्राधिकारी सहित गत पांच वर्षों के दौरान किए गए निरीक्षणों का ब्यौरा क्या है और ध्यान में आई कमियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कमियों के लिए दोषी पाए गए कर्मिकों के खिलाफ क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) मंडल अस्पताल, इलाहाबाद के रोगियों को अवमानक और घटिया दवाइयां नहीं दी जा रही हैं। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सभी आपूर्तियों के साथ टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी अपेक्षित होती है।

(ग) से (ङ) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे अस्पताल, इलाहाबाद का 38 अवसरों पर महाप्रबंधक, मुख्य चिकित्सा निदेशक, उत्तर रेल तथा मंडल रेल प्रबंधक, इलाहाबाद जैसे वरिष्ठ प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया।

इनके द्वारा अस्पताल के निरीक्षण के दौरान और अधिक सुधार के लिए नेमी टिप्पणियों और सुझावों के अलावा, ऐसी कोई खास कमी नजर नहीं आई जिस कारण कर्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

आकाशवाणी में हिन्दी पूल के लिए

अतिरिक्त समाचार सम्पादक

6422. श्री मुनिलाल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् 1993 में आकाशवाणी में हिन्दी समाचार पूल की स्थापना के बाद कितने अतिरिक्त समाचार सम्पादक और दूसरे अधिकारी नियुक्त किए गए हैं;

(ख) उनमें से कुल कितने अधिकारी कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) इन अधिकारियों को नियुक्ति के बाद इस पूल द्वारा प्रतिदिन प्रसारित किए जा रहे अनूदित समाचारों का प्रतिशत क्या है;

(घ) क्या अंग्रेजी से अनूदित समाचार को उक्त पूल द्वारा स्वयं तैयार किया गया समाचार माना जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस प्रणाली को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) आकाशवाणी में हिन्दी समाचार पूल के लिए स्वीकृत अतिरिक्त पदों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

1. संयुक्त निदेशक	—	1
2. समाचार सम्पादक	—	3
3. सहायक समाचार संपादक	—	6
4. आशुलिपिक	—	6
5. चपरासी	—	6
कुल		22

(ख) इन 22 पदों में से वर्तमान में सहायक समाचार संपादकों के केवल 3 पद खाली पड़े हुए हैं।

(ग) से (ङ) आकाशवाणी के अपने संबाददाता, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी जैसे बहुविध स्रोतों द्वारा आपूर्त सूचना समाचार बुलेटिनों में संकलित की जाती है। इन एजेंसियों में से कुछ एजेंसी केवल अंग्रेजी में ही काम करती हैं। हिन्दी समाचार पूल अपनी आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए अनूदित पाठ का प्रयोग करते हैं। हिन्दी तथा अंग्रेजी सूचना निवेशों से तैयार की गई खबरों और उनकी प्रतिशतता का लेखा-जोखा नहीं रखा जाता है।

खोए हुए वैगन

6423. श्री चन्दू भाई देशमुख :

श्री एन. जे. राठवा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड को गुजरात सरकार तथा गुजरात विद्युत बोर्ड से जनवरी, 1996 से खोए हुए वैगनों के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो खोए हुए वैगनों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात विद्युत बोर्ड द्वारा इस संबंध में कितने मूल्य का दावा पेश किया गया है तथा अब तक कितने दावों का निपटान किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

गुजरात सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें अनुरोध किया गया है कि गुजरात बिजली बोर्ड के लिए लादे गए कोयला रैकों के मार्ग परिवर्तन के कारण, कोयला मालडिब्बे प्राप्त न होने से संबंधित उनके दावों का शीघ्र निपटान किया जाए।

एक बिजली संयंत्र के लिए बुक किए गए कोयला रैकों का अन्य बिजली संयंत्र के लिए कई बार मार्ग परिवर्तन, मुख्यतः बिजली संयंत्रों के लिए कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। ऐसे मार्ग परिवर्तनों के कारण होने वाले दावों और प्रति दावों को, सुपुर्द किए गए अधिक मालडिब्बों के साथ उनके बकाया मालडिब्बों का आवधिक सुमेल समायोजन करके संतुलित किया जाता है।

गुजरात बिजली बोर्ड के मामले में जनवरी, 1996 से मार्च, 1997 तक, कम प्राप्त हुए 38378 कोयला मालडिब्बों संबंधी दावे प्राप्त हुए हैं। अब तक उन्हें 38159 कोयला मालडिब्बों की सुमेल सुपुर्दगी प्रदान कर दी गई है जिससे केवल 219 कोयला मालडिब्बों के दावे शेष हैं। शेष मामलों के संबंध में भी सुमेल सुपुर्दगी देने से संबंधित अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। चूंकि दावों का निपटान मालडिब्बा से मालडिब्बा के आधार पर सुमेल समायोजन द्वारा किया जाता है इसलिए दावों का मौद्रिक मूल्य नहीं रखा जाता है।

रेल समय-सारणी में परिवर्तन

6424. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली और पलवल के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों के समय में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस मार्ग पर रोज सफर करने वाले यात्रियों की भारी और अनियंत्रित भीड़ के बावजूद गाड़ियों की वर्तमान संख्या में कोई नई गाड़ी नहीं जोड़ी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी, नहीं। बहरहाल कुछ प्रातः कालीन ई. एम. यू. सेवाएं 20.2.97 से 4.3.97 तक अस्थायी रूप से पुनः निर्धारित की गई थी।

(ग) और (घ) जी, हां। बहरहाल व्यस्त अवधि में खंड पर चलने वाली कई ई. एम. यू. सेवाओं में 12 सवारी डिब्बों तक वृद्धि की गई थी। परिचालन और संसाधन तंगियों के कारण नई सेवाएं चलाना व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

मैसूर में डाकघर

6425. श्री ए. सिद्धाराजु : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर जिले में सभी त्रेणियों के कितने डाकघर हैं;

(ख) उक्त जिले में कितने गांवों में डाकघर नहीं हैं; और

(ग) उक्त जिले में वर्ष 1996-97 के दौरान स्थानवार कितने नए डाकघर खोले गए हैं तथा वर्ष 1997-98 के दौरान कितने डाकघर खोले जाएंगे ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) मैसूर जिले में सभी त्रेणियों के डाकघरों की संख्या 605 है।

(ख) उपर्युक्त जिले में जिन गांवों में डाकघर नहीं हैं उनकी संख्या 1355 है।

(ग) 1996-97 के दौरान मैसूर जिले में कोई डाकघर नहीं खोला गया।

डाकघर, मानदंडों पर आधारित औचित्य होने और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर खोले जाते हैं। वर्ष 1997-98 के दौरान कर्नाटक में 5 विभागीय उप-डाकघर और 30 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य है। लक्ष्यों का आबंटन सकलित्वार किया जाता है। डाकघर खोलने के लिए स्थान का चयन प्रत्येक मले की मेरिटी पर निर्णय करता है।

हरियाणा में नई रेल लाइन बिछाना

6426. कर्नल राव राम सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में नई रेल लाइनें बिछाने से संबंधित कितनी परियोजनाएं केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना कब से लम्बित है;

(ग) इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) हरियाणा में नई लाइनें बिछाने के लिए कोई परियोजना लम्बित नहीं है। बहरहाल, पलवल-रेवाड़ी के रास्ते खुर्जा से रोहतक तक क्षेत्रीय बाई-पास लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बड़ोदरा हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन

6427. श्री सनत मेहता : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ोदरा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन के संबंध में कुछ शिकायतें मंत्रालय को की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा कौन-कौन से कदम अभी उठाए जाने हैं;

(ग) नए हवाई अड्डा टर्मिनल के केन्द्रीय वातानुकूलित प्रणाली के कब तक कार्य करना शुरू कर देने की आशा है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्नाहीम) : (क) जी, हां।

(ख) खामियों को सुधारने के लिए कदम उठाए गए हैं। हवाई अड्डे पर रेस्टोरेंट के प्रचालन के लिए एक प्रसिद्ध होटल को ठेके प्रदान किए गए हैं। सामान ट्रेलियों की संख्या बढ़ाकर 150 कर दी गई है। सुरक्षा होल्ड क्षेत्र को वातानुकूलित कर दिया गया है। कार पार्किंग क्षेत्र

का विस्तार किया जाएगा। टर्मिनल भवन की स्वच्छता तथा उसका सही रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की गई है।

(ग) और (घ) बड़ोदरा हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन के केन्द्रीय वातानुकूलन प्रणाली के जून, 1997 के अन्त तक कार्य करने की आशा है।

सेल द्वारा घटिया सामग्री की आपूर्ति

6428. श्री जी. बेंकट स्वामी :

श्री उत्तम सिंह पवार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र तथा असम के निर्माण स्थलों पर सेल द्वारा आपूर्ति की गई रेल पटरियों में दरार आ गई है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां रेल पटरियों में दरारें आई हैं;

(ग) क्या सरकार ने सेल द्वारा आपूर्ति की गई घटिया रेल सामग्री के परिप्रेक्ष्य में अन्य देशों से भी रेल पटरियां आयात करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किस देश में रेल पटरियों के आयात किए जाने का प्रस्ताव है तथा उनकी गुणवत्ता क्या होगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां। भिलाई इस्पात संयंत्र (सेल) द्वारा सप्लाई की गई कुछ पटरियां महाराष्ट्र तथा असम के कार्य स्थलों पर सप्लाई के दौरान टूट-फूट गई थीं।

(ख) जनवरी, 1997 में भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा निर्मित और प्रेषित लाइन में से लगभग 32,000 टन स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि रेलें अभी यह समझती हैं कि गुणवत्ता की दृष्टि से इन पटरियों में दोष हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलगाड़ी को हुबली की ओर ले जाना

6429. श्री एन. रामाकुण्ठा रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 फरवरी, 1997 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "पी. एम. सीक्स डाइवर्जन ऑफ ट्रेन टू हुबली" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि रेलमार्गों का निर्माण राजनीतिज्ञों/नौकरशाहों के इशारे पर नहीं बल्कि जनता की मांग के अनुसार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) हुबली के रास्ते चेन्नई-मुंबई गाड़ी के मार्ग परिवर्तन हेतु कुछ लोगों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे तथापि तत्कालीन प्रधानमंत्री से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ था। इस की जांच की गई और व्यावहारिक नहीं पाया गया।

(ग) जनता की मांग, परिचालनिक व्यावहारिकता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न मार्गों पर गाड़ी सेवाओं की योजना बनाई जाती है।

एअर इंडिया की शिकागो के लिए सीधी सेवा

6430. श्री मुख्तार अनीस :

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया ने शिकागो के लिए सीधी सेवा की शुरुआत की है;

(ख) यदि हां, तो इसके शुरू करने की तारीख, इसकी क्षमता और इस सेवा की बारम्बारता (फ्रीक्वेंसी) क्या है;

(ग) क्या एअर इंडिया ने इस सेवा की शुरुआत के पश्चात् बड़ी संख्या में निःशुल्क सेवा के हकदार यात्रियों/अतिथियों/अतिविशिष्ट व्यक्तियों को सेवा प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे अतिथियों/अतिविशिष्ट व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा उन्होंने किन-किन तारीखों को यात्रा की और उसके परिणामस्वरूप एयर इंडिया को कितना व्यय वहन करना पड़ा;

(ङ) क्या एअर इंडिया शिकागो में रहने वाले निःशुल्क सेवा के हकदार अतिथियों/अतिविशिष्ट व्यक्तियों को भी यह सेवा प्रदान कर रही है; और

(च) यदि हां, तो प्रति व्यक्ति कितना व्यय वहन किया गया ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्नाहीम) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 30 नवम्बर, 1996 से एयर इंडिया शिकागो के लिए सप्ताह में दो बार बी-747-400 विमान से सेवा प्रचालित कर रहा है।

(ग) एअर इंडिया ने उद्घाटन के बाद उपरोक्त उड़ान पर 59 अतिथियों को लिया था।

(घ) 18 अतिथियों (संलग्न विवरण-I के अनुसार) के पहले ग्रुप ने दिनांक 1.2.97 को यात्रा की और 41 अतिथियों (संलग्न विवरण-II के अनुसार) के दूसरे ग्रुप ने दिनांक 8.2.97 को यात्रा की। एअर इंडिया द्वारा भोजन और आवास पर लगभग 18.56 लाख रुपए खर्च किए गए।

(ङ) जी, हां।

(च) विमान भाड़े का काल्पनिक मूल्य प्रति व्यक्ति 1,06,495/- रुपए है। भोजन और आवास पर कुल लागत क्रमशः 05.46 लाख रुपए तथा 13.10 लाख रुपए है।

विवरण-I

दिनांक 1 फरवरी, 1997 को यात्रा करने वाले 18 अतिथियों का ग्रुप

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1	2	3
1.	श्री राम टहल चौधरी	माननीय संसद सदस्य
2.	श्री संतोष कुमार गंगवार	—वही—
3.	श्री पवन सिंह घटेवर	—वही—
4.	श्री गुलाम मीर मगामी	—वही—
5.	श्री पी. नामग्याल	—वही—
6.	श्री महेन्द्र बिठा	—वही—
7.	श्री जी. प्रताप रेड्डी	—वही—
8.	श्री अजीत पी. के. जोगी	—वही—
9.	श्री टी. एम. वेंकटचलम	—वही—
10.	श्री सुन्दर सिंह भंडारी	—वही—
11.	श्री मनोरंजन भक्त	—वही—
12.	श्री राम नगीना मिश्र	—वही—
13.	श्री जॉन फर्नांडीस	—वही—
14.	श्री सुखदेव पासवान	—वही—
15.	श्री रमेश चेन्नितला	—वही—
16.	श्री जी. एम. बनातवाला	—वही—
17.	श्री डी. आर. तिवारी, संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय	
18.	श्री जे. बी. गुप्ता, उप सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय	

विवरण-II

दिनांक 8 फरवरी, 1997 को यात्रा करने वाले 41 अतिथियों का ग्रुप

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1.	डॉ. महादीपक सिंह शाक्य	माननीय संसद सदस्य
2.	श्री रमेश चन्द्र तोमर	—वही—
3.	श्री देवी बख्शा सिंह	—वही—
4.	श्री पी. सी. चाको	—वही—
5.	श्री के. डी. सुत्तानपुरी	—वही—
6.	श्री आनन्द रत्न मौर्य	—वही—
7.	श्री गंगा चरण राजपूत	—वही—
8.	श्री पी. एस. गधावी	—वही—
9.	श्री उत्तम सिंह पवार	—वही—
10.	श्री चन्द्र भूषण सिंह	—वही—
11.	श्री सत महाजन	—वही—

1	2	3
12.	श्री बी. प्रदीप कुमार देव	—वही—
13.	श्री आर. बंसगोडा पाटील	—वही—
14.	श्री ए. एम. वेतु	—वही—
15.	श्री ए. सिद्धाराजु	—वही—
16.	श्री लगनदुला रमाना	—वही—
17.	श्री प्रभु दयाल कठेरिया	—वही—
18.	श्री चमन लाल गुप्ता	—वही—
19.	श्री अनन्त महा देवगुडा	—वही—
20.	श्री पारस राम मेघवाल	—वही—
21.	श्री विशम्बर प्रसाद निशाद	—वही—
22.	श्री बलाई चन्द्र राय	—वही—
23.	श्री राजा रंगप्पा नाईक	—वही—
24.	श्री शिवानन्द हेमप्पा कौजालगी	—वही—
25.	श्री एस. एस. सुरजेवाला	—वही—
26.	कुमारी सरोज खापर्डे	—वही—
27.	श्री वीरेंद्र कटारिया	—वही—
28.	श्री मो. खान आजमी	—वही—
29.	श्री ब्रतीन सेनगुप्ता	—वही—
30.	श्री सत्य देव सिंह	—वही—
31.	श्रीमती सरोज रानी	—वही—
32.	श्री ई. अहमद	—वही—
33.	श्रीमती जुहारा अहमद	—वही—
34.	श्री गोविन्दराम मिरी	—वही—
35.	श्रीमती पार्वती मिरी	—वही—
36.	डॉ. ए. के. पटेल	—वही—
37.	डॉ. के. पी. रामालिंगम	—वही—
38.	डॉ. पी. आर. एस. वेंकटेशन	—वही—
39.	श्री राघवजी	—वही—
40.	श्री आर. सी. त्रिपाठी, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय	
41.	श्री धानी राम, अवर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय	

पूर्वोत्तर रेल की परियोजनाएं

6431. श्री अमर राय प्रधान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों के अनुसार पूर्वोत्तर के रेल के लिए रेल बजट में 1996-97 के दौरान प्रस्तावित परियोजनाओं में काफी कमियां हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कमियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर सीमांत रेल में न्यू जलपाईगुडी से न्यू बोंगाईगांव खान के दोहरीकरण को शामिल नहीं किया जाना इसकी प्रमुख कमी और

(घ) यदि हां, तो ऐसी स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ताकि ऐसी गलती से भविष्य रेल लाइनों पर रेलगाड़ियों का अधिक आवागमन न हो ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि न्यू जलपाईगुडी-सिलीगुडी-बोंगाई के आमन परिवर्तन संबंधी कार्य को 1997-98 के बजट में शामिल किया गया है तथा इससे न्यू जलपाईगुडी से न्यू बोंगाई गांव के बीच दोहरीकरण के प्रयोजन को पूरा करने के लिए एक बड़ी लाइन के वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था होगी।

खनिज खोज निगम लिमिटेड

6432. डॉ. कृपासिंघु धोई : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज खोज निगम लिमिटेड द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खनिजों की खोज के लिए योजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन राज्यों में निगम खनिज कार्य करने वाला है;

(ग) क्या निगम को खोज कार्य आरंभ करने के लिए राशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) जी, हां। खनिज गवेषण निगम लि. (एम्. ई. सी. एल्.) के लिए विचार की गई गवेषण योजना में 18,00,000 मीटर वेधन, 10,000 मीटर खनन, 1,200 वर्ग किमी. विस्तृत भू-वैज्ञानिक मानचित्रण और 3,00,000 नमूनों का नमूनीकरण और विश्लेषण शामिल है। एम्. ई. सी. एल्. ने बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में गवेषण करने की योजना बनाई है।

(ग) और (घ) सरकार ने प्रमोशनल खर्च के लिए 35 करोड़ रुपए और पूंजी खर्च के लिए 25 करोड़ रुपए (अनंतिम) के नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रावधान को अनुमोदित कर दिया है।

सिलघाट-चापरमुख रेल सेवा

6433. श्री केशव महन्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलघाट-चापरमुख रेल सेवा वर्ष 1993 से बंद कर दी गई है जिससे जनता को आने-जाने में भारी असुविधा का सामना

करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस रेल लाइन को तत्काल पुनः शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) सिलघाट-चापरमुख रेल लाइन मौजूद है। चापरमुख-सेंचोआ खंड को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया गया है लेकिन 1993 से सेंचोआ-सिलघाट खंड परिचालन में नहीं है।

(ग) से (ङ) जी, हां। रेलपथ का पुनः स्थापन करके इसे यथा समय मी. ला. रेल बस परिचालन के लिए उपयुक्त बनाया जाएगा।

रेल फाटक का विस्तार

6434. डॉ. एम. जगन्नाथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा शहर में डेरी फार्म, रायलचेरूम गेट तथा डी. आर. महल में रेलवे फाटक का विस्तार किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रस्तावित विस्तार की क्या चौड़ाई है; और

(ग) कब तक उपर्युक्त फाटक का विस्तार किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) 10 मीटर चौड़ा किया गया।

(ग) तीनों सम्पारों के सभी कार्य दिसम्बर, 96 में पूरे कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

बौद्ध पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिए वित्तीय सहायता

6435. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान कई बौद्ध केन्द्रों के विकास संबंधी परियोजनाओं को लागू करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तथा स्थानवार इन प्रत्येक परियोजनाओं के लिए दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को निर्धारित समय सारणी के अनुसार पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) यदि नहीं, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें पूरा किया जाना बाकी है तथा उनकी संशोधित समय सारणी क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ड) जी, हाँ। पर्यटन विभाग ने गत तीन वर्षों के दौरान बौद्ध केन्द्रों में निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की है :—

(रु. लाखों में)

1. पर्यटक परिसर लामा-यारू (जम्मू व कश्मीर)	17.12
2. हेमिस मोनेस्ट्री का नवीनीकरण एवं संरक्षण	19.79
3. सीतुक/पेथुव मोनेस्ट्री का संरक्षण	23.07
4. नागार्जुनसागर (आंध्र प्रदेश) में लार्च	75.50
5. ताबो (हिमाचल प्रदेश) में पर्यटक परिसर	28.30
6. फिडोग मोनेस्ट्री का नवीनीकरण	30.00
7. फिनसोंग मोनेस्ट्री का नवीकरण	30.00
8. लाचुंग मोनेस्ट्री का नवीनीकरण	6.19
9. एलोरा में एलोरा उत्सव	0.50
10. ललितगिरि, उदयगिरि, रत्नागिरि (उड़ीसा)	76.00
में स्मारकों का नवीनीकरण	
11. घौली (उड़ीसा) में सुख सुविधा केन्द्र	20.26

इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन एवं पूरा करना फिलहाल राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है तथा राज्य सरकारों द्वारा इन परियोजनाओं पर विभिन्न चरणों में कार्यान्वयन किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, विदेशी आर्थिक सहयोग कोष ने दो परियोजनाओं को आसान किरतों पर ऋण प्रदान किया है जो इस प्रकार है :—उत्तर प्रदेश तथा बिहार में लगभग 249.14 करोड़ रु. की राशि से बौद्ध परिषद सहित आधारिक संरचना का विकास तथा 69.48 करोड़ रु. की राशि से महाराष्ट्र में अजंता एवं एलोरा का संरक्षण एवं विकास।

[अनुवाद]

बुनियादी सेवा लाइसेंस शुल्क

6436. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996-97 के दौरान बुनियादी सेवा धारकों से लाइसेंस शुल्क के रूप में 19.20 करोड़ रुपए एकत्र किए गए हैं जबकि लाइसेंस शुल्क के रूप में 2074.72 करोड़ रुपए एकत्र करने का अनुमान लगाया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन बुनियादी सेवा लाइसेंस धारकों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने 31.3.97 तक लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं किया है; और

(घ) सरकार द्वारा बकाया राशि की वसूली करने के लिए क्या

कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद बर्मा) : (क) दो कंपनियों जिन्होंने लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किए हैं, से 31.3.1997 तक लाइसेंस फीस के रूप में 116.718 करोड़ रु. प्राप्त हुए।

(ख) और (ग) अब तक 12 दूरसंचार संचालकों में बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए 8 कंपनियों की 12 आशय-पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से केवल दो कंपनियों ने लाइसेंस शुल्क अदा किया है और लाइसेंसों पर हस्ताक्षर किए हैं। 7 आशय-पत्र धारक 4 कंपनियों ने निविदा उपबंधों का अनुपालन न किए जाने के कारण उनकी ब्याना बैंक गारंटी भुनाने संबंधी सरकार के आदेशों के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में सिविल मुकदमे दायर किए हैं और ये मामले निर्णयाधीन हैं। 3 संचालकों के लिए आशय-पत्रधारक शेष 2 कंपनियों से लाइसेंस पर हस्ताक्षर करने से पूर्व 683.70 करोड़ रु. का लाइसेंस शुल्क प्राप्त करना अपेक्षित है।

(घ) शेष लाइसेंसों पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया को तेज करने हेतु सरकार ने कंपनियों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान हेतु समुचित प्रयास किए हैं।

[हिन्दी]

“स्पीड पोस्ट” सेवा

6437. श्री राजेन्द्र अग्रिहोत्री : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों के लिए उत्तर प्रदेश से “स्पीड पोस्ट” सेवा उपलब्ध है; और

(ख) वर्ष 1997 के दौरान किन-किन देशों के लिए उक्त सेवा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद बर्मा) : (क) उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों से अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा 80 देशों (संलग्न विवरण के अनुसार) के लिए उपलब्ध है।

1. आगरा
2. इलाहाबाद
3. देहरादून
4. गोरखपुर
5. कानपुर
6. लखनऊ
7. वाराणसी
8. मेरठ
9. मुरादाबाद
10. गाजियाबाद (एक्सटेंशन काउंटर)
11. नोएडा (एक्सटेंशन काउंटर)

(ख) अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा का नेपाल, मंगोलिया, बोत्स्वाना, बुल्गारिया, बारबाडोस, केमेन द्वीप, नामीबिया, पोलैंड और तंजानिया तक विस्तार करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

विवरण

उन देशों के नाम जिनके लिए ई. एम. एस. स्पीड पोस्ट (अंतर्राष्ट्रीय) सेवा उपलब्ध है।

(क) दस्तावेजी और वाणिज्यिक दोनों (ख) केवल दस्तावेजी

1	2	3
1. आस्ट्रिया	1. अर्जेंटीना	
2. आस्ट्रेलिया	2. बेल्जियम	
3. बंगलादेश	3. केप वर्डे	
4. बरमुडा	4. डेनमार्क	
5. बहरीन	5. एल स्लवाडोर	
6. भूटान	6. गुयाना	
7. कनाडा	7. इंडोनेशिया	
8. साईप्रस	8. इरान	
9. एजिप्ट	9. इराक	
10. इथोपिया	10. कुवैत	
11. जर्मन संघीय गणराज्य	11. लक्जमबर्ग	
12. फ्रांस	12. मालदीव	
13. घाना	13. मैक्सिको	
14. ग्रीस	14. नाइजर	
15. हांग-कांग	15. नाइजीरिया	
16. हंगरी	16. पनामा	
17. आइसलैंड	17. पापुआ न्यू गिनी	
18. आयरलैंड	18. रवान्डा	
19. इजराइल	19. सऊदी अरब	
20. इटली	20. श्रीलंका	
21. जापान	21. स्वीडन	
22. केन्या	22. तूनिशिया	
23. लट्वीया	23. यमन अरब गणराज्य	
24. मकाऊ	24. जैरे	
25. मलावी		
26. मलेशिया		
27. मौरीशस		
28. मोरक्को		
29. नीदरलैंड		

1	2	3
30. न्यूजीलैंड		
31. नार्वे		
32. ओमान		
33. पाकिस्तान		
34. पीपुल रिपब्लिक ऑफ चायना		
35. पुर्तगाल		
36. कतार		
37. कोरिया गणतंत्र		
38. रूस		
39. सेनेगल		
40. सिंगापुर		
41. स्पेन		
42. सूडान		
43. स्विटजरलैंड		
44. तुर्की		
45. थाईलैंड		
46. यूनाइटेड अरब अमीरात		
47. यूनाइटेड किंगडम		
48. संयुक्त राज्य अमरीका		
49. यूगांडा		
50. वियतनाम		
51. जॉर्डन		
52. रोमानिया		
53. कम्बोडिया		
54. एरीट्रिया		
55. एस्टोनिया		
56. यूक्रेन		

कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं

6438. श्री ओ. पी. जिन्दल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लाखों की संख्या में तीर्थयात्री प्रत्येक वर्ष कुरुक्षेत्र जाते हैं और वहां का रेलवे स्टेशन इतना छोटा है कि वहां सभी यात्रियों को समुचित सुविधाएं प्रदान करना बहुत ही कठिन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आवश्यकतानुसार कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन का विस्तार करने तथा उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) मेला अवधि के दौरान कुरुक्षेत्र में यात्री यातायात को सम्हालने के लिए पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। चूंकि यात्रियों की भीड़ केवल सीमित अवधि के लिए होती है इसलिए स्थायी तौर पर सुविधाओं की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं बनता है।

[अनुवाद]

भू-उपग्रह केन्द्र

6439. श्री पी. नामग्याल : क्या संचार मंत्री 28 नवम्बर, 1996 के अतारकित प्रश्न संख्या 968 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थोईस भू-उपग्रह केन्द्र की कार्यप्रणाली के बारे में तथ्यात्मक रूप से विरोधाभासी उत्तर दिया गया था और इस भू-उपग्रह केन्द्र का सम्पर्क तकनीकी रूप से व्यावहारिक नहीं था;

(ख) यदि हां, तो गलत उत्तर देने के और सभा को गुमराह करने के कारण क्या हैं;

(ग) क्या थोईस में पहले ही से स्थापित भू-उपग्रह केन्द्र को नुब्रा उप-विभाग के मुख्यालय डिस्कट में स्थानांतरित किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वर्ष 1997, के दौरान डिस्कट में नए भू-उपग्रह केन्द्र की संस्थापना किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, नहीं। थोईस में भू-उपग्रह केन्द्र पहले से काम कर रहा है और पाथिव माध्यम पर डिस्कट सहित थोईस भू-उपग्रह केन्द्र का संपर्क तकनीकी रूप से व्यवहार्य है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) थोईस में एस. सी. पी. सी. प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए भू-उपग्रह केन्द्र पहले ही काम कर रहा है, जो उस समय डिस्कट की आवश्यकता पूरी करने के लिए भी आर्थिक रूप से न्यायोचित था। अब एम. सी. पी. सी. प्रौद्योगिकी के स्थायीकरण से डिस्कट टेलीफोन एक्सचेंज को सीधे उपग्रह अभिगम्यता (एक्सेस) प्रदान करना भी संभव है। अतः 1997-98 के दौरान, डिस्कट में एम. सी. पी. सी./बी. एस. ए. टी. प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन अदालतें

6440. श्री भगवान शंकर रावत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कितनी टेलीफोन अदालतें आयोजित की गई;

(ख) कितने मामलों को निपटारा गया;

(ग) क्या राज्य स्तर पर भी इस प्रकार की अदालतें आयोजित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) उत्तर प्रदेश में पिछले 2 वर्षों के दौरान 23 टेलीफोन अदालतें लगाई गई थीं।

(ख) इन अदालतों में 1519 मामले निपटारे गए।

(ग) और (घ) सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के दूरसंचार सचिवों/जिलों में दूरसंचार जिला अभियंताओं और उच्चस्तरीय अधिकारियों की अध्यक्षता में टेलीफोन अदालतें लगाई जा रही हैं।

महाराष्ट्र में टी. वी. ट्रांसमीटर परियोजनाएं

6441. श्री राजाभाऊ ठाकरे :

श्री नारायण अठावले :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में स्थानवार कितने टी. वी. प्रसारण केन्द्र एच. पी. टी./एस. पी. टी./बी. एल. पी. टी. कार्य कर रहे हैं;

(ख) राज्य में 1995-96 के दौरान स्वीकृत एच. पी. टी./एल. पी. टी./बी. एल. पी. टी. का ब्यौरा क्या है तथा अब तक अधूरे/शुरू नहीं किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1996-97 के दौरान स्वीकृत नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, 1997-98 के लिए इसका स्थानवार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में लंबित/चालू परियोजनाओं के पूरा होने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार का विचार राज्य में एल. पी. टी. को एच. पी. टी. में बदलने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) महाराष्ट्र राज्य में 1995-96 के दौरान कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित 16 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और 3 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर परियोजनाओं में से 9 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों और 1 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को पहले ही सेवा के लिए चालू किया जा चुका है। शेष 7 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों और 2 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के वर्ष 1997-98 के दौरान सेवा के लिए तकनीकी रूप से तैयार हो जाने की आशा है बशर्ते इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित उपस्कारों की समय पर आपूर्ति हो, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों और स्टाफ की मंजूरी प्राप्त हो।

(ग) महाराष्ट्र राज्य में 1996-97 के दौरान चालू की गई टी. वी. परियोजनाएं और जो वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन हैं तथा इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित उपस्कारों और अन्य आधारभूत सुविधाओं की समय पर आपूर्ति के अधीन 1997-98 के दौरान चरणों में पूरा किए जाने के लक्षित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में वर्तमान में 1 उच्च शक्ति, 26 अल्प शक्ति, 1 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और एक स्टूडियो केंद्र प्रचालन में हैं। टी. वी. सेवा को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से विदर्भ क्षेत्र में 2 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 13 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, एक अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और स्टूडियो (संवर्धन) कार्यान्वयनाधीन/चरणों में स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित हैं बशर्ते इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित वित्तीय संसाधन और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

(ङ) और (च) अत्यधिक जनसंख्या वाले शहरों जैसे अनुकूल स्थानों में स्थापित कुछ मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों में अपग्रेड करने के मामले की दूरदर्शन की नौवीं पंचवर्षीय योजना के अनुमोदित होने तथा परिष्वय का पता चलने पर जांच की जाएगी।

विवरण-I

महाराष्ट्र राज्य में कार्यरत टी. वी. ट्रांसमीटरों का स्थानवार ब्यौरा
(31.3.1997 की स्थिति के अनुसार)

ट्रांसमीटर का आकार	स्थान
1	2
उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	अम्बाजोगई औरंगाबाद मुम्बई मुम्बई (डीडी-2) मुम्बई (डीडी-3) नागपुर पुणे
अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	अचलपुर अकोट अहेरी अहमदनगर

1	2
	अकलुज अकोला अमलनेर अमरावती अरवी बर्शी भुसावल बीड ब्रह्मपुरी बुलढाणा चन्द्रपुर चांदुर बिखली चिपलुन देवरूख धुले दीगलुर गढ़चिरोली गोंदिया शोलापुर सिरोंचा उमरगा वणी वर्धा वशिम यवतमाल नागपुर (डीडी-2) बदलापुर भोकर चिकलघरा जुन्नार कारजात खेड औरंगाबाद
अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	
ट्रांसपोजर	

विवरण-II

महाराष्ट्र राज्य में 1996-97 के दौरान चालू किए गए और वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन और 1997-98 में चरणों में पूर्ण किए जाने के लिए लक्षित टी. वी. ट्रांसमीटरों का स्थानवार न्यौरा।

1996-97 के दौरान चालू किए गए टी. वी. ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन और 1997-98 के दौरान लक्षित टी. वी. परियोजनाएं

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	स्टूडियो
सिरोंचा	मुम्बई (विस्तार)
चानुर	नागपुर (संवर्धन)
शीरपुर	पुणे
अहेरी	
नवापुर	
अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
खेड	मानगांव
भोकार	खोपोली
बदलापुर	महाद
	उमरखेड
	सतना
	चिकोली
	अम्बेट

गांवों को टेलीफोन सेवा से जोड़ा जाना

6442. श्री नीतीश भारद्वाज : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गांवों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिन्हें अभी टेलीफोन सेवा से जोड़ा जाना है;

(ख) क्या पुरानी एक्सचेंजों का आयात किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो उन एक्सचेंजों की संख्या कितनी है जिन्होंने कार्य करना बन्द कर दिया है या सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं और बदले गए हैं या बदले जा रहे हैं ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 3,36,542 गांवों को अभी टेलीफोन सुविधा से जोड़ा जाना है। इसके राज्य-वार न्यौरें संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के लिए एक्सचेंज का आयात नहीं किया जा रहा है।

विवरण

ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन कार्यक्रम : 1997-98 के लिए वार्षिक एवं मासिक लक्ष्य

क्रम सं.	सर्किल का नाम	1.4.97 के अनुसार टेलीफोन सुविधा रहित ग्रामों की संख्या
1.	अंडमान निकोबार	181
2.	आंध्र प्रदेश	8188
3.	असम	14360
4.	बिहार	63639
5.	गुजरात	4202
6.	हरियाणा	508
7.	हिमाचल प्रदेश	11922
8.	जम्मू कश्मीर	4400
9.	कर्नाटक	9543
10.	केरल	0
11.	मध्य प्रदेश	36159
12.	महाराष्ट्र	13980
13.	उत्तर-पूर्व	11061
14.	उड़ीसा	30816
15.	पंजाब	1245
16.	राजस्थान	20564
17.	तमिलनाडु	3158
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	52068
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	23149
20.	पश्चिम बंगाल	27352
21.	कलकत्ता टेलीफोन	47
जोड़		336542

विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

6443. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संवर्ग को युक्तिसंगत बनाने के लिए गठित की गई विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी न्यौरा क्या है तथा इसे कब तक लागू करने का विचार है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्नाहीम) : (क) और (ख) न्यायाधीश जे. डी. जैन (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ

समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें विस्तार से संवर्गों के एकीकरण के सिद्धांत, वेतनमानों और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों की सेवा शर्तों का वर्णन किया गया है। रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

स्थानांतरण नीति

6444. श्री सोमजी भाई डामोर :

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों को स्थानांतरण करने के संबंध में कोई स्थानांतरण नीति है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रेलवे में इस प्रणाली का पालन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो पश्चिमी और पूर्वोत्तर रेलवे में कार्य कर रहे चिकित्सकों का जल्दी-जल्दी स्थानांतरण करने के क्या कारण हैं;

(घ) उन डाक्टरों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जो निर्धारित समय सीमा से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार को लम्बे समय से एक ही स्थान पर काम कर रहे डाक्टरों के कार्यकरण के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (छ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

भारतीय रेलों पर स्थानांतरण संबंधी मौजूदा नीति में यह व्यवस्था है कि अराजपत्रित कर्मचारियों को सामान्यतः उस क्षेत्रीय रेल/मंडल/वरिष्ठता यूनिट में स्थानांतरित किया जा सकता है जिसमें उनकी आरंभिक तैनाती हुई है। ग्रुप 'बी' राजपत्रित अधिकारियों के मामले में, स्थानांतरण उसी क्षेत्रीय रेल के भीतर अनुमेय है। तथापि, विशेष और आपवादिक परिस्थितियों में, सरकार को उन्हें भारतवर्ष में कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार है। भारतीय रेलों के ग्रुप 'ए' अधिकारियों के मामले में, स्थानांतरण दायिता अखिल भारतीय आधार पर होती है। इस स्थानांतरण संबंधी व्यापक नीति का अनुसरण किया जा रहा है।

2. उपर्युक्त नीति के समर्थन में, क्षेत्रीय रेलों को ये निदेश जारी किए गए हैं कि एक पद पर एक अधिकारी की तैनाती का कार्यकाल चार वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। बहरहाल, यह नीति प्रशासकीय सुविधा, व्यवहार्यता और हित के अध्यधीन होती है।

चिकित्सा अधिकारियों की लापरवाही के कारण होने वाली रेलवे कर्मचारियों की मृत्यु

6445. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्व रेलवे, गोरखपुर के अंतर्गत वर्ष 1996 के दौरान चिकित्सा अधिकारियों की लापरवाही के कारण रेलवे कर्मचारियों की हुई मौत के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) 22.7.96 को श्री अमरनाथ यादव, गाड़ी लाइटिंग खलासी की मृत्यु के मामले में डॉ० पी० डी० सिंह, मंडल चिकित्सा अधिकारी, छपरा के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ग) कर्मचारी को उसकी गंभीर बीमारी के कारण स्थानीय सिविल अस्पताल भेजा गया और उसे वहां भर्ती किया गया था लेकिन दुर्भाग्यवश मेडिकल सलाह के विरुद्ध वह अस्पताल छोड़ के चला गया जिससे उसकी हालत और खराब हो गई। बाद में उसे फिर सिविल अस्पताल भेजे जाने पर उसकी रास्ते में मृत्यु हो गई। चिकित्सा अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया था।

आंध्र प्रदेश में डाकघर

6446. श्री अय्यन्ना पट्टरुथु : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में उन गांवों की संख्या कितनी है जिनमें डाकघर की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) 1996-97 के दौरान राज्य में कितने डाकघर खोले गए तथा चालू वर्ष 1996-97 के दौरान कितने डाकघर खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) राज्य में सभी गांवों में डाकघर सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) राज्य में डाकघर वाले गांवों की संख्या 14753 है।

(ख) 1996-97 के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या इस प्रकार है:—

—उप डाकघर	— 6
—अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	— 6

वर्ष 1997-98 के लिए 10 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 2 विभागीय उप-डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) डाकघर वार्षिक योजनाओं के तहत मानदंडों पर आधारित औचित्य के आधार पर क्रमिक रूप से खोले जाते हैं बशर्ते कि लक्ष्य और संसाधन उपलब्ध रहें। जैसाकि उपर्युक्त (ख) में उल्लेख किया गया है, 1997-98 में आंध्र प्रदेश राज्य में 10 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य है।

मध्य प्रदेश में नए टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदन

अवधि आवश्यक है; और

6447. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ड) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(क) गत दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तथा बेतुल जिलों के विभिन्न एस. डी. टी. ओ. सर्किल में नए कनेक्शन के कितने आवेदक हैं;

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद चर्मा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) उक्त एस. डी. ओ. टी. सर्किल में कितने आवेदकों को नए टेलीफोन कनेक्शन दिए गए तथा कितने आवेदक अभी भी प्रतीक्षा सूची में शामिल हैं;

(ग) विलंब का कारण सामग्रियों तथा अन्य उपस्करों का समय पर प्राप्त न होना है।

(ग) अनुमंडलीय अधिकारियों द्वारा तत्संबंधी देरी के क्या कारण हैं;

(घ) प्रतीक्षा सूची का निपटान मार्च, 1998 तक हो जाने की संभावना है।

(घ) प्रतीक्षा सूचियों को समाप्त करने के लिए लगभग कितनी

(ड) वर्ष 1997-98 के दौरान होशंगाबाद दूरसंचार जिले में स्विचिंग क्षमता का लगभग 5000 लाइनों तक तथा बेतुल दूरसंचार जिले में स्विचिंग क्षमता का लगभग 3000 लाइनों तक विस्तार करने का प्रस्ताव है।

विवरण

एस. डी. ओ. टी./ एस. डी. ओ. पी.	वर्ष के दौरान नए कनेक्शनों के लिए आवेदकों की सं.	वर्ष के दौरान प्रदान किए गए नए टेलीफोन कनेक्शन	1.4.97 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या		
	95-96	96-97	95-96	96-97	
दूर संचार जिला प्रबंधक होशंगाबाद :—					
एस. डी. ओ. पी.	490	588	183	631	667
इटारसी					
एस. डी. ओ. टी.	330	309	53	334	346
हर्दा					
एस. डी. ओ. टी.	30	18	29	417	59
पिपरिया					
एस. डी. ओ. पी.	534	219	146	894	286
होशंगाबाद					
दूरसंचार जिला इंजीनियर बेतुल :—					
एस. डी. ओ. टी.	241	30	411	176	30
बेतुल					
एस. डी. ओ. पी.	0	369	0	54	369
बेतुल					
एस. डी. ओ. टी.	182	961	299	360	919
मुल्ताई					

विमान पत्तनों की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल की स्थापना

6448. श्री सुरेश कलमाड़ी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में विमानपत्तनों और हवाई पट्टियों की सुरक्षा के लिए अलग से सुरक्षा बल गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की संख्या तथा सुरक्षा प्रदान किए जाने के लिए प्रस्तावित विमानपत्तनों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्नाहीम) : (क) से (ग) कुछ हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल की स्थापना के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

राजकोट दूरसंचार जिला

6449. डॉ. बल्लभ भाई कठीरिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के राजकोट दूरसंचार जिले में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची कितनी है;

(ख) विभाग द्वारा इस प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन देने संबंधी योजना क्या है;

(ग) राजकोट दूरसंचार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्करों की आवश्यकता पूरी करने हेतु कितने कन्वर्टर तथा छोटे उपस्करों की आवश्यकता है;

(घ) क्या राजकोट शहरी क्षेत्र में आवश्यकता को पूरा करने हेतु एक पूर्ण सक्षम टूलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की मांग है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी कब तक व्यवस्था कर दी जाएगी ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 14.97 की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य के राजकोट दूरसंचार जिले में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची इस प्रकार है :—

ग्रामीण क्षेत्र	—	4712
शहरी क्षेत्र	—	13869

(ख) जून, 1998 तक प्रतीक्षा सूची का निपटान किए जाने की योजना है, बशर्ते कि सामग्री तथा उपस्कर उपलब्ध हों।

(ग) राजकोट दूरसंचार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अपेक्षित उपस्कर इस प्रकार हैं :—

1. उन्नयन किट्स	—	30
(128 पोर्ट सी-डॉट से		
256 पोर्ट सी-डॉट तक)		
2. 256 पोर्ट सी-डॉट	—	50

3. नए एस. बी. एम. एक्सचेंज — 5

4. एस. बी. एम. विस्तार :

(क) एल. एम. 1 — 3

(ख) एल. एम. 2 — 1

(घ) जी, नहीं। फिलहाल राजकोट शहर में मुख्य एक्सचेंज की कोई जरूरत नहीं है।

(ङ) ऊपर भाग (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

विश्लेषणात्मक लागत

6450. डॉ. सत्यनारायण जटिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उज्जैन में भरतपुर स्थित नव-निर्मित दूरसंचार केन्द्र पर भवन निर्माण और अधिष्ठापित उपस्करों की विश्लेषणात्मक लागत और इन पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त टेलीफोन एक्सचेंज के उपभोक्ता टेलीफोन की कुल क्षमता क्या है और इसके चरणबद्ध तरीके से विस्तार हेतु क्या कार्य योजना है; और

(ग) किस तारीख को उक्त एक्सचेंज के कार्य करने के लिए वह तैयार हो गया था और किस तारीख को मंत्रालय अथवा दूरसंचार विभाग उक्त एक्सचेंज के औपचारिक रूप से कार्य आरंभ किए जाने के लिए निदेश जारी करेगी ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) (i) उज्जैन में भरतपुर एक्सचेंज के लिए भवन और उपस्कर की अनुमानित लागत 22.31 करोड़ रु. है।

(ii) नव-निर्मित दूरसंचार केन्द्र में भवन निर्माण और उपस्कर संस्थापित करने पर खर्च हुई वास्तविक धनराशि संबंधी सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) (i) एक्सचेंज की अधिकतम क्षमता :

स्थानीय के लिए 7000 लाइनें तथा टैक्स के लिए 2000 लाइनें।

(ii) चरणबद्ध रूप से विस्तार करने के लिए कार्य योजना—
उपभोक्ता कनेक्शन जून, 1997 तक 4000 लाइनें और सितम्बर, 1997 तक 3000 लाइनें।

टैक्स : जून, 1997 तक 1000 लाइनें

सितम्बर, 1997 तक 1000 लाइनें

(ग) ऊपर उल्लिखित कार्य 5.10.1996 के आस-पास शुरू हुआ था। 7000 लाइनों में से 3000 लाइनों के जून, 1997 तक और शेष 4000 लाइनों के सितम्बर, 97 तक काम के लिए तैयार हो जाने की संभावना है। इसी तरह टैक्स की 1000 लाइनों के जून, 97 तक तथा शेष 1000 लाइनों के सितम्बर, 97 तक तैयार हो जाने की आशा है।

[अनुवाद]

बोकारो इस्पात संयंत्र में मशीनरी की खरीद

6451. प्रो. रीता वर्मा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र में गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष, कलपुरजों, पाइपों, कनवेयर बेल्ट, गोटर तथा अन्य मशीनरी खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के अहाते (परिसर) में करोड़ों रुपए का माल खुले में पड़ा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो वहां पड़े बिना प्रयोग किए गए माल का ब्यौरा तथा मूल्य क्या है; और

(घ) यदि हां तो इन वस्तुओं को उपयोग में लाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) :

(क) पिछले तीन वर्षों में विभिन्न श्रेणियों के तहत प्राप्त हुई मशीनों का मूल्य निम्नानुसार है :—

	(करोड़ रुपए)		
श्रेणी	1993-94	1994-95	1995-96
मैकेनिकल स्पेयर्स	156.44	100.54	114.78
पाइप	6.24	5.14	7.14
कनवेयर बेल्ट	9.65	10.41	9.11
मोटर एवं अन्य इलेक्ट्रिकल स्पेयर्स	27.94	21.12	21.34

1996-97 के आंकड़ों की लेखा परीक्षा की जा रही है।

(ख) से (घ) सभी मदें भण्डार में प्राप्त होती हैं। विभिन्न प्रकार की मदों का भण्डारण करने के लिए ढके हुए और खुले दोनों प्रकार के भण्डार हैं। मद के स्वरूप और उसकी सम्भाल के लिए सम्भारिकियों पर निर्भर करते हुए मदें ढके हुए अलावा खुले भण्डार में रखी जाती हैं।

खुले क्षेत्र में बिना हटाई गई मदें हैवी मैकेनिकल स्पेयर्स, फोर्जिंग्स, कार्टिंग्स, हैवी स्ट्रक्चरल मदें, भारी पाइप आदि हैं। 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार इस प्रकार की मदों का मूल्य लगभग 2100 करोड़ रुपए है। बिना हटाई गई मदों में भीमिट स्पेयर्स जिन्हें स्पेयर्स की अप्रत्याशित विफलता के दौरान आवश्यकता को पूरा करने के लिए भण्डार मरम्मत/प्रमुख मरम्मत के दौरान प्रयोग करने के लिए हैं। जब भी आवश्यक होता है, मदें खुले क्षेत्र में जारी/प्राप्त की जा रही हैं।

मध्य प्रदेश में तार सेवाओं का आधुनिकीकरण

6452. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में तार सेवाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई बजटीय आबंटन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं; और

(ङ) मध्य प्रदेश में तार सेवाओं का आधुनिकीकरण कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश में टेलीग्राफ नेटवर्क के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत, माइक्रोप्रोसेसर आधारित स्टोर एंड फोरवार्ड मेसेज स्विचिंग प्रणालियां (एस. एफ. एम. एस. एस.), इलेक्ट्रॉनिक की बोर्ड कंसेन्ट्रेटर्स (ई. के. बी. सी.), फारमेटेड टर्मिनल कंसेन्ट्रेटर्स (एफ. टी. सी.), एफ. ए. एक्स., इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल्स जैसे फारमेटेड टर्मिनल्स, इलेक्ट्रॉनिक टेलीप्रिंटर्स संस्थापित किए गए हैं। जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई बजटीय आबंटन अलग से निर्धारित नहीं किया गया है।

(ङ) मध्य प्रदेश में तार सेवाओं का आधुनिकीकरण काफी हद तक पहले ही किया जा चुका है। तथापि, यह एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण

मध्य प्रदेश में तार सेवाओं के आधुनिकीकरण संबंधी जिलावार सूचना

जिला	एस. एफ. एम. एस. एस.	पोर्ट्स	फैक्स	
	64 एल.	32 एल.		
1	2	3	4	5
बालाघाट			1	1
बस्तर			1	1
बेतुल			1	1
भिंड			1	1
भोपाल	1		3	6
बिलासपुर			3	2
छत्तरपुर			—	1
छिंदवाड़ा			2	2
धार			1	2
देवास			1	1
दमोह			1	1
दुर्ग			2	2
दतिया			1	1
गुना			1	2

1	2	3	4	5
ग्वालियर			2	3
होशंगाबाद			2	4
इंदौर	1		3	6
जबलपुर	1		3	5
झाबुआ			1	1
खांडवा			2	2
खरगौन			1	2
मंडला			1	1
मंदसौर			1	2
मोरेना			1	1
नरसिंहपुर			1	2
पन्ना			—	1
रायगढ़			1	1
रायपुर	1		2	2
रायसेन			1	1
राजगढ़			1	1
राजनंदगांव			1	1
रतलाम			1	2
रीवा			1	1
सागर			1	1
सरगुजा			1	1
सतना			1	2
सेहोर			1	1
सिवनी			1	1
शाहडोल			1	1
शाजापुर			1	1
शिवपुरी			1	1
सिधी			—	1
टिकमगढ़			—	1
उज्जैन			2	2
विदिशा			1	1

लीवेन्ड : एस. एफ. एम. एस. एस.—स्टोर एंड फोरफार्ड मेसेज स्विचिंग प्रणाली

वायरलेस लांग रेंज टेलीफोन्स

6453. श्रीमती जयवंती नवीनचंद्र मेहता : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड और मणिपुर में अनेक सुविख्यात व्यक्तियों ने बहुत बड़ी संख्या में वायरलेस/एंटीना लांग रेंज टेलीफोन्स की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी संचार प्रणाली किस योजना के अंतर्गत स्थापित करने की अनुमति दी गई है; और

(घ) क्या सरकार स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्थापनाओं को देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानती है ?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) नागालैंड और मणिपुर में वायरलेस/एंटीना लांग रेंज टेलीफोन्स की संस्थापना के लिए कोई लाइसेंस मंजूर नहीं किया गया।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

“बाल्को” के विधान बाग एकक में

“कंडेन्सर फाएल” का उत्पादन

6454. श्री महबूब जहेदी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने “बाल्को” के विधान बाग एकक में “सुपर प्यूरिटी कंडेन्सर फाएल” के उत्पादन के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : (क) और (ख) भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (“बाल्को”) का विचार सुपर प्यूरिटी एल्यूमिनियम कंडेन्सर फाएल संयंत्र स्थापित करने का है बशर्ते कि इस परियोजना में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता हो।

डीज़ल और इलेक्ट्रिक रेल इंजन कार्यशाला की स्थापना

6455. श्री आर. एल. पी. वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डीज़ल और इलेक्ट्रिक इंजन की मरम्मत का कार्य करने के लिए बिहार के कोडरमा जिले में नए डीज़ल और इलेक्ट्रिक इंजन कार्यशाला खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त रेल इंजन कार्यशाला खोलने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अंगामाली से पूनालूर तक नई रेल लाइन बिछाना

6456. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में अंगामाली से पूनालूर तक

नई रेल लाइन बिछाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी अनुमानित लागत सहित प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक पूरा किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) हाल ही में अंगलमाली से पुनालूर तक नई लाइन के निर्माण का सर्वेक्षण पूरा हुआ है और सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच शुरू की गई है। प्रस्ताव पर आगे विचार करना सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच के परिणामों पर निर्भर करेगा। बहरहाल, अंगलमाली और इरुमेली के बीच इस लाइन के भाग को पहले ही 1997-98 के बजट में 550 करोड़ रु. की लागत पर अंगमाली और साबरीमाला के बीच नई लाइन के स्वीकृत कार्य में शामिल कर लिया गया है।

सीधी रेल गाड़ियां चलाना

6457. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी भी हावड़ा से गोवा, जैसलमेर, कन्याकुमारी, द्वारका, हापा, राजकोट, गांधीधाम, पोरबंदर आदि के लिए सीधी रेलगाड़ियां नहीं रहने के कारण कलकत्ता के यात्री कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने हावड़ा से सीधी रेल सेवा आरम्भ करने हेतु लोगों की मांग पूरी करने पर विचार किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) हवड़ा, गांधीधाम और पोरबंदर से क्रमशः 2 और 3 घू. सवारी डिब्बों के द्वारा जुड़ा हुआ है। हवड़ा और गांधीधाम, पोरबंदर, राजकोट, हापा, द्वारिका, कन्याकुमारी और गोवा के बीच सीधी गाड़ियां शुरू करने के प्रस्ताव की जांच की गई है परंतु परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया। फिलहाल, यात्रियों को मार्ग में गाड़ियां बदलकर यात्रा करनी होगी।

एयर ट्रेफिक कंट्रोल परियोजना

6458. श्री पुष्पीराज दा. चव्हाण : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नियुक्त सुरक्षा समिति ने यह बताया है कि मुम्बई एयर ट्रेफिक कंट्रोल (ए. टी. सी.) परियोजना का स्थान अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा निर्धारित मानदंडों का विमानपत्तन से "रनवे" के नजदीक होने और ऊंचाई के संदर्भ में उल्लंघन करता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने जिम्मेदारी निर्धारित करने की दृष्टि से 60 करोड़ रुपए की इस अदृश्य ए. टी. सी. परियोजना की कोई सतर्कता जांच कराने की पहल की है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्नाहीम) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए एक कृत्रिम बल नियुक्त किया गया है। इस बीच, मुम्बई हवाई अड्डे पर धावन पथ 14/32 का प्रयोग, आपात स्थिति को छोड़कर, बंद कर दिया गया है।

सिराघु रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों का रुकना

6459. डॉ. अमृत लाल भारती : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिराघु इलाहाबाद जिले में तीर्थ केन्द्र का सबसे नजदीक का स्टेशन है और वहां से हजारों तीर्थ यात्री प्रतिदिन आते हैं और जाते हैं परंतु उन्हें वहां पर केवल कुछ गाड़ियों के रुकने के कारण भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है जबकि सरकार उक्त स्टेशन पर 1801 अप, 1802 डाउन, 4083 अप, 5003 डाउन गाड़ियों को बड़ी आसानी से रुकवा सकती है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने सिराघु रेलवे स्टेशन पर उक्त गाड़ियों को ठहराने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ) सिराघु स्टेशन पर अतिरिक्त गाड़ियों के ठहराव की जांच की गई है परंतु औचित्य पूर्ण नहीं पाया गया।

वापसी आरक्षण सुविधाएं

6460. श्री हाराधन राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, मुम्बई, मद्रास और सिकंदराबाद के साथ आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर को जोड़ने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इन स्थानों के लोगों को वापसी आरक्षण की सुविधाएं मिल सकें;

(ख) यदि हाँ, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हाँ।

(ख) आसनसोल से दिल्ली की मुख्य आरक्षण प्रणाली के साथ संपर्क की व्यवस्था की गई है। कलकत्ता, मुम्बई, मद्रास, दिल्ली और सिकंदराबाद के 5 कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणालियों को जोड़ने की एक परियोजना शुरू की गई है जिसके लिए साफ्टवेयर आंशिक तौर पर विकसित कर लिया गया है। अतः नेटवर्क परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात् ही इन स्थानों को अन्य प्रणालियों के साथ जोड़ना संभव हो जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त पर्यटक केंद्र

6461. डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त पर्यटक केंद्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के पास इन स्थानों के विकास के लिए कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक वर्ष खजुराहो, सांची और मांडू को जाने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पशुपतिनाथ, धर्मराजेश्वर और हिंगलाजगढ़ मंदिरों को पर्यटक केंद्रों के रूप में घोषित करने की अत्यधिक मांग है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) :

(क) से (ग) तथा (ङ) और (च) पर्यटक केंद्रों का विकास करना तथा पहचान करना एक सतत् प्रक्रिया है और यह मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

(घ) पर्यटन विभाग के पास स्थलों को पर्यटक केंद्रों के रूप में पहचान करने या घोषित करने की कोई पद्धति नहीं है, तथापि, मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, खजुराहो, मांडू, सांची आदि ऐसे विभिन्न स्थल हैं जिन्हें बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक देखने आते हैं। ऐसे स्थलों की पहचान करना और विकास करना एक सतत् प्रक्रिया है तथा यह मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1995 के दौरान खजुराहो, सांची तथा मांडू को देखने आए पर्यटकों की संख्या नीचे दी गई है :—

	1995	
	स्वदेशी	विदेशी
1. खजुराहो	183811	52102
2. सांची	69554	4409
3. मांडू	171452	1890

[अनुवाद]

यात्री विमान

6462. श्री रामचन्द्र खीरप्पा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भावी पांच वर्षों के दौरान कितने यात्री विमानों की आवश्यकता है और भविष्य में नागर विमानन उद्योग के कुशल कार्यकरण में विमानों की खरीद की योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन विमानों की खरीद

के लिए कितनी विदेशी मुद्रा व्यय करने की संभावना है;

(ख) अगले पांच वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस द्वारा पूंजीनिवेश का लक्ष्य क्या है और इस पूंजी निवेश के लिए किन साधनों से धन की व्यवस्था की जाएगी और इससे कितना लाभ अर्जित होने की आशा है; और

(ग) क्या बढ़ते हुए यातायात को देखते हुए निजी एयरलाइंस द्वारा और अधिक विमान लाने की आवश्यकता पर जोर दिया है और यदि हां, तो इन एयरलाइंस का किस प्रकार इन सेवाओं की व्यवस्था करने का विचार है और उन साधनों का ब्यौरा क्या है जिनसे इस उद्देश्य के लिए धन की व्यवस्था की जाएगी ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इब्नाहीम) : (क) और (ख) आशावादी दृश्य और निजी प्रचालकों तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा विमान शामिल करने की योजना के आधार पर सन् 2000 तक अगले 4 वर्षों में 125 सीटों वाले विमान शामिल करना प्रत्येक वर्ष अनंतिम रूप से निम्नवत निर्धारित किया गया है :—

वर्ष	विमान की संख्या
1997	10
1998	11
1999	12
2000	14

चूंकि निजी विमान-कम्पनियां सामान्यतया पट्टे के आधार पर विमान आयात करती हैं इसलिए खर्च की जाने वाली सम्भावित राशि का संकेत करना संभव नहीं है। तथापि, इंडियन एयरलाइंस द्वारा किए गए प्रक्षेपों के अनुसार अगले पांच वर्षों के लिए सम्भावित वृद्धि दरों पर निर्भर करते हुए, अनुमानित कुल निवेश 8,883 करोड़ रुपए और 11,340 करोड़ रुपए बैठेगा तथा विदेशी मुद्रा संघटक क्रमशः 8,735 करोड़ रुपए और 11,151 करोड़ रुपए के क्रम में बैठेगा। यह निवेश पुराने विमानों के प्रतिस्थापन और प्रक्षेपित यातायात वृद्धि को पूरा करने के लिए होगा जो बाहरी वाणिज्यिक उधारियों, सरकार द्वारा निवेश, ब्याज रहित ऋण/सरकार आदि द्वारा वित्तीय सहायता से पूरा किया जाएगा।

(ग) जी, हां। निजी विमान-कंपनियां सामान्यतया विदेशी स्रोतों से पट्टे के आधार पर विमान आयात करती हैं। दिनांक 12 मार्च, 1997 को अंतर्देशीय सेक्टर में प्रचालन कर रही निजी विमान-कंपनियों के लिए वित्तपोषण नीति पर उनकी दीर्घावधि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रबंध व्यवस्था को सुकर बनाने की दृष्टि से विचार-विमर्श करने के लिए बैंकिंग विभाग, अग्रणी वित्त संस्थाओं, वाणिज्यिक बैंकों तथा अनुसूचित विमानकंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित बैठक में विमान-कंपनी प्रचालकों ने सहमति जताई थी कि उनके मामले भी विद्यमान आर. बी. आई. मार्गदर्शी सिद्धांतों की कोई संवीक्षा अपेक्षित नहीं है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक की विमान-कंपनी उद्योग के वित्तपोषण के विषय में स्थिति

का जायजा लेने तथा संवीक्षा करने हेतु नियमित बैठकों के आयोजन की मंशा है।

यात्री डिब्बों की आपूर्ति

6463. श्री बलराई चन्द्र राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रेणीवार यात्री डिब्बों का विभिन्न कोच फैक्ट्रियों द्वारा कितनी संख्या में उत्पादन किया गया;

(ख) अन्य क्षेत्रीय रेलवे की तुलना में उपर्युक्त अवधि के दौरान पूर्व, दक्षिण पूर्व और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे को कितनी संख्या में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, वातानुकूलित श्री टियर, सामान्य श्रेणी और ई. एम. यू. यात्री डिब्बों की आपूर्ति की गई;

(ग) उपर्युक्त उल्लिखित तीन क्षेत्रीय रेलवे को कम यात्री डिब्बों की आपूर्ति के कारण क्या है; और

(घ) पूर्व, दक्षिण पूर्व और उत्तर सीमांत रेलवे को नए यात्री डिब्बों को देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ताकि पुराने यात्री डिब्बों को हटाया जा सके और अधिक ई. एम. यू. सेवाओं को शुरू किया जा सके ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) इस समय देश में सवारी डिब्बों के विनिर्माण की 4 इकाइयां हैं दो रेलवे क्षेत्र में हैं अर्थात् सवारी डिब्बा कारखाना तथा रेल कोच फैक्ट्री और दो सार्वजनिक क्षेत्र में हैं अर्थात् मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लि. तथा मैसर्स जैसप्स एंड कंपनी लि.।

(1) सवारी डिब्बा कारखाना

सवारी डिब्बे की किस्म	1994-95	1995-96	1996-97
स्वनोदित सवारी डिब्बे	273	428	374
वातानुकूल सवारी डिब्बे	101	121	72
गैर वातानुकूल सवारी डिब्बे	406	341	565
जोड़	780	890	1011

(2) रेल कोच फैक्ट्री

वातानुकूल सवारी डिब्बे	149	150	174
गैर वातानुकूल सवारी डिब्बे	626	540	746
जोड़	775	690	920

(3) जैसप्स

स्वनोदित सवारी डिब्बे	15	33	26
-----------------------	----	----	----

(4) बी. ई. एम. एल.

स्वनोदित सवारी डिब्बे	9	—	9
गैर वातानुकूलित सवारी डिब्बे	—	139	202
जोड़	9	139	211

नोट :—उपर्युक्त आंकड़ों में निर्यात आदेशों के लिए तथा रेलों के अलावा अन्य संगठनों के लिए विनिर्मित सवारी डिब्बे शामिल हैं।

(ख) क्षेत्रीय रेलों की सप्लाई की गई श्रेणी-वार सवारी डिब्बों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

रेल	1994-95			1995-96			1996-97		
	वाता.	गैर-वाता.	स्वनोदित	वाता.	गैर-वाता.	स्वनोदित	वाता.	गैर-वाता.	स्वनो.
मध्य	13	145	62	55	141	82	56	171	38
पूर्व	50	340	62	6	26	92	14	131	82
उत्तर	58	180	66	43	199	57	53	257	56
पूर्वोत्तर	—	—	—	16	91	—	18	138	5
पूर्वोत्तर सीमा	—	10	—	15	83	6	36	115	2
दक्षिण	36	138	9	41	286	39	111	331	31
द. म.	17	65	—	21	149	18	17	88	5
द. प.	—	27	50	29	244	42	31	72	38
पश्चिम	76	132	48	36	36	122	69	107	3

(ग) और (घ) जी, नहीं। किसी भी वर्ष के दौरान कुल उत्पादन को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार सवारी

डिब्बे पूर्व, दक्षिण-पूर्व तथा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे को सप्लाई किए गए हैं।

माल दुलाई में आदर्श हिस्सेदारी

6464. श्री शिवराज सिंह :

श्री भक्त चरण दास :

श्री सुस्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परिवहन नीति संबंधी समिति ने रेल और सड़क के माध्यम से होने वाली माल दुलाई के लिए किसी आदर्श हिस्सेदारी का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में रेल और सड़क मार्ग से की जा रही माल दुलाई की आदर्श हिस्सेदारी की वास्तविक प्रवृत्ति क्या है;

(घ) यदि रेल किराए और माल भाड़े में वृद्धि के कारण रेलवे के यात्री अब एयरलाइंस से यात्रा करने लगे और माल की दुलाई सड़क मार्ग से होने लगी है;

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) रेलवे द्वारा अपने यात्री परिवहन तथा माल परिवहन को पुनः प्राप्त करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख) जी, हाँ। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (1980) ने सिफारिश की थी रेल और सड़क के बीच आदर्श हिस्सेदारी 72:28 के अनुपात में होनी चाहिए।

(ग) वर्ष 1995-96 में रेलों ने 270 बिलियन टन कि० मी० माल की दुलाई की थी। सड़क द्वारा डोए गए माल के संबंध में कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बहरहाल, भूतल परिवहन मंत्रालय के अनुमान के अनुसार कैलेण्डर वर्ष 1995 के दौरान सड़क यातायात द्वारा डोया गया माल मोटे तौर पर 687 बिलियन टन कि० मी० है।

(घ) और (ङ) इस प्रकार का कोई रुख या अन्यथा दर्शाने के लिए कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(च) फुटकर माल यातायात आकर्षित करने के लिए रेलवे ने कटेनरीकरण शुरू किया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में एम. ए. आर. आर. प्रणाली

6465. डॉ. राम लखन सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में एम. ए. आर. आर. प्रणाली पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या कितनी है और इस पर जिलेवार कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या इस प्रणाली के अंतर्गत लगाए गए अधिकांश टेलीफोन खराब पड़े हैं; और

(घ) इन जिलों की संख्या कितनी है जिनमें यह प्रणाली प्रभावी रूप से चल रही है;

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ) सूचना संबंधित यूनिट से मंगाई गई है, जिसे तदनंतर सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

बेलगॉम (साम्ब्रा) विमानपत्तन पर विमान सेवा

6466. श्री शिवानन्द एच. कौजलगी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलगॉम (साम्ब्रा) विमानपत्तन पर वायु सेवाएं बंद कर दी गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सही है कि वहां पर हवाई पट्टी छोटी है जिसके कारण वहां बोईंग विमान नहीं उतर सकता है; और

(घ) क्या उपरोक्त विमानपत्तन पर हवाई पट्टी का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इक्बाली) : (क) और (ख) बेलगॉम हवाई अड्डा प्रचालनात्मक है। यातायात संभाव्यता और आर्थिक साध्यता को दृष्टि में रखते हुए बेलगॉम हवाई अड्डे से अपनी सेवाएं आरंभ करना विमान प्रचालकों पर निर्भर काता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

इंदौर-उज्जैन मार्ग का विद्युतीकरण

6467. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदौर-उज्जैन मार्ग पर बड़ी रेल लाइन का विद्युतीकरण किए जाने और उज्जैन इंदौर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यात्रियों की मांग पर आधारित ऐसे प्रस्ताव पर सरकार द्वारा कब तक विचार किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) संसाधनों की तंगी तथा अन्य उच्च घनत्व वाले मार्गों के विद्युतीकरण/आमान परिवर्तन की प्राथमिकता के कारण इंदौर-उज्जैन को विद्युतीकरण करने/बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बदरपुर रेलवे जंक्शन (असम) का रेलवे मंडल के रूप में उन्नयन

6468. श्री द्वारका नाथ दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम में

करीमगंज जिले में स्थित बदरपुर रेलवे जंक्शन दक्षिण असम (बराक बेली) की रेल सेवा का एक प्रमुख केन्द्र है, लेकिन उसका रेल मंडल के रूप में उन्नयन काफी लंबे समय से लंबित है;

(ख) क्या सरकार द्वारा उसका रेल मंडल के रूप में उन्नयन करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसका मंडल के रूप में उन्नयन किए जाने में कितना समय लगने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) बदरपुर में नए मंडल की स्थापना करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) से (घ) किफायत और कुशलता की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यभार, सुगम्यता, यातायात स्वरूप तथा अन्य परिचालनिक/प्रशासनिक आवश्यकताओं इत्यादि जैसे कारकों को मद्देनजर रखते हुए नए मंडल स्थापित किए जाते हैं।

विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए सरकार ने आगरा, पुणे, सिंगरौली, रंगिया, गुंटूर, रायपुर, रांची तथा अहमदाबाद में 8 नए मंडल स्थापित करने का विनिश्चय किया है।

आमान परिवर्तन

6469. श्री अमन्ना बेंकटरामी रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में परियोजनावार बड़ी लाइन में परिवर्तित की जा रही रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में आमान परिवर्तन के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ग) परियोजनावार अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया और किन-किन लाइनों को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया गया;

(घ) अनन्तपुर और तिरुपति के बीच रेल लाइन को परिवर्तित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) सभी रेल पटरियों के कब तक बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिए जाने की संभावना है; और

(च) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि जारी की गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में इस समय चालू आमान परिवर्तन, पहले से परिवर्तित लाइनों 1997-98 के लिए परिव्यय तथा 31.3.97 तक उन पर हुए खर्च का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपए में)

परियोजना का नाम	1997-98 के लिए परिव्यय	मार्च, 97 तक खर्च	आज की तारीख तक प्रगति/पूरा करने की लक्ष्य तिथि
1	2	3	4
1. बोलारम-सिकंदराबाद द्रोणाचलम्	53.00	177.98	सिकंदराबाद-बोलारम तथा सिकंदराबाद-महबूबनगर उप-खंड पहले ही पूरे हो चुके हैं तथा चालू कर दिए गए हैं। महबूबनगर-द्रोणाचलम् को दिसंबर, 1997 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2. गुंटूर-गुंतकल-कल्लूरु	35.00	359.71	गुंटूर-दोनाकोंडा-गिड्डालूर-नंदयाल पूरा हो चुका है तथा उसे चालू किया जा चुका है। नंदयाल-गुंतकल 31.3.97 को पूरा हो चुका है। गुंतकल-कल्लूरु को 31.12.98 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
3. काटपाडी-पाकाला-तिरुपति	15.00	5.41	बड़े पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कार्य अच्छी तरह से चल रहा है और अक्टूबर, 1998 तक पूरा हो जाएगा।
4. मुदखेड-आदिलाबाद (अंशतः महाराष्ट्र में)	पूँजी निधि 1.83	5.12	बनाइए, मालिक बनें, पट्टे पर दीजिए, हस्तांतरण कीजिए (बोस्ट) के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है। कार्य मार्च, 1998 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
5. सिकंदराबाद-मुदखेड और जनकमपेट-बोधन (अंशतः महाराष्ट्र में)	0.01	}	नई परियोजनाओं को 1997-98 के बजट में शामिल किया गया है तथा आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
6. नौपाडा-गुनुपुर (अंशतः आंध्र प्रदेश में)	0.01		
जोड़	104.85	548.22	

(घ) अनंतपुर में धर्मावरम पहले ही बड़ी लाइन है। 1997-98 में धर्मावरम-पकाला के आमाम परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया है। सर्वेक्षण के परिणाम आ जाने के बाद ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा। पकाला-तिरुपति कस्टपाड़ी खंड का आमाम परिवर्तन एक अनुमोदित कार्य है जो इस समय निष्पादित किया जा रहा है।

(ङ) संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(च) 1997-98 के दौरान आंध्र प्रदेश में आमाम परिवर्तन के लिए 104.85 करोड़ रुपए की धनराशि मुहैया कराई गई है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ :—

- (1) (एक) केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2051/97]

टेलीकम्यूनिकेशन कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड और दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन

[हिन्दी]

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : महोदय, मैं टेलीकम्यूनिकेशन कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड और दूरसंचार विभाग के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 2052/97]

[अनुवाद]

मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन इत्यादि

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :—

- (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2053/97]

- (दो) हिन्दुस्तान ज़िंक लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2054/97]

- (तीन) भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2055/97]

- (चार) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2056/97]

- (पांच) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2057/97]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे इत्यादि

नागर विमानन मंत्री (श्री सी. एम. इन्नाहीम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

- (1) (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 28 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 2058/97]

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): मैं भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2059/97]

चलचित्र (प्रमाणन) संशोधन नियम, 1997

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : मैं चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

(एक) चलचित्र (प्रमाणन) (संशोधन) नियम, 1997 जो 25 मार्च, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 173(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) चलचित्र (प्रमाणन) (दूसरा संशोधन) नियम, 1997 जो 10 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 207(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2060/97]

कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन

[हिन्दी]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : महोदय, मैं कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2061/97]

अपराह्न 12.02 बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ए० जी० एस० राम बाबू (मदुराई) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.02 ½ बजे

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति आठवाँ, नौवाँ और दसवाँ प्रतिवेदन

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का आठवाँ, नौवाँ और दसवाँ प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.02 ¾ बजे

[अनुवाद]

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति छत्तीसवाँ, सत्ताईसवाँ और अट्ठाईसवाँ प्रतिवेदन

श्री जी० एम० बजातवाला (पूनानी) : मैं परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति के पर्यटन विभाग, नागर विमानन मंत्रालय और भूतल परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1997-98) का क्रमशः छत्तीसवाँ, सत्ताईसवाँ और अट्ठाईसवाँ प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(एक) किसानों को बोनस दिए जाने के संबंध में दिनांक 6 मई, 1997 के तारांकित प्रश्न संख्या 422 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (पशुपालन तथा डेयरी विभाग को छोड़कर) एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा खाद्य मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : महोदय, मैं सभा का ध्यान किसानों को बोनस भुगतान के बारे में इस सभा में 6.5.97 को तारांकित प्रश्न संख्या 422 के दिए गए उत्तर की ओर आकृष्ट करता हूँ। हिन्दी भाषान्तर में दिया गया उत्तर निम्नानुसार था :-

(क) जी, हाँ।

(ख) सरकार ने 17 मार्च, 1997 से 10 जून, 1997 तक की अवधि के लिए गेहूँ के 415/- रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 60/- रुपए प्रति क्विंटल के केन्द्रीय बोनस की घोषणा की है।

(ग) इससे लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या वसूली मौसम के समाप्त होने के बाद ज्ञात हो जाएगी।

(घ) 5.5.1997 की स्थिति के अनुसार कुल 20.29 लाख टन गेहूँ की वसूली की गई थी। 475/- रुपये प्रति बिंदल की दर पर किसान कुल 963.78 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करेंगे।

(ङ) 20.29 लाख टन मात्रा में से भारतीय खाद्य निगम द्वारा लगभग 3.59 लाख टन गेहूँ की वसूली की गई थी। यह सारी वसूली 9.4.1997 को बोनस संबंधी आदेश जारी किए जाने के बाद की गई थी।

2. प्रश्न के उत्तर का शुद्ध हिन्दी भाषान्तर निम्नानुसार पढ़ने की कृपा करें :—

(क) जी, हाँ।

(ख) सरकार ने गेहूँ के 415/- रुपये प्रति बिंदल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 17 मार्च, 1997 से 10 जून, 1997 तक की अवधि के लिए 60/- रुपये प्रति बिंदल के केन्द्रीय बोनस की घोषणा की है जो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ-साथ अदा किया जा रहा है।

(ग) वे सभी किसान, जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर सरकारी एजेंसियों को गेहूँ बेचते हैं, बोनस का भुगतान करने के निर्णय से लाभान्वित होंगे।

(घ) 5.5.1997 की स्थिति के अनुसार कुल 28.09 लाख टन गेहूँ की वसूली की गई थी। 475/- रुपये प्रति बिंदल की दर पर किसान लगभग 1333 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करेंगे।

(ङ) 28.09 लाख टन मात्रा में से भारतीय खाद्य निगम द्वारा लगभग 5.07 लाख टन गेहूँ की वसूली की गई थी। यह सारी वसूली 9.4.97 को बोनस संबंधी आदेश जारी किए जाने के बाद की गई थी।

अपराह्न 12.05 बजे

(दो) श्री प्रभुदयाल कठेरिया, संसद सदस्य के संबंधियों का अपहरण

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्ता) : महोदय, 8.5.1997 को शून्य काल के दौरान, माननीय सदस्य, श्री प्रभु दयाल कठेरिया ने इस बात पर चिन्ता प्रकट की कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो उनके रिश्तेदारों, जिनका अपहरण 17/18 फरवरी, 1997 को किया गया था, का पता लगाने के लिए मामला दर्ज करने में विलम्ब कर रही है।

इस सम्माननीय सदन को यह याद होगा कि इस घटना के संबंध में मैंने पहले 13 मार्च, 1997 को एक वक्तव्य दिया था। उस समय मैंने कहा था कि मामले की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण क्षेत्र, आगरा के नेतृत्व में अधिकारियों का एक विशेष दल गठित किया गया है, यह कि माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित संदिग्ध व्यक्तियों सहित 9 व्यक्तियों से पूछताछ की गई है और कि उत्तर प्रदेश

के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर छापे मारे गए हैं, तथा महाराष्ट्र और दिल्ली में भी पूछताछ की गई है।

14, मार्च 1997 को मैंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को यह सुझाव देते हुए पत्र लिखा था कि इस सम्माननीय सदन के माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह वांछनीय होगा कि इस मामले में आगे की जांच का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दे दिया जाए। इस पत्र की एक प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक को भी पृष्ठांकित की गई थी।

16 मार्च, 1997 को उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अधीन एक अधिसूचना जारी करके इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की। 20 मार्च, 1997 को इस मंत्रालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इस मामले को तुरंत अपने हाथ में लेने के लिए कहा था। इस संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक को सम्बोधित पत्र की एक प्रति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भी पृष्ठांकित की गई थी।

पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक ने 28 अप्रैल, 1997 को इस मामले को दर्ज करने के आदेश दिए। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच-पड़ताल शीघ्रता से पूरी करने के निदेश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : सभापति महोदय, कठेरिया जी के परिवार के बारे में पता नहीं लग रहा है। आप होम मिनिस्टर को इस पर स्टेटमेंट देने के लिए कहिए।

अपराह्न 12.07 बजे

(तीन) औषध मूल्य नियंत्रण के संबंध में 30 जुलाई, 1996 के तारांकित प्रश्न संख्या 269 के उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : सभापति महोदय, मैं औषध मूल्य नियंत्रण के बारे में 30.7.96 को इस सभा में दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 269 के जवाब की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। भाग क का उत्तर निम्नलिखित था :—

मूल्य नियंत्रण के लिए औषधियों का चयन औषध निति में संशोधन, 1986 द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों के आधार पर किया गया है। वर्ष 1989-90 के आधार पर जिन औषधों का 400 लाख रुपये या इससे अधिक का कारोबार होता है तथा जिनकी बाजार में प्रतियोगिता हो तथा 100 लाख रुपये या इससे ज्यादा परंतु 400 लाख रुपये से

कम का कारोबार वाली औषधें जिनकी एकाधिकार की स्थिति है, मूल्य नियंत्रण के अधीन नहीं आती हैं।

1. कृपया प्रश्न के संशोधित उत्तर को इस प्रकार पढ़ा जाए :—

मूल्य नियंत्रण के लिए औषधियों का चयन औषध नीति में संशोधन 1986 द्वारा निर्धारित किए गए मानदंडों के आधार पर किया गया है। वर्ष 1989-90 के आंकड़ों के आधार पर जिन औषधों को 400 लाख रुपये या इससे अधिक का कारोबार होता है तथा जिनकी बाजार में प्रतियोगिता हो तथा 100 लाख रुपये या इससे ज्यादा परंतु 400 लाख रुपये से कम का कारोबार वाली औषधें जिनकी एकाधिकार की स्थिति नहीं है, मूल्य नियंत्रण के अधीन नहीं आती हैं।

मुद्रण त्रुटि इस विभाग की जानकारी में तब आया जब बाद की तारीख में राज्य सभा के लिए इसी प्रकार के एक प्रश्न का उत्तर बनाया जा रहा था और इसलिए यह संशोधन प्रस्तुत करने में विलंब हुआ।

अनजाने में हुई मुद्रण त्रुटि के लिए मुझे खेद है तथा मैं इस सीमा तक सभा से अनुग्रह-याचना करता हूँ।

एक सांसद के परिवार के अपहरण को लेकर मैंने यह प्रिविलेज मोशन दिया है और मैं समझता हूँ कि यह हाउस की अवमानना है क्योंकि 8 मई, 1997 को चेयर पर आसीन सभापति महोदय ने इस बात के आदेश दिए थे कि एक सांसद के परिवारजनों का जिस प्रकार से अपहरण हुआ है, उसे तीन महीने हो गए हैं, मामले में प्रगति की जानकारी सदन को दी जाए लेकिन आज जो स्टेटमेंट आया है, उससे स्पष्ट है कि मामले की जांच में कोई प्रगति नहीं हुई है। मेरा निवेदन है कि मेरे प्रिविलेज मोशन को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाए। दो महीने के अंतरकाल में, सी० बी० आई० से या भारत सरकार से जो गलती हुई है, उसका पर्दाफाश होना चाहिए कि इस मामले में कहाँ विलम्ब हुआ। ... (व्यवधान) सभापति जी, आप देखिए कि गृह मंत्री जी के स्टेटमेंट में क्या है, कुछ भी नहीं है। ... (व्यवधान) इसमें गृह मंत्री जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर छापे मारे गए हैं तथा महाराष्ट्र और दिल्ली में भी पूछताछ की गई और जानकारी मंगवाई गई लेकिन मामले में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई। ... (व्यवधान) यह बहुत आश्चर्यजनक है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप क्या चाहते हैं ? मैंने उन्हें अनुमति दी है और वे बोल रहे हैं। अब आप सबने बोलना आरम्भ कर दिया है। यहाँ तक कि माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं, मैं यह भी नहीं सुन पा रही हूँ।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : सभापति जी, हमारे एक सदस्य के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, गृह मंत्री जी के दो बयान सदन में आ गए लेकिन समस्या का निराकरण क्या हो रहा है, क्या प्रगति हुई और यह सरकार क्या कर रही है ? ... (व्यवधान)

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : समस्या के निराकरण के लिए सरकार की तरफ से इतने प्रयत्नों के बावजूद क्या निकला, इन्वैस्टीगेशन के रिजल्ट क्या सामने आए, 13 मार्च से 15 मई के बीच इन्वैस्टीगेशन कहाँ तक पहुँची, इसके बारे में स्टेटमेंट में कुछ नहीं है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम सब जानते हैं कि मंत्री के वक्तव्य के बाद किसी तरह का स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति नहीं दी जाती है। फिर भी मैंने माननीय सदस्य श्री कठेरिया से स्पष्टीकरण मांगने के लिए कहा है। आप सबने बोलना आरम्भ कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप वे जो कहना चाहते हैं नहीं कह पा रहे हैं।

[हिन्दी]

आप अपने साथियों से कहिए कि वे चुप रहें ताकि माननीय सदस्य अपनी बात कह सकें। ... (व्यवधान)

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : सभापति जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि तीन महीने से ज्यादा बीत गए, आज 15 मई है, इस कालावधि में भारत सरकार ने इस मामले में क्या प्रगति की, क्या उसकी उपलब्धियाँ रही, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ।

अपराह्न 12.10 बजे

श्री प्रभुदयाल कठेरिया संसद सदस्य के संबंधियों का
अपहरण—जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य श्री कठेरिया को स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दे रही हूँ।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि गृह मंत्री जी ने सदन में जो स्टेटमेंट दिया है, इससे पहले 13 मार्च, 1997 को भी उन्होंने इसी विषय पर एक स्टेटमेंट दिया था, आप गृह मंत्री जी के दोनों स्टेटमेंट्स को उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इस कालावधि में भारत सरकार की उपलब्धि क्या है। आज जिस प्रकार से गृह मंत्री द्वारा हाउस में स्टेटमेंट दिया गया है, मैं समझता हूँ कि इस हाउस को गुमराह किया जा रहा है।

13 मार्च को गृह मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि संदिग्ध अपराधियों से पूछताछ और जांच के लिए सी० बी० आई० को आदेश दिए गए हैं। स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और राज्यपाल महोदय ने भारत सरकार को सुझाव दिया था कि इस मामले की आगे की जांच का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया जाए। गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि 20 मार्च, 1997 को उनके मंत्रालय ने सी० बी० आई० से इस मामले को तुरन्त हाथ में लेने के लिए कहा था लेकिन 20 मार्च के बाद आज 15 मई हो गई, भारत सरकार की ओर से ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया कि इस मामले में अब तक क्या उपलब्धियाँ रही।

[श्री प्रभु दयाल कठेरिया]

हाउस की अवमानना हुई है। लोकसभा की चेयर से तीन बार, स्पीकर द्वारा, डिप्टी स्पीकर द्वारा और सभापति जी द्वारा आदेश दिए गए लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक क्या उपलब्धि हुई है ? मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस मामले में कोई उपलब्धि नहीं हो रही है। आखिर उस परिवार के लोगों का क्या हुआ ? सरकार इसके बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं है। इस बात को तीन महीने हो गए हैं। ... (व्यवधान)

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया (जूनागढ़) : एक सांसद के साथ ऐसा होता है तो बाकी लोगों के साथ क्या होता होगा ?

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा प्रिविलेज मोशन लगा हुआ है। उसे या तो स्वीकार किया जाए या गृह मंत्री जी बताएं कि इन तीन महीनों में सरकार की क्या उपलब्धि है ?

सभापति महोदय : एक ही बात को तीन बार बोलने से क्या होगा ?

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति जी, गृह मंत्री जी को इस बारे में बताना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री कठेरिया, आपको जो कुछ कहना था आपने कह दिया है। अब यदि मंत्री महोदय उत्तर देना चाहेंगे तो वे दे सकते हैं। यह अनिवार्य नहीं है लेकिन यदि वे कोई वक्तव्य देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मुझे माननीय सदस्य से पूरी सहानुभूति है जो कि अपने परिवार के कुछ सदस्यों के खो जाने जिनका अपहरण कर लिए जाने की आशंका की वजह से निराश हैं। अभी तक उन्हें तलाश नहीं किया जा सका है। लेकिन जिस प्रक्रिया द्वारा यह मामला निपटारा जा रहा है, मैंने उसकी जानकारी ब्यौरे वार सदन में दी है। अन्ततः मैं यह कह सकता हूँ कि माननीय सदस्य के दिल के कुछ वरिष्ठ सदस्य भी मुझसे मिले और उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि इस मामले की जांच का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जाए। अतः ऐसा कर दिया गया।

[हिन्दी]

मुझे तो मालूम नहीं कि माननीय सदस्य अब क्यों परेशान हो रहे हैं। यह केस सी० बी० आई० के हवाले कर दिया गया है। वह इन्वेस्टीगेशन चल रही है। ... (व्यवधान) क्या आप चाहते हैं कि मैं उस इन्वेस्टीगेशन में इंटरफियर करूँ। ... (व्यवधान) मैं क्या करूँ ?

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया (जूनागढ़) : आप इसे जल्दी करवाइए। ... (व्यवधान)

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : आपके परिवार का एक मੈम्बर मिसिंग हो जाएगा तो आपकी नींद उड़ जाएगी। ... (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है। इन्वेस्टीगेशन हो रही है। मैं उसमें

इंटरफियर नहीं कर सकता और न मैं करूँगा। यह सी० बी० आई० का काम है। मेरा काम नहीं है। इन्सेंटेंटली मैं फिर आपको याद दिला दूँ कि सी० बी० आई० होम मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है। यह आपको मालूम है। अगर उसके रूटीन डे-टू-डे फंक्शनिंग के बारे में कुछ जानकारी की जरूरत है तो आपको दूसरी जगह जाकर पूछना पड़ेगा। वह मेरे अंडर नहीं है। ... (व्यवधान)

अपराह्न 12.19 बजे

उच्चतम न्यायालय को कथित रूप से गलत सूचना दिए जाने के लिए महान्यायवादी के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : सभापति जी, मैंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस दिया है और मेरा नोटिस एटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, श्री अशोक देसाई के विरोध में है। आप जानते हैं कि एक्वाकल्चर फार्म तोड़ने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि 31 मार्च तक सब तोड़ने चाहिए। इस प्रकार का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इसलिए सरकार के पास, सदन के सामने प्रपोजल आए कि हम नया बिल लाना चाहते हैं और बिल के लिए दो दिन का नोटिस चाहिए। वह दो दिन का नोटिस वेव कराइए। हमने वह वेव करवा दिया। राज्य सभा में 20 मार्च को बिल पास हो गया और 21 मार्च यानि गए सेशन के अंतिम दिन वह बिल लोक सभा में आकर पास करना था। सरकार ने यहां आकर बताया कि हम उस बिल को पास नहीं करवाना चाहते। मैं उस समय की प्रोसीडिंग के दो छोटे पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूँ।

[अनुवाद]

उस समय श्री पी० सी० चाक्को पीठासीन थे। वे कहते हैं :

"श्री सत्यपाल जैन कृपया एक मिनट के लिए रुकिए। हमें एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करनी है। श्री राम नाईक ने जलकृषि विधेयक का मामला उठाया है। कृषि मंत्री एक घोषणा करेंगे। यह न्यायालय का निर्णय है जिस पर वे वक्तव्य देना चाहते हैं।"

[हिन्दी]

बाद में कृषि मंत्री ने स्टेटमेंट दिया, उसको मैं कोट कर रहा हूँ :

"सभापति महोदय, एक्वाकल्चर से संबंधित बिल सदन में इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने नोटिस दिया था लेकिन उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे आर्डर दे दिया और डिमोलीशन को रोक दिया।

इसे देखते हुए आज मैं इस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाऊँगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखने के बाद अब इसे किसी अन्य दिन सदन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मुझे सदन को यह जानकारी देनी है।"

कृषि मंत्री जी ने यहां बताया कि हम आज बिल इंट्रोड्यूस नहीं

करना चाहते, पास करवाना नहीं चाहते। फिर उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल तक स्टे बढ़ा दिया और इसके कारण मंत्री जी ने यह स्टेटमेंट यहां पर दिया था। अब 30 अप्रैल समाप्त होने के नज़दीक आया इसलिए 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में वे केस दुबारा गया। जब केस दुबारा गया तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछा गया कि यह बिल पास क्यों नहीं हुआ और अटॉर्नी जनरल ने वहां जो स्टेटमेंट दिया है, वह बहुत गंभीर है।

[अनुवाद]

मैं 26 अप्रैल के 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' से उद्धरित कर रहा हूँ।

[हिन्दी]

वह सभी अखबारों में आया है।

[अनुवाद]

मैं उद्धरित कर रहा हूँ।

"महान्यायवादी ने न्यायालय को बताया कि जल कृषि प्राधिकरण विधेयक, 1997 राज्य सभा द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है और इसे लोक सभा द्वारा भी पारित कर दिया जाता लेकिन राजनीतिक संकट के कारण नहीं हो सका।"

[हिन्दी]

मेरी आपत्ति पोलिटिकल क्राइसेस को है और लोक सभा ने यह बिल पास नहीं किया, उसके बारे में जो आपत्ति बताई है, उससे है। सभापति महोदय, आप जानती हैं कि पोलिटिकल क्राइसेस 21 मार्च को नहीं था। जो पोलिटिकल क्राइसेस हमारे मित्रों ने खड़ा कर दिया, वह तो केसरी साहब ने 30 मार्च को कर दिया। जब 30 मार्च को पोलिटिकल क्राइसेस हो गया - तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह कहना ठीक नहीं है कि लोक सभा ने उसे पास नहीं किया जबकि हम बिल पास करना चाहते थे। इस विषय के साथ लाखों मछुआरे देश के सभी कोस्टल बैल्ट के आधार पर जुड़े हुए हैं और एक दृष्टि से देखा जाए तो अटॉर्नी जनरल कौन्सिलर द्यूशन की एक अर्थो रिटी है। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस प्रकार से कहते हैं, हमारा मज़ाक उड़ाते हैं। सदन छोटा है, सदन को रिडीकूल करने की कोशिश हुई है। इस बात को लेकर मैंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के सर्वोच्च अधिकारी सुप्रीम कोर्ट जैसे न्यायालय में जाएं और लोक सभा के बारे में इस प्रकार से कहें, यह अनुचित है। इसलिए मेरा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मंजूर करके अटॉर्नी जनरल ने ऐसा क्यों कहा, इसके बारे में जांच होनी चाहिए। इसलिए मेरी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कमेटी के पास भेजिए। इसके साथ ही आज 9 राज्यों के लाखों मछुआरे, ऐक्वा कल्चर बिल के बारे में क्या हो रहा है, उसके कारण आशंकित हैं। उनको भी विश्वास दिलाना चाहिए। सरकार इस सेशन में भी यह बिल नहीं लाई है, कल अंतिम दिन है। सरकार इस बारे में क्या करना चाहती है, वह भी इस संबंध में बताए। मेरा निवेदन है और एक बार फिर प्रार्थना है कि इसे प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा जाए।

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई बिखलिया (जूनागढ़) : जेना जी बैठे हैं। आप बताइए कि कल बिल ला रहे हैं या नहीं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री राम नाईक की विशेषाधिकार सूचना पर अध्यक्ष द्वारा विचार किया जा रहा है और वे जल्दी ही इसकी जानकारी सभा को देंगे कि क्या वे इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपेंगे अथवा नहीं। अन्ततः माननीय अध्यक्ष महोदय को भी इस संबंध में कोई निर्णय लेना है।

श्री राम नाईक : महोदय, कृपया मंत्री महोदय को कोई वक्तव्य देने दीजिए कि क्या वे जल कृषि प्राधिकरण विधेयक प्रस्तुत करेंगे अथवा नहीं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : आज एक सर्वदलीय बैठक थी। जल कृषि प्राधिकरण मुद्दे पर भी चर्चा की गई थी। बैठक में प्रभारी माननीय मंत्री महोदय श्री चतुरानन मिश्र ने नेताओं को बताया चूंकि पिछले सत्र में यह मांग की गई थी और श्री राम नाईक द्वारा भी यह मांग की गई थी कि इस विधेयक को पारित करने से पहले माननीय मंत्री महोदय को सम्बन्धित सदस्यों से परामर्श कर लेना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस विधेयक को पारित करने के संबंध में एक प्रकार का विरोध भी है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे माननीय सदस्यों तथा विभिन्न दलों के नेताओं से परामर्श करेंगे। चूंकि उच्चतम न्यायालय ने इसे पहले ही 30 जुलाई तक स्थगित कर दिया है, इसलिए परामर्श की प्रक्रिया उस तिथि से पहले ही समाप्त हो जाएगी और परामर्श के बाद जो कुछ भी सम्भव होगा, सरकार निश्चय ही उस पर कार्य करेगी।

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : सभापति महोदय, मैंने विशेषाधिकार भंग का नोटिस दिया है, उस पर क्या विचार हो रहा है ? मैंने नोटिस दिया है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : शून्यकाल के लिए 49 सदस्यों ने विभिन्न विषयों पर पूर्वसूचना दी है। आप समझ सकते हैं कि सभी को बुलाना कितनी असम्भव बात है। आप कृपया धैर्य रखिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : यह प्रिविलेज पर है, आप जीरो ऑवर पर बता रही हैं।

श्री लालमुनी चौबे : महोदय, मैंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की नोटिस दी है।

मैंने प्रिविलेज नोटिस दिया है। उसके बाद ही शून्य काल लिया जाएगा।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : उन्होंने पृथक विशेषाधिकार सूचना दी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या उन्होंने कोई विशेषाधिकार सूचना दी है ?

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : सभापति महोदय, मेरा भी बड़ा सवाल है और इस समय बड़े सवाल पर ही चर्चा हो रही है। सदन में 10-10 साल के सवाल आज उभर रहे हैं। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप किसलिए चिल्लाते हैं ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया हमें शून्य काल आरम्भ करने दीजिए। यदि आपने विशेषाधिकार सूचना दी है तो आपकी पूर्वसूचना भी अध्यक्ष महोदय के पास विचाराधीन है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : ये चिल्ला नहीं रहे हैं, रिक्वैस्ट कर रहे हैं।

श्री लालमुनी चौबे : सभापति महोदय, यह नैचुरल है, मेरे वश की बात नहीं है। मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, इसे सामान्य माना जाए। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : नीतीश जी, क्या हुआ ? ये नो कहते हैं, वे यस कहते हैं, क्या करना है ? ... (व्यवधान)

श्री लालमुनी चौबे : यह मामला प्रिविलेज का है, यह मैंने नोटिस दी है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : चलो शून्यकाल आरम्भ करते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : नहीं, मैं चाहता हूँ कि नोटिस पर फैसला होने के पहले जैसे सदस्यों को यहाँ मौका दिया गया है। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : अभी नहीं होगा। वह स्पीकर के पास प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद देखेंगे।

श्री लालमुनी चौबे : मेरी प्रिविलेज की बात तो सुन ली जाए कि मेरा नोटिस क्या है, मैंने दिया क्या है। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका नोटिस है, वह स्पीकर साहब के पास प्रोसेस हो रहा है।

श्री लालमुनी चौबे : नहीं, महोदय, ऐसा न करें। मैंने प्रधान मंत्री पर सदन को गुमराह करने की नोटिस दी है और उस बात को सुना जाना चाहिए।

सभापति महोदय : जो भी आप नोटिस देंगे, वह स्पीकर के पास रहेगा।

श्री लालमुनी चौबे : वह इस सदन में हुआ है। मैं इस सदन की घटना का उल्लेख कर रहा हूँ कि खाड़ी युद्ध के समय ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : उल्लेख भी आप बाद में कीजिए।

श्री लालमुनी चौबे : सब के लिए नहीं था ? कल दासमुंशी जी ने नोटिस दी, उस पर सुना गया। आज सुना गया। उसके पहले सुना गया और जब मैं ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह सभा की राय से किया गया था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : मुझे अपनी बात कह लेने दी जाए, जो मैंने नोटिस में दिया है। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : सभी तो कहते हैं।

श्री लालमुनी चौबे : मैं यह कह रहा हूँ कि अगर सब के अधिकार हैं तो मैं यह कह रहा था कि इस सदन में जो कुछ बातें हुई हैं ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं अपनी बात कह रही हूँ। आप बैठ जाइए।

[हिन्दी]

आप बैठिए। मैं खड़ी हुई हूँ, आप चुप से बैठें। श्रीमती रीता वर्मा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, आप बैठिए।

श्री लालमुनी चौबे : क्या आप मेरी ऊंची आवाज से गुस्से में हैं ?

सभापति महोदय : अभी आप बैठिए। जो भी जानकारी होगी, वह बाद में होगी। अभी आप बैठिए।

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : हो सकता है कि किसी का कपड़ा पहने देखकर गुस्से में आना, किसी की खड़ी आवाज से आपका गुस्से में आना,

यह मेरे स्वयं के विशेषाधिकार का हनन होता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपसे बैठ जाने का अनुरोध कर रही हूँ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे उम्मीद है, अब तक आप समझ गए होंगे पीठासीन अधिकारी को धमकाना कितना कठिन है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : मैं यही कह रहा हूँ कि क्या आप इसलिए गुस्से में हैं कि मेरी ऊंची आवाज है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्त में कुछ भी नहीं जा रहा है।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि बिहार में जिस तरह से संवैधानिक व्यवस्था और कानून के शासन पर बिहार की सरकार की तरफ से लगातार कुठाराघात किया जा रहा है, कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं ... (व्यवधान) इनकम टैक्स अधिकारी को परेशान किया गया और उसे डराया-धमकाया गया ... (व्यवधान) उनसे लिखवाया गया कि वे इस मामले की छानबीन नहीं करेंगे ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठिए, मैं एक-एक को बुलाऊंगी।

[अनुवाद]

कृपया ऐसे नहीं करिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप क्या कर रही हैं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया माफ कीजिए। आप सत्तारूढ़ दल से संबंध रखते हैं और आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। कृपया ऐसा मत करिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सभी एक साथ क्यों शोर मचा रहे हैं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 12.33 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए
अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.12 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा
अपराह्न 2.12 बजे पुनः समवेत हुई।

* कार्यवाही वृत्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

(श्री बसुदेव आचार्य पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : आज शून्यकाल का क्या होगा ?

सभापति महोदय : आज शून्यकाल नहीं होगा।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, क्या आप हमें कल अनुमति देंगे ? हम रोज नोटिस दे रहे हैं। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : जी हाँ। इसमें क्या कठिनाई है। आपको कल अनुमति दी जाएगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : महोदय, जीरो ऑवर का समय दीजिए।

सभापति महोदय : कल जीरो ऑवर का पूरा समय मिल जाएगा।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : महोदय, एक घंटा जीरो ऑवर तो चलना चाहिए था।

सभापति महोदय : कल जीरो ऑवर चलेगा। मंडल जी, आप तो रोज बोलते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अभी बिहार को मौका नहीं मिलेगा। अभी 377 चल रहा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम, नियम 377 के अधीन मामले लेंगे। श्री हंसराज अहीर।

अपराह्न 2.14 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) महाराष्ट्र के गडचिरोली जिले में बेहतर डाक सेवाओं के लिए प्रधान डाकघर खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हंस राज अहीर (चन्द्रपुर) : सभापति महोदय, महाराष्ट्र का गडचिरोली जिला पिछड़ा और आदिवासी बहुल क्षेत्र है। विकास कार्यों में गति लाने के लिए चंद्रपुर से विभाजित कर 1982 में अलग जिला बनाया गया। लेकिन आज तक यहां पर प्रधान डाकघर नहीं दिया गया है। यहां की डाक सेवा चंद्रपुर प्रधान डाकघर से संचालित होती है। इस कारण यहां की डाक सेवा में अव्यवस्था व्याप्त है। यहां की डाक सेवा में कमियों के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़

[श्री हंस राज अहीर]

रहा है। आज भी यहां के दुर्गम भागों में पत्रों का न बंट पाना एक आम समस्या है। इस वजह से अनेकों बेरोजगार और नागरिकों को महत्वपूर्ण उपलब्धियों से हाथ धोना पड़ता है। नक्सली प्रभावित इस क्षेत्र में डाक सेवा समुचित ढंग से उपलब्ध कराना इस क्षेत्र को विकास की आम धारा से जोड़ने के लिए अति आवश्यक है।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि यहां के अति दुर्गम भागों में सधे डाकघर खोलने तथा जिला प्रधान डाकघर अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं।

(दो) मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में खनिज अयस्क पर आधारित उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री विश्वेश्वर भगत (बालाघाट) : मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला उद्योग-विहीन जिला है। जिले में प्रचुर मात्रा में मैग्नीज और ताम्बा उपलब्ध है इसके साथ ही इस जिले में ग्रेनाइट, चूना पत्थर, डोनामाईट आदि खनिज पदार्थ और सागौन और सागवान की लकड़ी और अच्छे किस्म का बांस उपलब्ध है। उपरोक्त चीजें होते हुए भी यहां पर कोई उद्योग नहीं है जिसके कारण यहां पर बेरोजगार काफी हैं और लोग दूसरे क्षेत्रों में रोजगार हेतु पलायन कर जाते हैं तथा जिसके कारण आज देश में विकास संबंधी असंतुलन है। यहां पर कच्चे माल के आधार पर पेपर मिल, शुगर मिल और अन्य मिनरल आधारित उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करवाए और केन्द्र और राज्य की सहायता से उद्योगों की स्थापना कर इस पिछड़े क्षेत्र का विकास करने में सहयोग प्रदान करें।

(तीन) आलू के निर्यात और देश के भीतर उसे लाने ले जाने पर लगे प्रतिबंध की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि (कांटाई) : महोदय, इस वर्ष पश्चिम बंगाल में आलू का उत्पादन बहुत अधिक रहा है जिसकी मात्रा लगभग 70 मिलियन टन है। राज्य में उपलब्ध प्रशीतन भंडारण क्षमता कुल उत्पादन के आधे हिस्से को भी रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अपने उत्पाद का संरक्षण न कर सकने के कारण किसान 60-65 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बाजार में आलू बेचने पर विवश हैं जो कि वास्तविक उत्पादन लागत से कहीं कम है। राज्य सरकार बहुत कठिन स्थिति में है। राज्य सरकार भी भंडारण-क्षमता के अभाव में लाभप्रद मूल्य देकर खरीद करने की स्थिति में नहीं है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने आलू के निर्यात और पश्चिम बंगाल से अन्य राज्यों को आलू ले जाने पर रोक लगा रखी है। हमारा पड़ोसी देश बंगलादेश, हमारे देश से आलू खरीदना चाहता है। अतः आलू के निर्यात तथा देश के अन्य राज्यों में आलू लाने ले जाने पर लगी रोक को हटाने से पश्चिम बंगाल के आलू उत्पादकों को कुछ राहत मिल सकेगी।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह आलू निर्यात और देश में आलू लाने ले जाने पर लगी रोक से संबंधित सभी पहलुओं की तत्काल समीक्षा करें और पश्चिम बंगाल के आलू उत्पादकों के हितों

की रक्षा हेतु आलू के निर्यात पर लगी रोक हटाएं।

(चार) तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में टेलीफोन कनेक्शनों के आवेदकों की बकाया सूची समाप्त किए जाने की आवश्यकता

श्री एन. डेनिस (नागरकोयल) : महोदय, तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिला के नागरकोयल, पेनकुलम, कारंगल, नेययूर, कोलेनकोड, अरूमनै, कुलशेखरम और थुचालै टेलीफोन एक्सचेंजों में आवेदकों की लम्बी प्रतीक्षा सूची है। दूर संचार विभाग ने जिला कन्याकुमारी के मुख्यालय नागरकोयल के लिए 10 हजार लाइनों की एक नई प्रौद्योगिक प्रणाली स्वीकृत की है। परन्तु अभी तक यह कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। इसलिए आवेदकों की सूची इतनी लम्बी हो गई है। हालांकि दूरसंचार प्राधिकरणों द्वारा यह कहा गया था कि नए प्रौद्योगिक उपकरण और रिमोट स्विचिंग यूनिट (आर. एस. यू.) प्रदान किए जाएंगे लेकिन इसे कार्यान्वित नहीं किया गया क्योंकि एक्सचेंजों के बीच ऑप्टिक फाइबर और माइक्रोवेव मीडियम लिंकेज नहीं मिला। दूरसंचार विभाग ने पेनकुलम और नेययूर एक्सचेंजों के विस्तार के लिए प्रबंध करने की भी घोषणा की है। लेकिन इस संबंध में कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि वह नई प्रौद्योगिकी तथा अन्य उपकरण उपलब्ध कराने के लिए धनराशि आवंटित करके नागरकोयल, पेनकुलम, कारंगल, नेययूर, कोलेनकोड, अरूमनै, कुलशेखरम और थुचालै एक्सचेंजों के विस्तार हेतु तत्काल आदेश जारी करे ताकि आवेदकों को टेलीफोन दिए जा सकें।

(पांच) असम में माकुम-डंगोरी सेक्शन पर आमान परिवर्तन का कार्य शीघ्र आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

डॉ. अरूण कुमार शर्मा (लखमीपुर) : माकुम-डंगोरी सेक्शन, मीटर गेज रेल लाइन का 30 किलोमीटर का एक टुकड़ा है जो 1881 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई 80 किलोमीटर लम्बी डिब्रू-सादिया रेल लाइन का हिस्सा है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की पहली रेलवे लाइन होने के कारण यह लाइन ऐतिहासिक तथा भावनात्मक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह असम और अरुणाचल प्रदेश के इस सुदूर हिस्से में आधुनिक परिवहन का सबसे पुराना साधन था।

तिनसुखिया नगर के विकास और दिल्ली जाने वाली गाड़ियों के लिए रेलवे टर्मिनल बनाए जाने के पश्चात् डंगोरी और माकुम के बीच 30 किलोमीटर का यह टुकड़ा उपेक्षित हो गया। हाल ही में जब पूर्वोत्तर रेलवे ने इस लाइन को समाप्त करने और इसे तोड़कर बेचने का प्रयत्न किया तो लोगों में काफी आक्रोश था। जब देश ने अपने सभी केन्द्र शासित संघों में "परियोजना एक समान अमान" को अपनाया है तो केवल 30 किलोमीटर मीटर गेज लाइन रहने देना ठीक नहीं है।

अतः मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि चालू वर्ष के दौरान अनुपूरक बजट में पर्याप्त धनराशि आवंटित कर इस हिस्से के अमान परिवर्तन का कार्य शीघ्र आरम्भ कराएँ चूंकि इस भाग को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण कार्य आठवीं पंचवर्षीय योजना में ही समाप्त हो गया था।

(छह) कोटा और भोपाल के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी सेवा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सभापति महोदय, सौ वर्ष से राजस्थान के कोटा नगर से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली रेलवे लाइन पर सेंट्रल रेलवे के तहत तीन जोड़ी गाड़ियां वर्तमान में चल रही हैं। वे हैं, कोटा-भोपाल, कोटा-बीना एवं कोटा-दामोह, ये तीन गाड़ियां लोकल गाड़ियां हैं जिन के कारण सौ किलामीटर का सफर कोटा-भोपाल का 18 से 20 घंटों में पूरा किया जाता है जबकि बस आठ से दस घंटे में भोपाल पहुंचाती है। मैं लगातार इन तीन जोड़ी गाड़ियों में से एक गाड़ी को एक्सप्रेस गाड़ी के रूप में चलाने की मांग कर रहा हूँ लेकिन इस एक्सप्रेस गाड़ियों को नहीं चलाया गया।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कोटा-भोपाल गाड़ी को तेज गति की गाड़ी के रूप में चलाया जाए।

(सात) देश में विशेषकर गुजरात में समुद्र तटीय क्षेत्र में तस्करी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया (जूनागढ़) : सभापति महोदय, गुजरात के अंतर्गत कच्छ सौराष्ट्र के समुद्री किनारों पर कस्टम पुलिस तथा नेवी पैट्रोलिंग होने के बावजूद भारी मात्रा में हमारे देश में हशीश, हेरोइन, विस्फोटक पदार्थ तथा रुपयों की तस्करी हो रही है। तय्यहारों के दौरान यह तस्करी और अधिक पैमाने पर बढ़ जाती है। दो-तीन महीने पहले पोरबन्दर में जहाजों को सिगनल देने वाली लाल बत्ती के सामने समुद्र के किनारे आधी रात को लाल रंग की पाकिस्तान की बोट लावारिस हालत में मिली थी। उस बोट से खलासी तथा अन्य कर्मचारी फरार हो गए थे। पोरबन्दर में सुभाषनगर के समुद्र के किनारे छोटी नाव द्वारा कुछ बक्से उतार लिए गए लेकिन उनके बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल पाया।

अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि समुद्र के किनारे हमारे देश से जो तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है, उसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं तथा पैट्रोलिंग सघन बनाई जाए।

(आठ) महाराष्ट्र के कराड़ और सतारा में रेलवे स्टेशन के भवनों का नवीकरण कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री पुष्पवीराज दा. चव्हाण (कराड़) : सभापति महोदय, रेल मंत्री ने दक्षिण मध्य रेलवे के कराड़ और सतारा रेलवे स्टेशनों की इमारतों का नवीनीकरण करने के लिए आधारशिला रखी थी। किन्तु यह कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कराड़ और सतारा रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए।

अपराह्न 2.26 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

कपड़ा उद्योग की समस्याएं

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, सभा कपड़ा उद्योग की समस्याओं के संबंध में आगे चर्चा करेगी। श्री मधुकर सरपोतदार अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, कल मैंने एक समाचार उद्धरित किया था जिसमें 120 कपड़ा मिलों के बंद होने के संबंध में एक समाचार प्रकाशित हुआ था। आज मैंने फिर एक समाचार पढ़ा है जिसमें कहा गया है : '70 कपड़ा मिलें बंद करने का फैसला', इसलिए 120 कपड़ा मिलों में से उन्होंने 70 मिलों को बंद करने का पहले ही निर्णय ले लिया है जिसके परिणामतः लगभग 50,000 श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमें सरकार की इस पूरी नीति पर फिर विचार करना होगा कि सरकार इन श्रमिकों के लिए क्या करेगी ?

महोदय, यदि आप उद्योगों की ओर देखें तो आप देखेंगे कि उद्योग घाटे में नहीं चल रहे थे। इसके विपरीत, रिपोर्टों के अनुसार, यह उद्योग भारी लाभ अर्जित कर रहा था। मुझे नहीं मालूम कि यह क्या हो गया कि यह उद्योग रुग्ण हो गया। अधिकांश मिल मालिकों ने अपनी मिल बंद कर दी और मामले को बी. आई. एफ. आर. के सुपुर्द कर दिया। उन्होंने आगे की कार्यवाही आरम्भ की क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि मजदूर कोऑपरेटिव सोसायटी आधार पर मिल चलाने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए उन्होंने इसका एक हल निकाला कि मिलों की ज़मीन को बेच दिया जाना चाहिए और उससे जो धनराशि प्राप्त हो उसका इस्तेमाल आवास तथा कुछ अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाना चाहिए।

कल भी, आपने कहा था कि यूनियन इस बात के पक्ष में है और वह उद्योग को भूमि बेचने की अनुमति दे रहे हैं। लेकिन क्या यह यूनियन यह गारंटी देगी कि जो धनराशि मिल मालिकों अथवा सरकार द्वारा एकत्र की जाएगी उसका इस्तेमाल श्रमिकों की बेहतरी के लिए किया जाएगा ? प्रश्न यह है। मजदूर मिल मालिकों की ओर से आश्वस्त नहीं हैं ? अपने पिछले 50 वर्ष तथा इससे अधिक अनुभव को देखते हुए, मजदूर उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। इसलिए महाराष्ट्र में ज़मीन बेचने का प्रश्न ही नहीं उठता जब तक कि कोई आगे नहीं आता और प्रस्ताव का मूल्यांकन नहीं करता।

यदि भूमि बिक जाती है तो वह पैसा कहाँ जाएगा ? केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार को मिल मालिकों से इस बात की गारंटी ले लेनी चाहिए कि भूमि को बेचने से प्राप्त धन को मजदूरों के बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा जिन कर्मचारियों ने त्यागपत्र दे दिया है उनकी देय राशि को स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए। उनको यह गारंटी भी देनी चाहिए कि जो कर्मचारी उसी उद्योग में काम करते हैं उनको काम दिया जाएगा और उन्हीं मिल मालिकों द्वारा उनका

[श्री मधुकर सरपोतदार]

अच्छी तरह ध्यान रखा जाएगा। उद्योग का आवश्यक विकास काम का स्तर, कपड़े की गुणवत्ता इत्यादि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तत्पश्चात् वे वहां वर्षों तक कार्य करते रहेंगे ताकि उन्हें बार-बार इसी समस्या का सामना न करना पड़े। यदि कोई इस तरह की गारंटी देने के लिए तैयार है तो निश्चय ही मजदूर भूमि बेचने में रुकावट नहीं बनेंगे। लेकिन अब मजदूर मिल-मालिकों के इरादे के प्रति आशंकित हैं। इसलिए मजदूर भूमि बेचने तथा धन एकत्रित करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि धन का उपयोग सही तरीके से नहीं किया जाएगा।

महोदय, मुम्बई, कारनावती-कर्नाटक, कानपुर, कलकत्ता और शोलापुर में कपड़ा उद्योग हैं। वे सभी कपड़ा उद्योग के केन्द्र हैं। लेकिन सभी जगह लाखों मजदूर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इसे कैसे रोका जाए, यह एक बड़ी समस्या है और सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। कल महाराष्ट्र से मेरे एक मित्र श्री धोराट ने लक्ष्मी-विष्णु कॉटन मिलों, शोलापुर का हवाला दिया था। मेरा प्रश्न यह है कि उस मिल में सरकार को, विद्युत प्राधिकरण को, भविष्य निधि में ₹. एस. आई. को और अन्य सभी को कितना धन अदा करना है। जब तक वे करोड़ों ₹. न दे दें, इस मिल को चलाने की कोई सम्भावना नहीं है। सरकार इन मिल मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। यदि कोई मजदूर छोटी-सी गलती करता है तो तत्काल एक आरोप-पत्र जारी कर दिया जाता है, जांच होती है और उसको मिल से निकाल दिया जाता है। यदि कोई मिल और फैक्ट्री जिसमें हजारों लोग काम करते हैं, रुग्ण हो जाती है और बंद हो जाती है तो किसी मिल मालिक के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाती है। इस देश में यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। काफी धन घोटालों तथा भ्रष्टाचार में समाप्त हो गया है। यदि आप आज इस देश की स्थिति का जायज़ा लें तो आप देखेंगे कि एक समानान्तर अर्थव्यवस्था कार्य कर रही है। उस समानान्तर अर्थव्यवस्था में काला धन नियमित आर्थिक नीति पर हावी हो गया है। हम इन लोगों को अपील कर रहे हैं कि जो लोग कर की चोरी करते हैं उन्हें अपनी आय का 30 प्रतिशत जमा करने पर उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा और उनके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी। इससे हम कर की चोरी करने वालों और ईमानदार कर दाताओं को एक ही स्तर पर ला रहे हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसका अर्थ यह है कि हम कर चोरी करने वालों को बढ़ावा दे रहे हैं कि अधिक से अधिक कर की चोरी करें। हम करदाताओं को कर न देने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था इस तरह से कार्य कर रही है।

महोदय, वे श्रमिकों पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना स्वीकार करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। यह मिल मालिक स्वयं ही सारी ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने श्रमिकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अपनी देय राशि ले जाने के लिए दबाव डालना आरम्भ कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, उसके परिणामस्वरूप स्वर्गीय सुनीत खटाओ और स्वर्गीय ठक्कर की उसी गिरोह द्वारा हत्या कर दी गई थी। डॉ. सामन्त की हत्या भी इसी तरह की गई थी। यहां काफी शोर था। लेकिन यह शोर किसके विरुद्ध है ? इस मामले की गहराई

में बिना जाए, बिना सबूत एकत्रित किए, पूरी जानकारी एकत्रित किए बिना लोग कुछ आरोप लगा रहे हैं। यह बहुत हैरान कर देने वाली बात है। जब भी हम कामगार वर्ग के लिए कार्य करते हैं तो यह हमारी पूरी जिम्मेवारी होती है कि हम उसका अच्छी तरह विश्लेषण करें और देखें कि किस तरह से कार्य किया जा रहा है जब तक हम मामले की पूरी जांच नहीं करेंगे तो गलत व्यक्तियों पर अनावश्यक आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है और वास्तविक मुलाजिमों को बच निकालने दिया जाता है। यदि अब भी वे कुछ करना चाहते हैं तो वे फिर किसी की हत्या करेंगे, केवल इसलिए क्योंकि पैसा चमत्कार कर सकता है। वह लोग यह खेल-खेल रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है।

जहां तक बी. आई. एफ. आर. का संबंध है यह एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत मिल मालिक आप्रय लेते हैं। यदि कोई उद्योग दो-तीन वर्ष तक रुग्ण रहता है तो मामला बी. आई. एफ. आर. के सुपुर्द कर दिया जाता है। एक बार मामला यदि बी. आई. एफ. आर. के सुपुर्द हो जाता है तो अनेक बैठकें होंगी। प्रत्येक को मुम्बई तथा अन्य स्थानों से यहां आना पड़ता है। श्रमिकों तथा युनियनों के प्रतिनिधियों को दिल्ली आकर अपना पक्ष रखने में कठिनाई होती है। उसके बाद क्या होता है ? मिल मालिकों को भविष्य निधि, ₹. एस. आई., बिक्री कर तथा अन्य करों में छूट मिल जाती है। तत्पश्चात् बी. आई. एफ. आर. इसमें अपना समय लेता है और अन्ततः श्रमिकों को ही नुकसान होता है।

मिलों की रुग्णता अनेक आनुवंशिक उद्योगों पर भी निर्भर करती है। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि जो मशीनरी स्टोर, रसायन आदि में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी कपड़ा मजदूर पर प्रत्यक्ष निर्भरता 10:5 की होगी। मिलें बंद होने के कारण, 50 लाख परिवारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कपड़ा उद्योग में पिछले चार दशकों के दौरान चमत्कारिक विकास हुआ है। मुझे नहीं मालूम अचानक उन्हें क्या हो गया है।

अब उन्होंने उद्योग बंद करना आरम्भ कर दिया है। मेरी समस्या यह है कि जब मैं इस विषय के संबंध में इन सभी रिपोर्टों को तथा तुलनात्मक रिपोर्टों को पढ़ता हूं तो मैं यह देखता हूं कि मिलों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं रिपोर्ट से एक अंश पढ़ूंगा :

“कपड़े का उत्पादन और रोज़गार सृजन :—अनेक वर्षों से संगठित मिल क्षेत्र में कपड़ा बुनने की क्षमता रुक गई है। कपड़ा नीति 1985 के अनुसार कपड़ा क्षेत्र में सृजन क्षमता पर प्रतिबंध हटा देने के बाद स्थिति बदल गई है। वर्ष 1994-95 में मिल क्षेत्र में कपड़े का उत्पादन 1779 मिलियन स्क्वेयर मीटर था जबकि वर्ष 1993-94 में कपड़े का उत्पादन 1990 मिलियन स्क्वेयर मीटर हुआ था। मिल क्षेत्र में कपड़े का उत्पादन वर्ष 1995-96 में 1634 मिलियन स्क्वेयर मीटर होने का अनुमान लगाया गया है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान हथकरभा क्षेत्र तथा विद्युत करषा क्षेत्र के मिल क्षेत्र में कपड़े के उत्पादन के आंकड़े परिशिष्ट-X (पी. आर.) में दिया गया है। 31.10.95 के अनुसार सूती कपड़ा उद्योग में रोज़गार 10.43 लाख था।”

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री मधुकर सरपोतदार : दो या तीन बातें रह गई हैं। उनका

उल्लेख करने के बाद मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। अन्त में कोई यह पूछ सकता है कि राहत क्या है, विकल्प क्या है और इस समस्या से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना है और वह प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है। श्रमिकों को बेरोजगारी की तरफ धकेलने और उद्योग में 25 से 40 वर्ष तक की नौकरी कर लेने के बाद उन्हें एक-एक वर्ष तक के लिए परेशानी में डालने की बजाय सरकार को और क्या करना चाहिए ? यदि श्रमिकों को अतिरिक्त करार दे दिया जाता है और यदि उनके पास काम नहीं है और यदि आज उनकी कोई आय नहीं है तब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए ? इस पर विचार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय : आप तीन बजे होने वाली बैठक में यह सुझाव दे सकते हैं जिसमें आप भाग लेने जा रहे हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में जाने दीजिए। मैं एक प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा ताकि कल कोई यह न कहे कि मैं समय की कमी के कारण प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सका। भूमि बेचने से कितनी मिलों को बचाया जा सकता है ? यह पहला प्रश्न है।

अगला प्रश्न यह है कि भूमि कौन बेचेगा और धन की रक्षा कौन करेगा।

तीसरा, धन मिल मालिकों के हाथों में नहीं जाना चाहिए।

मिलों का विकास होना चाहिए और श्रमिकों को तत्काल रोजगार देना चाहिए। सेवानिवृत्त होने वाले बीमार, सेवानिवृत्त अथवा मृत श्रमिकों की वैध देयराशि अदा की जानी चाहिए तथा इन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए।

भूमि बेचने से पहले यह बहुत ज़रूरी है कि सरकार इस समस्या पर सही तरीके से गौर करे और धन एकत्रित करे और धन एकत्रित करने के बाद, जो भी भूमि है, जो भी धन एकत्रित हुआ है, चाहे वह करोड़ों रुपए हों जो भूमि बेच कर एकत्रित किया गया हो, वह धन श्रमिकों की गारंटी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और केवल तभी हम सच्चे अर्थों में श्रमिकों के साथ न्याय करेंगे जो कि वर्षों से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से इस उद्योग में कार्य कर रहे हैं। इन सभी मिल मालिकों ने इन वर्षों के दौरान इन मिलों का पैसा कहीं और उपयोग किया है। उनका पैसा कहीं और इस्तेमाल किया गया है और इन मिलों को रुग्ण कर दिया गया है। उन्होंने मिलों के विकास तथा आधुनिकीकरण और श्रमिकों को रोजगार देने पर ध्यान नहीं दिया। इस स्थिति के शिकार श्रमिक हो रहे हैं और कामगार वर्ग को बचाने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि जो भी धनराशि एकत्रित हो उसे श्रमिकों के विकास और कल्याण योजनाओं पर खर्च किया जाना चाहिए।

अतः मैं श्री आर० एल्० जालप्पा से अनुरोध करता हूँ, चूंकि वे इन मामलों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं, कि वे इस समस्या पर गौर करें। उन्हें श्रमिकों के साथ सहानुभूति है। लेकिन केवल सहानुभूति के शब्दों से ही समस्या हल नहीं हो जाएगी। वास्तविक सहानुभूति तथा समस्या का हल बहुत आवश्यक है।

मुझे उम्मीद है कि सरकार इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करेगी।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : सभापति महोदय, कपड़ा उद्योग बीमार है, इसके बारे में तो सभी एकमत हैं, कोई दो राय नहीं हैं लेकिन कपड़ा उद्योग की स्थिति के बारे में, जैसे एक हाथी और कुछ अंधे लोगों की कहानी है कि किसी ने हाथी के पैर को छूकर अंदाजा लगाया, किसी ने उसके कान छूकर अंदाजा लगाया, किसी ने पूंछ छूकर अंदाजा लगाया, किसी ने उसके पेट को छूकर अंदाजा लगाया, सभी को हाथी अलग-अलग प्रकार का प्रतीत हुआ, उसी तरह मुझे लगता है कि टैक्सटाइल मिलों की बीमारी का विश्लेषण अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग ढंग से हुआ है।

अपराह्न 2.41 बजे

(श्री चित्त बसु पीठासीन हुए)

इसमें एक बात महत्व की है कि टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज का रूप अलग-अलग है। कई जगह नेशनल टैक्सटाइल मिलें हैं, कई जगह राज्य सरकार के अंतर्गत चलने वाली टैक्सटाइल मिलें हैं, कई जगहों पर लिमिटेड कम्पनीज की टैक्सटाइल मिलें हैं, कई जगहों पर पार्टनरशिप आधार पर चलने वाली टैक्सटाइल मिलें हैं और कई जगहों पर कोआपरेटिव सैक्टर में चलने वाली टैक्सटाइल मिलें हैं। इसीलिए इन सभी टैक्सटाइल मिलों की बीमारी के कारण अलग-अलग हैं, जिसे देखते हुए, इस चर्चा में मेरा पहला सुझाव है कि केन्द्रीय टैक्सटाइल मिनिस्ट्री देश की तमाम टैक्सटाइल मिलों के स्वरूप के बारे में एक स्टेटस रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करे जिसमें स्पष्ट किया जाए कि किस टैक्सटाइल मिल में क्या स्थिति है, वहां कितने मजदूर हैं, उसकी बीमारी के क्या कारण हैं और उसे कैसे सुधारा जा सकता है।

[अनुवाद]

भारत में कपड़ा मिलों की वास्तविक रिपोर्ट सभा में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

उसके आधार पर, मैं समझता हूँ कि यह चर्चा ज्यादा सार्थक हो सकेगी और इसी भूमिका में सरकार को स्टेटस पेपर तैयार करना चाहिए, यह मेरी पहली मांग है।

मेरा दूसरा सुझाव है कि सामान्यतः लोक सभा के चुनाव, अगर हमारे कांग्रेसी मित्र फिर से कोई गड़बड़ी पैदा न करें, निकट भविष्य में आने वाले नहीं हैं और न असम्बली के चुनाव आने वाले हैं, अन्यथा चाहे मुम्बई की टैक्सटाइल मिलें हों, अहमदाबाद की टैक्सटाइल मिलें हों या कानुपर की टैक्सटाइल मिलें हों, आमतौर से, उनमें मजदूर किस तरफ वोट देगा, उसके आधार पर फैसला लिया जाता है यानी पोलिटिकल डिजीजन्स होते हैं, जिनमें कोई व्यावहारिकता नहीं होती। अब चूंकि निकट भविष्य में कोई चुनाव आने वाले नहीं हैं इसलिए मुझे लगता है पोजिटिव दृष्टिकोण से, नॉन-पोलिटिकल दृष्टिकोण से, मजदूरों के हित के दृष्टिकोण से, इस समस्या पर विचार होना चाहिए।

9 मई, 1997 को लोक सभा में मेरा एक प्रश्न स्टेट टैक्सटाइल

[श्री राम नाईक]

कापेरेशन के संबंध में लगा था जिसमें मैंने पूछा था कि—

[अनुवाद]

“क्या सरकार जानती है कि बी. आई. एफ. आर. ने महाराष्ट्र राज्य कपड़ा निगम (एम. एस. टी. सी.) को बंद करने का नोटिस जारी किया है;

उसके उत्तर में मुझे बताया गया था, कपड़ा मंत्री ने कहा :

“मामले के सभी संबंधित तथ्यों तथा स्थितियों पर विचार करते हुए बी. आई. एफ. आर. की प्रथम दृष्टया राय यह है कि अनिवार्य है कि महाराष्ट्र राज्य कपड़ा निगम लिमिटेड (एम. एस. टी. सी.) को बंद किया जाए।”

[हिन्दी]

जैसे प्रेजिडेंट किसी को फांसी पर चढ़ाते हुए आर्डर करता है कि—‘राष्ट्रपति सहर्ष इस व्यक्ति को फांसी पर लटकाने का आदेश देता है’—उसी प्रकार से अगर आप टेक्सटाइल मिलें बंद करेंगे, तो आपका वह दृष्टिकोण मुझे लगता है कि इक्विटेबल एंड जस्ट नहीं है, उचित नहीं है और इस भूमिका में सभी प्रश्नों पर विचार किया जाना चाहिए।

मुझसे पहले कई वक्ताओं ने जो सुझाव दिए, मैं उन्हें दोहराकर सदन का समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि जिस तरह यहां कहा गया कि देश का 20 परसेंट औद्योगिक उत्पादन ही टेक्सटाइल मिलें नहीं देती हैं बल्कि दो करोड़ लोगों को नौकरी देती हैं, देश के कुल एक्सपोर्ट का 38 परसेंट भाग, इस इंडस्ट्री के बीमार होते हुए भी, इससे आता है। देश के निर्यात का कुल 38 प्रतिशत भाग कपड़ा निर्यात के रूप में होता है। इस भूमिका पर विचार करते समय, एक महत्व की बात और सामने आती है कि क्या कपड़े के ग्राहकों की देश में कमी हो गई या कपड़े की डिमांड में कमी आ गई है—ऐसा नहीं है। न तो ग्राहकों की देश में कमी हुई है और न कपड़े की डिमांड कम हुई है उल्टे ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को कपड़ा चाहिए, इसलिए ग्राहक बहुत हैं, उनकी कमी नहीं है और इसके कारण कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री बीमार नहीं हुई लेकिन बीमारी, मुझे लगता है कि व्यवस्थापन की है।

अब सवाल है कि व्यवस्थापन की इस बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है, यदि सरकार ने सारे देश के साथ न्याय करना हो, देश के प्रमुख उद्योग के साथ, मजदूरों के साथ, जैसी संस्कृत में कहावत है—योजकः तत्र दुर्लभः—यानी कोई योजना बनाने वाला चाहिए, कोई दिल लगाकर काम करने वाला चाहिए, इसलिए आज की इस चर्चा में, मैं मंत्री महोदय से अपेक्षा करता हूँ कि एक योजक के नाते, वे अच्छे ढंग से काम करें, वह ज्यादा महत्व का है। यही महत्व का रहेगा।

टेक्सटाइल इंडस्ट्री की यह दुर्दशा क्यों हुई है ? मेरे दृष्टिकोण से इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इरिस्पॉसिबल यूनियन लीडरशिप। डॉ. दत्ता सामंत के बारे में अभी सरपोतदार जी ने कहा। मैं भी मुंबई शहर से आता हूँ और 1980-81-82 में टेक्सटाइल की जो स्ट्राइक हुई, वह अपने आप में सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बरबाद करने वाली रही।

लेकिन इसका कारण भी क्या था ? इसका कारण ट्रेड यूनियन की इंटरनल कंट्रोवर्सी है। वहां राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ नाम की कांग्रेस की यूनियन है। उनके पीछे कोई सदस्य नहीं है लेकिन उनको प्रातिनिधिक यूनियन की मान्यता है। डॉ. दत्ता सामंत के पीछे ज्यादा मजदूर थे लेकिन उनको मान्यता नहीं थी। इसलिए ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री पर हम विचार करें तो यूनियन के बारे में भी एक फैसला करना होगा। कामगारों को, मजदूरों को अपनी यूनियन चुनकर देने का अधिकार होना चाहिए और भूमिका में यूनियन के बारे में जो एक्ट है उसमें भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

दूसरी बात यह है कि जो मालिक हैं, व्यवस्थापन है, वह बहुत स्वार्थी हैं। आज तक उन्होंने बहुत पैसा कमाया। अब धंधे से पैसा कमाने के बदले में मिल सिक करने की भी एक इंडस्ट्री हो रही है। मिल सिक करो और शहर में चलती नहीं कहकर सरकार के पास जाओ, जमीन बेचने की परमीशन मांगो और उससे ज्यादा पैसा कमाओ। उसका भी इसमें एक रोल है।

तीसरा रोल मैं यह कहूंगा कि संवेदन शून्य सरकार। सरकार को कुछ भी नहीं मालूम कि मजदूर क्या करता है, काम करता है या नहीं। उसके साथ कुछ लेना-देना नहीं है। इस प्रकार की सरकार की स्थिति है। हमें इस भूमिका में परिवर्तन लाने की दृष्टि से विचार करना होगा। मैंने राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ का उल्लेख किया। अगर हमारे महाराष्ट्र के कांग्रेस के साथी सदन में होते तो तुरंत समझ जाते कि क्या हो रहा है जिसका थोड़ा-सा उल्लेख सरपोतदार जी ने भी किया है। राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ जिसका एक जमाने में जी. डी. अम्बेकर वगैरह लोगों के हाथ में नेतृत्व था, आज वहां के क्रिमीनल लोगों के हाथ में सारा नेतृत्व है। यानी यूनियन में, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ में रास्ते में ही मारा-मारी, झगड़े होते हैं। इस प्रकार की स्थिति है इसलिए मैं मानता हूँ और फिर से दोहराना चाहूंगा कि मजदूरों को अपनी यूनियन को चुनने का अधिकार देना चाहिए। यदि इस भूमिका में हम कुछ काम करते हैं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो दुर्दशा हो रही है, उसको रोकने का हम कुछ काम कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है।

मंत्री जी आपके खयाल में बात आई या नहीं, मुझे मालूम नहीं। क्या हो रहा है ? टेक्सटाइल मिल जिनका नाम बड़े-बड़े हैं। अरविंद हो, मफत लाल हो, उनका प्रोडक्शन उनकी फैक्ट्री में नहीं हो रहा है। लेकिन जहां-जहां पावरलूम्स हैं और आप पावरलूम्स में जाकर देखिए। पंजाब में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, भिवंडी में जाइए, शोलापुर में जाइए। सारे पावरलूम्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पैदावार करते हैं। जो इतनी बड़ी-बड़ी मिलें हैं उनके नाम से ट्रेड मार्क्स करते हैं। वहां माल तैयार होता है और उनका सेलिंग आर्गनाइजेशन ठीक न होने के कारण वह कपड़ा बनाते रहते हैं लेकिन जहां मिल है वहां उत्पादन नहीं हो रहा है। इस प्रकार की बात है। इसलिए मैंने कहा कि ग्राहक कम नहीं हैं। लोगों को तो कपड़ा बाजार में मिल रहा है। यदि टेक्सटाइल मिलें बंद हो जाती तो उनका प्रोडक्शन भी बंद हो जाता और कपड़े का शॉर्टिज हो जाता लेकिन बाजार में कपड़े का शॉर्टिज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस भूमिका में डायवर्शन हो रहा है। यहां पर मिलें बंद

और आपकी जगह पर पावरलूम के नाते वही ट्रेड मार्क्स से मिले तो यह उचित है ? हम उसमें कैसे परिवर्तन कर सकते हैं ? चलाना है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है ? इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। यह करते समय अगर कोई एक्सप्लाइड होता है तो वह मजदूर होता है क्योंकि यहां का मजदूर तो बेरोजगार हो गया। उसको तन्खाह नहीं मिल रही, ड्यूज नहीं मिल रहे। वहां तो पावरलूम में काम करते हैं उनको जितने वेजेज मिलने चाहिए उतने नहीं मिल रहे। इसलिए एक जगह पर पहले का जो मजदूर है वह बेरोजगार होता जा रहा है और दूसरी जगह पर मजदूरी का एक्सप्लायेशन चल रहा है। वह भी एक स्थिति बनी है।

इसमें जैसा मैंने कहा और मुझे इस बात को दोहराना है कि समस्या का मूल कारण क्या है ? क्रक्स ऑफ दी प्रोब्लम्स यह है कि मिल मालिकों को अपनी मिल बंद करने में ही मुनाफा है, ऐसा लग रहा है। जो मुनाफे में है, वह उत्पन्न क्यों करेगा। यदि मिल बंद करना ही मुनाफे में है तो मिल बंद करने की कोशिश हो रही है। ऐसे समय में सारा ख्याल उस शहर की जमीन पर है। मेरा सरकार से यह कहना है कि जो प्राइवेट मिल बंद करना चाहते हैं, आप उन्हें नेशनलाइज कीजिए। उनको नेशनलाइज करवाकर उनकी जमीन अपने मालिकाना हक में लीजिए और फिर उस जमीन को यूज कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके हाथ में एक शक्ति आएगी और उसके आधार पर आपके पास जो मिल है, उसके बारे में आप विचार कर सकते हैं।

मुम्बई शहर का यह अनुभव रहा है कई मिलों को पहले की कांग्रेस सरकार ने उनकी जमीन बेचकर उससे जो पैसा आया, उसे उपयोग में लाने की परमीशन थी। मेरे पास नाम हैं, सब नाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी कुछ नाम बताना चाहता हूँ जिनमें कमला मिल, न्यू मिल, मॉडर्न मिल, स्टैंडर्ड मिल, श्रीराम, पिरामल, मफतलाल, हिन्दुस्तान आदि हैं। उसमें सरकार ने कंडीशन डाली थी कि जो भी प्रोसीड्स आएंगे, उसमें से एक-तिहाई जो जमीन है, वह हाउसिंग बोर्ड को, हम वहां उसे 'म्हाडा' कहते हैं, महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट, जिसके श्री सर्पोतदार गए सप्ताह अध्यक्ष थे, वह 'म्हाडा' को लोगों के लिए मकान बनाने के लिए देंगे, दूसरी एक-तिहाई वहां की महापालिका का जो सिविक ऐमीनिटीज़ प्रोवाइड करनी हैं, उसके काम के लिए देनी चाहिए और बची हुई एक-तिहाई को बेचकर उसमें से जो मुनाफा आया, उससे रिनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन करने की परमीशन दी गई। उसमें से एक-तिहाई जो मालिक की जमीन है, वह तो बेची गई लेकिन 'म्हाडा' को जमीन नहीं दी गई, उसका घर बनाने का काम आगे नहीं बढ़ा, 'मुंबई महापालिका' को अपना काम करने के लिए कुछ नहीं मिला। इस भूमिका में जो भी कन्सेशंस देने की बात हो रही है, उस पर हम किस प्रकार से कंट्रोल रख सकते हैं, उस बारे में भी विचार करना आवश्यक है।

मैंने यह भी अनुभव किया है कि जो बड़ी-बड़ी मिल्स हैं, सैन्चुरी मिल्स हैं, वे मुंबई में बंद हो गईं लेकिन उन्होंने इंदौर में छोटी मिल शुरू कर दी। मतलब वहां के मजदूर वहीं रह गए। मोरारजी मिल्स, दावानगिरी नागपुर में शुरू कर दी, मफतलाल नवसारी में छोटी मिल शुरू कर दी, ठाकरसी, कराड़ में शुरू कर दी, रूबी मिल्स, खपोली में शुरू कर दी और श्रीराम मिल्स देवास में कर दी। जो बड़ी-बड़ी

मिल्स हैं, दिखाने के लिए वहां का तो सब काम बंद कर देते हैं लेकिन कहीं और छोटी मिल शुरू कर दी, इस प्रकार से दिखाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह मजदूरों के साथ धोखा है। यह धोखे को हम कैसे रोक सकते हैं, यह सोचना हमारा सबसे प्रमुख काम है।

यह कहते हुए मेरा अंतिम मुद्दा यही है कि टैक्सटाइल वर्कर्स रीहबीलिटेशन फंड स्कीम जो बनाई गई, क्या उस स्कीम ने मजदूरों को कुछ दिया है ? वह जो काम हो रहा है, मंत्री जी, क्या आप उससे संतुष्ट हैं, यह बताएं ? यदि संतुष्ट हैं तो मजदूर क्या समझते हैं, वह देखा जाएगा। लेकिन किसी को भी उससे संतुष्ट नहीं है। जब किसी का समाधान नहीं होता तो देश का सबसे बड़ा उद्योग जहां दो करोड़ लोग उस पर निर्भर हैं, इतना बड़ा उद्योग देखते-देखते अपनी आंखों के सामने नष्ट हो जाए तो मुझे लगता है, मैं केवल सत्तारूढ़ दल के बारे में नहीं कह रहा हूँ, सारे सांसदों का यह कर्तव्य हो जाता है कि यह जो बीमारी है, उसे रोक लें, उसे सही दिशा में ले जाने की कोशिश करें।

मंत्री जी, आपने और स्पीकर साहब ने 3.00 बजे मीटिंग बुलाई है। हम अपने कंस्ट्रक्टिव सजेशन देंगे लेकिन मैं चाहूंगा कि यह केवल दलगत समस्या है, ऐसा विचार न करते हुए सारे देश की समस्या है, ऐसा सोचकर यदि ठीक प्रकार की नई योजना देना चाहते हैं, नई योजना कौन-सी हो, उसके लिए आप एक स्टेट्स रिपोर्ट पेश करते हैं तो मैं आपको अपनी पार्टी की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप जो भी स्कीम बनाएंगे, उसमें सारे सहयोग देंगे। इस प्रकार का काम आप करें और इस बीमार उद्योग को बचाने का श्रेय लें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री अनादि चरण साहू (कटक) : सभापति महोदय, श्री सनत मेहता द्वारा कपड़ा उद्योग के श्रमिकों पर आई तबाही, संकट, अंधकार तथा दुःखों का जो बुद्धिमत्तापूर्ण चित्रण किया है उसके बाद मैं नहीं समझता कि उन्हें फिर से दोहराने की आवश्यकता है। मेरी ओर से किया गया हर अच्छा प्रयत्न इतना अच्छा नहीं होगा। जो कुछ भी उन्होंने कहा है वह वास्तव में प्रशंसनीय है। हम कपड़ा उद्योग में अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

यहां मेरा उद्देश्य यह बताना है कि उड़ीसा का एक विशिष्ट वर्ग कपड़ा क्षेत्र में कठिनाइयों के कारण किन परिस्थितियों का सामना कर रहा है चाहे वह जूट उद्योग हो जैसा कि कल माननीय सभापति महोदय ने कहा है अथवा कपड़ा उद्योग हो। अनेक लोग जो कि जूट उद्योग में काम करने के लिए कलकत्ता जा रहे थे, यह आवश्यक नहीं है कि मैं दोहराऊँ, वे लोग अब बेरोजगार हो गए हैं। कटक जिले के नहरों के साथ के खलिहान बेकार पड़े हैं। उन बड़े-बड़े खलिहानों में केवल पक्षी रहते हैं और लोगों के पास काम नहीं है। जूट का उत्पादन भी काफी गिर गया है। जूट के लिए दिए जाने वाला समर्थन मूल्य भी गिर गया है। भारतीय जूट निगम कुछ सहायता दे रहा था। उन्होंने भारत सरकार को 250 करोड़ रु. के बराबर धनराशि अदा करनी है। अपंग जूट निगम जूट उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ नहीं कर सकता।

[श्री अनादि चरण साह]

मैं जूट उद्योग पर अधिक नहीं बोलूंगा। अब मैं कपड़ा उद्योग के बारे में कहूंगा। मैं केवल कुछ मुद्दों का ही उल्लेख करूंगा। जहां तक कपड़ा उद्योग का संबंध है इसकी रुग्णता के चार कारण हैं। आपकी अनुमति से, मैं रुग्णता के उन चार मुद्दों का संक्षेप में उल्लेख करूंगा जो कि कपड़ा उद्योग में कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे हैं। पहला है, आधुनिकीकरण की कमी। हमारे यहां संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में काफी उद्योग हैं तथा असंगठित क्षेत्र में काफी कम्पोजिट मिले हैं। मेरे ख्याल में भारत में 250 कम्पोजिट मिलें हैं उन सभी की आधुनिकीकरण की समस्या है जिसके लिए हम जिम्मेवार हैं। चाहे वह राष्ट्रीय कपड़ा निगम हो अथवा कोई अन्य मिल। मैं उस मामले की राजनीतिक संवेदनशीलता अथवा असंवेदनशीलता के बारे में कहना चाहूंगा अथवा वहाँ से कपड़ा उद्योग में चल रही इस समस्या के आर्थिक तर्क का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ। हमने उन मिलों पर कुछ शर्तें लगा दी हैं कि वे सस्ता कपड़ा पैदा करेंगे। मेरे ख्याल से कम्पोजिट मिलों के लिए 50 प्रतिशत की मात्रा निर्धारित की गई थी। उन्हें निर्धन तबके के लिए 50 प्रतिशत कपड़ा पैदा करना था जिसके कारण उन्हें घाटा हुआ। सरकार ने उन मिलों की पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति नहीं की। जिसके कारण हमने अनेक समस्याओं का सामना किया और आधुनिकीकरण को धक्का पहुंचा।

आधुनिकीकरण के अलावा हमारे सूती कपड़े की मांग स्थिर है। भारत में 75 प्रतिशत सूती कपड़ा और केवल 25 प्रतिशत सिंथेटिक कपड़ा इस्तेमाल होता है। विश्व की परिस्थितियां यह दर्शाती हैं कि 51 प्रतिशत सिंथेटिक फाइबर और केवल 49 प्रतिशत सूती कपड़े का इस्तेमाल होता है। जब मांग स्थिर है और कम कच्चे माल की आपूर्ति होती है तो कठिनाई होती है। भारत में सूती कपड़े का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग 290 किलोग्राम है। जबकि विश्व में इसका उत्पादन लगभग 800 किलोग्राम होता है।

अपराह्न 3.00 बजे

हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान लगभग 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उत्पादन कर रहा है। भारत में सूत की उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है जिसके परिणामस्वरूप उद्योग को सूत की अनियमित आपूर्ति हो रही है। कच्चे माल की आपूर्ति पूर्णतः अनियमित रूप से हो रही है और कीमतों में वृद्धि हो गई है। यह देखा जा सकता है कि पिछले दस वर्षों के दौरान सूत की कीमतों में 150 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है जबकि तैयार उत्पाद का मूल्य केवल 72 प्रतिशत बढ़ा है जिसके परिणामस्वरूप असमानता उत्पन्न हो गई है। सूती कपड़ा उद्योग इन असमानताओं से मुकाबला नहीं कर पा रहा है।

कोयम्बटूर से हमें अच्छी किस्म का सूत प्राप्त हो रहा है। यह सूत की सेवम किस्म है जिसकी तुलना हम गीजा 45 अथवा सूत की इजीप्टियन किस्म से कर सकते हैं। लेकिन राज सहायता में कमी और सरकार से तथा अनेक अन्य क्षेत्रों से समर्थन की कमी के कारण सेवम किस्म का उत्पादन पूर्णतः बंद हो गया है।

हम बहुत अधिक मूल्य देकर गीजा किस्म खरीद रहे हैं। कीमत इतनी ज्यादा है कि रूई की इस किस्म को भारत में लाना, तैयार माल

बनाकर उसे बाजार में बेचना अब बहुत महंगा काम हो गया है।

सूती वस्त्रों और परिधानों के लिए अब हम मुख्यतः निर्यात पर निर्भर हो गए हैं। निर्यात में 13.5% वृद्धि हुई है। परन्तु यह वृद्धि और दस सालों तक जारी नहीं रहेगी। विश्व व्यापार संगठन के साथ इस सम्बन्ध में हमारा समझौता है; हमारे पास एम. एफ. ए. है। अगले सात या आठ वर्षों में बिलकुल भी निर्यात नहीं होगा, क्योंकि उन देशों के साथ हमारी कड़ी प्रतिस्पर्धा हो जाएगी जो पहले ही सूती वस्त्र या सिन्थेटिक कपड़े बना रहे हैं। इस बारे में हमें दीर्घावधि योजना बनानी होगी।

मैं केवल रुग्णता की चर्चा कर रहा हूँ। मैं दूसरे व्यौरों का जिक्र नहीं कर रहा। अगला मुद्दा कार्यकारी पूंजी का है। यदि सरकार उन इकाइयों को, जो रुग्ण हो चुकी हैं या हो रही हैं कुछ कार्यकारी पूंजी नहीं देती है तो वे अपनी इकाइयों को पुनः चालू नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रीय कपड़ा निगम का उदाहरण ही लें। यह कहा गया था कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अंतर्गत अन्य इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए 2005 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। ऐसी एक इकाई भगतपुर सूती मिल उड़ीसा है। यह कताई मिल है और यह अच्छी चल रही थी। केवल बिजली का बिल अदा करने के लिए राशि की मंजूरी न मिलने के कारण, यह मिल बंद कर दी गई।

क्या माननीय कपड़ा मंत्री मेरी बात की ओर ध्यान देंगे? मैंने पांच महीने पूर्व उन्हें एक पत्र लिखा था जिसमें कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों की अदायगी की प्रार्थना की थी। उसका जो उत्तर मुझे मिला उसे मैं एक कड़ा उत्तर तो नहीं कह सकता, एक टालू उत्तर कह सकता हूँ यदि वह इन मिलों को बंद ही करना चाहते हैं, तो ठीक है। बी. आई. एफ. आर. ने बताया है कि पूर्वी ग्रिड में एन. टी. सी. के अंतर्गत अठारह मिलें हैं और वे इन्हें कम करके चौदह करना चाहते हैं। अभी तक तो ठीक है। यदि वे चाहते हैं तो उन्हें मिलें बंद करने दीजिए। राजनीतिक औचित्य परमावश्यक है। वे इस पर कार्यवाही कर सकते हैं। परन्तु जो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनका भविष्य बहुत अधकारमय हो जाएगा। सरकार मिलों को चलाने या बंद करने का निर्णय क्यों नहीं लेती? एक निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, जो लोग कपड़ा क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके रास्ते में राजनीतिक औचित्य आड़े नहीं आना चाहिए।

उड़ीसा में ऐसे दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां साड़ियां बुनी जाती हैं। इनमें से एक मनिआबन्द मेरे चुनाव क्षेत्र में है। भारत का वही एकमात्र ऐसा इलाका है जहां पांच से छः हजार मूल बुद्ध लोग निवास करते हैं। पिछले दो हजार वर्षों से वे बुद्ध लोग हैं और वे बुनकर हैं। उन्हें अधिकतर बीच के दर्जे का बुनने का धागा चाहिए होता है। पहले उन्हें यह भगतपुर या निकटवर्ती इलाकों से मिल जाता था। हमारी सहकारिताएं थी। अभी भी एक सहकारिता है जो श्री के. पी. सिंहदेव के धेनुकनाल निर्वाचन क्षेत्र में बंद पड़ी 'गोविन्दपुर स्पिनिंग एण्ड काटन मिल' को आवश्यक सूत नहीं मिल रहा। बौद्ध लोगों को तमिलनाडु जाना पड़ता है। उनके ऊपर पड़ने वाले पूरक व्यय के बारे में सोचें।

जो लोग सर्वश्रेष्ठ साड़ियां बनाते आ रहे हैं वे ऐसा कर पाने में

असमर्थ हैं क्योंकि सूती कपड़ा उपलब्ध नहीं है यदि हम कोयंबटूर लम्बे रेशे की कपास अर्थात् सुवानी कपास का पुनः उत्पादन करें तो सर्वश्रेष्ठ सूती कपड़ा उपलब्ध हो सकता है। अतः जिस प्रकार गेहूँ, धान तथा इस तरह के अन्य क्षेत्रों में कदम उठा रहे हैं इसी प्रकार इस क्षेत्र के लिए भी कुछ कदम उठाएँ। आप इस पर अब कार्यवाही क्यों नहीं करते ? मुझे विश्वास है कि आप देश के बार कपड़ों की सर्वश्रेष्ठ किस्म के साथ मुकाबला कर पाएँगे।

गुणता के ये चार कारण हैं। दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए और उन लोगों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ वस्त्रों का उत्पादन करते आ रहे हैं किस चीज़ की आवश्यकता है ? चार आवश्यकताएँ हैं। सबसे पहले है गुणवत्ता जिसमें सुधार करना होगा। यह हो सकता है कि आप सिंथेटिक का इस्तेमाल वर्षा अथवा धूप में करते हों। इसके लिए जो भी तकनीकी शब्दावली प्रयोग होती है आप उससे अवगत हैं।

पोलिवस्त्र अर्थात् पोलिएस्टर और सूती कपड़ा अब बहुत लोकप्रिय हो गया है। मैंने देखा है कि मनिआबन्द में भी बौद्ध लोग पोलिवस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत लोकप्रिय है। आप इसे कुछ अन्य क्षेत्रों में भी लोकप्रिय क्यों नहीं बनाते ?

फिर हमारे पास डिजाइन हैं। यह तो सच है कि हमारे यहां असंगठित विद्युत करघा क्षेत्र है और असंगठित हथकरघा क्षेत्र भी है। असंगठित क्षेत्र, संगठित संयुक्त मिल क्षेत्र को भी अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। परन्तु मिल क्षेत्र सरकारी धन की सहायता से कुछ शोध कार्य कर सकता है और नए-नए डिजाइन बना सकता है ताकि यह विश्व के श्रेष्ठ वस्त्र उत्पादकों का मुकाबला कर सके।

उड़ीसा में मनिआबन्द में अथवा सम्बलपुरी साड़ियों के लिए श्रेष्ठ डिजाइनकर्ता हैं। इस कारण मनिआबन्द में अथवा सम्बलपुरी में बनी साड़ियाँ पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं। वे सूती वस्त्र बनाते हैं। उनके पास रेशमी धागा भी है। अब भी उनमें से कुछ समय-समय पर साड़ियों में पालिएस्टर का प्रयोग कर रहे हैं। अतः सर्वश्रेष्ठ को हासिल करने के लिए मंत्री महोदय जिन उपायों के बारे में विचार कर सकते हैं उनमें डिजाइन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। फिर विश्वसनीयता है।

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : मैं एक मिनट के लिए हस्तक्षेप कर सकता हूँ ? हमारे यहां फैशन प्रौद्योगिकी के अब छः केन्द्र हैं। हम प्रयास करते रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे कम्प्यूटीकृत नमूना केन्द्र भी हैं। हम अपनी ओर से सब प्रयास कर रहे हैं और हम जानते हैं कि विदेशी कपड़ा निर्माताओं का मुकाबला करने के लिए हमें डिजाइनों का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। हम यह कर रहे हैं।

श्री अनादि चरण साहू : धन्यवाद, मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जो बनारस में था। उसका नाम सुपकर है, वह उड़ीसा का रहने वाला है और अच्छे डिजाइनों के लिए उसे पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया। मंत्री जी, अच्छे डिजाइन आपकी प्रयोगशाला में तब तक नहीं टिक सकते जब तक आप मूल रूप से कताई क्षेत्रों से सब तरह के नमूनों के तरीकों को नहीं समेटते। ये वही लोग हैं जिन्होंने डिजाइन

बनाने में अपनी पूरी-पूरी जिन्दगी लगा दी। हमारी यहां पद्मश्री कृतार्थ आचार्य थे और एक और व्यक्ति सुपकर थे जो बनारस में रहता था। सुपकर एक संगीतज्ञ था परन्तु वह एक अच्छा डिजाइनकर्ता भी था। आप में से बहुत से लोग उन्हें जानते होंगे। ये वास्तविक और नवीनता लाने वाले इंसान हैं। मैं यह नहीं कहता कि ऐसे लोग केवल उड़ीसा में ही हैं, कोय और अन्य स्थानों पर भी ऐसे लोग हैं। अच्छे, नवीनता लाने वाले और मौलिक विचार रखने वाले डिजाइनकर्ता भी हैं। उन्हें आगे लाया जाना चाहिए।

फिर विश्वसनीयता और मूल्य का स्थान है। मूल्य सबसे महत्वपूर्ण घटक है। हमें मूल्यों को नियंत्रण में रखने पर विचार करना होगा। इस संबंध में मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा।

राजसहायता के बहुत से लोगों द्वारा बहुत दावे किए जाते हैं। आपने 750 करोड़ रुपए के ऐसे दावों को स्वीकृति दी है परन्तु केवल 460 करोड़ रुपए ही पूर्णतः उपयोग में लाए गए हैं।

750 करोड़ रुपए की राशि से सरकार ने वस्त्र आधुनिकीकरण निधि की स्थापना की थी। परन्तु केवल 421 करोड़ रुपयों का उपयोग किया गया। ऐसा क्यों है ? हम पूरा वैसा खर्च करके कुछ नया क्यों नहीं कर सकते ताकि कपड़ा उद्योग जीवित रह सके।

कपड़ा उद्योग में भी एक कठिनाई है। स्पनिंग क्षमता 86% है। जबकि बुनने की क्षमता 53% है। इससे बहुत सी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। आपके पास धागा बहुत है परन्तु बुनने की समर्थता कम है और कपड़े कम। इसे समुचित तरीके से समन्वित किया जाना होगा। यह बहुत अच्छा है कि सरकार विस्कांग स्टैपल फाईबर का आयात कर रही है। वह लगभग सूत ही है। आप सूत का आयात करने की बजाय, जो बहुत महंगा है उसी का आयात कर सकते हैं।

कपड़े उद्योग के बारे में ये चन्द बातें मैं आपसे कहना चाहता था। 50,000 से 60,000 उड़िया लोग गुजरात में कपड़ा उद्योग में काम कर रहे हैं और धीरे-धीरे वह उड़ीसा वापिस आ रहे हैं। उन लोगों की पीड़ा के बारे में सोचिए जो बेरोज़गार हैं। मुझे उन लोगों की चिन्ता है। मैं कपड़ा उद्योग का बड़ा चमकता सितारा नहीं हूँ और न ही मैं इनके बारे में कुछ जानता हूँ। चार या पाँच कपड़ा मिलें हमारे राज्य में हैं जो कि खस्ता हालत में हैं। उन्हें जीवित रखने के लिए और उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें उन्हें मोरफिन, कोरामाईन आदि की बार-बार आपूर्ति करनी पड़ती है। परन्तु एन. टी. सी. की एकमात्र मिल भगतपुर काटन मिल पहले ही बन्द हो चुकी है। मुझे नहीं पता आप उसे पुनः चालू कर रहे हैं या नहीं परन्तु उसका मुर्दा रूप तो विद्यमान है। मुझे उन लोगों का ध्यान रखना है जो धीरे-धीरे गुजरात से यहां आते जा रहे हैं। कृपया उनके बारे में सोचिए। गुजरात के हमारे मित्रों ने इन लोगों को किसी तरह का रोज़गार या मुआवजा देने को कहा है। सरकार चूंकि कल्याणवादी होती है अतः उसे इन 50,000 लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो सूरत में रह-रहे थे और इस मुसीबत की घड़ी में यहां आए हैं। वे फिर वापिस जा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग जो सूरत में बस गए हैं, वहां काम करते रहे हैं और अब इन मिलों को बंद हो जाने की वजह से अब उड़ीसा में

[श्री अनादि चरण साह]

वापिस आ रहे हैं। यही बात अन्य राज्यों के बारे में भी सही हो सकती है। अतः एक नीति होनी चाहिए ताकि इन रुग्ण उद्योगों को फिर से चालू किया जा सके। छोटी सी कल्पनाशक्ति, सहायता और समर्थन से इन उद्योगों को चालू करना मुश्किल नहीं होगा।

अब उपाय क्या है ? मैं उपायों के बारे में बता कर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूँ। निर्यात संवर्धक परिषदों को पूर्ण समर्थन दिया जाना चाहिए। यदि ये परिषदें हैं तो सरकार को इन्हें जहाँ तक सम्भव हो, पूर्ण समर्थन दिया जाना चाहिए। फिर निर्यात के बारे में रियायतें दी जानी चाहिए। अब हम निर्यात कर रहे हैं। यह एक ही साल में 13% बढ़ गया है। जैसे भी सम्भव हो इन्हें रियायतें दी जानी चाहिए। फिर सूती धागों (सूत) पर निर्यात शुल्क कुछ समय के लिए माफ किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है जो किसान सूत उगाना शुरू करते हैं उन्हें राजसहायता दी जानी चाहिए। आप कालाहांडी के बारे में जानते हैं जो कि सूखा प्रस्त क्षेत्र है। पचास वर्ष पहले वहाँ सबसे अच्छा सूती धागा (सूत) पैदा होता था। अब यह नहीं होता। अतः अन्यथा हम उन लोगों को कुछ राजसहायता नहीं देते मूल कच्चे माल की आपूर्ति की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता।

आखिर में, मैं निधियों के आधुनिकीकरण और जारी करने की आवश्यकता पर जोर दूंगा। मामले में विलम्ब करने की सरकार की प्रवृत्ति को दूर किया जाना चाहिए, मेरी इस उक्ति को गलत नहीं समझा जाना चाहिए। यदि हम यह करने में समर्थ होते हैं तभी यह उद्योग जीवित रहेगा।

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : महोदय, अध्यक्ष महोदय ने एक बैठक बुलाई है अतः मुझे उसमें शामिल होने के लिए जाना है।

सभापति महोदय : आप जा सकते हैं। आप मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों से कहिए कि वे यहाँ रह कर की जा रही बातों को नोट करें।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, मंत्री महोदय बहस का उत्तर किस समय देंगे ?

सभापति महोदय : यह मैं कुछ समय बाद बता सकूँगा।

श्री हरिन पाठक : क्या 4-00 बजे ?

सभापति महोदय : बिल्कुल उसी समय नहीं। अध्यक्ष महोदय इस बारे में निर्णय लेंगे।

श्री सी. नारायण स्वामी (बंगलूर-उत्तर) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

देश के कपड़ा उद्योग की समस्याओं पर सदन में चर्चा बहुत जीवंत रही। हमारे योग्य मित्रों ने सदन का ध्यान और सरकार का ध्यान सूत और पटसन के विशेष संदर्भ में कपड़ा उद्योग से सम्बद्ध समस्याओं की ओर दिलाया।

विगत कुछ दिनों से देश और सदन का ध्यान सूत और पटसन विशेषकर कपड़ा उद्योग की ओर आकर्षित हुआ है। कपड़ा उद्योग के

एक और पहलू विशेषकर रेशम उद्योग की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

रेशम के उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चीन प्रतिवर्ष 74,000 मिट्रिक टन उत्पादन करने विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। चाहे रेशम के उत्पादन में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है तथापि यहाँ का उत्पादन मात्र 14,000 मिट्रिक टन है। इस बात को दुष्टिगत रखते हुए कि यहाँ रेशम के उत्पादन की व्यापक संभावनाएँ हैं और सम्पूर्ण विश्व में इसके निर्यात की भी व्यापक संभावनाएँ हैं, भारत इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अदा कर सकता है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना देश में शोध और विकास सुविधाओं के माध्यम से रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अब तक विश्व बैंक इस संस्था का वित्त-पोषण कर रहा था। पिछले साल दिसम्बर तक एक राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना चलाई जा रही थी, जिसे जैसा कि मैंने पहले कहा है, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा था। अब पिछले वर्ष के अन्त में विश्व बैंक की सहायता बंद हो गई है, इसका तात्पर्य यह है कि रेशम उत्पादन के विकास के लिए निधियाँ देश के आंतरिक संसाधनों से ही जुटानी होंगी। केन्द्रीय रेशम बोर्ड के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियाँ अब राज्यों के रेशम उत्पादन विभागों के सुपुर्द कर दी गई हैं।

हमारे देश में ऐसे राज्य हैं जो पारम्परिक रूप से रेशम का उत्पादन करते रहे हैं। विश्व में रेशम उद्योग के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह ठीक समझा है कि नए क्षेत्रों अर्थात् देश के गैर-पारम्परिक राज्यों में फैलाया जाए। इस उद्योग के लिए आवश्यक निधियाँ जुटाए जाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में सरकार को बहुत से प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंध करने होंगे।

मैं इस उद्योग के बारे में कुछ तथ्य बताना चाहता हूँ। पिछले वर्ष हमारी आवश्यकता के अनुमानित आंकड़े थे 2,400 मि. टन कच्चा रेशम। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, 14,000 मि. टन कच्चे रेशम का उत्पादन देश के अन्दर ही किया गया। हमारे देश में शत-प्रतिशत निर्यात-उन्मुखी इकाइयाँ थी। इन्हें मुख्यतया चीन से तथा अन्य देशों से कच्चे रेशम का आयात करने की अनुमति दी गई। इस आयातित रेशम का प्रयोग करके वे यह दिखाने की आशा कर रहे थे कि उनका निर्यात मूल्य-वर्धित उत्पादों का होगा जिसमें मुख्यतया विभिन्न देशों को सिले-सिलाए वस्त्रों साज-सज्जा का सामान का निर्यात करना शामिल होगा। इन निर्यात-उन्मुखी इकाइयों को कानूनी तरीके से लगभग 4,000 मि. टन रेशम का आयात करने की अनुमति दी गई थी। देश ही में उत्पादित 14,000 मि. टन रेशम और कानूनी रूप से आयातित 4,000 मि. टन को मिलाकर 18,000 मि. टन रेशम रेशम हो जाता है। 6,000 मि. टन की फिर भी कमी रह जाती है। हम कुल मिलाकर 24,000 मि. टन रेशम का उपयोग करते हैं।

मैं इस माननीय सदन के माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि इस 6,000 मि. टन की कमी को रेशम के कानूनी निर्यात या परेसू उत्पादन बढ़ाकर नहीं बल्कि रेशम की तस्करी करके

पूरा किया गया। 6000 मी. टन कच्चा रेशम हमारे देश में चीन, वियतनाम की सीमाओं तथा अन्य स्थानों से आया।

4,000 मि. टन सिल्क, जिसे देश में निर्यात-मुख्य इकाइयों द्वारा वैध रूप से आयातित किया गया था, में से अधिकांश कच्चे रेशम को निर्यात-मुख्य इकाइयों के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा निःशुल्क आयातित किए जाने की अनुमति दी गई थी क्योंकि वे इसे देश में प्रचलित बाजार मूल्य से कम मूल्य पर खरीदा गया था; अधिकांश वैध रूप से आयातित रेशम खुले बाजार में चली गई थी जबकि निर्यात-मुख्य इकाइयों द्वारा रेशम के उत्पादन के लिए इसका उपयोग नहीं किया गया।

इसको देखते हुए एक समान्तर सिल्क आपूर्ति विशेषकर आयातित प्रकार के रेशम की आपूर्ति की है। इस तथ्य को, रेशम उद्योग के विकास हेतु नीति को बनाते समय, ध्यान में रखा जाना होगा।

मैं यहां इस उद्योग की कतिपय खामियों को उल्लेखित करना चाहूंगा। रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग ऐसे क्षेत्र हैं जो सरकार द्वारा न्यूनतम निवेश करने पर अधिकतम रोजगार प्रदान करते हैं। जब हम अपनी अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में आदान और रोजगार अनुपात की तुलना करते हैं तो केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा निवेश नगण्य प्रतीत होता है। ऐसे मौके पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि जब एक किसान रेशम के कीड़े को पालना शुरू करता है तो यह उस स्तर पर रोजगार है। इस उद्योग को विभिन्न चरणों पर धागे को फिरकी पर लपेटना, बटना, बुनना, रंग करना रोजगार ही है। और उसके पश्चात् हमारा लोकप्रिय और विकसित तैयार कपड़ों का उद्योग आता है जो फिर से कई मिलियन बेरोजगार व्यक्तियों विशेषकर देश की बेरोजगार महिलाओं को रोजगार प्रदान करता है।

इस उद्योग के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। मैं यहां सूचित करना चाहूंगा कि रेशम की गुणवत्ता, जो चीन और अन्य देशों से आयात की जाती है, कई प्रकार से बढ़िया होती है। विशेषकर रेनडिट्टा, जो कि धागे की लम्बाई है जो हम रेशम की कीड़े को कोकोन से प्राप्त करते हैं। जब हम इसकी तुलना अन्य देश के रेशम के साथ करते हैं तो यह उनसे भिन्न होता है। रेनडिट्टा में सुधार करने के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बेहतर करना होगा।

जब हम दुनिया भर में एक किलोग्राम कच्चा रेशम माना कि सामान्यतः पांच से छः किलोग्राम विदेशी किस्मों के कोकूनों से प्राप्त कर सकते हैं, वहीं हमें एक किलोग्राम कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए स्वदेशी किस्मों के आठ से दस किलोग्राम की आवश्यकता होती है। जब तक इस अन्तर को नहीं पाटते तब तक हमारे रेशम के उत्पादन की लागत अधिक रहेगी और यह उत्पादन क्षेत्र प्रतियोगी नहीं बन पाएगा। अन्य शब्दों में, हम स्वदेश में उत्पादित समान गुणवत्ता वाले रेशम की तुलना में कम दाम पर बेहतर गुणवत्ता वाले आयातित रेशम को प्राप्त करने में समर्थ रहेंगे। हमें इन बातों पर जोर देना होगा। इसके लिए मौजूदा मशीनरी के आधुनिकीकरण, बेहतर और विदेशी गुणवत्ता के रेशम के कीड़े उपलब्ध कराने और शहतूत की गुणवत्ता में भी सुधार करने के लिए वित्तीय निवेश की आवश्यकता है। देश में अधिकांश रेशम का उत्पादन शहतूत पर आधारित है। शहतूत की गुणवत्ता में सुधार करना

और उच्च पैदावार वाली किस्मों को उगाए जाने को लोकप्रिय बनाना होगा।

हमारे पास बिजली चालित करघे और हथकरघे हैं। हम देश भर में पुराने और बेकार हो चुके करघों का प्रयोग कर रहे हैं। सुधार को इन करघों के आधुनिकीकरण के लिए एक नीति लानी होगी। समाज के कमजोर वर्गों, जो इस क्षेत्र में एक स्वरोजगारोन्मुख गतिविधि के रूप में शामिल हैं, को सरकार वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए।

जैसा कि मैं कह चुका हूँ यह कार्य, जो कि प्रमुखतः केन्द्रीय रेशम बोर्ड के संचालन में था, विश्व बैंक द्वारा सुविधा को वापस लिए जाने के पश्चात् सम्बंधित सरकारों को सौंप दिया गया, हम देखते हैं कि सभी राज्य रेशम उत्पादन के विकास को अपने राज्यों में एक समान महत्त्व नहीं दे रहे हैं।

ढांचागत सुविधाओं, जिसे पहले विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया था, को अब सम्बंधित राज्यों को सौंपा जा चुका है। परंतु कई राज्यों में उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब भारत सरकार को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह परियोजनाएं वित्त की कमी के कारण, राज्यों के द्वारा प्राथमिक महत्त्व को प्राप्त न कर पाने के कारण यह परियोजनाएं उष्ण न हो जाएं, यह कार्य अपने हाथों में ले लेना चाहिए। इसी कारण मैं सरकार और माननीय वस्त्र मंत्री से अनुरोध करूंगा क्योंकि वे इस उद्योग की समस्याओं की ओर ध्यान देकर वस्त्र उद्योग के विकास में विशेष रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने—मुझे आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहिए—फिरकी में धागा लपेटने सम्बंधी अद्यतन उपकरणों और यंत्रों को उपलब्ध कराने, और जहां हमारे पारंपरिक कुटीर उद्योग हैं वहां इस पर राज सहायता देने के लिए कदम उठाए हैं। इसे हाल ही में विकसित बहुसिरों वाली फिरकी पर धागा लपेटने वाले यंत्र से बदलने की मांग की गई है। इससे हमें रेशम की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त होगी। यह एक दूसरा पहलू है। हमें विश्वस्तरीय प्रतियोगिता के लिए, डिजाइन और गुणवत्ता में भी विश्व मानकों को पूरा करना होगा। अब आवश्यकता है और सरकार कम्प्यूटीकृत डिजाइनों, प्रौद्योगिकी को लाकर और इस उद्योग को लोकप्रिय बनाने के अन्य अभिनव विधियों को अपनाकर इस सम्बन्ध में कार्रवाई भी कर रही है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है।

मैं सरकार से इस उद्योग को और ज्यादा महत्त्व देने के लिए आग्रह करता हूँ। मैं परामर्श देना चाहूंगा कि अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे रेशम की मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को पाटने के लिए देश में बुनकरों को कच्चे रेशम की आपूर्ति को सुधारने की आवश्यकता है। वित्त, वाणिज्य और साध ही वस्त्र मंत्रालय को देश में रेशम उद्योग और रेशम उत्पादन के समग्र विकास को समन्वित करना चाहिए। देश में कच्चे सिल्क की तस्करी को रोका जाना चाहिए। सरकार को कच्चे रेशम के मूल्य के उह्राव को सुनिश्चित करने के लिए एक निधि स्थापित करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रेशम बुनकरों द्वारा उत्पादित रेशम की मांग नहीं होने पर उनका शोषण न हो।

[श्री सी. नारायण स्वामी]

यहां मैं परामर्श देना चाहूंगा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए कि रेशम उत्पादनकर्ताओं द्वारा उत्पादित कच्चे रेशम और कोकून के मूल्यों में ठहराव रहे जिससे कि उत्पादकों के प्रयासों के लिए दिए जाने वाले लाभ सहित लागत मूल्य से नीचे न गिरे।

अब मैं यह सुझाव देना चाहूंगा यद्यपि यह दूसरे देशों जैसे जापान में विवादास्पद उपाय रहा है जब उन्होंने दूसरे देशों में कच्चे रेशम के आयात की अनुमति दी थी, उन्होंने आयातित धागे पर शुल्क लगा दिया और इसे अपने देश में उच्च मूल्यों पर उपलब्ध कराया जिससे कि स्थानीय रूप से उत्पादित रेशम की कीमत नीचे न जाए और इस प्रकार वे स्वदेश में समर्थन मूल्य बनाए रखने में समर्थ रहे। इस प्रक्रिया में, मैं सुझाव देता हूँ सरकार को मिलने वाली धनराशि हजारों करोड़ रुपए होगी। यह लाभ जो सरकार को वैध रूप से मिलेगा देश में तस्करी को रोकने में सहायक होगी। यह धनराशि देश में बुनकरों को कच्चे रेशम की आपूर्ति को सुनिश्चित भी करेगा। इस धनराशि का प्रयोग देश में मूल्य स्थिरीकरण निधि या रेशम उद्योग विकास निधि को स्थापित करने में किया जा सकता है।

मैं देश में हथकरघा बुनकरों की स्थिति का उल्लेख करना चाहूंगा। आज आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय संवर्धन की आवश्यकता है। खादी के बारे में, मैं कहना चाहूंगा कि हममें से अधिकांश खादी को पहनते हैं परन्तु इस बात को ध्यान रखते हुए कि इसमें अधिकाधिक निवेश की आवश्यकता होती है, देश में सिंथेटिक कपड़ों की तुलना में खादी के उत्पादन पर लागत अधिक आती है। सरकार से समर्थन की आवश्यकता है। कतिपय त्यौहारों के मौसम के दौरान खादी के कपड़े की बिक्री पर छूट मिला करती थी उसे हटा दिया गया है और उसे फिर से 1.4.97 से लागू किया जाना चाहिए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ इस उद्योग के निर्वाह की व्यवस्था करें और यह सुनिश्चित करें कि रेशम उत्पादन उद्योग समग्र रूप से बाधित न हो क्योंकि हम देश में वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि देखते हैं, इस क्षेत्र में विदेशी मुद्रा अर्जन, पिछले वर्ष देश के कुल निर्यात अर्जन का लगभग 40 प्रतिशत है।

परन्तु पिछले वर्ष इन अनिश्चितताओं के कारण रेशमी कपड़ों का निर्यात कुछ कम हुआ है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि रेशम उद्योग को समान महत्त्व दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इसके निर्यात में वृद्धि हो।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (पश्चिम बंगाल) : महोदय, शायद मैं अंतिम वक्ता हूँ, मुझे अपनी व्यथा सुनाने का पर्याप्त समय मिलना चाहिए।

महोदय, हमारे देश में वस्त्र उद्योग की समस्याओं से संबंधित इस अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

महोदय, भारतीय वस्त्र उद्योग के अच्छे दिन थे। इसका सारे संसार में बाजार था लेकिन इस उद्योग ने अपनी निहित अक्षमता के कारण अपनी अर्थक्षमता को नहीं खोया अपितु भारत सरकार के द्वारा स्थिति

को सही रूप से नहीं सम्भाल पाने के कारण इसने अपनी अर्थक्षमता को खो दिया।

महोदय, मैं इस सभा में मूल्यवान भाषणों को सुन चुका हूँ। मैं वस्त्र मंत्रालय और भारत सरकार की ओर से बोले गए मीठे शब्दों और मीठे बातों को सुन चुका हूँ। परन्तु वह मीठी बातें और मीठे वादे वस्त्र उद्योग की रुग्णता दूर करने में सहायक नहीं होते हैं। वे मरणासन्न वस्त्र उद्योग को बचा नहीं सकते।

महोदय, मैं देख चुका हूँ और पिछली सरकार की नई आर्थिक नीति के प्रभावों को भी देख चुका हूँ। मैं मरणाशील वस्त्र उद्योग पर नई आर्थिक नीति के प्रभाव को भी देख चुका हूँ। पिछली सरकार की नई आर्थिक नीति निजीकरण और उदारीकरण की नीति थी। निजीकरण और उदारीकरण की नीति को श्री पी. चिदम्बरम, हमारे माननीय वित्त मंत्री के पद ग्रहण करने के पश्चात् आज भी देखा जा सकता है। महोदय यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि निजीकरण और उदारीकरण की नई आर्थिक नीति ने बहुराष्ट्रीय निगमों, राष्ट्रीय बुजुर्गों या निजी क्षेत्र के हाथों को मजबूत किया है। महोदय हमारे देश में सार्वजनिक उपक्रमों के विकास के पीछे एक इतिहास है। वस्त्र उद्योग के राष्ट्रीयकरण के विचार के विकास के पीछे भी एक इतिहास रहा है। इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण किसी की दया पर नहीं हुआ था। यह पूरे देश में मजदूरों और ट्रेड यूनियनों के अथक प्रयासों और लगातार संघर्ष के बाद अस्तित्व में आया था।

महोदय, हम छठे दशक के अन्तिम दिनों को आज भी याद कर सकते हैं जो कि निजी एकाधिकार से सरकारी एकाधिकार में संक्रमण का दशक था। हम छठे दशक के अंतिम दिनों को आज भी याद करते हैं जो उद्योगों और उद्यमों का निजी प्रबंधन से सरकारी प्रबंधन के पास आने का दशक था। वे दिन बीत चुके हैं। परन्तु वर्ष 1969 में हम आज भी याद करते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसी समय, चौदह बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद हमने देखा कि सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग के प्रबंधन और कोयला खानों के प्रबंधन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण के लिए बाध्यता क्या थी ? सरकार के लिए कोयला खानों, बैंकों और वस्त्र उद्योग के प्रबंधनों को अपने हाथों में लेने के लिए क्या बाध्यता थी ? लोगों का दबाव, सामाजिक परिस्थितियाँ, अर्थव्यवस्था, और अन्य परिघटनाएँ इसके लिए उत्तरदायी घटक थे जिन्होंने सरकार को इन उद्योगों के प्रबंधनों को अपने हाथों में लेने के लिए बाध्य किया था।

हम इन घटनाओं को भूल नहीं सकते। मुझे तब आश्चर्य हुआ था जब वर्ष 1973 में इस सभा में भारतीय वस्त्र उद्योग मिल प्रबंधन का राष्ट्रीयकरण अधिनियम पारित हुआ था। कोई भी वस्त्र उद्योग के प्रबंधन को अनावश्यक रूप से अपने हाथों में नहीं लिया। यह सभा में वस्त्र उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए सर्वसम्मति थी। मैं नहीं समझ सकता कि उत्तरवर्ती सरकारों ने इस राष्ट्रीयकरण अधिनियम को समाप्त कैसे कर दिया गया जब इसे राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत किया गया था तो इसे परिवर्तित या संशोधित किस प्रकार किया जा

सकता है ? ऐसा नहीं किया जा सकता है।

आपके माध्यम से मैं सरकार से इस बात पर विचार करने कि किस प्रकार राष्ट्रीयकरण अधिनियम को शिथिल किया गया अन्यथा संशोधित किया गया है। ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं आपसे भारतीय वस्त्र उद्योग के राष्ट्रीयकरण के अध्याय के इतिहास का अध्ययन करने का विनम्र अनुरोध करता हूँ क्योंकि पूर्वी अंचल की एन. टी. सी. का मेरा कटु अनुभव रहा है। मेरे मित्र इसका उल्लेख पहले ही कर चुके हैं। यह डब्ल्यू. बी. ए. ओ. बी. की एन. टी. सी. है। अर्थात् पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और उड़ीसा की एन. टी. सी. है। निगम का कार्यकरण क्या है इन मिलों के राष्ट्रीयकरण के समय लोगों को क्या वचनबद्धता दी गई थी, प्रबंधन को क्या वचनबद्धता दी गई थी ? केन्द्र सरकार ने वचन दिया था कि उद्योग, इन मिलों को कार्यशील पूंजी, सामग्री की आपूर्ति की जाएगी; इन मिलों को आधुनिक बनाया जाएगा और अर्थक्षम बनाया जाएगा। क्या सरकार ने आधुनिकीकरण के लक्ष्य को पूरा किया है ? आज भारतीय वस्त्र उद्योग, एन. टी. सी. रुग्ण है। यह क्यों रुग्ण हो गई है ? ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार इन मिलों के आधुनिकीकरण प्रबंधन के लिए कार्यशील पूंजी की आपूर्ति की अपनी वचनबद्धता को पूरा करने में असफल रही है। यही प्रमुख कारण है।

एक अत्यधिक प्राचीन बंगाल मिल है जिसका नाम मुनीन्द्रा बंगाल टेक्सटाइल मिल है, जो कासिम बाजार में मैं पैतृक शहर बरहामपुर में जिला मुशरहिदाबाद में है जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। मेरे मुनीन्द्रा मिल का आगा-पीछा और वहाँ क्या हुआ था जानता हूँ। वह एक निजी मिल थी। वह मिल एक निजी सम्पन्न व्यक्ति के स्वामित्व में थी। वह मिल स्वतः ही राष्ट्रीयकरण अधिनियम में नहीं आई। मेरे नेता, श्री अमल राय, आप अच्छी तरह जानते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व विधायक थे और चिर अनुभवी यूनियन नेता और मुनीन्द्रा मिल मजदूर संघ के महासचिव और यू. टी. यू. सी. नेता और हमारे अत्यधिक सम्माननीय नेता श्री त्रिदिब चौधरी, राज्य सभा से संसद सदस्य थे, ने मामले में हस्तक्षेप किया था और एक आन्दोलन चलाया। मजदूरों ने आंदोलन चलाया। शहर के लोगों ने आंदोलन चलाया। हमने मांग की थी कि यह मिल अर्थात् मुनीन्द्रा मिल, जिसे निजी स्वामी द्वारा पहले ही बंद किया जा चुका है, को राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अंतर्गत आना चाहिए और उसका मजदूरों के हित में उस क्षेत्र के लोगों के हित में तुरंत राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। एक लम्बे संघर्ष के बाद, भूख हड़ताल के बाद, उपवास के बाद, मजदूरों द्वारा एक गंभीर आंदोलन चलाए जाने के बाद, उस मिल को श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में राष्ट्रीयकृत किया गया था। उस समय, इस मिल के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इस मिल के प्रबंधन को अपने हाथों में लेने के पश्चात् सरकार ने एक वचन दिया था कि इस मिल के आधुनिकीकरण के लिए कार्यशील पूंजी की आपूर्ति की जाएगी।

क्या सरकार का कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि कार्यशील पूंजी की आपूर्ति की गई थी और इसका दुरुपयोग किया गया था ? नहीं। उन्होंने आधुनिकीकरण, कच्चे माल आदि हेतु इस राष्ट्रीयकृत मिल के प्रबंधन को कार्यशील पूंजी की आपूर्ति नहीं की थी। इस मिल के रुग्ण होने का यही कारण है।

कपड़ा उद्योग रुग्ण होने के पीछे सरकार की असफलता मुख्य कारण रही है। इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? सरकार उत्तरदायी है। मुनिन्द्रा मिल में 1,500 श्रमिक थे जो अब घटकर 364 रह गए हैं। 1,200 से ज्यादा श्रमिक काम छोड़कर चले गए या तो उनकी मृत्यु हो गई या वे सेवानिवृत्त हो गए। इस मिल के सभी श्रमिकों को भूखे मरने के लिए सड़क पर फेंक दिया गया। राष्ट्रीयकृत कपड़ा मिल में कार्य करने वाले श्रमिकों की यह दशा है, उनका यही भाग्य है। इसके लिए कौन जवाबदेह है ? इन मिलों के आधुनिकीकरण हेतु सरकार ने कार्यशील पूंजी क्यों नहीं उपलब्ध कराई ? इन मिलों को रुग्ण बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है ? वे न तो श्रमिक हैं और न ही प्रबंधन अपितु वह सरकार है ?

इसके अलावा महोदय, मैंने बी. आई. एफ. आर. की गतिविधियों को देखा है, अनुभव किया है। रुग्ण मिलों को उबारने के लिए सरकार ने बी. आई. एफ. आर. की स्थापना की थी। बी. आई. एफ. आर. के क्या कृत्य हैं, इसकी आज क्या भूमिका है ? क्या बी. आई. एफ. आर. को देखने वाले नौकरशाह स्थिति का जायजा लेने, समस्त स्थिति का अध्ययन करने और पुनरुद्धार करने के लिए सौ प्रतिशत सक्षम हैं ? इस बारे में सदेह है। बी. आई. एफ. आर. रुग्ण उद्योग को अर्थक्षम बनाने के प्रति गंभीर नहीं है। यह मेरा आपसे निवेदन है और साथ ही आप इस स्थिति पर विचार कीजिए। क्योंकि आप श्रमजीवी समुदाय के हितों के हमेशा रक्षक रहे हैं।

महोदय, मैं एक निर्णय का उल्लेख करूँगा, शायद वह आपके ध्यान में भी आया होगा। कलकत्ता और दिल्ली से प्रकाशित दी स्टेट्समैन के बीच कोई अंतर है मैं नहीं जानता; अन्यथा, मैं यहाँ अखबार उपलब्ध करा देता। 3 अप्रैल, 1997 को कलकत्ता से प्रकाशित अखबार दी स्टेट्समैन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दी गई है वह यह है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2 अप्रैल को एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि राष्ट्रीय कपड़ा मिलों में कार्य करने वाले मजदूरों के वेतन, मिलों को कार्यशील पूंजी की आपूर्ति, कच्चे माल की आपूर्ति आदि को रोका नहीं जा सकता है। उसमें आगे यह भी कहा गया कि विद्युत की आपूर्ति को नहीं रोका जा सकता कर्मचारियों के भविष्य निधि आदि को अन्य कार्यों में नहीं लगाया जा सकता और राष्ट्रीय कपड़ा मिलों में कार्य करने वाले श्रमिकों को देय राशि का भुगतान किया जाए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस स्थिति को बड़ी गम्भीरता से लिया कि सरकार ने वेतन, भविष्य निधि, उपदान, पेंशन आदि का संदाय और अन्य स्वैच्छिक अवकाश योजना के लाभों के भुगतान के लिए समुचित कार्यवाही नहीं की। अतः महोदय, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि 3 अप्रैल, 1997 को कलकत्ता के संस्करण दी स्टेट्समैन में प्रकाशित इस समाचार को गंभीरता से लें और इस संबंध में उचित कार्यवाही करें।

अंत में, मैं अपने मित्र और सहकर्मी श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, जो कि क्विलोन से संसद सदस्य हैं, द्वारा दी गई सूचना आपके ध्यानार्थ लाना चाहता हूँ।

उन्होंने कहा था कि क्विलोन स्थित पार्वती मिलों का आधुनिकीकरण किया जाना था। सरकार यह जानती है कि क्विलोन स्थित पार्वती मिल

[श्री प्रमथेस मुखर्जी]

अर्थक्षम है किन्तु इसे जारी नहीं रखा जा सकता है लेकिन इसे तब तक कार्यक्षम और आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता है जब तक सरकार इसके आधुनिकीकरण हेतु पर्याप्त धन स्वीकृत नहीं करती है।

सभापति महोदय : आप वह बता चुके हैं। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : महोदय, मैं आपके और सरकार के सूचनार्थ यह बताना चाहता हूँ कि क्विलोन स्थित पार्वती मिल के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद।

सभापति महोदय : मैं अब श्री जगत वीर सिंह द्रोण से अनुरोध करता हूँ कि वह बोलें।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : मेरा यह निवेदन है कि श्रीमती सुमित्रा महाजन को अभी बोलने दें क्योंकि उन्हें आज हवाई जहाज से जाना है। मैं इस समय अपना अवसर छोड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं बाद में बोलूंगा।

सभापति महोदय : ठीक है। अब श्रीमती सुमित्रा महाजन बोलेंगी।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : सभापति महोदय, मैं बिल्कुल थोड़े शब्दों में अपनी बात रखूंगी। जो बातें कही गई हैं, उसकी पुनरावृत्ति करने में कोई फायदा नहीं है क्योंकि अभी तक मैंने जो भाषण सुने, उससे यह बात सिद्ध होती है कि सम्पूर्ण सदन इस बात से चिंतित है कि जो कपड़ा उद्योग इस हिन्दुस्तान को बाहर से विदेशी मुद्रा कमाकर दे रहा है, जिस कपड़ा उद्योग में 20 लाख से ज्यादा मजदूर कार्यरत हैं मतलब 50 लाख से ज्यादा लोग आज एक प्रकार से जिस कपड़ा उद्योग पर जीवन-यापन के लिए आधारित हैं, उस उद्योग की तरफ मुंह ताक रहे हैं कि वहाँ से उनको रोजी मिलनी है, ऐसा कपड़ा उद्योग बंद होता जा रहा है। यहाँ पर उसके कई कारण गिनाए जा रहे हैं। वास्तव में स्थिति तो यह है कि हमें इस कपड़ा उद्योग पर जितना ध्यान देना चाहिए था, उतना कभी दिया ही नहीं गया। यदि उतना ध्यान दिया होता तो आज एक राष्ट्रीय कपड़ा नीति, जिसकी बार-बार मांग हो रही है, वह कब की तैयार हो जाती। लेकिन वह आज एक तैयार नहीं हुई। 6 जून, 1996 को नई कपड़ा नीति बनती है। बार-बार बोला जाता है कि उसमें कई डिफैक्ट्स हैं। फिर आबिद हुसैन कमेटी बनती है। वह अपनी कुछ बातें रखती है कि टैक्सटायल इंडस्ट्री के लिए उनके तीन विभाग कैसे काम करेंगे, किस प्रकार से सुधार लाएंगे। उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। उसके बाद एक एकीकृत कपड़ा नीति बनाने के लिए बात चल पड़ती है। अप्रैल 1994 में भारत सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता भी हो जाता है और तब के जो लेबर मिनिस्टर थे जो आज के अध्यक्ष संगमा जी हैं, उनकी अध्यक्षता में, उस समय के कपड़ा मंत्री जिसके मैम्बर हैं और बाकी कई सदस्य, उसमें इस प्रकार से एक त्रिपक्षीय समिति भी बनती है और वह समिति सबसे पहली बार डिक्लेयर कर देती है। वे कहते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि हम एन. टी. सी. की मिलें बंद नहीं करेंगे, आइडियली वेजेस देगे और सभी मिलों का नवीनीकरण भी होगा। बातें तो बहुत की जाती

हैं। सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि बी. आई. एफ. आर. नाम की संस्था का निर्माण हो गया। वास्तव में उसका काम तो रीकंस्ट्रक्शन था, सजैशंस देना, इस प्रकार का पैकेज तैयार करना, मिलें चलाने की दृष्टि से क्या कर सकते हैं, समय पर बीमारी का निदान क्या हो, उस बीमारी को ठीक करना और बंद मिलों को चालू करने के लिए या बीमार मिलों को ठीक करने के लिए अपने सुझाव देना, इस प्रकार का पैकेज देना उस बोर्ड का काम था। लेकिन आज हम देखते हैं कि इनके पास 271 प्रकरण मिलों के हैं। उनमें से ज्यादातर के लिए मिलें तुरंत बंद कैसे हों, यह सुझाव जरूर बी. आई. एफ. आर. की तरफ से आता है और केवल 13 मिलों के लिए इस प्रकार का कंस्ट्रक्टिव पैकेज आता है। उसमें से 7 कुछ थोड़ी मंजूर हो जाती हैं। इस प्रकार की आज हमारी स्थिति है।

यह सब मैं इसलिए रख रही हूँ कि मिलों की ऐसी स्थिति है। मेरे अपने क्षेत्र में भी एक समय वास्तव में यह था कि हमारी नींद जो खुलती थी, वह मिल की आवाज से, उसके थोपू की आवाज से खुलती थी और फिर जो तमाम मजदूर घर से निकलते थे तो पूरे परिवार को लगता था कि हाँ, आज की रोजी-रोटी उसे मिलनी है। इससे पूरा शहर जागृत हो जाता था, लेकिन आज उस शहर की स्थिति यह हो गई है कि आज 1-1 परिवार सामूहिक आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है, अकेले मजदूर नहीं। सामूहिक आत्महत्याएँ इन बन्द मिलों के कारण मेरे शहर में हो रही हैं। उस समय हम देखें तो जो मिल मजदूर हैं, वह भागते-दौड़ते मिल के गेट पर पहुँचता था, क्योंकि अगर एक मिनट भी वह देरी से पहुँचता तो तुरंत गेट बंद हो जाते थे। यानि मजदूर के लिए तो हमने ये नियम बनाए थे और फिर हमारे लिए हमने कहा कि मिलें बंद नहीं होंगी, लेकिन मिलें तो धड़ाधड़ बंद हो रही हैं।

हमने पुनर्निर्माण बोर्ड का निर्माण तो किया, जिसे वास्तव में पैकेजेज देने चाहिए, लेकिन वह तो अपने तई काम नहीं कर रहा है तो इनके खिलाफ कौन बोलेंगा, कौन एक्शन लेगा ? इसकी कोई तरकीब नहीं है। आज मुझे एक बात और कहनी है। मिलें बंद हो रही हैं तो हमारे राम भाऊ ने जो कहा, वास्तव में सोचने वाली बात है कि किसी ने कपड़ा पहनना तो बंद नहीं किया, न कपड़े का उत्पादन बंद हो रहा है, लेकिन एक बात मेरी दृष्टि से गलत हो रही है। हमने एक फंड की निर्मिती की थी, नेशनल रिन्युअल फंड, लेकिन उस फंड का ज्यादा से ज्यादा उपयोग वी. आर. एस. के लिए हो रहा है। ये मिलें बंद कैसे हों और मजदूर उसमें से रिटायरमेंट कैसे लें, उसके लिए हो रहा है।

मुझे दो बातों की तकलीफ होती है। एक बात तो यह है कि आज मेरे शहर में जो एन. टी. सी. की मिलें चलती हैं, उनकी स्थिति यह है कि मजदूर काम के लिए तो जाता है, क्योंकि सब को तो निकाल नहीं सकते, हालाँकि उनको 3-3, 4-4 महीने वेतन आज भी नहीं मिल रहा है, लेकिन तीन महीने बाद क्यों न हो, वेतन तो मिलेगा, इसलिए मजदूर मिल के गेट अंदर तो जाता है, लेकिन देने के लिए काम कुछ नहीं है, क्योंकि कपास नहीं मिल रही है। कपास मिलती है तो कपास

जिस ढंग की, जिस क्वालिटी की होनी चाहिए, वह क्वालिटी उस कपास की नहीं है, यह भी एक कारण है, क्योंकि जो मिलें नुकसान में जानी शुरू हो गई, उसके लिए भी अगर हम सोचना प्रारंभ करें कि संयुक्त मिलों द्वारा यह निन्दनीय कार्य है, यह भी तो एक बात है। मगर उसके साथ-साथ उनको जिस प्रकार की कपास चाहिए, वह क्वालिटी की कपास कभी भी नहीं मिली, जितनी मात्रा से मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली और मिलें बंद हैं। मजदूर अंदर जाता है और जाकर, जो सबसे बड़ी दुख की बात मेरे लिए होती है, क्योंकि मैं महीने में एक बार या दो महीने में एक बार जाकर उनसे मिलने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बाकी तो कुछ नहीं कर सकती, तो जब मैं वहाँ देखती हूँ कि कुछ काम नहीं है तो फिर जो कहता जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर है। वह वाली स्थिति आज हो रही है। वहाँ वह बैठकर तारा खेलता है और फिर तारा खेलते-खेलते कुछ और भी हो सकता है। यह आज जो अंदर जा रहे हैं, जाकर बैठते हैं, उनकी स्थिति मजदूरों की, यानि हमारे काम करने वाली जो वर्किंग कैपेसिटी है, जो ताकत है, इस ताकत का दूसरी तरफ उपयोग हो रहा है।

दूसरी बात, जो हम वी. आर. एस. देते हैं, यह वी. आर. एस. लेने वाला मजदूर जो है, उसकी उम्र ही कम होती है। 35-40 साल का, मजदूर है, उस 35-40 साल के मजदूर को करीब 35-40 हजार रुपए उसकी सविस के हिसाब से मिलते हैं। वह वालेंटरी रिटायरमेंट ले लेता है, हमें खुशी हो जाती है कि चलो पैसे का सदुपयोग हो गया, वालेंटरी रिटायरमेंट हमने दे दिया, कहीं और काम में वह लग जाएगा, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। इसलिए हम गिनते हैं कि इतने लोगों ने वालेंटरी रिटायरमेंट ले लिया, इतने करोड़ रुपए वालेंटरी रिटायरमेंट में खर्च हो गए, लेकिन जो मेरा अपना दिल कहता है कि 35-40 साल का व्यक्ति 34-40 हजार रुपए लेकर रिटायर हो जाता है, उसमें काम करने की क्षमता तो है, काम करने की ताकत तो है, लेकिन आज के जमाने में जब रुपए की कीमत कुछ नहीं बची है तो चालीस हजार होते ही क्या हैं। आधा तो वह जुए सट्टे में या शराब में खर्च कर देता है, एकाध बेटी हो तो उसकी शादी में थोड़ा खर्च होता होगा, फिर वह मजदूर रास्ते पर आकर खड़ा हो जाता है। उसे कोई काम भी नहीं मिलता है।

यह मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी हमारे साथी राम नाईक जी ने उदाहरण दिया था कि उनके वहाँ की बड़ी मिलें बंद हो रही हैं और छोटी यूनिट्स के लिए सोचा जा रहा है। इंदौर जैसे शहर में भी छोटी यूनिट्स बनाई जा रही हैं। यह बात सही है। लेकिन जो बंद हो रही कपड़ा मिलें हैं, उनके मजदूरों को इन यूनिट्स में नहीं रखने की एक प्रकार की मानसिकता भी बन गई है। इस तरह उन लोगों को काम नहीं मिलता। वह मजदूर और उसका पूरा परिवार एक प्रकार से खाली पेट रहता है। आज यह स्थिति हो गई है। हमने कभी इनके बंद होने की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया।

आधुनिकीकरण की बात की जाती है, लेकिन उसके लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। कितना पैसा दिया, वह भी नहीं दिया। इस तरह से

एन. टी. सी. की मिलों में वर्किंग कैपिटल का अभाव हो गया। हमने जब इन मिलों का राष्ट्रीकरण किया तो इसलिए किया था कि प्राइवेट उद्योगपति सही ढंग से नहीं चला पा रहे थे। लेकिन राष्ट्रीयकरण करने के बाद वर्किंग कैपिटल देना आवश्यक था, वह नहीं दी गई। आज की तारीख में भी नहीं दी जा रही है। इस तरह से उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती गई, अनविल्डिनेस था ही नहीं, प्राइस भी बढ़ते गए और धीरे-धीरे ये मिलें बंद हो गईं। अब उसके कारण गिनाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए क्या किया, यानि रिनुअल फंड देने की बात थी, आधुनिकीकरण आवश्यक था, ऐसा कुछ नहीं किया गया। आज जबकि हम 21वीं सदी में जाने की बात करते हैं, सारी दुनिया को ले जाने की बात करते हैं, कम्प्यूटर युग में जाने की बात करते हैं, लेकिन हमारी मिलों में वही पुराना ढांचा चलेगा तो क्या अपेक्षा हम कर सकते हैं।

मेरे यहाँ एक मिल है। उसमें जो बॉयलर लगे हैं, उनका कभी ढक्कन ही नहीं खुलता। इस तरह से मशीन कभी उपयोग में नहीं आती। मशीन लेने के बाद ध्यान आता है कि उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इस प्रकार की अफसरशाही एन. टी. सी. में काम कर रही है। लेकिन उनके वेतनों में, गाड़ियों में और ए. सी. में कोई कमी नहीं आई। अगर कमी आई है तो मजदूर के लिए आई है और उसे ही अपना पेट काटना पड़ रहा है।

मेरा इतना ही कहना है कि हम नवीकरण की बात करते हैं तो उसके लिए कुछ करना भी चाहिए। एक सचिव स्तर की कमेटी बनाई गई। हमारा 2005 करोड़ रुपए का पैकेज था। लेकिन आज की तारीख में वह पैसा कहीं नहीं लग रहा दिखाई देता है। जिस प्रकार से रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, वह राशि 3000 करोड़ रुपए तक जाएगी। उसकी भी समीक्षा की गई है। कहा गया कि जमीन बेचकर आधुनिकीकरण में पैसा लगाना चाहिए। हालांकि यह भी एक डिस्प्यूट है। मध्य प्रदेश में भी यह चल रहा है कि जमीन किसकी है। मिल और उससे मिलने वाला भुनाफ, रेवेन्यू आदि केन्द्र सरकार का है, लेकिन जमीन राज्य सरकार की है। हालांकि जमीन बेचने की बात अभी राम नाईक जी ने बताई थी, लेकिन मैं उसे दोहराऊंगी नहीं। लेकिन सचिव स्तर की कमेटी ने कहा कि मिलें चलने योग्य नहीं हैं। लेकिन हमारी जो आपकी समितिवा बनी हैं अटीगा, बिटला, सिटला जैसी, उन्होंने रिसर्च करके कहा कि मिलें चल सकती हैं। इस पर भी अध्ययन होना आवश्यक है कि ऐसा क्यों होता है। यह दो प्रकार के निर्णय क्यों और कैसे आ गए, इसके पीछे क्या कारण हैं ?

हमारे मध्य प्रदेश में स्थिति यह हो गई कि मिलें चलने योग्य हैं, लेकिन वहाँ इतना ही करना था कि जो उन पर लायबिलिटी है, या तो उसको वेव कर दिया जाए, नहीं कर सकते तो कम से कम दस साल तक के लिए उसे स्थगित कर दिया जाए। इसी तरह से बिजली नहीं मिलती। अगर वहाँ बिजली का बिल स्थगित रखा जा सकता है तो काम बन सकता है। इसलिए ऐसे निर्णय लिए बिना ये मिलें चालू नहीं हो सकतीं। यह समस्या आखिर में मनुष्य से जुड़ी हुई है। हिन्दुस्तान के उस मजदूर से जुड़ी हुई है जो कोई छोटा-मोटा नहीं है।

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

अपराह्न 4.00 बजे

पचास लाख लोग यदि समस्याग्रस्त हो जाते हैं, तो सम्पूर्ण समाज समस्याग्रस्त हो जाएगा। जब उनकी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, तो वे कहा जाएंगे और फिर वे अलग-अलग रास्ते दूढ़गे। समाज में जब समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, तो वातावरण पूरा बिगड़ सकता है। इसलिए सम्पूर्ण समाज की जो समस्या है, उस पर सहानुभूतिपूर्वक कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। एक नई योजना लागू कर दी और उस योजना में कुछ पैसा रख दिया तथा मॉडनाइजेशन की बात कह दी, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, कोई ठोस योजना बनानी चाहिए। अगर इस दिशा में कुछ होगा, तो उनको अधिकार मिलेगा। अगर अधिकार नहीं मिलता है, तो इन पचास लाख लोगों द्वारा पूरे समाज में कहीं न कहीं तो कुछ होगा। इन बातों को ध्यान में रख कर इस समस्या को देखना चाहिए।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।

श्री रामबहादुर सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, कपड़ा उद्योग की समस्या पर कल से इस सदन में चर्चा हो रही है। इस समस्या पर सदन में काफी प्रकाश माननीय सदस्यों द्वारा डाला गया है, जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। कल से आज तक जो चर्चा हुई है, उसमें जिस गम्भीरता से हथकरघा उद्योग, हैंडलूम उद्योग एवं पावरलूम पर चर्चा होनी चाहिए थी, उस गम्भीरता से इसके बारे में चर्चा नहीं हुई है।

मान्यवर, यह सर्वविदित है कि देश में कपड़े की आवश्यकता को पूरा करने में इन उद्योगों का बड़ा भारी योगदान है। इन उद्योगों में लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग लगे हुए हैं, जो किसी न किसी प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि इस उद्योग में कम पूँजी लगाने के बाद ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। लेकिन मेरे मन में खेद है। इन उद्योगों को अधूरा छोड़ दिया गया है।

महोदय, अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : महोदय, सदन में गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। आदरणीय संचार मंत्री जी तो यहां उपस्थित हैं, हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। टैक्सटाइल मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों की मिलकर जिम्मेदारी है, लेकिन दोनों में से कोई उपस्थित नहीं है। ... (व्यवधान)

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : मैं उपस्थित हूँ और प्वाइंट्स नोट कर रहा हूँ। ... (व्यवधान)

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : संचार मंत्री, श्री वर्मा जी हम आपके कृतज्ञ हैं। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : महोदय, वस्त्र मंत्री की माननीय अध्यक्ष और सदस्यों के साथ एक बैठक चल रही है।

सभापति महोदय (श्री वित्त बसु) : वस्त्र मंत्री ने अध्यक्ष पीठ से इसकी अनुमति मांगी है।

(व्यवधान)

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : लेकिन उन्होंने वित्त मंत्री को यहीं छोड़ दिया है। वह भी बिना अनुमति के चले गए। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : मंत्रिमंडल के कुछ मंत्री यहां मौजूद हैं।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : महोदय, वस्त्र मंत्री या वित्त मंत्री या कृषि मंत्री या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री या उद्योग मंत्री में से एक को यहां मौजूद रहना चाहिए। ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : एक मिनट मेरी बात सुनिए। टैक्सटाइल मिनिस्ट्र चेरमैन की इजाजत से चले गए हैं। दूसरे मिनिस्ट्र हैं और हम फाइनेंस मिनिस्ट्र के बारे में देखेंगे।

(व्यवधान)

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : अगर आप संतुष्ट हैं, तो ठीक है। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : इनको बोलने दीजिए। इनको सुनना भी तो हमारा कर्तव्य है।

(व्यवधान)

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : ट्रेजरी बैंचेज बिल्कुल साफ हैं। क्या वे बायकॉट कर रही हैं ? ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जोशी जी, उनकी बात भी तो सुननी है। उनकी पीड़ा को भी सुनना हमारा कर्तव्य है और आपका भी कर्तव्य है। श्री रामबहादुर सिंह जी बोलिए।

श्री रामबहादुर सिंह : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूँ। एक जमाना था, जब महाराजगंज और बिहार के सीवान जिले में हथकरघा उद्योग का जाल बिछा हुआ था।

वहां के सूती वस्त्र देश के कोने-कोने में भेजे जाते थे। महाराजगंज की दो चीजों का—बिछावन की चादर और ओढ़ने की रजाई का देश के कोने-कोने में बड़ा नाम था। आज जिस तरह से जयपुरिया रजाई की चर्चा होती है उसी तरह से महाराजगंज की चादर और रजाई की चर्चा हुआ करती थी, लेकिन वह उद्योग बंद पड़ा हुआ है। आज लाखों लोग उन उद्योगों के बंद होने से मौत के कगार पर पहुंच गए हैं। उसी तरह से हमारे मधुबनी में जो मिथलांचल का इलाका है, वहां आज भी हाथ से पांच सौ नंबर का सूत काता जाता है। मधुबनी, जो मिथलांचल का इलाका है वहां का भऊरा इलाका देश के कोने-कोने में धोतियां तैयार करके भेजता था। आज जो दक्षिण भारत की धोतियां, साड़ियां, या लुंगिया आती हैं उनके मुकाबले मधुबनी में आज भी जो धोतियां, लुंगियां, चादरें या अन्य सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं, खास तौर से जो कोट्टी कपड़ा मधुबनी में तैयार किया जाता है वैसा कपड़ा सारे हिन्दुस्तान में कहीं तैयार नहीं किया जाता है। उसी तरह से मेरे बिहार

का भागलपुर का इलाका है जहाँ का सिल्क सारे देश में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में अपना नाम रोशन करता था। जिस तरह से पाठक जी ने कल कहा कि पहले हिन्दुस्तान की पहचान हर क्षेत्र में थी यहाँ तक कि कपड़े में भी हिन्दुस्तान की पहचान थी। उसका उल्लेख करते समय उन्होंने ढाका के मलमल की बात कही थी, लेकिन आज ढाका का मलमल कहानी की बात रह गई है। उसी तरह से हमारे भागलपुर का सिल्क उद्योग कहानी के रूप में रह गया है। ऐसा दिखाई पड़ता है कि सरकार इन उद्योगों के प्रति ज्यादा चिंतित नहीं है, बल्कि चिन्ता जाहिर करने के बदले सरकार के मन में उदासीनता है और उसका प्रमाण यह है कि आज से कुछ रोज पहले मैं खादी भंडार में कपड़ा खरीदने के लिए गया था। वहाँ जब मैंने कहा कि इस पर आप क्या छूट देंगे तो मालूम हुआ कि अब छूट समाप्त हो गई है, सरकार ने उस छूट को समाप्त कर दिया। फिर मुझे वहाँ जानकारी मिली कि सारे देश में जितने भी खादी भंडार हैं उनके छूट की राशि करोड़ों में देश के भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों के यहाँ बाकी है। जिस देश में रोज गांधी जी का नाम लिया जाता है और जो देश अपनी आजादी की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, वह देश खादी, उद्योग को, गृह उद्योग को तथा मझोले उद्योगों को भूल जाए, आश्चर्य है। जिन उद्योगों के माध्यम से हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों को रोजी-रोटी दे सकते हैं। आज सारी दुनिया इस बात को मान रही है कि छोटे उद्योगों में कम पूँजी से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी सरकार इस नीति में विश्वास नहीं करती है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार पूरे देश के पैमाने पर इन उद्योगों को देख कर एक राष्ट्रीय नीति बनाए और उस राष्ट्रीय नीति में इन उद्योगों को नजरअंदाज नहीं किया जाए। उस नीति के माध्यम से कार्य योजना बनाई जाए, जिस कार्य योजना को अमल में लाकर सारे देश में जो संकट कामगारों के प्रति, कपड़ा उद्योगों में लगे लोगों के प्रति पैदा हुआ है उस संकट को दूर किया जा सकता है।

महोदय, अपनी इस बात को समाप्त करते हुए मैं एक निवेदन आपके माध्यम से मंत्री जी से करना चाहता हूँ। मंत्री जी यहाँ नहीं हैं लेकिन उनके बदले जो नोट कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि मेरी बात नोट करके मंत्री जी तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बिहार के बारे में मंत्री जी को कोई चिन्ता नहीं है। उनके दिमाग में ऐसा लगता है कि बिहार इस देश का राज्य नहीं है। ... (व्यवधान)

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : वह नोट नहीं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं।

श्री रामबहादुर सिंह : महोदय, मैं कपड़ा मंत्रालय के अधीन एक विशेष घटना की चर्चा पार्लियामेंट में उनकी मानसिकता को जाहिर करने के लिए कर रहा हूँ।

कपड़ा मंत्रालय के अधीन कुछ चीनी मिलें चलती हैं। संयोग से मेरे जिले सारंग में भी एक चीनी मिल है भदौरा चीनी मिल। किसानों को कोई सूचना नहीं दी गई है कि मिल बंद हो जाएगी। करोड़ों रुपए

का गन्ना किसानों का उस क्षेत्र में लगा हुआ है लेकिन प्रबंधकों ने कहा कि 50 से 60 करोड़ रुपए ऋण तक नहीं मिलेंगे मिल बंद हो जाएगी। वहाँ के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने और मैंने कृषि मंत्री से गुहार की। कपड़ा मंत्री से गुहार की लेकिन मंत्री (जाल्लपा) ने कहा कि मैं भी किसानों का बेटा हूँ और मैं भी किसानों के हक में काम करना चाहता हूँ लेकिन खजाना खाली है, मैं पैसा नहीं दूंगा। मैंने कहा कि यह काम किसानों के हक में नहीं होगा। लाखों किसान आज गन्ने की खेती में लगे हुए हैं और उनके सामने रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो जाएगी। लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी को धन्यवाद दूंगा कि उनके हस्तक्षेप से वह रुपया मिल के प्रबंधकों को मिला और मिल चालू हो गई। मैंने इस बात की चर्चा इसलिए की कि अगर यह मानसिकता बिहार के बारे में रहेगी तो बिहार को बड़ा महंगा पड़ेगा। इस मानसिकता को बदलिए। बिहार भी हिन्दुस्तान के नक्शे पर है मैं चाहता हूँ कि बिहार में कपड़ा-उद्योग के फलने-फूलने की व्यवस्था की जाए।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : सभापति जी, हम सब लोक सभा अध्यक्ष के कृतज्ञ हैं जो उन्होंने वस्त्र-उद्योग के ऊपर रूल 193 के अंतर्गत चर्चा करने का अवसर हमें प्रदान किया है। सनत मेहता जी ने इस चर्चा को प्रारंभ किया इससे जहाँ प्रसन्नता है वहीं आश्चर्य भी है कि जिस गंभीरता के साथ सरकार ने इस चर्चा को लिया है—वस्त्र मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, डिपार्टमेंट ऑफ़ हैवी इंजीनियरिंग, हैवी इंडस्ट्री, पेट्रोलियम एंड कैमिकल्स से संबंधित मसला हम चर्चा में लाए हुए हैं। वस्त्र मंत्री जी के पास इच्छा के अलावा कोई साधन नहीं है। जब-जब इनसे एन. टी. सी. के मजदूरों के वेतन के बारे में बात होती है तो ये अपना असहायपन प्रकट करते हैं। ये कहते हैं कि वित्त मंत्री ने रोक दिया है, जब वहाँ से पैसा रिलीज होगा, तब यह होगा। वस्त्र मंत्रालय के किसी अधिकारी से सम्पर्क करें तब भी यही जवाब मिलता है तथा वित्त मंत्री से सम्पर्क करने पर भी यही जवाब मिलता है कि बजट में हमने जितना प्रावधान किया था वह समाप्त हो गया है अब दुबारा कैबिनेट के सामने केस जाएगा तो वेतन मिलेगा। पिछली बार तीन महीने का वेतन नहीं मिला था और अब फिर वेतन नहीं मिल रहा है।

अगर हम यह कहें कि इस देश की कुल जनसंख्या का लगभग एक प्रतिशत हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्त्र उद्योग से जुड़ा हुआ है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुल 1457 मिलें वस्त्र उद्योग में हैं, जिनमें से 188 सरकारी, 145 सहकारी, 1142 निजी क्षेत्र में हैं। एन. टी. सी. के अंतर्गत 120 मिलें हैं जिनमें लगभग 1 लाख 10 हजार श्रमिक हैं। एक परिवार में औसत पांच व्यक्ति लें तो लगभग साढ़े पांच लाख होते हैं तथा 10 लाख 43 हजार कर्मचारी और श्रमिक अन्य वस्त्र उद्योग से जुड़े हुए हैं। इस सिद्धांत से अनुमान लगाएँ तो यह आंकड़ा करीब 52 लाख बैठता है। इन मिलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक सहायक यूनिट्स इनके आस-पास लगे रहते हैं, जिनमें लोग कार्यरत रहते हैं।

फिर और नीचे जाएँ तो कपास पैदा करने वाला किसान इससे प्रभावित

[श्री जगत वीर सिंह द्रोण]

होता है। वस्त्र उद्योग अपने निर्यात का 1/3 या 33 परसेंट इस दुर्दशा में भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है जिस के द्वारा हम विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। अपने ग्रांस डोमैस्टिक प्रोडक्ट का लगभग 20 परसेंट शेरर इसके द्वारा दिया जाता है। इससे प्रभावित लोगों का अपने राष्ट्र के आर्थिक संसाधनों में वृद्धि करने में जो योगदान है, उसकी जिस तरह से उपेक्षा अनेकानेक वर्षों से हुई है, वह एक चिन्ता का विषय है। आज भी जिस गम्भीरता के साथ सरकार को इस क्षेत्र में कदम उठाने चाहिए, उसे उठाने के लिए सरकार तत्पर नहीं है। हमेशा यह कहा जाता है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है। सभापति महोदय, इसी सत्र में वस्त्र मंत्री ने बहुत सीधा जवाब दिया कि मॉडर्नाइजेशन के लिए 2005.72 करोड़ रुपए की एक योजना दी गई थी जिस में उनकी फालतू जमीन और बिल्डिंग को बेचकर उनका पुनरुद्धार करना है, आधुनिकीकरण करना है जिससे वे चल सकें। तब जालप्पा जी ने इसका सीधा जवाब दिया था कि वे इस योजना को लागू करने नहीं जा रहे हैं। वेंकटस्वामी जी जो पिछले वस्त्र मंत्री थे, वह इस योजना को लाए थे। वह श्रमिकों की समस्याओं से परिचित थे। वह उनके बीच में काम कर चुके हैं। वह जानते थे कि श्रमिकों के ऊपर कितना संकट आया हुआ है ?

मैं कानपुर को रिप्रेजेंट करता हूँ। कानपुर में पांच एन. टी. सी. के अंतर्गत मिलें आती हैं। कानपुर टैक्सटाइल और ऐलगिन। यह बी. आई. सी. के अंतर्गत आती हैं। ये सभी मिलें रुग्ण हैं। बी. आई. सी. के अंतर्गत आने वाली दोनों मिलें ऐलगिन और कानपुर टैक्सटाइल ये ए. ए. आई. एफ. आर. के अंदर इस समय विचाराधीन हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 15 टैक्सटाइल मिलें हैं जो बी. आई. एफ. आर. को रैफर की जा चुकी हैं। पूरे देश में 278 ऐसी मिलें हैं जो वर्तमान में बी. आई. एफ. आर. के पास पड़ी हैं। मैंने पहले भी इसको कहा था। अनेक बार इस विषय को उठा चुका हूँ। कानपुर में 92 हजार लोगों को रोजगार इससे मिलता था। उत्तर भारत का मानचैस्टर कानपुर कहलाता था। उन मिलों की चिमनी से धुआ निकला करता था। उस धुएँ में रहने की आदत कानपुर के लोगों को पड़ गई थी। आज किसी भी मिल से धुआ नहीं निकलता है। लोग आसू बहा-बहा कर रोते हैं। श्रमिकों को कच्चा माल उपलब्ध न कराए जाने के बाद आवश्यक कार्यशील पूंजी के अभाव में अयोग्य, अनुभवहीन, अदूरदर्शी, लोगों को प्रबंधन सौंप दिया। लोगों की राजनीतिक कारणों से यह दुर्दशा हुई। इसमें श्रमिकों का कोई दोष कहीं नहीं आता। आप श्रमिकों को कच्चा माल दीजिए, कार्यशील पूंजी दीजिए। वे मिल चलाएंगे और वे उत्पादन करेंगे। यह वही श्रमिक हैं जो गांव से स्वस्थ आया करते थे। उनको देखकर प्रसन्नता होती थी कि एक युवा आ रहा है। उनके चेहरे पर लालिमा रहती थी। अब जिन कॉन्डिशन में और आधुनिकीकरण के अभाव में, उनको काम करना पड़ता है, उससे उसका स्वास्थ्य निरंतर गिरता चला जा रहा है लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हिसाब से उसमें पूरा योगदान देने के बाद इन मिलों को चलाने का काम किया। वह आज भी उसे चलाने के लिए तत्पर है। लेकिन हम सरकार के स्थान के पास खड़े होकर उसको वह साधन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, हम कार्यशील पूंजी भी नहीं दे पा रहे हैं, हम कच्चा माल खरीद कर नहीं दे पा रहे हैं। उनको बिना काम किए हुए वेतन विलम्ब से कभी तीन महीने, कभी

चार महीने में देने की व्यवस्था तो कर रहे हैं लेकिन क्या यह राष्ट्र के हित में है ? क्या यह श्रमिक के हित में है ? वह बिना काम के वेतन लेगा तो उसका एक स्वभाव बन जाएगा। यहीं पर जहाँ सरकार को जागरूक होना चाहिए, सरकार को चिन्ता करनी चाहिए, मेरा एक निवेदन है क्योंकि मैं रचनात्मक सुझाव दे रहा हूँ। यहाँ श्रमिक संगठन अनेकानेक रहे। जहाँ सरकार का इसमें पूरी तरह से दोष है, वहीं थोड़ा-सा सुधार अपने श्रमिक संगठनों को अपने दृष्टिकोण में लाना होगा। चिंतन को दलीय राजनीति से जोड़ कर नहीं, वोट की राजनीति से जोड़ कर नहीं देखना चाहिए। उत्पादन बंद नहीं होना चाहिए। उन्हें इसका संकल्प लेना होगा। चाहे कोई भी उद्योग हो, सरकार का हो, सहकारी हो, निजी क्षेत्र में हो। उत्पादन अगर ठप्प हो जाएगा तो कोई भी उद्योग चल नहीं सकता और सरकारी सहायता से उसकी... (व्यवधान) एक कॉम्प्रीहेंसिव टैक्सटाइल पालिसी की इस देश को बहुत बड़ी आवश्यकता है लेकिन यह कठिन भी है। जैसे कि मैंने उस समय अपना विरोध दर्ज किया जब वस्त्र मंत्री और वित्त मंत्री जी यहाँ नहीं थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री, टैक्सटाइल मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट आफ पैट्रोलियम एंड कैमिकल्स, डिपार्टमेंट आफ हेवी इंडस्ट्रीज, इन सब का कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार समावेश इसमें है।

पर इसके लिए देश के सामने एक काम्प्रीहेंसिव टैक्सटाइल पालिसी लेकर आना होगा क्योंकि जो आपका प्रबंधनतंत्र चल रहा है, उससे कोई परिणाम सामने आना वाला नहीं है। मैंने इस बात को जानता हूँ कि वर्तमान वस्त्र मंत्री को विशेष अधिकार और संसाधन नहीं हैं लेकिन उसके बावजूद उनका यह दायित्व है और देश के प्रति जवाबदेही है। जैसा प्रबंधन चलता है, उसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लि. का हैड क्वार्टर कानपुर में है जिसका कोई सी. एम. डी. नहीं है। उसका एक डायरेक्टर (फाइनेंस) है, उसके अलावा और वहाँ कोई नहीं। टैक्सटाइल मिनिस्ट्री के एक ज्वाइंट सैक्रेट्री वहाँ के सी. एम. डी. का एडिशनल चार्ज लिए हुए हैं जो एक महिला है। उनकी अपनी एक सीमा है। जिस तरह से काम होना चाहिए, सरकार बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रही है कि मिलों का उद्धार हो। ये मिलें बीमार क्यों हैं ? ये एक दिन में बीमार नहीं हुईं। निरंतर कालचक्र के अंतर्गत इनके आधुनिकीकरण की आवश्यकता थी जिसे इन्होंने नहीं किया। जो वहाँ पर काम करने के लिए मशीनें लगी हैं, आज के प्रतिस्पर्द्धा के युग में हम कहीं उहरेते नहीं। दूसरा कारण यह है कि इस देश में पावरलूम का विकास हुआ है। पावरलूम कॉस्ट इफैक्टिव होता है तो उससे कम्पिटिशन में दिक्कत आ गई है। कार्य शैली पूंजी सरकार की थी और नेशनलाइजेशन होने के बाद यह उसका दायित्व बनता है लेकिन वह इसे पर्याप्त मात्रा में और समय में दे नहीं पाए। कच्चा माल उसको उपलब्ध नहीं करा पाए। प्रशासन चलाने के लिए किसी टैक्नोक्रेट को रखा जाए। इन्होंने राजनीतिक लोगों की नियुक्ति करके मिलों का सत्यानाश कर दिया और मजदूरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है।

सभापति महोदय, मुझे कानपुर के मजदूरों की दुर्दशा देखकर बहुत कष्ट होता है जिनको बिना काम के निकाल दिया गया है। आप अपनी एन. टी. सी. मिलों के मजदूरों को वेतन देते हैं लेकिन ऐसी निजी

सैक्टर की मिलों के मजदूर हैं जिनमें जे. के. काटन मिल है, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए वेश्यावृत्ति करानी पड़ती है। अपने ही देश में मजदूरों को अपने उद्योगों के उत्थान के लिए काम करना चाहिए था, वे विवश होकर अपने बच्चों को वेश्यावृत्ति करने पर लगे हुए हैं। यह बड़े ही शर्म की बात है, आंसू आ जाते हैं। मैंने जिस दुर्व्यवस्था का जिक्र किया है, इस पर अंकुश लगाने के लिए जो कमियाँ रह गई हैं, उसके लिए आपको विचार करना पड़ेगा।

सभापति जी, यहां पर बी. आई. एफ. आर. की स्थापना की गई। राजनैतिक कारणों से जो दल भी सत्ता में आता है, मिल कैसे बंद हो, उसे बी. आई. एफ. आर. के माध्यम से घुमा दीजिए। एक मिल भी चालू नहीं हुई। कितनी वायेबल प्लान्स दे दें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। आपने टैक्सटाईल वर्क्स रिहैबिलिटेशन फंड्स स्कीम चलाई है, यह क्या है ? इसमें आप तीन सालों तक पहले साल 75 प्रतिशत, दूसरे साल 50 प्रतिशत और तीसरे साल 25 प्रतिशत वेतन देते हैं लेकिन इसका समाधान क्या होगा ? इसमें तो क्षणिक सहायता मिलती है जिसमें उसके भविष्य का कल्याण नहीं होने वाला है। फिर आपने उसे पैसा दिया। बी. आर. एस. में आपने कहा कि पैसा लो और घर जाओ। बी. आर. एस. के साथ कंडीशंस लगी हुई है। क्या इसको बी. आर. एस. से मुक्त रखेंगे ? लेकिन प्रशिक्षण करके किसी अन्य काम के लिए पैसा लगाकर अपना उद्यम स्थापित कर सकेगा, सरकार की तरफ से ऐसा कोई रचनात्मक प्रयास नहीं हुआ। उसकी कोई उपलब्धि नहीं है। यह ठीक है कि 40 हजार लोग बी. आर. एस. के अंदर अपना पैसा लेकर चले गए लेकिन आज उनकी दुर्दशा हो रही है। जैसा श्रीमती सुमित्रा महाजन ने बताया कि जिसकी लड़की की शादी होती है तो सारा पैसा उसमें खर्च कर देता है और फिर सड़क पर आ जाता है। इसमें कुछ दुर्गुण श्रमिक बंधुओं के भी हैं। वे शराब पीते हैं और जुआ भी खेलने लगे हैं। आज क्या हो रहा रहा है ? वह मिल के अंदर आने पर जब काम नहीं होता तो ताश खेलता है और जब सादे तरीके से नहीं, तो वेतन लगाकर खेलता है। यह हमारे देश के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। हमारे देश की कार्य संस्कृति का जुआ के माध्यम से सत्यानाश हो रहा है। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : मैं समाप्त कर रहा हूँ। काफी बक्त है।

[हिन्दी]

सभापति जी, आप भी 10वीं लोकसभा के मੈम्बर थे उस समय के वस्त्र मंत्री श्री जी. वेंकट स्वामी टर्न अराऊंड पालिसी के अंतर्गत 2005.72 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके लाए।

अपनी मिलों के पास केवल मुम्बई में 2349 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। लेकिन वहां पर कोई गारंटी नहीं दे सकता। जैसे आदरणीय सरपोतदार जी ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार इसकी अनुमति क्यों

नहीं दे रही है। यह सरकार महाराष्ट्र सरकार को क्लिअर-कट आश्वासन दे कि जो रुपया आप दे रहे हैं उससे इन मिलों के श्रमिकों के हितों की रक्षा होगी। उनको वेतन भी समय से मिलता रहेगा। उनके निरंतर चलने वाली स्थिति होगी। कार्यशील पूंजी के नाते उनके मिलों को चलाने के लिए, कच्चा माल खरीदने के लिए, आधुनिकीकरण के लिए टोटल व्यवस्था की जाएगी। आखिर सरकार हिचक क्यों रही है। श्री जालप्पा जी यहां पर बैठे हुए हैं। वह भी यही बताएंगे। अभी सात-आठ दिन पहले ही आपने कहा कि इस योजना को वह लागू करने नहीं जा रहे हैं, लागू नहीं कर सकते हैं। मेरे कानपुर में इतनी विशाल-विशाल मिलें हैं। आप अगर स्थानीय तौर पर ही ले लें, अगर प्रांतीय सरकारों के साथ बात करें, नगर निगम के साथ बात करें। राष्ट्र के हित में अगर आप निश्चित रूप से उनको आश्वासन देते हैं कि पैसे का सदुपयोग होगा, दुरुपयोग नहीं होगा, तो निश्चित रूप से वे आपके साथ सहयोग करेंगे। एक सामान्य से अधिकारी को पांच एकड़ के बंगले में रहने की क्या आवश्यकता है। हमारे कानपुर में तो बहुत ही विचित्र स्थिति है। वहां एक अधिकारी पांच-पांच एकड़ में रहता है, वहां अग्निजों के जमाने के बने हुए बड़े-बड़े बंगले हैं। जब मुम्बई में पश्चिम रेलवे का इंजीनियर-इन-चीफ अगर मल्टीस्टोरीड बिल्डिंग के एक फ्लैट में रह सकता है।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : साहब हम तो दो कमरे के फ्लैट में रहते हैं।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : आप डेढ़ कमरे में रहते हैं, उन्हें दो मत कहिए। मैं आपके यहां आया हूँ। मेरा निवेदन यह है कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें और जो बड़ी-बड़ी जमीनों में बंगले बने हुए हैं इनको मल्टीस्टोरीड बिल्डिंगें बनाकर समस्या का समाधान करें। कानपुर में तो और भी गंभीर मसला है, आपकी जमीन और बंगलों पर सरकार का कब्जा हो गया है। कानपुर का आई. जी., डी. आई. जी., एस. एस. पी., एस. पी. और अनेक प्रशासनिक अधिकारी आपके बंगलों पर कब्जा करके अपना आफिस चला रहे हैं, निवास कर रहे हैं। यह सब चीजें आपके अधिकार क्षेत्र से जा रही हैं और इनका रख-रखाव भी ठीक से नहीं हो रहा है।

अंत में मेरे दो-तीन वाक्य यह हैं कि सरकार वर्तमान परिस्थितियों में इतने बड़े सैक्शन को जिसके साथ लगभग आबादी के एक प्रतिशत लोग श्रमिक और उसके परिवार के रूप में जुड़े हुए हैं। इन मिलों के द्वारा राष्ट्र के निर्यात में जो योगदान होता है वह लगभग 33 परसेंट है। जो हमारे जी. डी. पी. का 20 प्रतिशत कंटीब्यूट करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही श्रमिक हैं जो राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन इन मिलों में काम करते-करते राष्ट्र का उत्पादन बढ़ाने में लगाया है, इनके हितों की रक्षा होनी चाहिए और ऐसी योजना लेकर सरकार को आना चाहिए जिसके द्वारा हम सब इन मिलों का आधुनिकीकरण करने के पश्चात् नियमित रूप से बिना पैसे के अभाव से निरंतर चला सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री जी कृपया उत्तर दें।

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : महोदय, मैंने अपना नाम दिया है। मैं बोलने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरा नाम उसमें शामिल है।

सभापति महोदय : अब, मंत्री जी जवाब देंगे।

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : महोदय, मुझे वाकई खुशी है और मैं आपके और माननीय सदस्यों के प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने वस्त्र उद्योग के बारे में सामान्य रूप से, विशेषकर श्रमिकों के बारे में, अपनी चिंता जाहिर की है। श्री सनत मेहता ने बोलते हुए कहा था कि एक आधुनीकरण कोष की स्थापना की जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में आधुनीकरण हेतु 750 करोड़ रुपए की राशि अलग से नियत की गई थी।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, सभा में गणपूर्ति नहीं है।

श्री आर. एल. जालप्पा : वह शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री सुरेश प्रभु : मैंने भाषण देने का अनुरोध किया था। मुझे छोड़कर अनेक सदस्यों ने बोला है। यदि मुझे बोलने नहीं दिया जाता तो नियम का पालन किया जाना चाहिए। कृपया अपना विनिर्णय दें।

श्री आर. एल. जालप्पा : मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे बोलने दें।

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है।

सभापति महोदय : अब, सभा में गणपूर्ति है। माननीय मंत्री श्री आर. एल. जालप्पा अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री आर. एल. जालप्पा : सभापति महोदय, मैं वास्तव में आम रूप से वस्त्र उद्योग और विशेषकर श्रमिकों के प्रति माननीय सदस्यों द्वारा जाहिर चिंता के प्रति उनका आभारी हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

श्री सनत मेहता द्वारा आधुनीकरण कोष की बात कही गई थी। सातवीं योजना में हमने इसके लिए 750 करोड़ रुपए राशि का नियतन किया गया था और मुझे यह बताया गया है कि सातवीं योजना के दौरान आधुनीकरण में 1200 करोड़ की राशि व्यय की गई थी लेकिन आठवीं योजना में यह धन उपलब्ध नहीं कराया गया।

मैंने कुछ ऐसे राज्यों का दौरा किया है जहाँ ये वस्त्र उद्योग हैं। जब मैंने वहाँ के प्रबंधन और मजदूरों से बातचीत की तब मुझे पता चला कि विश्व बाजार में तीन या चार वर्ष बाद—शायद वह स्पर्धा इसी वर्ष शुरू हो जाए—स्पर्धा करने के लिए हमें आधुनिक प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित होना होगा। अतः, मैंने योजना आयोग से प्रौद्योगिकी आधुनीकरण कोष उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है और मैं माननीय वित्त मंत्री का इस बात के लिए आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा सुझाव मान लिया। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान यह भी कहा था कि एक प्रौद्योगिकी आधुनीकरण कोष स्थापित किया जाएगा।

एक माननीय सदस्य : और उन्होंने वह धन उपलब्ध नहीं कराया।

श्री आर. एल. जालप्पा : अब जब आप सभी ने उस बजट को अनुमोदित कर दिया है तो वह यह धन उपलब्ध कराएँगे।

महोदय, जब भी कोई मिल रुग्ण घोषित होती है तो श्रमिकों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है मैं उन्हें जानता हूँ। यह रुग्णता अनेक कारणों का परिणाम है। मैं इन कारणों का उल्लेख नहीं करना चाहता। लेकिन 31.03.1997 तक 301 एककों को बी. आई. एफ. आर. के सुपुर्द किया गया है। बंद मिलों की संख्या 207 है जिनमें से 38 को परिसमापन के अंतर्गत बंद किया गया है।

अन्य मिलों को वित्तीय संकट या व्यापार में गिरावट या अन्य कारणों के फलस्वरूप अस्थायी तौर पर बंद किया गया है। कपड़ा मिलों में रुग्णता का मुख्य कारण ढाँचागत परिवर्तन है जिसके परिणामस्वरूप संगठित क्षेत्रों में संयुक्त एकक बिजली चालित कर्षों से स्पर्धा नहीं कर पा रही है।

माननीय सदस्य मानचेस्टर का उल्लेख कर रहे थे—कि अहमदाबाद भारत का मानचेस्टर रूप में जाना जाता था। अभी भी यह भारत का मानचेस्टर है क्योंकि मानचेस्टर में कोई वस्त्र उद्योग नहीं है। मैंने मज़ाक स्वरूप यह बात कही है जिसका मुझे खेद है। यह रुग्णता दस महीने या एक वर्ष का परिणाम नहीं है। यह परम्परागत है। मुझे यह विरासत में प्राप्त हुई है। इस रुग्णता के लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। सरकार वह प्रौद्योगिकी आधुनीकरण कोष उपलब्ध कराते हुए इस बात पर भी ध्यान दे रही है कि जो वस्त्र उद्योग खराब हालत में हैं उन्हें सुधारा जाए और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। सरकार उन्हें बी. आई. एफ. आर. को सुपुर्द नहीं कर रही है। जब किसी कम्पनी को अपनी शेयर पूंजी से ज्यादा की हानि होती है तो यह स्वतः ही बी. आई. एफ. आर. को सुपुर्द कर दिया जाता है। अतः बी. आई. एफ. आर. से हमें कुछ नहीं करना है। हम बी. आई. एफ. आर. को इन्हें सुपुर्द नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिलों का प्रश्न है हमने उन्हें बी. आई. एफ. आर. को सौंप दिया है। लेकिन जहाँ तक प्राइवेट मिलों का संबंध है हम उन्हें भी बी. आई. एफ. आर. को सौंप नहीं रहे हैं। बी. आई. एफ. आर. अपना निर्णय कर रही है और हम उन नियमों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं।

जहाँ तक टी. डब्ल्यू. आर. एफ. का प्रश्न है तो वस्त्र श्रमिक पुनर्वास कोष ने पिछले वर्ष के दौरान 28 मिलों के 42461 श्रमिकों को कुल 84.61 करोड़ रुपए दिए। इस वर्ष हमने वस्त्र श्रमिक पुनर्वास कोष हेतु बजट में 10.21 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि करीब-करीब तीन सौ वस्त्र उद्योगों को बी. आई. एफ. आर. के विचाराधीन हैं, एक चिन्ता की बात है। हम इस तथ्य से अवगत हैं। हम वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय कर रहे हैं। तथापि, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि इस सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में कपड़ा क्षेत्र की अनदेखी न करें।

समूचे वस्त्र उद्योग को रुग्ण बताना भी गलत है। विगत वर्षों में विशेषकर कताई क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। यह एक बंद होता उद्योग नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य श्री सनत मेहता द्वारा कहा गया है।

वस्त्र मशीनों में वार्षिक निवेश 1993-94 में 2100 करोड़ रुपए से बढ़कर 1995-96 में 3400 करोड़ रुपए हो गया है। उदाहरणार्थ, वर्ष 1980 में मैं 400 कताई मिलें थीं और 200 कम्पोजिट मिलें थीं। वर्ष 1990 में यह बढ़कर 770 कताई मिलें और कम्पोजिट मिलें हो गईं। वर्ष 1996 में कुल 1310 कताई मिलें और 275 कम्पोजिट मिलें हो गईं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि कम्पोजिट मिलों की संख्या में धीरे-धीरे कमी हो रही है।

ऐसा क्यों है ? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास असंगठित क्षेत्र में लगभग 1.7 मिलियन बिजली चालित करघे हैं जो कि संगठित क्षेत्र से मुकाबला कर रहे हैं। उन्हें कुछ सुविधाएं प्राप्त हैं। उनका निवेश कम है। कभी-कभी वे करों का भुगतान नहीं करते हैं और बिजली का बिल जमा करने की उनके पास एक अलग पद्धति है। वे संगठित क्षेत्र से कम दर पर मजदूरी का भुगतान करते हैं। इस प्रकार संगठित क्षेत्र की ये मिलें बिजली चालित करघों की प्रतियोगिता का सामना करने की स्थिति में नहीं हैं।

माननीय सदस्य सूत के बारे में उल्लेख कर रहे थे। मुझे माननीय सभा को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सूत का उत्पादन जो कि 1991-92 में 18.06 लाख टन था वह 1995-96 में बढ़कर 23.79 लाख टन हो गया है। मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि पिछले दो वर्षों से हम जापान को सूत का निर्यात कर रहे हैं। जापान आजकल हमारे अच्छे बाजारों में से एक है। पिछले वर्ष 80 मिलियन किलोग्राम निर्यात करने की अनुमति दी गई थी। जब वे मेरे पास कोटे को बढ़ाने के लिए आए तो मैंने सोचा कि कोटे को बढ़ाना ठीक होगा क्योंकि कपास का निर्यात करने के बजाय हम सूत का निर्यात कर सकते हैं जिससे कि मूल्य संवर्द्धित सामग्री का निर्यात किया जा सकेगा और हम ज्यादा विदेशी मुद्रा का अर्जन कर सकते हैं। मैंने इसे पिछले वर्ष और 30 मिलियन किलोग्राम बढ़ा दिया। इस वर्ष मैंने उन्हें 120 मिलियन किलोग्राम का कोटा दिया है। इसके अतिरिक्त अब वे मेरे पास यह कहते हुए आए कि उन्हें छह महीनों के लिए कुछ और कोटे की आवश्यकता है तो मैं उन्हें 20 मिलियन किलोग्राम का कोटा और दिया। इस क्षेत्र में हमारा प्रदर्शन ऐसा रहा कि हमने 58 प्रतिशत ज्यादा निर्यात किया है उससे जितना कि हमने पिछले वर्ष, 1994-95 के दौरान निर्यात किया था। यह एक उपलब्धि है और हमें ऐसी शानदार प्रगति को प्राप्त करने के लिए मिल वालों को बधाई देनी चाहिए।

कपड़े के कुल उत्पादन 1991-92 में 22,500 मिलियन वर्ग मीटर से 1995-96 में 28,631 मिलियन वर्ग मीटर की वृद्धि देखी गई है। यह बात सही है कि जो कारण मैं पहले बता चुका हूँ उनके चलते संगठित क्षेत्र की मिलों का उत्पादन कम हुआ है। 1991-92 में देश में उत्पादित कपड़े का 11 प्रतिशत मिल क्षेत्र में उत्पादित हुआ था। आज की स्थिति में यह छह प्रतिशत है। इसमें गिरावट आई है।

श्री सनत मेहता बता रहे थे कि उद्योग न तो बेहतर था और न ही बदतर हालत में पहुंच गया है। मैं 'नहीं' कहना चाहूंगा। उद्योग ने अच्छी उन्नति की है। मैं सभा को पहले ही पिछले दो वर्षों के दौरान किए गए निवेश के बारे में सूचित कर चुका हूँ। पिछले पांच वर्षों

में 600 मिलें लगाई जा चुकी हैं। हमारा उत्पादन बीस प्रतिशत है। हमने 20 प्रतिशत को बनाए रखा है। कपड़ों का निर्यात 35,000 करोड़ रुपए का हो गया है। हम पिछड़ नहीं रहे हैं।

मैं स्वयं आपको इस संगठित क्षेत्र द्वारा जूझी जा रही प्रतियोगिता के बारे में स्पष्ट रूप से बता चुका हूँ। कपड़ा उद्योग का अर्थ केवल ये मिलें ही नहीं हैं परन्तु इसका अर्थ है हथकरघा, बिजली चालित करघा और खादी बुनना जिसमें यह सारी बातें सम्मिलित हैं। यदि हम सबके प्रदर्शन को इकट्ठा देखते हैं तो मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि 301 मिलों के रुग्ण होने के बावजूद हम पिछड़ नहीं रहे हैं।

मैं अहमदाबाद के बंद कपड़ा मिलों के क्षेत्र पुनरुत्थान, जिसके बारे में श्री सनत मेहता और हरिन पाठक जी ने उल्लेख किया था, के संबंधी प्रस्ताव के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इसका निपटारा उद्योग विभाग में होता है। जब ये हमारे पास आए तो हमारे मंत्रालय ने सिफारिश की कि इस पर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि केवल सहकारी मिलों या राज्य की मिलों के लिए नहीं है। यह केवल राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, के लिए है।

एक बात मजदूरी के बारे में भी उठाई थी—कि मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। यह सही है कि पिछले वर्ष नवम्बर-दिसम्बर के महीने में कुछ समस्या थी। जब इसे माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में लाया गया तो उन्होंने इस पर तत्काल विचार किया था और दो महीनों की मजदूरी जारी की थी। जनवरी की मजदूरी का भी भुगतान किया गया था। फरवरी की मजदूरी भी जारी की जा रही है जो कि 27 करोड़ है। हम उन्हें बाकी बचे धन का भुगतान एक या दो महीने के भीतर करने जा रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : फिर भी दो महीनों की मजदूरी बाकी रहेगी।

श्री आर. एल. जालप्पा : नहीं। हम उसका भुगतान भी उन्हें कर रहे हैं। आप पिछले महीने की मजदूरी को दिए बिना अगले महीने की मजदूरी का भुगतान किस प्रकार करेंगे। पहले हम पिछले महीने की मजदूरी का भुगतान करेंगे। इसमें कुछ समय लग सकता है; यह शायद सम्भव नहीं हो पाएगा कि उन्हें समय पर दे सकें। इसमें शायद एक या दो महीने लग सकते हैं। मैं कर्मचारियों से अनुरोध करता हूँ कि वे मेरे साथ सहयोग करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : समस्या यह है कि यदि आप दो महीनों के बाद किसी विशेष महीने की मजदूरी का भुगतान करते हैं तो उस समय तक अन्य दो महीनों की मजदूरी देय हो जाती है। इसी लिए प्रति माह आप को कम से कम एक महीने से ज्यादा की मजदूरी का भुगतान करना चाहिए जिससे कि बकाया पूरा किया जा सके। ऐसा करना होगा।

श्री आर. एल. जालप्पा : हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपको उस व्यक्ति से सहयोग प्राप्त करना चाहिए जिसको आपने धन्यवाद दिया है।

विपक्ष मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : वे दोनों सही हैं और केवल मैं ही गलत हूँ।

श्री आर. एल. जालप्पा : श्री थोरात कपास के मूल्य, जो कि वर्ष दर वर्ष घट-बढ़ रहा है, के बारे में चिन्ता व्यक्त कर रहे थे। यह मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। जब आपूर्ति ज्यादा होती है और मांग कम होती है तो मूल्य कम हो सकते हैं। कोई भी इसे खरीदना और भण्डारण करना नहीं चाहता क्योंकि ब्याज दरें बहुत ज्यादा हैं। किसी को भी 18 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। अन्य प्रभावों के माध्यम से यह और दो प्रतिशत बढ़ सकता है। इसी कारण यह 20 प्रतिशत हो जाता है। कोई भी इसे महीनों तक भण्डारण करना नहीं चाहता।

मैंने मिल मालिकों को बुलाया और उनसे पूछा : मैंने निर्यात किए जाने के लिए आपको इतनी सारी सूत दी है, क्या बात है ? आप खरीद क्यों नहीं रहे हैं ? उन्होंने मुझसे कहा कि उनको 18 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना होता है और यह कि जब कभी भी उन्हें जरूरत होगी वे खरीदेंगे। अब मूल्यों में मजबूती आई है और यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान रहे मूल्यों से कुछ रुपए ज्यादा है।

उन्होंने सूत की गांठों के बारे में भी कहा था। देश में हथकरघों की उपलब्धता के बारे में एक सर्वेक्षण कराया गया है; हमें दो या तीन राज्यों को छोड़कर बाकी सबकी सर्वेक्षण रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं। हम इस बात का पता लगाएंगे उनमें से कितने रेशम बुनते हैं और उनमें से कितने कपास का इस्तेमाल करते हैं। हम आवश्यकता का आकलन करेंगे, और यदि आवश्यक हुआ तो हम इस सूत की गांठ सम्बन्धी वचनबद्धता या शर्त को बदलने का प्रयास करेंगे। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि दिन-ब-दिन देश में उत्पादित होने वाली कपास की गुणवत्ता गिरती जा रही है। गुणवत्ता बढ़िया नहीं है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी कम हो रहा है।

जब हम अपने आंकड़ों की तुलना विकसित देशों के आंकड़ों के साथ करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा उत्पादन लगभग एक-तिहाई है। इसीलिए मैंने अपने अधिकारियों के साथ चर्चा की थी और योजना-आयोग के माननीय उपाध्यक्ष से मिलने गया था। मैंने उनसे हमें तेल प्रौद्योगिकी मिशन के कपास प्रौद्योगिकी मिशन को बनाने देने की अनुमति देने के लिए अनुरोध किया था। मुझे उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने हमारी भरी और कृषि मंत्रालय इस पर कार्य कर रहा है। मुझे आशा है यह एक या दो महीनों के भीतर मूर्त रूप धारण कर लेगा। मैंने अपनी ओर से स्वयं यह निर्णय लिया था। मैं योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रो. मधु दण्डवते से भी मिलने गया था और उनके ध्यान में प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निधि और कपास प्रौद्योगिकी मिशन की आवश्यकता के बारे में बताया। मैंने उनसे इन बातों के लिए भी अनुरोध किया जिनको उन्होंने सहमति दी थी।

श्री नारायण स्वामी मेरी अनुपस्थिति में रेशम के बारे में बोले थे। हम अग्रिम लाइसेंसिकरण व्यवस्था के माध्यम से रेशम की कुछ मात्रा का आयात कर रहे हैं जिससे वे निर्मित वस्तुओं का निर्यात कर सकें। परंतु जहां तक हमारी स्वदेशी रेशम का संबंध है इसकी बड़ी मात्रा

निर्यात नहीं की जा रही है क्योंकि इसमें कुछ कमियां पाई जा रही हैं। आंतरिक उपयोगों के लिए यह बहुत बढ़िया रेशम है। ऐसी चमक किसी भी अन्य रेशम में नहीं पाई जाती है। यह बात आयातित रेशम में नहीं है। परंतु आयातित रेशम बुनने में बड़ी आसानी रहती है। वे ताने-बाने का प्रयोग करते हैं और यहां नुकसान बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए जब मैं प्रयोगशालाओं और अन्य स्थानों के दौरे पर गया था तो मैंने सोचा कि हम फिर्की पर लपेटने की प्रवृत्ति में सुधार कर सकते हैं। मैं योजना आयोग के पास एक प्रस्ताव के साथ गया था। वे हमें बुनाई मशीनें, 30 प्रतिशत की सीमा तक राज सहायता देने—15 प्रतिशत भारत सरकार से और 15 प्रतिशत राज्य सरकारों से और शेष धन की अदायगी बिना किसी ब्याज की दस किस्तों में करनी होगी, को देने के लिए सहमत हो गए हैं। मुझे आशा है कुछ ही समय के भीतर आवश्यक आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इससे हमारे रेशम उत्पादन में सुधार होगा। हम यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उच्च गुणवत्ता वाले रेशम का भी उत्पादन हो। मैं इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सिल्क बोर्ड के अधिकारियों से चर्चा कर चुका हूँ और इस क्षेत्र में अनुसंधानकर्ताओं को आमंत्रित कर रहा हूँ।

इसके साथ-साथ हमें सी. सी. आई. से अच्छा मुनाफा मिल रहा है। मैंने सोचा था मैं कुछ उत्पादकों को भी फायदा पहुंचा पाऊंगा जो कि इस लाभ के लिए जिम्मेदार हैं। इसी कारण, मैं पहले ही उनको निर्देश दे चुका हूँ कि सभी ए.पी.एम.सी. में, जहां हमें रेशम बड़ी मात्रा में मिल रहा है, उनकी सुविधा के लिए बड़े शेडों की व्यवस्था की जाए जिससे कि इस गंदगी के फैलाव को बहुत हद तक रोका जा सके। मैं यह भी निर्देश दे चुका हूँ कि कृषि विज्ञान विश्वविद्यालयों को और अधिक धन अनुसंधान और विकास कार्य के लिए दिया जाए। मैं कृषि विज्ञान विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों और टेक्निशियनों को आमंत्रित करने जा रहा हूँ। मैं उनके साथ चर्चा करूंगा और जितना धन वे चाहते हैं उतना धन उन्हें उपलब्ध कराऊंगा। इसके अतिरिक्त सी. सी. आई. के अंतर्गत किए जाने के लिए 38 गांव लिए गए हैं, मैं उन्हें 100 गांव लेने के लिए निर्देश दे चुका हूँ। कपास की उन्नत किस्म का विकास करने और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यह हम कर रहे हैं।

अपराह्न 05.00 बजे

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषकों को उनकी कपास के लिए लाभप्रद मूल्य मिल सके हमने दिसम्बर के पहले 10 लाख गांठों के निर्यात की अनुमति दी थी। पहले केवल दो लाख गांठों के निर्यात की अनुमति थी। मैंने सोचा कि यह लाभ किसानों को मिलना चाहिए। जब कभी किसान के पास कपास उपलब्ध है, तो उसे फायदा होगा यदि इसके निर्यात की अनुमति दी जाती है। इसीलिए मैंने दिसम्बर से पहले 10 लाख कपास के गांठों के निर्यात की अनुमति दी थी। मुझे दुःख है अधिकांश कपास का निर्यात नहीं किया जा सका क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य अलाभकर थे। 1994-95 में कपास के एक पाउण्ड की कीमत एक डालर थी। 1995-96 में वह 86-88 सेंट्स थी और आजकल 72-74 सेंट्स है। इसी कारण हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप

निर्यात बढ़ नहीं पाया।

मैं सभा को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मंत्रालय इस उद्योग के संरक्षण में पीछे नहीं हटेगा।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : क्या आपने महाराष्ट्र के लिए कुछ किया है ?

श्री आर. एल. जालप्पा : मैंने उन्हें भी एक लाख गांठें निर्यात करने की अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त, आपको अपनी सरकार की ओर से मेरा आभार व्यक्त करना चाहिए क्योंकि मैंने इस वर्ष फरवरी तक पिछले वर्ष के पिछले शेष को निर्यात करने की अनुमति दी है।

श्री राम नाईक : इसीलिए तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ।

श्री आर. एल. जालप्पा : मैं ऐसा कर चुका हूँ। श्री सरपोतदार ने कई बातों का उल्लेख किया था। वे सभा में उपस्थित नहीं हैं।

वित्त मंत्री (श्री पी. बिदम्बरम) : महाराष्ट्र राज्य का प्रदर्शन कैसा रहा है ?

श्री आर. एल. जालप्पा : पिछले वर्ष वे पूरे कोटे का निर्यात नहीं कर पाए परन्तु इस वर्ष उन्होंने कुछ अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। अब बिना निर्यात किए भी वे काफी धन कमा रहे हैं क्योंकि बाजार में कपास उपलब्ध नहीं है। हर कोई इसे खरीदने के लिए मुम्बई जा रहा है।

कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 21 वर्ग मीटर से 27 वर्ग मीटर तक बढ़ गई है। वे पूछ रहे थे कि ये मिलें रुग्ण क्यों हुई हैं। यह एक प्राथमिक प्रश्न है जिसे उन लोगों के सामने रखा जाना चाहिए। वे गन्ने से रस निकालने और इसे फैक देने के बारे में भी उल्लेख कर रहे थे। रस उन लोगों द्वारा निकाला गया जो पहले इन मिलों को चला रहे थे। मैं अब बचे हुए गन्ने को छाया में रख रहा हूँ और पानी छिड़क रहा हूँ जिससे कि यह सूखने न पाए। इस हद तक मैं कामिकों के हितों की रक्षा कर रहा हूँ।

मैं मजदूरों की समस्याओं से अवगत हूँ। मजदूरों की शक्ति कम नहीं हुई है। यदि एक व्यक्ति को यहां नौकरी नहीं मिलती है तो वह अन्य उद्योग में पा सकता है। हमारे वस्त्र उद्योग में 1980 से अब तक बिजली चालित करघों की संख्या दुगुनी हो गई है। पहले देश में 8.6 लाख बिजली चालित करघे हुआ करते थे जो बढ़कर अब 17 लाख हो गए हैं और इन बिजली चालित करघों में लगभग 68 लाख मजदूर रोजगार में लगे हुए हैं। यदि पूरी बात को लिया जाता है तो लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। शहरी लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही होंगी परन्तु इन बिजली चालित करघों से गांव में रहने वालों को नौकरियां मिल रही हैं।

जहां तक राष्ट्रीय वस्त्र निगम का सम्बन्ध है यह कैसर से पीड़ित है—कैसर भी पहली अवस्था का नहीं अपितु तीसरी अवस्था का। इसे शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है। शल्य चिकित्सा करते समय रोगी मर भी सकता है और कोई रास्ता नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ।

एक आमूल-चूल परिवर्तन योजना 1992 में बनाई गई थी जोकि

शुरू नहीं हो सकी क्योंकि धन उपलब्ध नहीं था। राष्ट्रीय वस्त्र निगम पर विश्वास कर कोई भी बैंक धन देने के लिए आगे नहीं आया। 1994 में समिति द्वारा समझौते में शामिल होने के लिए लम्बे सोच विचार के पश्चात् एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया। उस समझौते के अनुसार कोई भी मिल बंद नहीं की जाएगी और किसी को भी नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। इस आधुनिकीकरण की लागत 2005 करोड़ रुपये है और इसे सम्पत्तियों, मिलों के पास उपलब्ध अतिरिक्त भूमि को बेचकर ही प्राप्त किया जाना होगा। आप को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन 2005 करोड़ रुपये में से 1946 करोड़ रुपये महाराष्ट्र विशेषकर मुम्बई से ही आने हैं। हमने इस मामले में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। सरकार को भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। हम एक बार फिर उनसे मिलेंगे। आज माननीय अध्यक्ष ने पांच व्यक्तियों की एक समिति गठित की है जिससे कि वे जाकर मुख्यमंत्री से बात कर सकें। श्री राम नाईक और उनके मित्रों ने मुझे आश्वस्त किया कि वे मुझे पूरा-पूरा सहयोग देंगे।

उस आमूल-चूल परिवर्तन योजना के दो हिस्से हैं। एक है भूमि की बिक्री से धन को प्राप्त करना, जो कि हो नहीं पाया था। दूसरा, बी. आई. एफ. आर. से अनुमोदन प्राप्त करना। चार सहायक कम्पनियों के मामले में बी. आई. एफ. आर. ने बंद करने के लिए कारण बताओ सूचनाएं भेजी हैं।

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : ऋण और ब्याज माफ करने की बात थी।

श्री आर. एल. जालप्पा : ब्याज माफ करने का था और हम लोगों ने तो ब्याज माफ करने के लिए कदम भी उठा लिया है।

[अनवाद]

इसके बावजूद पुनर्नवीकरण के आठ या दस वर्षों के बाद भी वे धनात्मक नेट मूल्य को प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए उन्होंने एक निर्णय लिया कि उनका आधुनिकीकरण व्यवहार्य नहीं है।

मुझे आपसे इस महान सदन में प्रश्न पूछना है। मेरे पूर्व मंत्री इस कार्यालय में कम से कम तीन वर्षों तक रहे। समिति ने टर्न अराउण्ड नीति को 9.4.94 को अनुमोदित कर दिया था परन्तु उन्हें मंत्रिमंडल से इसे अनुमोदित करवाने में एक वर्ष लग गया था। इसे 9.5.95 को अनुमोदित किया गया था। उसके बाद भी, मेरे माननीय पूर्व मंत्री कार्यालय में अपने शेष समय के लिए थे। जो कि काफी छोटा था। मैं नहीं जानता कि वे इसे क्यों नहीं कर पाए। मैं उनकी कठिनाई समझ सकता हूँ। क्योंकि उन्हें धन नहीं मिल सका था इसलिए वे इस काम को नहीं कर सके। कारण बताओ नोटिस उनके समय में जारी किया गया था मेरे समय में नहीं। मैं इसके लिए बिलकुल उत्तरदायी नहीं हूँ। मैं किसी अन्य व्यक्ति के कार्य के लिए मैं इसे गलती नहीं कहता, आपको उत्तर दे रहा हूँ।

माननीय सदस्य श्री सनत मेहता जी कह रहे थे कि यह एक संकट है। हाँ, यह एक संकट है। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। परन्तु यह

[श्री आर. एल. जालप्पा]

मेरे समय का नहीं है। यह संकट मुझे उत्तराधिकार के रूप में मिला है। यह मेरा दुर्भाग्य है कि यह संकट मुझे उत्तराधिकार के रूप में मिला है। इस करार के समिति द्वारा 9.4.94 को अनुमोदित हो जाने के बाद मेरे पूर्व मंत्री ने इसे अनुमोदित करवाने में लगभग एक वर्ष और एक महीने का समय ले लिया था। मैं समझता हूँ कि यह नोट मंत्रिमंडल में 20.4.94 को आया था और इसे 9.5.95 को अनुमोदित कर दिया गया था। उसके बाद भी वह मंत्री एक वर्ष तक रहे। उन्होंने कुछ नहीं किया। अब मैं नहीं समझता कि मुझ पर आरोप लगाने का कोई कारण हो कि मैं इस सारे घपले के लिए जिम्मेवार हूँ।

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार : पहली सरकार ने नहीं किया इसलिए क्या यह सरकार भी इसे नहीं करेगी ?

[अनुवाद]

श्री आर. एल. जालप्पा : मैं इसे कर रहा हूँ। मैं कर्तव्यनिष्ठ हूँ। मैं ईमानदार हूँ। मुझे बैठक में यह भी बताया गया है कि अगर दो महीनों के अंदर कुछ नहीं बताया गया तो मैं इसे अपने पत्रों में प्रस्तुत करूँगा। मैं चला जाऊँगा। यह मेरे लिए बहुत कठिन है। मैं यह यातना क्यों सहूँ ? मैं नहीं समझ सकता। मुझे चले जाना होगा मानो मैं कोई चोर होऊँ। अब मैं सामना नहीं करना चाहता। ... (व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (सिल्लार) : यह ठीक नहीं है ... (व्यवधान)

श्री आर. एल. जालप्पा : जी, नहीं।

केवल दो ही मुद्दे हैं जिन पर यहाँ चर्चा की जानी है। एक बिहार है दूसरा एन. टी. सी।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : इस पर एक समिति विचार कर रही है।

श्री आर. एल. जालप्पा : हाँ।

अन्य बातों जैसे एल्लिन मिल्स और कानपुर मिल्स के संबंध में, जिनके बारे में मेरे मित्र उल्लेख कर रहे थे, बी. आर्. एफ. आर. ने इन्हें बंद करने के आदेश पहले ही दे दिए हैं। मंत्रिमंडल इसे बंद करने पर सहमत हो गया है।

हमें अपने वर्तमान प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री का धन्यवाद करना चाहिए कि वे बादल्लूस सहित सभी व्यक्तियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति देने पर—चाहे यह बंद हो गई है—सहमत हो गए हैं।

जहाँ तक अजुधिया मिल्स का संबंध है, हमें इसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा बंद करना पड़ा था। हम उनके कर्मचारियों को छह वर्षों का वेतन देने पर सहमत हुए हैं। उन 100 लोगों को, यद्यपि वे छह वर्षों के अंदर ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं फिर भी हम उन्हें छह वर्षों का वेतन दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लिया गया यह बहुत उदार निर्णय है।

राष्ट्रीय जूट मिल कार्पोरेशन में हमारी छह मिलें हैं। आप मिलें—स्वास्ती बदली और असस्ती बदली—की क्षमता जानते हैं। मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि असस्ती बदली और गकस्ती बदली

क्या है। वे 36,000 हैं। वे एक टन जूट का उत्पादन करने के लिए 90 मजदूरी के दिन लेते हैं जबकि अन्य मिलों में एक टन जूट का उत्पादन करने के लिए 35 से 40 मजदूरी दिन लिए जाते हैं। यह भी मैंने पिछली सरकार से प्राप्त किया है। वे भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब एक टर्न अराउण्ड योजना तैयार की गई है। अगर जो कुछ इन कपड़ा मिलों पर लागू होना है उसे हम कड़ाई से लागू करते हैं तो वे सभी जैक नहीं हैं। परन्तु हम इस पर पूरे विचार करने के बाद हम देखते हैं कि कुछ जूट मिलें बचाई जानी चाहिए जिससे किसानों को अच्छा पारिश्रमिक मिलेगा।

उसके अतिरिक्त इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जूट पर उत्पादन शुल्क समाप्त कर दिया है। हम उन्हें निर्यात किए जाने वाले विविधकृत वस्तुओं के लिए ई. एम्. ए. द्वारा कुछ प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। हम कुछ मजदूरों की छंटनी करना चाहते हैं और इनमें से कुछ मिलों को चलाना चाहते हैं।

आपको यह जानकारी हैरानी होगी कि भारतीय जूट निगम की कुल क्षमता 2,456 है। वे लोग पिछले चार वर्षों से कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नहीं हुआ है। उन्हें नियमित रूप से प्रति वर्ष 18 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि वे लोग चले जाएं परन्तु वे नहीं जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि क्या किया जाना चाहिए। मैं इसे बंद करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता इसे कैसे बंद किया जाए। हम केवल इस पर विचार कर रहे हैं।

अध्याय 5.15 बजे

(श्री बसुदेव आचार्य पीठसीन हुए)

भारतीय कपास निगम को, जिसका कारोबार लगभग 1000 करोड़ रुपए का है, प्रति वर्ष 35 से 40 करोड़ रुपए का निबल लाभ हो रहा है।

उनके कर्मचारियों की संख्या 1250 या 1400 है। यह 1400 के भीतर है। जबकि भारतीय जूट निगम के पास 2456 कर्मचारी हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भारतीय जूट निगम से जुड़ी हुई यह समस्या है। हम इस पर विचार कर रहे हैं। हम इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे केवल हमें सहयोग करने के लिए कहूँगा। मैं समझ सकता हूँ कि विभिन्न विचार धाराएँ हैं। कुछ लोग नहीं चाहते कि लोगों में कमी की जाए। जब हम उदारीकरण और निजीकरण की बात कर रहे हैं तो हम मिलों के पुनरुद्धार से होने वाले दबाव को समझ सकते हैं। अब हम अपने कुछ शेयर बेच रहे हैं। जिससे वे अर्थक्षम बन जाएँ तथा दिन-प्रतिदिन सरकार पर पड़ने वाला बोझ कम हो जाए। इस संदर्भ में जो भी कार्रवाई हम करते हैं वह मजदूरों के हित में होगी। हम मजदूरों को कभी नहीं भूलेंगे। यह मेरा आश्वासन है। यद्यपि हमें स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति भी देनी पड़े तो हम वह भी देंगे। हम उनसे कुछ अन्य व्यवसाय ढूँढ़ने का अनुरोध करेंगे। इसके बजाय यदि आप पिछली स्कीम को प्रतिपादित करने पर जोर देते हैं तो वह एक अलग मामला है। मैं नहीं जानता कि मेरे मित्र यहाँ कितनी देर रहने की अनुमति देंगे। हम अपना समय बेतुकी कहानियाँ

सुनाकर भी व्यतीत कर सकते हैं और चले जाते।

श्री संतोष मोहन देव : अगर आप भी चिदंबरम जी को खुश करते हैं तो हम खुश हैं।

श्री आर. एल. जालप्पा : इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूँ।

श्री राम नाईक : आपने कहा है कि आपको मुम्बई से उस बिक्री से लगभग 2500 करोड़ रुपए मिलने की आशा है।

श्री आर. एल. जालप्पा : नहीं। यह 1946 करोड़ रुपए है।

श्री राम नाईक : क्या आप मुम्बई के अलावा अन्य शहरों की वस्त्र मिलों की जमीन बेचने के बारे में नहीं सोच रहे हैं।

श्री आर. एल. जालप्पा : बिल्कुल। हम अन्य जमीनों को भी बेच रहे हैं। परीक्षण आधार पर हम दो सहायक कम्पनियों के लिए निविदाएं भी मंगवाई हैं। एक तो टी. एन. पी. तमिलनाडु है और एक अन्य कम्पनी है ए. पी. के. के. एम.। यद्यपि निविदाएं आईं फिर भी हम उन्हें अनुमोदित करने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि उन्हें परीक्षण आधार पर इसलिए आमंत्रित किया गया था जिससे यह पता लग सके कि हमें कितनी राशि मिल सकेगी। इसीलिए हमने निविदाएं आमंत्रित की थीं। अब, हम एक विश्वव्यापी निविदा आमंत्रित करने वाले हैं। आपकी सूचना के लिए सभी सहायिकाओं ने न्यायालय से संपर्क किया था और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। केरल के राजस्व मंत्री ने एक प्रेस वक्तव्य में यह कहा था कि उन्होंने जमीन बेचने की शक्तियों को वापस ले लिया था। उनकी यह बात कार्यवाही वृत्त में शामिल कर ली गई है। मैंने उन्हें लिखा था कि वे ऐसा नहीं कर सकते। स्थिति यह है।

अपराह्न 5.24 बजे

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (संशोधन) विधेयक*

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ** :
“कि भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्सिम बैंक) एक विशिष्ट वित्तीय संस्था है जिसका गठन भारतीय निर्यात-आयात अधिनियम, 1981 के अंतर्गत किया गया था। यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। एक्सिम बैंक के चार्टर में यह कहा गया है कि यह निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उससे जुड़े मामलों का उससे प्रभावित मामलों को बढ़ावा देने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात को वित्तपोषित करने वाली संस्थाओं के कार्यों को समन्वित करने के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करेगा।

एक्सिम बैंक को निम्नलिखित में विशेष कार्य सौंपे गए हैं :

पहला, निर्यातकों अर्थात् परियोजना निर्यातकों तथा पूंजीगत सामान तथा विनिर्मित सामान के निर्यातकों को मध्यम और दीर्घावधि निर्यात ऋण तथा अन्य आस्थगित भुगतान प्रदान करना;

दूसरा, देश से आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के आयात को वित्त पोषित करने के लिए बैंकों और विदेशी सरकार की एजेंसियों को उधार देना;

तीसरा, देश में निर्यात-मुखी इकाइयों को आबधिक ऋण और संयुक्त उद्यम स्थापित करने वाली भारतीय कम्पनियों या विदेशों में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायिकाओं को इक्विटी वित्त प्रदान करना; और

चौथा, भारतीय निर्यातकों को सूचना और परामर्शी सेवाएं प्रदान करना।

पिछले दस वर्षों में एक्सिम बैंक का निष्पादन काफी संतोषजनक रहा है। इस अवधि के दौरान इसकी उधार परिसम्पत्तियां 13,743 करोड़ रुपए की संचयी स्वीकृति सहित 19 प्रतिशत की वार्षिक औसत के हिसाब से बढ़ी हैं। 1996-97 में, स्वीकृति 1242 करोड़ रुपए थी तथा निपटान 1257 करोड़ रुपए था। बैंक का निष्पादन इसकी स्थापना के प्रथम वर्ष से ही लाभकारी रहा है तथा यह सरकार को प्रतिवर्ष लाभान्वी भी देता रहा है।

आज की स्थिति में एक्सिम बैंक की प्राधिकृत पूंजी 500 करोड़ रुपए ही है। एक्सिम बैंक की प्रदत्त पूंजी प्रति वर्ष बनटोय आबंटन से ली जाती है। वर्ष 1995-96 में, एक्सिम बैंक को 5966 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी जिससे प्रदत्त पूंजी 500 करोड़ रुपए तक बढ़ गई थी जो प्राधिकृत सूची के बराबर है। एक्सिम बैंक को एक पर्याप्त पूंजी आधार प्रदान करने के लिए जिससे इसकी भावी व्यापार वृद्धि हो सके, अंतर्राष्ट्रीय देनदारों के साथ इसकी साख बनी रहे, प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर बाह्य व्यापार उधार बनाए रख सके और एक्सिम बैंक का लचीलापन बनाए रखने के लिए इसका पर्याप्त संसाधन स्रोत बनाए रखने के लिए इसकी प्राधिकृत पूंजी को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है और केन्द्र सरकार को और 2000 करोड़ रुपए की वृद्धि करने की सूचना देने के लिए शक्ति की मांग की गई है। इसलिए, जो प्रस्ताव किया गया है वह एक्सिम बैंक की प्राधिकृत पूंजी को 5000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए करने का है तथा सरकार को इसको अधिसूचना द्वारा यथावश्यक 2000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने के लिए सक्षम बनाने का है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

“कि भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बात रखी है, यह एक्सपोर्ट इम्पोर्ट-बैंक ऑफ इंडिया 1982 में स्थापित हुआ था। इस बैंक की स्थापना फाइनेंसिंग करने के लिए, फैसिलिटीज देने के लिए इंडियन फॉरेन ट्रेड को प्रमोट

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 15.5.97 में प्रकाशित।

**सभापति की सिफारिश में प्रस्तुत।

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

करने के लिए हुई थी। मेरा निवेदन यह है कि माननीय वित्त मंत्री जी यह चाहते हैं कि इस बिल की रकम पांच अरब रुपए तक हो सकेगी। इस प्रकार की अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार उस पूंजी को बढ़ाकर पांच अरब रुपए तक कर सकेगी। तो पांच अरब रुपए तो समाप्त हो गए। अब यह उस सीमा को बढ़ाकर पांच अरब रुपए से 20 अरब रुपए तक का प्रस्ताव यहां पर लाए हैं कि इस प्रकार से जब भी चाहे तब 20 अरब रुपए तक यह बढ़ा दें। इस प्रकार का प्रावधान वह इसमें करना चाहते हैं। मेरा कहना यह है कि जो रकम वह बढ़ाना चाहते हैं, वह बात तो अलग है। लेकिन आज इन सारे बैंकों की क्या दशा है, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक किस प्रकार से काम कर रहे हैं। इन पर रिजर्व बैंक का कोई दखल है या नहीं है, इस संबंध में माननीय वित्त मंत्री जी को विचार करना चाहिए। 31 मार्च, 1995 को बैंक में कुल संसाधन 36.07 मिलियन रुपए थे। इसमें भारत सरकार के पूर्ण अंशदान के 4.40 मिलियन रुपए चुकता पूंजी और 13 वर्षों के दौरान संचित 3.12 मिलियन रुपयों का आरक्षित निधि इसमें शामिल थी। अब यह जो बैंक काम कर रहे हैं यह इंडस्ट्रीवाइज काम कर रहे हैं, रीजनवाइज यह काम कर रहे हैं, असिस्टेड फॉर सैटिंग अप ऑफ ई. ओ. यू. एस. इस संबंध में काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रीवाइज असिस्टेस देने के बारे में काम कर रहे हैं।

इसके साथ-साथ स्टेट-वाइज एसिस्टेड देने का काम भी करती है। इस बैंक ने समय-समय पर विभिन्न स्टेट्स को जो रकम दी है, उसके आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ।

अपराह्न 5.25 बजे

(श्री चित्त बसु पीठासीन हुए)

इस बैंक ने राजस्थान सरकार सहित कई अन्य प्रदेशों को रकम उपलब्ध कराई है। कर्नाटक स्टेट को 1993-94 में 194 करोड़ रुपए तथा 1995-96 में 472 करोड़ रुपए और क्यूमिलेटिव आधार पर यदि देखें तो मार्च, 1995 तक 941 करोड़ रुपए की रकम दी। उसी तरह महाराष्ट्र राज्य को पहले 214 करोड़ रुपए तथा 1994-95 में 129 करोड़ रुपए और क्यूमिलेटिव आधार पर देखें तो 259.5 करोड़ रुपए दिए। वैसे ही राजस्थान राज्य को 1994-95 में 31.5 करोड़ रुपए और क्यूमिलेटिव आधार पर यदि देखें तो 32.7 करोड़ रुपए की रकम दी गई। इसी तरह तमिलनाडु को पहले 40 करोड़ रुपए 1984-85 में, फिर 86.9 करोड़ रुपए और क्यूमिलेटिव आधार पर देखें तो 260.2 करोड़ रुपए की रकम उपलब्ध कराई। ऐसे ही उत्तर प्रदेश को पहले 19.1 करोड़ रुपए और क्यूमिलेटिव आधार पर देखें तो 38.1 करोड़ रुपए की रकम उपलब्ध कराई।

इसलिए जहां हमारे बैंकों ने विभिन्न स्टेट्स को रकम देने का काम किया, लेकिन ऐसा करते-करते उनमें जो खामियां थीं, वे उजागर हुई जिससे देश का भारी नुकसान हुआ। यह सिद्ध हो गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इन बैंकों पर कहीं, किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है जिससे देश की हालत खराब होती जा रही है। इन बैंकों पर रिजर्व बैंक का कोई कंट्रोल न होने के कारण एक दो नहीं कई घोटाले सामने

आए। यदि मैं उन घोटालों को गिनाने लग जाऊं तो सदन का समय व्यर्थ होगा क्योंकि 20-25 बैंकिंग घोटाले आपके सामने हैं। वित्त मंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि इन घोटालों को ध्यान में रखते हुए, आप इस बैंक के संबंध में व्यवस्था पर विचार करें।

आज इस सरकार की देश में जो पॉलिसी चल रही है, वह स्वदेशी के बिल्कुल विपरीत है। हम देशी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आप बाहर के देशों की वस्तुएं यहां लाना चाहते हैं। जब बाहर की वस्तुएं हमारे देश में आएंगी, वे सस्ती भले ही हों, लेकिन भारतवर्ष में जो चीजें बन रही हैं, जब उनसे कम्पटीशन की स्थिति आएगी तो देशी वस्तुएं उनके सामने टिक नहीं पाएंगी। इसलिए मैंने कहा कि आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है, इस पर आप फिर से विचार करें। स्वदेशी को बढ़ावा देने का गांधी जी का सपना आज अधूरा है। इस वर्ष अगस्त माह में हम आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ स्वदेशी कम्पनियां डूब रही हैं, हमारी अनेक पब्लिक अंडरटेकिंग्स की हालत बहुत खराब है। मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां कोयले पर पहले आपने 85 परसेंट रियायत दी, फिर उसे कम करते-करते आप 10 परसेंट तक आ गए लेकिन हिन्दुस्तान भर में आज जो कोयला पैदा होता है, उसे खरीदने वाला कोई नहीं है—स्थिति यहां तक आ गई है। कोयले की हालत बहुत खराब हो गई है। इसी प्रकार अखबारी कागज की स्थिति बहुत खराब हो गई है और विदेशी अखबारी कागज आ जाने की वजह से उसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। मैं समझता हूँ कि इस संबंध में मंत्री जी को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। इसी प्रकार लोहे को आप देखें तो लोहे के साथ-साथ कई अन्य चीजों की हालत भी काफी खराब हो गई है।

अभी सदन में रुग्ण कपड़ा मिलों पर चर्चा चल रही थी, जिसमें भाग लेते हुए हमारी बहन सुमित्रा महाजन तथा श्री जगतवीर सिंह द्रोण ने अपने-अपने क्षेत्र की कपड़ा मिलों की स्थिति बताई। चाहे इन्दौर की कपड़ा मिलें हों या कानपुर की हों, हिन्दुस्तान भर की सभी कम्पनियों और कपड़ा मिलों में जितने मजदूर काम करते हैं, मिलों के बंद होने के कारण, वे सभी बिल्कुल बरोजगार हो गए हैं, उन्हें किसी प्रकार का काम नहीं मिल रहा है, वे भूखे मर रहे हैं, उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। यहां मंत्री जी भले ही मीठी-मीठी बातें कहकर हमें सात्वना दे दें लेकिन आप हिन्दुस्तान भर में कहीं जाकर देख लीजिए इन मिलों में काम करने वाले सभी मजदूर आज परेशान हैं। मेरा निवेदन है कि मंत्री जी तमाम स्थिति पर विचार करते हुए इस बिल में प्रावधान करें। इसके अलावा, भारतीय आयात-निर्यात बैंक में जितने कर्मचारी लगे हैं, उनके बारे में भी विचार करें।

एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, उस संबंध में आप विचार करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव जी कृपया थोड़ा इंतज़ार करें। अपराह्न 5.30 बजे हम आधे घंटे की चर्चा करेंगे। इसलिए आप अपना अभिभाषण कल जारी रख सकते हैं।

अपराह्न 5.30 बजे

आधे घण्टे की चर्चा

देश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम मद सं. 19 पर चर्चा करेंगे श्री भगवान शंकर रावत जी देश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थानों के संबंध में दिनांक 6.3.97 को मौखिक प्रश्न सं. 181 के संबंध में पर्यटन मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से उठने वाले मुद्दों पर एक चर्चा करेंगे।

श्री राम नाईक : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस चर्चा का उत्तर कौन देने वाला है ? ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री श्रीकान्त जेना बैठे हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : मुझे वे नहीं दिख रहे हैं। ... (व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : श्री जेना आप कृपया खड़े हो जाइए और उन्हें अपना चेहरा दिखाइए। ... (व्यवधान)

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : महोदय, श्री श्रीकान्त जेना अपने स्थान पर आ जाएं। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : उसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : महोदय, इसमें व्यवस्था का प्रश्न है परन्तु मैं इस पर बहुत अधिक जोर नहीं दे रहा हूँ। कम से कम संसदीय कार्य मंत्री को यह जान लेना चाहिए कि उन्हें अपने स्थान पर बैठना चाहिए। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री भगवान शंकर रावत जी, मैं समझता हूँ कि आप नियमों के बारे में जानते हैं। आप आरंभ करने के लिए एक छोटा वक्तव्य देंगे। बैलट में चार सदस्यों के नाम हैं। वे सभी एक-एक प्रश्न पूछेंगे। आखिर में, माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे। मैं समझता हूँ आप मुझे सहयोग करेंगे।

श्री भगवान शंकर रावत : महोदय, मैं स्वयं भी ठीक नहीं हूँ। मैं केवल पांच मिनट का समय लूंगा।

सभापति महोदय : पहले पानी पीजिए फिर बोलिए।

श्री राम नाईक : महोदय, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वे चारों सदस्य जो एक-एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने-अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और उस समय तक श्री भगवान शंकर रावत जी ठीक हो जाएंगे। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नियम इसकी अनुमति नहीं देता। हमें कुछ इंतजार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर

के पर्यटक केंद्रों के विकास की योजना के बारे में श्री दत्ता मेघे के प्रश्न पर जब चर्चा चली तो सप्लीमेंट्री प्रश्न के संदर्भ में माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसे मैं कोट कर रहा हूँ :

[अनुवाद]

"आगरा हमारे अत्यधिक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में से है और यह विश्व सम्पत्ता केंद्र है। देश के पर्यटक स्थलों की तुलना में आगरा जाने वाले पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक है।

आगरा-ताजमहल परियोजना के संबंध में, मैं कहना चाहूंगा कि कुछ वर्ष पहले एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। आगरा क्षेत्रीय विकास के साथ सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार कुछ कार्य कर रहे हैं परन्तु वह कार्य हमारी संतुष्टि के अनुरूप नहीं है। हम कई चीजें कर सकते हैं।"

[हिन्दी]

मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके बाद मुझे यह कैसे प्लीड करने की आवश्यकता नहीं है कि विश्व की जो धरोहरें हैं उसमें से तीन धरोहरें आगरा में स्थित हैं। ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी। दो पाइपलाइन में हैं—सिकंदरा और इत्तमालुद्दौला। इसके अलावा एल्लोरा और ऐलिफेंटा है। यह भी वर्ल्ड हैरिटेज प्रोजेक्ट में है।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मंत्री जी ने बताया, ओ. ई. सी. एफ. एक प्रोजेक्ट के तहत 83 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से अजंता-एल्लोरा केव्ज का प्रोजेक्ट कनसीव किया हुआ है और उस पर बड़ी द्रुतगति से काम चल रहा है। मैं उसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि ताजमहल की नहीं तो कम से कम दूसरे विषय की धरोहर की हमारे पर्यटन मंत्री जी ने चिन्ता की है। ... (व्यवधान) मंत्री जी, द्रोण जी ठीक कह रहे हैं कि आप आगरा पधारें और ताजमहल देखें। जब ताज, फतेहपुर सीकरी और किला देखेंगे तो शायद आपकी कृपा वहां भी हो जाए।

मैं कहना चाहूंगा कि जो दूरिष्म का मामला है, अंतर्राष्ट्रीय दूरिष्म की दृष्टि से भी दूरिष्म के पांच सैक्टर होते हैं—कमर्शियल दूरिष्म, रिलीजियस दूरिष्म, कल्चरल दूरिष्म, हिस्टोरीकल दूरिष्म और सोशल दूरिष्म। आगरा का जो क्षेत्र है, आगरा-मथुरा का मिला हुआ सरकिट कहलाता है, यह पांचों दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ताजमहल के साथ-साथ जो और वहां की मिली-जुली संस्कृति है महाराजा अग्रसेन द्वारा बसाया हुआ अग्रबन या अग्रोहर नाम का शहर आगरा अपनी विशेष संस्कृति की पहचान बना चुका है, महाभारतकालीन भी, कृष्ण के युग का भी और उसके बाद मुगल्स का, मुस्लिम पीरियड का और आधुनिक इतिहास में राधास्वामी, शैव और वैष्णव मत का कल्ट भी यहां बहुत जबरदस्त है। कमर्शियल दृष्टि से भी यहां पर लैडर के प्रोडक्ट्स का उत्पाद बढ़ा भारी है, 600 से 800 करोड़ तक का एक्सपोर्ट होता है।

चिदंबरम साहब की कृपा नहीं हुई। वे चले गए दूरिष्म के नाम पर जो डीमंड एक्सपोर्ट कहलाता है, वहां की जो कलाकृतियां बिकती हैं, वहां के लोग पत्थर में भगवान् बना देते हैं, लोग ताजमहल देखने के लिए आते हैं लेकिन वे पत्थर के टुकड़ों में ऐसे ही ताजमहल बना

[श्री भगवान शंकर रावत]

देते हैं जैसा शाहजहाँ ने बनाया था। उसका लाभ भी वहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता, यह उनका दुर्भाग्य है। डीप्ट एक्सपोर्ट करके वहाँ के शिल्पकारों की कला जब विकती है तो उसके बैनीफिट नहीं दिए जाते।

मैं 3-4 बातें कहकर समाप्त करूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि पर्यटन की आवश्यकताओं के हिसाब से विदेशी पर्यटक को पार्श्वार्थ भोजन की आवश्यकता नहीं है। वह तो वह खाता ही है, उस पद्धति में रहता ही है लेकिन जिस देश में वह आता है, यहाँ आकर वहाँ का स्थानीय भोजन, वहाँ की जीवन-पद्धति, रहन-सहन, वहाँ के वन्य प्राणी, पक्षी, फसलें, मनोहारी दृश्य देखना चाहता है। हम उन्हें ये सब चीजें दिखाकर आकर्षित कर सकते हैं और अधिक व्यवसाय कर सकते हैं। आगरा में इस प्रकार की फैसिलिटीज की भी आवश्यकता है, देशभर में भी आवश्यकता है।

आपके डायरेक्टर जनरल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उन्होंने कहा कि भ्रमण वाला केन्द्र साफ-सुथरा हो, प्रदूषण रहित हो, वायुमंडल साफ हो, प्रशिक्षित और मधुरभाषी स्टाफ उसके अवलोकन और आनंद लेने में सहयोग करें। उसके द्वारा क्रय किए जाने वाले सामान के बारे में उसकी अनुभूति यह हो कि सम्बद्ध दुकानदार ने कलात्मक वस्तु निर्माता या शिल्पी की कृति पर व्यय की गई राशि के मूल्य की वस्तु दे दी हो। इसके लिए स्थानीय व्यक्तियों का सहयोग आवश्यक होता है। पर्यटन के विकास का मास्टर प्लान, पर्यटन व्यवसाय का विकास तथा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उनके ठहरने की व्यवस्था, पर्यटन के विकास के लिए ये सब करने की आवश्यकता होती है। केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार में कोआर्डिनेशन की भी आवश्यकता है। मैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री श्री कलराज मिश्र को भी बधाई दूँगा। मैंने आपसे एक बार उल्लेख भी किया था। वे भी बहुत सचेष्ट हैं और उन्होंने बड़ी भारी महत्वाकांक्षी योजना आगरा-मथुरा के बारे में बनाई है। लेकिन केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। उन्होंने पाँच क्षेत्र बनाए जिसमें एक बौद्ध सर्किट बनाया है, एक आगरा-मथुरा का सर्किट बनाया, इसके अलावा कुछ और सर्किट बनाए हैं। लेकिन आपके यहाँ जो सर्किट बने हैं, वे आगरा, ग्वालियर, झाँसी, ओरछा और खजुराहो बना दिया गया जबकि सब जानते हैं कि आगरा, जयपुर और दिल्ली गोल्डन ट्रायंगल कहलाता है। इसे आपने नैगलैक्ट कर दिया और प्रदेश सरकार तो इसलिए नैगलैक्ट कर रही है क्योंकि वह जयपुर में जाकर अतिक्रमण नहीं कर सकती।

आपने एक नेशनल कल्चरल फंड भी बनाया है। यदि मैं गलती पर नहीं हूँ तो शायद बोम्बे साहब ने घोषणा की थी।

लेकिन वह नेशनल कल्चरल फंड भी बड़े पैमाने पर सृजित होने की आवश्यकता है, तभी इस प्रकार का काम चलेगा। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 2770 करोड़ रुपये की आमदनी देशी और विदेशी पर्यटकों से 1993 में हुई है, जिसके 2000 ए. डी. तक 6894 करोड़ रुपये होने की संभावना है। सन् 2000 तक उत्तर प्रदेश में 31,60,000 पर्यटकों के आने की सम्भावना है। आवश्यकता इस बात की है कि हम सांस्कृतिक कम्पोजेंट को भी पर्यटन में जोड़ें।

इसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्रों में कुछ कमियाँ हैं, उनको दूर करने की कोशिश करें। कोवलम बीच है, समुद्र का किनारा है, बड़ा रमणीक स्थान है, लेकिन वहाँ की गंदगी, वहाँ का मल-मूत्र का एकत्रीकरण, ताजमहल की गंदगी, शायद मंत्री जी को ध्यान होगा, यात्री के कार्यक्रम में वे गए थे, उनको भी नाक पर रूमाल रखना पड़ा था। बाकी जितने बड़े-बड़े आदमी जा रहे थे, सब गंदगी के कारण नाक पर रूमाल रख रहे थे। ताजमहल की गंदगी, एलोरा की गुफाओं में बढ़ती आर्द्रता और पुष्कर में मादक पदार्थों के बढ़ती तस्करी, इनकी ओर मैं भारत सरकार का और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

पर्यटक यह चाहता है कि इम्पीग्रेशन स्टाफ उससे अच्छा व्यवहार करे। टैक्सी ड्राइवर का व्यवहार अच्छा हो। यात्रा के दौरान कोई दुर्व्यवहार और धोखाधड़ी न हो तो निश्चित रूप से पर्यटन बढ़ेगा, यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ।

अभी उत्तर प्रदेश सरकार का मैं एक बार और उल्लेख करूँगा कि उन्होंने एक आगरा हैरीटेज फंड बनाया है और 10 करोड़ रुपये उसमें देने की घोषणा की है। बताया तो यह भी जाता है कि 10 करोड़ और पाइपलाइन उत्तर प्रदेश की सरकार देना चाहती है, लेकिन 10-10 करोड़ से इसका काम नहीं चलेगा, यह मैं जानता हूँ। केवल उनकी भावना की अभिव्यक्ति उसमें हो सकती है। जब तक सड़कों के लिए, अच्छा रास्ता न बने, तब तक यह काम नहीं चलेगा, जिससे कि पर्यटक वहाँ जा सकें।

मैं कहना चाहूँगा कि ये आगरा के मामले में विशेष रूप से चूँकि आपने महसूस किया कि आगरा की उपेक्षा हो रही है और आप स्वयं भी संतुष्ट नहीं हैं। अनइण्टरप्टेड पावर सप्लाई, अबाध गति से विद्युत आपूर्ति, केन्द्र सरकार एन. टी. पी. सी. के माध्यम से सुनिश्चित करे। 172 करोड़ रुपये की भारी भरकम योजना के उपरान्त भी आगरा में बिजली की उपलब्धि नहीं है, जिससे पर्यटकों को घोर कष्ट होता है। पेयजल की सुविधाएँ वहाँ नहीं हैं। पीने का जल वहाँ नहीं मिलता। संचार व्यवस्था ठीक नहीं है। सड़कों का विकास नहीं हुआ। हालाँकि अभी श्री कलराज मिश्र की मैं फिर तारीफ करना चाहूँगा, जो उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने अभी 15 करोड़ रुपये की लागत से आगरा में कुछ सड़कों के निर्माण की घोषणा की है, कुछ प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यह इतना है कि ठंठ के मुँह में जीरा लगता है, हमारे यहाँ कहावत है कि आवश्यकता बहुत है और उपलब्धि बहुत कम है। अब आगरा के अंदर ताजमहल को सिगरेट के धुएँ से तो चोट लगती है, वह काला होता है पर दूसरी ओर वहाँ टैम्पो चलते हैं, उससे पर्यटकों को दिक्कत होती है, इसलिए वहाँ महानगर रेल सेवा की आवश्यकता है।

पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी ने इस चीज पर पिछली रिपोर्ट्स में स्ट्रेस भी किया है, लेकिन अभी सरकार ने कुछ नहीं किया। आगरा फोर्ट व फतेहपुर सीकरी पर ध्वनि एवं प्रकाश के कार्यक्रम का आयोजन किया जाना आवश्यक है।

नेपाल के अंदर पर्यटन को विकसित करने के लिए 44 हवाई अड्डे

हैं, लेकिन भारत में सरकार आगरा जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बना सकती। आगरा का सिविल डोमैस्टिक एयरपोर्ट भी ढंग का नहीं है, वहाँ पर भी जब हम मुलायम सिंह जी से प्रार्थना करते हैं कि कम से कम वहाँ के सिपाहियों को यह समझा दीजिए कि जब पर्यटक जाएँ और वहाँ से निकलकर आएँ तो कम से कम फौज के वे लोग उस पर्यटक से दुर्व्यवहार न करें, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। हवाई यात्रा करने के बाद भारी दुर्व्यवहार इसलिए झेलना पड़ता है कि मिलिट्री एरिया में वहाँ का खेरिया हवाई अड्डा है। सभी यात्री रेलगाड़ियों को आगरा में ठहराव दिया जाए। पर्यटक पहले दिल्ली आता है, उसके बाद उसे आगरा आना पड़ता है। पूर्वी भारत से दिल्ली की ओर जाने वाली रेलगाड़ियों को टूटला पर ठहराव दिया जाए।

मेरा आपसे निवेदन है कि चारों महानगरों दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई के साथ आगरा को भी टूरिस्ट एंगल की दृष्टि से महानगरों की सुविधाएँ व व्यवस्थाएँ प्रदान की जाएँ।

रेल मार्ग और सड़क मार्ग से नई पर्यटक गाड़ियाँ चलाएँ। आगरा से गोरखपुर, लखनऊ तक और जयपुर तक शताब्दी गाड़ियाँ चलाएँ। गोल्डन ट्राइंगल एक्सप्रेस चलाई जाए। श्री अशोक पाहवा जो पर्यटक विभाग के महानिदेशक हैं, उन्होंने संस्तुति की थी और आगरा के मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। जिसमें जिक्र था कि पूर्णिमा के दो दिन पहले और दो दिन बाद मून लाइट में ताज को खोला जाए, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाए, पर्यटन पुलिस की व्यवस्था की जाए। जो टूरिज्म से जुड़े लोग हैं, उन्होंने बताया कि पूर्णिमा में चांद देखने पर रोक लगा दी गई है। इसके कारण होटलों में जो पहले 75 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी होती थी, वह अब 38 प्रतिशत रह गई है। इतनी गिरावट आई है। लोग दिल्ली से बस करके आगरा जाते हैं और उसी से लौट जाते हैं, उनका उद्देश्य पूरा नहीं होता। इसलिए एक मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता है। जिसका खर्च केन्द्र सरकार वहन करे। विजिटर सेंटर बनाया जाए। प्रिरिकार्डेड जानकारी ऐतिहासिक इमारतों की और दर्शनीय स्थलों की दी जाए। म्यूजियम तथा आर्ट गैलरी आगरा पुरातात्विक पृष्ठभूमि के आधार पर बनाई जाए। ताजमहल के पीछे यमुना पार क्षेत्र में विचाराधीन ताज नेशनल पार्क को स्थापित किया जाए। राम बाग को वृंदावन गार्डन की तरह से विकसित किया जाए। सांस्कृतिक आयोजन किए जाएँ। शिल्पग्राम में लाइट एंड साउंड कार्यक्रम को तेजी से पूरा किया जाए। ये निर्देश वे देकर गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

आगरा के समीपवर्ती शूरसरोवर, शोरीपुर, बटेश्वर, चम्बल-घड़ियाल योजना और जलेसर की पटना पक्षी विहार योजना को प्रोत्साहित किया जाए। पर्यटन महानिदेशक ने बताया कि देश के धार्मिक पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जहाँ प्रतिवर्ष धार्मिक पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं। आगरा में इसकी भरमार है। दयालबाग, राधास्वामी मत का, शिव मंदिर, रुकता से सिकंद्रा तक पौराणिक क्षेत्र है। इसी तरह से पश्चिमाई में यमुना नदी अपने आप में उल्टी चलती है, इस प्रकार के अनेक प्राकृतिक दृश्य हैं जो देखने योग्य हैं।

गोवा-आगरा-औरंगाबाद एयर फ्लाइट शुरू कर दें तो गोवा में जो सर्वाधिक पर्यटक आते हैं, वे आगरा भी आएँगे और औरंगाबाद उतर

कर अजंता-ऐलोरा की गुफाएँ भी देखेंगे। यह मैं फारेन टूरिज्म की दृष्टि से कह रहा हूँ। मेहताबाग के निकट एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाए। यात्री के कार्यक्रम में वह बनाया गया था, लेकिन अब उधड़ गया है। इसलिए लोग ताज को दूसरे एंगल से नहीं देख पाते हैं।

[अनुवाद]

श्री अनादि चरण साहू (कटक) : सभापति महोदय, अन्य सदस्यों को भी इस पर प्रश्न पूछना है।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : मैं खत्म कर रहा हूँ। यह पर्यटन जोन कहलाए। ताज और अन्य ऐतिहासिक धरोहरों को शुक्रवार को बंद किया जाए, न कि सोमवार को। एक नेचर वाक की शाहजहाँ पार्क में व्यवस्था की जाए। अवकाश के दिनों में फोर्ड पाइंट से ताज को देखने दिया जाए। ताज के समीप जो धार्मिक स्थल हैं, उनकी व्यवस्था में सुधार किया जाए। ताज के पार्किंग स्थल से ताज तक रिक्शा चलान की अनुमति दी जाए। रात को दिल्ली से आगरा आने के लिए पर्यटन ट्रेन नहीं है, उसकी व्यवस्था की जाए। इंटरसिटी एक्सप्रेस जो सुबह दिल्ली और आगरा के बीच चलती है, उसमें ५० सी. टू टियर लगाया जाए, जिससे पर्यटक आ-जा सकें। आप दस हजार करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा लेते हैं। जब पचास प्रतिशत से ज्यादा पर्यटक आगरा जाते हैं तो उनको अधिकार है कि आगरा में विशिष्ट प्रकार की व्यवस्थाएँ भी आप करें।

इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया था कि आगरा को टूरिस्ट कैपिटल के रूप में घोषित करें, उसको बुद्धिस्ट सर्किट से जोड़ें। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगर घोषित करें, केन्द्र बनाएँ। वहाँ जिन अनेक प्रकार की सुविधाओं की जरूरत है, वह दें। टूरिस्ट सिटी की घोषणा के साथ जैसे मुम्बई देश की आर्थिक राजधानी है, आगरा देश की पर्यटन राजधानी घोषित की जाए और टूरिस्ट जोन के रूप में आगरा-म्थुरा का जो ताज ट्रेपेजियम एरिया है, उसे विकसित किया जाए। भतरपुर का घाना पक्षी बिहार भी उससे जुड़ा है। ग्वालियर का भी कुछ क्षेत्र उससे जुड़ा हुआ है। इस सर्किट को अपने आप विकसित किया जाए। ग्वालियर जाकर फिर बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है, वहाँ भी बड़ी पोटेशिएलिटी है। मैंने अंतर्देशीय और विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से ये सुझाव आपके सामने रखने की कोशिश की है, मुझे विश्वास है कि मंत्री जी इस पर रिसर्पांड करेंगे।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : सभापति महोदय, प्रश्न मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र की स्थापना के संबंध में है। इसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया था कि इस प्रकार की कोई सोच सरकार के पास नहीं है, इसलिए अब तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस प्रकार का उत्तर मुख्य प्रश्न का था।

[हिन्दी]

माननीय मंत्री जी से मुझे एक ही प्रश्न पूछना है। पर्यटन विकास के लिए अपने देश में बेहतरीन अवसर है। अपने देश में पुरानी धरोहर है और विदेशी पर्यटकों द्वारा देखने के लिए अलग-अलग स्थान हैं।

[श्री राम नाईक]

मैं यह कहना चाहता हूँ विदेशी पर्यटकों को हम उनके ही देश में यह बता सकें कि दस दिनों में कहाँ-कहाँ जा सकता है, 15 दिनों में कहाँ-कहाँ जा सकता है और 20 दिनों में कौन-कौन से स्थान देख सकता है, कुछ ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। नहीं तो स्थिति यह होगी कि वह जब हिन्दुस्तान में आएगा और यहाँ आने के बाद फिर वह रिजर्वेशन कराएगा कि उसे कहाँ-कहाँ जाना है। इसलिए टूर-पैकेज बनाना और ऐसा टूर पैकेज कि वह हिन्दुस्तान में कौन-कौन से स्थानों को देखने जा सकता है, इस प्रकार की जानकारी हमें पहले ही देनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं, तो वास्तव में पर्यटन विकास हो सकता है। ऐसा करने से फॉरन-एक्सचेंज मिल सकता है। पर्यटन केंद्र विकसित होते हैं, तो उससे स्वयं रोजगार जैसे टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, होटल आदि का भी विकास होता है। इस संबंध में मैं सरकार से जानना चाहता हूँ, ऐसा करने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, यह चर्चा इसी सत्र के दौरान तारांकित प्रश्न सं. 181 के 6 मार्च को दिए गए उत्तर से उत्पन्न हुई है। इस बारे में उठाए गए मुद्दों या दिए गए संदर्भ को मैं दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में यह कहा था कि हमारे देश के कुछ पर्यटन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र में घोषित करने या उनका दर्जा बढ़ाए जाने का कोई विचार या प्रस्ताव नहीं है।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं भारत प्राकृतिक सौंदर्य का घर है। भारत के बाहर विभिन्न देशों में, यूरोप में, अमेरिका में या अन्य देशों में अनेक स्थानों का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नक्शों में नाम है। ऐसे नक्शों में भारत के कुछ ही स्थानों का नाम दिखाया जाता है। स्वाभाविक रूप से, जम्मू और कश्मीर का नाम इनमें दिखाया जाता है। पर्वतारोहण के कारण हिमालय पर्वतमाला भी दिखाई जाती है। अनेक पर्यटक भारत में पर्वतारोहण के लिए आते हैं।

सभापति महोदय : श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही जी आप सीमाएं जानते हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : एक सैकेंड महोदय, श्री भगवान शंकर रावत द्वारा दिए गए प्रोत्साहन तथा जो प्रोत्साहन आपने उन्हें दिया है उससे मैं भी प्रोत्साहित हुआ हूँ। मैं समझता हूँ कि उचित रूप में मैं आपके इस प्रोत्साहन का पात्र भी हूँ।

सभापति महोदय : परंतु कुछ कठिनाइयाँ हैं और हमें उन कठिनाइयों के भीतर काम करना होगा। आप बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य हैं। आपको कुछ सीमा तक नियमों के अनुसार चलना चाहिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : अब हम विषय पर आते हैं।

हिमालय और जम्मू कश्मीर उन नक्शों में दर्शाए जाते हैं। ताजमहल के कारण आगरा, अजंता-एलोरा गुफाओं के कारण महाराष्ट्र इत्यादि नक्शों में दर्शाए जाते हैं।

अब मैं उड़ीसा की बात करता हूँ। यह मंत्री जी का अपना राज्य है। वे इसके बारे में भली-भाँति मुझसे भी अधिक जानते हैं।

महोदय, भुवनेश्वर, कटक और पुरी को जोड़ने वाला एक सुनहरा त्रिभुज है। विश्व का सबसे सुन्दर, आकर्षक और सबसे बड़ा समुद्र-तट होने के कारण पुरी की अपनी एक विशेषता है। इसके अतिरिक्त भुवनेश्वर में और उसके इर्द-गिर्द चट्टानी इमारतें हैं। उड़ीसा में सजावटी और कलात्मक मंदिर हैं। उड़ीसा में धौली, नंदनकानन, पठानपोट, चिल्का इत्यादि जैसे स्थान हैं जहाँ अनेक पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं। कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर को एशिया का काला पैगौड़ा कहते हैं और वहाँ की स्थापत्य कला अद्भुत है। उस मंदिर के अंदर कोई भगवान नहीं है परंतु स्थापत्य कला और इमारतों की सुन्दरता और आकर्षण के कारण इस स्थान के प्रति काफी पर्यटक आकर्षित होते हैं। परंतु उड़ीसा के इन स्थानों को नजरअंदाज किया जाता है। विदेशी पर्यटक केवल इन स्थानों की सुन्दरता के कारण ही आते हैं।

इसके अतिरिक्त हमारे देश के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए पर्यटन एक अच्छा और विश्वसनीय स्रोत है। मुझे यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा कितनी जरूरी है। समय की कमी के कारण मैं इस पर विस्तार से नहीं कहना चाहता। परंतु जब तक इन स्थानों पर अच्छी सुविधाएं नहीं दी जाती तब तक यहाँ देशी और विदेशी पर्यटक आकर्षित नहीं होंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के रहन-सहन का ढंग देश के पर्यटकों से भिन्न है। इसलिए कोणार्क और पुरी जैसे स्थानों में अच्छे होटल और अन्य व्यवस्थाएं होनी चाहिए। पुरी में एक सुंदर समुद्र तट है। परंतु आस-पास के क्षेत्र में कोई सौंदर्य नहीं है और अगर वहाँ अच्छे होटल और तरण ताल तथा अन्य सुविधाएं नहीं होंगी तो विदेशी पर्यटक आकर्षित नहीं होंगे।

इनके अतिरिक्त चिल्का झील उड़ीसा का एक अन्य आकर्षण है। चिल्का झील एशिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और सदियों में प्रति वर्ष लाखों पक्षी वहाँ आते हैं।

सभापति महोदय : श्री पाणिग्रही, समय बहुत कम है। कृपया प्रश्न पूछें।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, मैं प्रश्न ही पूछने वाला हूँ।

महोदय, हमारे देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अच्छे होटल, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इत्यादि जैसी आधार संरचनात्मक सुविधाओं की काफी आवश्यकता है। उड़ीसा में प्रसिद्ध हीराकुंड बांध स्थित है। उड़ीसा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण-कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार उड़ीसा में इन स्थानों में होटल खोलने तथा इन्हें सुंदर बनाने जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास के संबंध में क्या विचार कर रही है ?

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नक्शों में, ये सभी स्थान नहीं दिखाए जाते। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की भारी संख्या तथा हमारे देश में कुछ स्थानों के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए सरकार के सामने उन स्थानों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नक्शों पर दिखाने में क्या कठिनाई है ?

महोदय, मैं जानता हूँ कि निधियों की कमी है। परंतु कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के विकास के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। हमारे

देश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही किस्म के हवाई अड्डे हैं। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विलय हुआ था। इसलिए हमारे देश में पर्यटन स्थलों के महत्त्व तथा हमारे देश में आने वाले पर्यटकों के आकर्षण को देखते हुए वह क्या कठिनाई है जिसका सामना सरकार चिल्का झील, भुवनेश्वर, कोर्णाक, पुरी इत्यादि अति महत्त्व के पर्यटन स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्रों में बदलने तथा वहां पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने में कर रही है ?

अपराह्न 6.00 बजे

श्री के. पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदय, माननीय मंत्री जी को अपने राज्य में पर्यटन का विकास करने के बारे में संकोच नहीं करना चाहिए। हम सभी उन्हें सहयोग देंगे।

श्री राम नाईक : महोदय, कृपया बहस के समाप्त होने तक समय बढ़ा दें।

सभापति महोदय : मैं समझता हूँ कि मंत्री जी का उत्तर पूरा होने तक समय बढ़ाया जाना चाहिए।

कई माननीय सदस्य : जी, हाँ।

सभापति महोदय : श्री रूडी जी, कृपया संक्षेप में कहें।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : महोदय, मैं हमेशा संक्षेप में ही बोलता हूँ।

[हिन्दी]

अनेक बिंदुओं पर रावत साहब ने अपने विचार रखे हैं। मैं प्रश्न के रूप में कुछ सवाल रखना चाहूँगा। महोदय, आज हर क्षेत्र में हम साधनों के अभाव की चर्चा करते हैं। विकास के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में भी साधनों के अभाव की चर्चा करते हैं। लेकिन एक क्षेत्र में इस देश का राजस्व बढ़ सकता है और वह क्षेत्र है पर्यटन का क्षेत्र।

अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो एक तरफ आपको समुद्र दिखाई देगा, दूसरी तरफ पहाड़ और तीसरी तरफ जंगल और आर्किलोजिकल साइट्स दिखाई देंगे। भारत के मानचित्र को देखने पर हमें यहां पर्यटन के विकास की संभावनाओं का पता चलता है। भारत में पर्यटन के विकास की प्रबल संभावनाएं हैं। लेकिन पिछले 50 सालों में कोई भी सरकार इस ओर अपनी नजर नहीं दौड़ा पाई है। पर्यटन के विकास पर जितना पैसा खर्च हम करेंगे उसे कहीं ज्यादा कमाई हम इससे प्राप्त कर सकते हैं।

रावत साहब ने आगरा के बारे में चर्चा की लेकिन मैं बिहार की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस पर आधे घंटे की चर्चा बहुत कम है लेकिन इतने कम समय में ही मैं इस बारे में अपने कुछ बिंदु रखूँगा। हम जानते हैं कि बिहार बहुत पुराना गणतंत्र है, वैशाली में है। माननीय मंत्री के पीछे दो मंत्री बैठे हैं जो पहले पर्यटन मंत्री थे।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : हम तो वैशाली के लिए ही बैठे हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, देश के सबसे पहले पुराने लिच्छवी गणतंत्र के ऐतिहासिक महत्त्व को आज कोई नहीं जानता है। आज तो हम इंग्लैंड की पार्लियामेंटरी फोरम के बारे में चर्चा करते हैं, 50 वर्ष की चर्चा करते हैं लेकिन सैंकड़ों वर्ष पुराना गणतंत्र इस भारत वर्ष में था इसकी केवल लोगों के दिमाग में चर्चा भर रहती है। भगवान बुद्ध का वह तपस्वी स्थल जहां आज चीन और जापान से लोग आने का प्रयास करते हैं। आज बिहार सरकार की पर्यटन के विकास की क्षमता नहीं है और न ही यह क्षमता है कि पर्यटन का विकास करके किस तरह से राजस्व प्राप्त किया जाए। मैं देखता हूँ कि जापान और चाइना से जो पर्यटक आते हैं उनके लिए दिल्ली से बस सेवाएं पटना एयरपोर्ट तक के लिए उपलब्ध रहती हैं तथा जो उन्हें पटना से गया और बौद्ध गया तक लेकर जाती हैं और फिर वे गाड़ियां दिल्ली तक खाली आती हैं और वापसी में ये पर्यटक हवाई-जहाज से वापस लौटते हैं।

सभापति महोदय : मुझे दुबारा फिर आपसे अनुरोध करना पड़ रहा है कि आप ब्रीफ से बोलें।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं थोड़ा सा प्रकाश डालकर थोड़े से प्रश्न रखना चाहूँगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम देश में पर्यटन के संबंध में चर्चा नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : सभापति महोदय, यह ऐसा विषय है जिस पर बिना बोले रहा नहीं जाता। बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में जापान सरकार ने पैसा देने का वचन भी दिया था। उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़कर जिसके विकास की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गया में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना के बारे में राज्य सरकार ने कई बार आप लोगों से डिस्कश किया है। आज जो पर्यटक दिल्ली या कलकत्ता उतरते हैं, अगर पर्यटन के दृष्टिकोण से आप विकास करना चाहते हैं तो एक प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जापान और चीन से जो लोग अपना जहाज या सरकारी जहाज लेकर गया एयरपोर्ट पर उतरना चाहते हैं तो उसके विकास के संबंध में मैं आपसे एक स्पष्ट जवाब चाहूँगा।

वैशाली के विकास के संबंध में भी कदम उठाने चाहिए। मेरा छपरा संसदीय क्षेत्र है। सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। मैंने इस संबंध में एक तारांकित प्रश्न किया था। उसके जवाब में इस बात को स्वीकार किया गया कि वहां सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। आपने इसको राष्ट्रीय पशु मेला मान कर पर्यटन केंद्र के रूप में स्वीकृति प्रदान की थी। आपने उसके बारे में कुछ अनुदान देने की भी बात कही थी। पूरे भारतवर्ष में पर्यटन के विकास की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। संसाधन जुटाने के लिए, देश का राजस्व बढ़ाने के लिए, देश की आमदनी बढ़ाने के लिए, देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए मैं मात्र तीन प्रश्नों को जोड़ना चाहता हूँ। गया

[श्री राजीव प्रताप रूडी]

में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना, बिहार में बुद्धिस्ट सर्किट की प्रगति और सोनपुर में लगने वाले पशु मेले के विकास के संदर्भ में मैं मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूँ। क्या सरकार पर्यटन के विकास के लिए इस चीज को कबूल करती है कि पिछले पचास वर्षों में पर्यटन का जितना विकास होना चाहिए था, उतना हुआ नहीं ? सरकार इसका विकास करने में असमर्थ है तो क्यों नहीं वह पर्यटन के विकास के दृष्टिकोण को देखते हुए जो लोग निजी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनको बढ़ावा देती है ? क्या सरकार हर काम को अपने हाथ से करना चाहती है। क्या कोई भी विषय ऐसा है जो कि वह छोड़ना चाहती है ? अगर सरकार के बस में नहीं है तो सरकार खुद मॉनिटरिंग एजेंसी बन जाए। निजी क्षेत्र में लोग पर्यटन का विकास कर सकते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैं इन चार-पाँच बिन्दुओं पर जवाब चाहूँगा।

मैंने सीतामढ़ी के बारे में मंत्री जी को पत्र लिखा था। ... (व्यवधान) सरकार पर्यटन को निजी क्षेत्र में बढ़ावा देने से क्यों कतराती है ? इन बिन्दुओं पर जोर देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपका नाम बैलट में नहीं डाला गया है। हो सकता है आपने अपना नाम बैलट के लिए दिया हो परन्तु इसमें आपका नाम नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री भगवान शंकर रावत और अन्य माननीय सदस्यों का वास्तव में धन्यवाद करता हूँ। माननीय सदस्यों द्वारा विशेष प्रश्न पूछे जाने के बावजूद इस वाद-विवाद से मुझे वास्तव में सम्माननीय सभा को पर्यटन क्षेत्र के बारे में स्पष्ट करने का एक मौका मिला है।

दुर्भाग्यवश, इस क्षेत्र को उतना महत्त्व नहीं दिया गया है जितना दिया जाना चाहिए था। यही एक ऐसा क्षेत्र है जिससे हमारे देश में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा आ रही है। अगर आप पर्यटन मंत्रालय के बजट और हमें प्राप्त होने वाली कुल विदेशी मुद्रा को देखते हैं तो आप पाएँगे कि 1996-97 में कुल विदेशी मुद्रा तीन बिलियन डालर और कुल विदेशी पर्यटक 2.3 मिलियन हैं। अगर आप मुझे भारत सरकार के पर्यटन मंत्री के रूप में पूछते हैं तो मैं यही कहूँगा कि मैं इन आंकड़ों से प्रसन्न नहीं हूँ।

चीन में 52 मिलियन पर्यटक आते हैं।

इंडोनेशिया में लगभग 5 मिलियन से अधिक पर्यटक आते हैं।

इंडोनेशिया में बाली द्वीप में लगभग 3.5 मिलियन पर्यटक आते हैं।

किन्तु हमारे देश में यह संख्या केवल 2.3 मिलियन है। जब यह प्रश्न पूछा गया कि भारत में विदेशी पर्यटकों के लिए कौन-कौन से स्थल हैं तो मैंने यह कहा था कि पूरा भारत ही विदेशी पर्यटकों का स्थल है और वे भारत में आकर समय व्यतीत करना चाहते हैं तथा

भारत में सभी प्रकार के पर्यटक रह सकते हैं परन्तु आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं जो कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

मैं यही नहीं कहता कि विगत में कुछ भी नहीं किया गया है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। परन्तु मैं तरीके की बात कर रहा हूँ तथा मति की बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि पड़ोसी देश तथा छोटे देश अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं तथा भारत की तुलना में अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहे हैं जब कि भारत इतना विशाल देश है तथा यहाँ पर्यटन विकास की बड़ी संभावनाएँ हैं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्खर) : अब नेपाल में भी केसिनो है।

श्री श्रीकान्त जेना : श्री संतोष मोहन देव जी यह केवल केसिनो की ही बात नहीं है। मैं 1981 में चीन गया था। मैंने चीनियों का विकास देखा, मैंने पर्यटन क्षेत्र के प्रति उनका दृष्टिकोण तथा जागरूकता देखी। उन्होंने प्रत्येक चीज को व्यवस्थित ढंग से रखा है। अगर आप गलियों में जाओगे तो आप देखेंगे कि पेड़ भी इस तरह से व्यवस्थित किए गए हैं कि वह पर्यटकों के लिए आकर्षण हैं। अगर आप किसी होटल जाएँगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने इसे इस तरह से रखा है कि वह भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। अगर आप किसी झील पर जाते हैं तो आप इसकी सुन्दरता देख पाएँगे। प्रश्न यह है कि उस पर होने वाला खर्च भी अधिक नहीं होता। परन्तु सुन्दरता के प्रति तथा पर्यटकों के प्रति दृष्टिकोण अधिक माइने रखता है। दुर्भाग्यवश, हमारे देश में ऐसा होता है कि अगर कोई विदेशी पर्यटक देश के विभिन्न भागों में जाता है तो हमारे देश के लोगों का दृष्टिकोण केवल विदेशी पर्यटक को शोषित करना है। जहाँ ऐसा दृष्टिकोण होगा वहाँ पर्यटक नहीं आएँगे, बल्कि विदेशी पर्यटकों की संख्या कम हो जाएगी, यह कभी नहीं बढ़ेगी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पर्यटन के बारे में जागरूकता होनी चाहिए। जब कोई विदेशी पर्यटक हमारे देश में आता है तो हमें कितनी विदेशी मुद्रा मिलती है ? इस पहलू को भी उजागर किया जाना चाहिए जिससे आम लोगों में भी जागरूकता आए। वे पर्यटन क्षेत्र की वास्तविक क्षमता को पहचान सकें। हमें विदेशी पर्यटकों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए जिससे कि अधिक संख्या में पर्यटक आ सकें।

जैसा कि आपने बुद्धिस्ट सर्किटों के बारे में ठीक ही कहा है कि बुद्धिस्ट सर्किटों में अधिक से अधिक लोग आना चाहते हैं विशेषकर चीन, जापान और अन्य एशियाई देशों से। जहाँ भी वे आना चाहते हैं वहाँ बुनियादी सुविधाएँ सही नहीं हैं। जैसे होटल होने चाहिए वैसे उपलब्ध नहीं हैं। जैसे यातायात के साधन होने चाहिए वह उपलब्ध नहीं हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : वहाँ कानून और व्यवस्था की समस्या भी है।

श्री श्रीकान्त जेना : यह एक आंतरिक समस्या है मैं इसमें कोई मद्दद नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मंत्री जी, आगरा और मथुरा भी इस सर्किट में आते हैं। आगरा में तो बड़ा जीवित बुद्धिस्ट सेंटर है और मथुरा में म्युज़ियम है जहाँ भगवान बुद्ध के रिलिक्स हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उस क्षेत्र की बात न करें।

श्री श्रीकांत जेना : मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं आपका ध्यान इस क्षेत्र के महत्त्व की ओर दिलाना चाहता हूँ। मैं केवल हमारे देश की रोजगार क्षमता के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हाल ही में इसमें वृद्धि हुई है। स्थिति यह है कि आज भारत में 8.5 मिलियन लोग प्रत्यक्ष रूप से पर्यटन क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हैं जो कुल मजदूरों का 2.4 प्रतिशत हैं। इसके अलावा लगभग 11.5 मिलियन लोग अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन विकास के कारण रोजगार प्राप्त हैं। यह अनुमान किया गया है कि 1985-86 में निवेश किए रुपयों के मूल्य स्तर के अनुसार प्रत्येक दस लाख के विनिर्माणकारी क्षेत्र में 12.6 रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं; कृषि क्षेत्र में 44.7 रोजगार के अवसर तथा पर्यटक क्षेत्र में 47.5 रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। उन्होंने यह गणना की है। जो भी निवेश किया जा रहा है उसका अधिकतम लाभ रोजगार को हो रहा है। इससे बेरोजगारी पर भी रोक लगी है। परंतु आवश्यक निवेश उपलब्ध नहीं है। आज होटल के कमरे उपलब्ध नहीं हैं। अनुमान है कि तीन मिलियन पर्यटकों के लिए 63,000 अतिरिक्त कमरों की तुरंत आवश्यकता है। यहाँ प्रति वर्ष 2.3 मिलियन पर्यटक आ रहे हैं। अगर इसमें अब और 70,000 जोड़ते हैं तो आपको 63,000 अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता होगी। 1992 की कार्य-योजना के अनुसार आपका लक्ष्य क्या है ? ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : मंत्री जी, आप जितनी बातें बता रहे हैं, इससे आप सहमत हैं कि स्थिति क्या है। हमारे पास यही सारी इनफरमेशन लाइब्रेरी से पर्याप्त रूप से मिल गई है। आप हमें यह बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। आप तो सवालियों पर सवाल डाल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : मैं उसी पर आ रहा हूँ। रूडी जी मैं केवल समस्याओं को उजागर कर रहा हूँ। इस क्षेत्र की आवश्यकता अधिक है। हमें अधिक कमरों की आवश्यकता है। परंतु जमीन उपलब्ध नहीं है। मानो हमें शहरों में अधिक जमीन की आवश्यकता है। परंतु जमीन उपलब्ध नहीं है। अगर है तो इसकी कीमत बहुत अधिक है।

ऐसा विशेषकर राज्य सरकारों में है। भारत सरकार की इसमें क्या भूमिका है ? पर्यटन मंत्रालय की भूमिका एक उत्प्रेरक की भूमिका है। वास्तविक विकास राज्य स्तर पर होता है। वे परियोजना का पता लगाते हैं, वे व्यापक अभियान चलाते हैं, वे निवेशकों को आकर्षित करते हैं और इस प्रक्रिया में भारत सरकार उन्हें बजट से सहायता देती है।

विश्व के विभिन्न भागों में हमारे 18 विदेशी पर्यटन कार्यालय हैं। हम विदेशी कार्यालयों के माध्यम से पैकेज और गन्तव्य-स्थल प्रकाशित करते हैं। हम विदेशी पर्यटकों को प्रकाशित सामग्री देते हैं जिसमें पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र, उपलब्ध सुविधाओं इत्यादि के बारे में जानकारी दी होती है। परंतु यह पर्याप्त नहीं है।

श्री भगवान शंकर रावत ने आप्रवासन और वीसा संबंधी समस्याओं के बारे में सही उल्लेख किया है। हाल ही में इण्डोनेशिया के पर्यटन मंत्री ने मुझे बताया कि 46 देशों ने द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और उन 46 देशों में कोई भी इण्डोनेशिया आ सकते हैं। वे हवाई अड्डे पर ही वीसा को प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें दो महीनों के वीसा के लिए अपने राजदूतावासों के माध्यम से आवेदन भेजने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इस प्रकार की व्यवस्था के बारे में विदेशी मंत्रालय और गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है जिसमें हम एक द्विपक्षीय समझौता करते हैं जिससे कि कोई भी, जो भारत आना चाहता है, आ सकता है। हवाई अड्डे पर वीसा को प्राप्त करने में अनिवासी भारतीयों को भी समस्या का सामना करना पड़ता है। हमने आप्रवासन के सम्बन्ध में भी कदम उठाए हैं। हमने नागर विमानन और गृह मंत्रालय को भी पत्र लिखे हैं कि पर्यटकों के साथ हवाई अड्डे और आप्रवासन स्तर पर भी उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। हम इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय से बातचीत कर रहे हैं। परंतु प्रश्न निवेश का है। इस मामले में निजी क्षेत्र को मत्वपूर्ण भूमिका निभानी है न केवल होटल व्यवसाय में अपितु संबंधित व्यवसायों में भी, जिससे पर्यटन क्षेत्र का विकास होगा। इण्डोनेशिया में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों की संख्या कितनी है ? उनके पास इण्डोनेशिया में 12 अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन हैं जबकि हमारे पास भारत में केवल छः अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन हैं। आपके पास सुलभ मार्ग नहीं है जब लोग किराए के हवाई जहाज लेकर अपने गंतव्य स्थानों को पहुंचना चाहते हैं। परंतु ऐसी सुविधाएं गया जैसे स्थानों पर उपलब्ध नहीं हैं। यदि गया-नेपाल मार्ग को खोल दिया जाता है तो पटना और गया के लिए नेपाल से पर्यटक आएंगे। हम इस पर भी पर्यटकों का आगमन बढ़ाने और अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए नागर विमानन और रक्षा मंत्रालय से बातचीत कर रहे हैं।

इस वर्ष हमने इसे आगरा के लिए खोला है और किराए पर ली गई उड़ानें आगरा आ सकती हैं। अब किराए पर ली गई उड़ानें सप्ताह में दो बार आगरा आ सकती हैं।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : मेरा निवेदन यह है कि आगरा के लिए रेगुलर फ्लाइट्स करिए। गोवा, औरंगाबाद और आगरा गोल्डन ट्राइंगल रेल चलाइए। पासवान साहब बैठे हुए हैं और जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं वे भी आगरा में होनी चाहिए। आगरा में एक ही डोमेस्टिक फ्लाइट है और कोई फ्लाइट ही नहीं है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : इसके लिए सबसे पहली बात इस कार्य हेतु जुनियारी ढांचा है। हमें राज्य सरकार के स्तर पर धन की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : यह एक आधे घण्टे का प्रश्न है। यह सामान्य वाद-विवाद नहीं है।

श्री श्रीकांत जेना : मैं इसे पूरा कर रहा हूँ।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : मेरा प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना गया में होनी चाहिए, बुद्धिस्ट सर्किट का प्रस्ताव, सोनपुर मवेशी मेला का प्रस्ताव और वैशाली का प्रस्ताव इनके बारे में था।

श्री श्रीकांत जेना : रूडी साहब, मैं आपके प्रश्न का सीधा जवाब दे देता हूँ। सोनपुर मेला के लिए हमने इस साल तीन लाख रुपए दिए हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : यह तो आपने पिछले साल दिए थे।

श्री श्रीकांत जेना : यह 1996-97 में थे ... (व्यवधान) आप सुन लीजिए और बुद्धिस्ट सर्किट के लिए 250 करोड़ रुपए वहीं से असिस्टेंस आपको मिली है और उसमें काम जिस ढंग से होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ है। अब बिहार सरकार पर चले गए, तो अब कौन करेगा। ... (व्यवधान)

श्री भगवान शंकर रावत : बुद्धिस्ट सर्किट तो आगरा से ही शुरू हुआ है।

श्री श्रीकांत जेना : सुन लीजिए यह उसी स्टेट का लोन है ... (व्यवधान)

हम क्या करें। हम बाहर से लोन ले रहे हैं, इसका इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए लोन ले रहे हैं। ... (व्यवधान)

आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद अगर बातचीत करने की जरूरत होगी तो कर लेंगे। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : रूडी जी, पहले मंत्री जी को जवाब देने दीजिए।

श्री श्रीकांत जेना : मैं गया में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के मामले पर नागर विमानन मंत्रालय से बात करूंगा क्योंकि यह विषय पर्यटन मंत्रालय से सम्बंधित नहीं है।

जहां तक बुद्धिस्ट सर्किट का संबंध है मैं उनसे अनुरोध कहना चाहूंगा कि उन्हें भी, राजनीतिक रूप से नहीं अपितु पर्यटन को बढ़ावा देने के रूप में, पहल करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि बिहार में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए जो धन उपलब्ध है उसे समय पर खर्च किया जाए जिससे कि और ज्यादा चीनी और जापानी पर्यटक इस राज्य में आ सकें। श्री रूडी से यही अनुरोध है।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : वैशाली के संबंध में भी कुछ बताइए। आपकी बगल में रेल मंत्री और सदन के नेता बैठे हैं, आप बताइए कि वैशाली के लिए क्या करने जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री राम बिलास पासवान) : चूंकि आपने मेरा नाम भी चर्चा में शामिल कर लिया, मैं आपको बता दूँ कि हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार बुद्धिस्ट सर्किट तक रेल लाइन ले जाने के लिए

सर्वे कराया जा रहा है। वैशाली के लिए भी, आपको मालूम है कि 113 साल पुरानी डिमांड थी कि हाजीपुर से वैशाली होते हुए सुगौली तक रेलवे लाइन बनाई जाए, हमने उसके सर्वे का उद्घाटन कर दिया है और जैसे ही सर्वे रिपोर्ट हमारे पास आएगी, उसके आगे की कार्यवाही की जाएगी।

श्री भगवान शंकर रावत : वैसे यहां रेलवे बजट पर बात नहीं हो रही है, लेकिन आप चूंकि सदन के नेता हैं, आप कम-से-कम आगरा में सभी ट्रेनों को रोकने की व्यवस्था तो करा दीजिए।

श्री राम बिलास पासवान : इस बारे में आप मुझसे मिले थे। आगरा में जो भी ट्रेन रोकना सम्भव है, हमने उसे रोके जाने का काम किया है। इसके अलावा जो भी ट्रेन रोकना सम्भव होगा, उसे रोकने का काम भी करेंगे। हमें पता है कि आगरा सिर्फ मेरे दृष्टिकोण से ही नहीं, हर दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है, दुनिया का नौवां आश्चर्य ताजमहल वहां है, बुद्धिस्ट सर्किट वहां है। जहां इतनी सारी चीजें हों, उससे ज्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस दूसरा कौन-सा हो सकता है।

श्री भगवान शंकर रावत : मेरी प्रार्थना है कि टूटला और आगरा से निकलने वाली तमाम ट्रेनों को आगरा रोकने की घोषणा आप सदन में कीजिए। इसके साथ-साथ टूरिज्म मिनिस्टर साहब से एक निवेदन यह भी करना चाहूंगा कि जब वे सारी समस्याओं से अवगत हैं तो सदन में घोषणा करें कि योजना आयोग और भारत सरकार से आगरा में टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए पैसा दिलाएँ।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : सभापति महोदय, आगरा के संबंध में हमने काफी लम्बी चर्चा की है। आगरा, ताजमहल और आगरा से जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए काफी कदम उठाए जा चुके हैं। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि ताजमहल को केन्द्र बिन्दु बनाए बिना हम भारत में पर्यटन के विकास के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। मैं इस स्थिति को पूर्णतया स्वीकारता हूँ। इसके लिए जो कुछ भी मेरी ओर से और भारत सरकार की ओर से अपेक्षित है उसकी व्यवस्था की जाएगी। केवल यही नहीं अपितु परिस्थितिकीय सर्वेक्षण के लिए मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बात करूंगा। इस प्रकार ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध में जो कुछ भी किया जाना है उसको बेहतर ढंग से किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : पर्यटन मंत्री जी, आप आगरा के सांसद, उत्तर प्रदेश के टूरिज्म मिनिस्टर और खुद को शामिल करके एक कमेटी फॉर्म कर दीजिए और सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। इन्हें सदन में इतना एम्पोरिस दे दीजिए।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : टूरिज्म का विकास, देश के विकास में अहम भूमिका अदा कर सकता है इसलिए आपके विभाग को इसके बारे में सचेष्ट होकर कोई रास्ता ढूँढ़ना चाहिए। जो भी माननीय सदस्य टूरिज्म के विकास के संदर्भ में यहां सुझाव दें, चर्चा में भाग लेना चाहे,

उन्हें शामिल करके पर्यटन मंत्री जी को एक समिति गठित कर देनी चाहिए और विशेषकर रेल मंत्री जी यहां बैठे हैं, उन्हें तो रेलों के माध्यम से पर्यटन विकास के लिए एक विशेष समिति बनानी चाहिए ताकि देशभर के पर्यटन महत्त्व के स्थलों को शीघ्र रेलों से जोड़ा जा सके। ... (व्यवधान)

श्री राम नाईक : आगरा के बारे में तो आज ही मीटिंग एनाउंस कर दीजिए, इतना एश्योरेस सदन में दे दीजिए।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : जी हां, महोदय, आगरा और बुद्धिस्ट सर्किट के लिए मैं बैठक का एक और दौर बुलाऊंगा ... (व्यवधान) हम केवल ताजमहल और देश के अन्य भागों पर ही जोर नहीं दे रहे हैं बल्कि हम उत्तर-पूर्वी राज्यों और जम्मू-कश्मीर को भी पर्यटन की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए बहुत महत्त्व दे रहे हैं।

उसके लिए मैं उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए एक नए सर्किट, गुवाहाटी-काजीरंगा-शिलांग-तवांग की घोषणा करता हूँ। यह एक नया सर्किट होगा। इसकी घोषणा आज की जा रही है और इसे इस वर्ष क्रियान्वित किया जाएगा।

सभापति महोदय : उड़ीसा के सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : वहां पर हीराकुंड, कोणार्क और अन्य स्थल हैं।

सभापति महोदय : मैं इसे पूछ चुका हूँ। मंत्री महोदय अपने राज्य के बारे में कुछ कहेंगे।

श्री श्रीकान्त जेना : मैं उड़ीसा के लिए पहले ही चार नए सर्किटों की घोषणा कर चुका हूँ।

श्री संतोष मोहन देव : कोणार्क के लिए क्यों नहीं ?

श्री श्रीकांत जेना : कोणार्क के लिए इस वर्ष हमने ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम के लिए एक करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। मैं रेल मंत्रालय से पुरी से कोणार्क तक एक नई रेलवे लाइन के लिए अनुरोध कर चुका हूँ जिससे कि लोग पुरी से कोणार्क जा सकें। वे सर्वेक्षण के लिए सहमत हो गए हैं और उन्होंने सर्वेक्षण कार्य के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। एक बार यदि समुद्र के किनारे-किनारे चिल्का से डाल्फिन रेल लिंक पहले ही है—चिल्का से पुरी और पुरी से कोणार्क निर्मित हो जाती है तो यह वास्तविक त्रिकोण होगा। इसके साथ-साथ विशेष पर्यटन क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार इस पर पहले

से ही ध्यान दे रही है। वे 3500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं। हम उस क्षेत्र में निवेश के लिए निजी क्षेत्र से अनुरोध कर रहे हैं वह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यटन के लिए अनूठा आकर्षण और गंतव्य स्थान होगा।

मुझे इस वाक्य के साथ अपनी बात पूरी करनी दें।

डॉ. अरूण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : उत्तर-पूर्व क्षेत्र के संबंध में मुझे एक सुझाव देना है।

सभापति महोदय : एक विशेष नियम है। इस प्रकार की चर्चा में आप इस प्रकार खड़े होकर प्रश्न नहीं कर सकते। मंत्री कृपया अपनी बात पूरी करें।

[हिन्दी]

प्रो. ओम पाल सिंह 'निडर' (जलेश्वर) : मंत्री जी, वर्तमान में जो साधन उपलब्ध हैं, उनका सदुपयोग कीजिए। भविष्य में जो कुछ होगा, देखा जाएगा। आप समिति बनाइए, बैठक करिए, जो सुझाव आए उन्हें कार्यान्वित करें। वर्तमान में पैसा लगाएँ!... (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया वार्तालाप को न सुनें। मंत्री को जो कुछ भी कहना है केवल वही कहें।

श्री श्रीकांत जेना : माननीय सदस्य को मेरे मंत्रालय से जुड़ी परामर्शदात्री समिति में विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। जो भी परामर्श वे देना चाहते हैं वे वहां दे सकते हैं।

अंततः मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। वह यह कि एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो अधिक राजस्व, अधिक विदेशी मुद्रा और ज्यादा रोजगार प्रदान कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखकर जब कभी भी वाद-विवाद हो तो पर्यटन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कम से कम वाद-विवाद में तो उसे प्राथमिकता दी ही जानी चाहिए यदि वित्तीय दृष्टि से संभव न हो।

सभापति महोदय : अब सभा कल 16 मई, 1997 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 06.28 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 16 मई 1997/26 वैशाख, 1919 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।